श्रम एव जयते
NDMC
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

मुख्य लेखा परीक्षक
की
वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय-सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
सारांश		vii
अध्याय-I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
प्रस्तावना	1.1	1
परिषद् की वित्तीय स्थिति	1.2	1
निधि के स्रोत एवं उसका व्यय	1.3	1
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	1.4	2
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	3
कर राजस्व	1.6	4
गैर-कर राजस्व	1.7	6
सहायता अनुदान	1.8	8
राजस्व प्राप्तियों के बकाया	1.9	10
व्यय	1.10	10
गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	1.11	13
आधिक्य एवं आरक्षित निधि	1.12	14
व्यय को किसी खाते में न लेना	1.13	15
वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ	1.14	16
बजट प्रायोजनों का विश्लेषण	1.15	17
व्यय की अत्याधिकता	1.16	29
आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.17	30
अनुभाग 'क' - समीक्षा		
अध्याय-II : सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव	2	33
अध्याय-III : विद्युत विभाग		
पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलाप	3	51
अध्याय-IV : सम्पदा विभाग		
सम्पदा विभाग के कार्यकलाप	4	67

अनुभाग 'ख' - कार्य विवरण आडिट पैराग्राफ		
अध्याय-V : वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग		
अनधिकृत निर्माण के लिए दुरूपयोग प्रभार एवं क्षति की वसूली नहीं	**5.1**	**89**
अध्याय-VI : सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
भूमि के अधिग्रहण पर अनुत्पादक निवेश	6.1	93
घटिया-मानक के सामान का क्रय एवं प्रयोग	6.2	96
अध्याय-VII : वाणिज्य विभाग		
विद्युत तथा जल प्रभारों के बकायों की वसूली न होना	**7.1**	**99**
छूट प्राप्त न करने के कारण परिहार्य आधिक्य व्यय	**7.2**	**101**
अध्याय-VIII : विद्युत विभाग		
जमा कार्यों की शेष लागत की वसूली न होना	**8.1**	**103**
प्रयोग किये हुए ट्रॉसफार्मर ऑयल का निपटान न करना	**8.2**	**104**
खराब ट्रॉसफार्मरों की जीर्णोद्धार एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का व्यर्थ होना	**8.3**	**105**
अध्याय-IX : सम्पदा विभाग (पालिका आवास)		
कर्मचारी क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब	**9.1**	**107**
परिषद् क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों से बकाया किराये की वसूली न होना	**9.2**	**108**
अनधिकृत रूप से क्वार्टरों को रखने वाले सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवार से किराये के बकायों की वसूली न होना	**9.3**	**110**
अध्याय-X : सामान्य प्रशासनिक विभाग		
वर्दी मदों की वास्तविक मॉग का अनुचित निर्धारण	**10.1**	**113**
अध्याय- XI : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर अनुत्पादक व्यय	**11.1**	**115**
विन्डो एक्सपी प्रोफेशनल साफ्टवेयर के क्रय पर व्यर्थ व्यय	**11.2**	**118**
ओरेकल साफ्टवेयर के क्रय पर अनुत्पादक व्यय	**11.3**	**119**
अध्याय- XII : सम्पत्ति कर विभाग		
सम्पत्ति कर के बकायों की वसूली न होना	**12.1**	**121**
केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना	**12.2**	**123**

संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली न होना	12.3	124
करयोग्य मूल्य का गलत निर्धारण करने के कारण राजस्व की हानि	12.4	126
अध्याय- XIII : जन स्वास्थ्य विभाग		
खाद संयंत्र का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन	13.1	129
कूड़ा हटाने के लिए छोटे निजी ट्रकों को किराये पर लेने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय	13.2	131
अध्याय- XIV : कल्याण विभाग		
लक्ष्मीबाई नगर स्टेडियम का उपयोग न होना	14.1	133
अनुलग्नक		
शून्य व्यय वाले लेखा शीर्षों का विवरण	I	135
संशोधित अनुमानों से 50 प्रतिशत अधिक बचत वाले लेखा शीर्षों का विवरण	II	138
संशोधित अनुमानों के 50 प्रतिशत से अधिक सतत् बचतों के लेखाशीर्षों का विवरण	III	142
आधिक्य व्यय वाले लेखा शीर्षों का विवरण	VI	143
वर्ष-2003-2006 की अवधि में लेखाशीर्ष भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के अन्तर्गत मूल प्रकृति के किये गये कार्यों को दर्शाती सूची	V	145
निविदा लागत के संदर्भ में वास्तविक व्यय में विचलन को दर्शाती सूची	VI	152
शिकायतों के बिना जारी सामान का विवरण	VII	154
अनुबन्ध आधार पर कार्यो का विभाजन दर्शाती सूची	XIII	156
कार्य/आपूर्ति आदेश के आधार पर कार्यों के विभाजन को दर्शाती सूची	IX	157
लाईसेंस विलेख के नियम एवं शर्तों का अतिक्रमण करने वाली इकाईयों का विवरण	X	159
रिक्त कर्मचारी क्वार्टरों पर परिहार्य व्यय एवं राजस्व की हानि	XI	162
क्वार्टर अनधिकृत रूप से रखने के लिए सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवार की ओर किराए की वसूली के बकाये का विवरण	XII	165

भण्डार में वर्दी की आधिक्य पड़ी मदों का विवरण	**XIII**	167
मैसर्स सी.एम.सी. लि. को सौपें गये कार्य की अन्य मदें एवं 19 एप्लीकेशन साफ्टवेयर मोड्यूल्स का विवरण	**XIV**	168
दिनांक 31 मार्च, 2006 को संस्थानों के विरूद्ध 11.61 करोड़ रुपये की राशि के सम्पत्ति कर के बकाया का विवरण	**XV**	169

प्राक्कथन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार कर दी गई है । अधिनियम में यह परिकल्पना की हुई है कि मुख्य लेखा परीक्षक परिषद् के पूर्व वर्ष के समस्त लेखों की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों के साथ-साथ इस अवधि में विभिन्न विभागों के किये गये आडिट के दौरान पाई गई असंगतियों के मामलों को सम्मिलित किया गया है । तथापि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में मार्च, 2006 के पश्चात् की स्थिति की भी समीक्षा की गई और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में परिषद् की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिये इनको भी इसमें शामिल किया गया है ।

सारांश

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2005-06 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तीन अध्याय समीक्षा के और अन्य 10 अध्यायों के 22 पैराग्राफों में परिषद् के विभिन्न विभागों के आडिट के परिणाम सम्मिलित हैं ।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2004-05 में प्राप्त राजस्व 1077.91 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 1049.71 करोड़ रुपये हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 2.62 प्रतिशत कम था। कुल प्राप्त राजस्व में कर राजस्व में 173.07 करोड़ रुपये था जो कि कुल राजस्व का 16.49 प्रतिशत था, गृहकर 147.10 करोड़ रुपये की राशि अर्थात् कुल कर राजस्व का 84.99 प्रतिशत राजस्व का प्रमुख स्रोत बना रहा । वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व 842.59 करोड़ रुपये था, जो कि कुल प्राप्त राजस्व का 80.27 प्रतिशत था, वर्ष 2004-05 में गैर-कर राजस्व में 24.67 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2005-06 में 2.12 प्रतिशत की गिरावट आई । गैर-कर राजस्व का प्रमुख अवयव ऊर्जा की बिक्री था जिसकी कुल राशि 515.17 करोड़ रुपये थी जो कि कुल गैर-कर राजस्व का 61.14 प्रतिशत था ।

वर्ष 2004-05 में 966.49 करोड़ रुपये का व्यय 0.46 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 970.91 करोड़ रुपये हो गया । कुल व्यय की 64.69 प्रतिशत राशि यानि 628.10 करोड़ रुपये आर्थिक सेवाओं पर व्यय हुई । पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में सामाजिक व विकास सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः 4.11 प्रतिशत और 13.71 प्रतिशत बढ़ गया । सामान्य सेवाओं पर व्यय 18.96 प्रतिशत घट गया ।

वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 1035.50 करोड़ रुपये की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ 1049.71 करोड़ रुपये थी । अनुमानित स्तर पर वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के मध्य अन्तर यद्यपि 18.88 करोड़ रुपये था, चार मामलों में 0.73 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में शून्य प्राप्ति हुई । बारह अन्य मामलों में संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियों की कमी 52.20 प्रतिशत से

91 प्रतिशत के बीच रही । दूसरी ओर 12 मामलों में वास्तविक प्राप्तियॉं, संशोधित अनुमानों की तुलना में 59.9 प्रतिशत से 10911.11 प्रतिशत तक अधिक रहीं ।

वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से कम रहा । अधिकांशत: बचत गैर-योजना के अधीन हुई । 146 मामलों में 8.62 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ । 123 मामलों में कुल बचत 50 प्रतिशत से 99.78 प्रतिशत तक रही । 11 मामलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत लगातार संशोधित अनुमान से 50 प्रतिशत तक बढ़ी । 86 मामलों में व्यय, संशोधित अनुमान से 0.18 प्रतिशत से 14985 प्रतिशत तक अधिक रहा । आठ मामलों में जिनमें वास्तविक व्यय एक लाख रुपये से अधिक रहा बिना बजट प्रावधानों के 67.43 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

योजना व्यय के छ: लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 39.5 प्रतिशत से 99.02 प्रतिशत तक बचत हुई । तीन मामलों में संशोधित अनुमान की नौ लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं हुआ ।

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान 67.74 करोड़ रुपये की राशि विविध अग्रिमों के रूप में निकाली गई जिसमें से 63.52 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मुख्य लेखा शीर्षों में समंजित की गई और वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर 4.22 करोड़ रुपये की राशि असमंजित रही ।

(पैराग्राफ-1)

भवनों की वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव

वर्ष 2003-06 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव निष्पादित कार्यों की समीक्षा की गई । अनुमान तैयार करने में कमियॉं पाई गई क्योंकि प्रस्तावित तथा अनुमोदित अनुमानों में विलम्ब एवं असंगतियॉं पाई गई । भवन रखरखाव हेतु तीन भवन रखरखाव प्रभागों द्वारा वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के नियमों को दृष्टिगत नहीं रखा गया क्योंकि भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव शीर्षक के अन्तर्गत मूल प्रकृति के कार्यों को निष्पादित करने की घटना महत्वपूर्ण थी । भवनों के रखरखाव हेतु कार्य क्रम अनुसूची का भी अनुपालन नहीं किया गया । सेवा केन्द्रों के कार्यों का विश्लेषण करने से पता चला कि अधिक श्रमिकों को नियुक्ति की गई तथा शिकायत पुस्तिका जैसे मूल रिकार्ड का अनुचित रखरखाव किया गया था । सिविल इंजीनियरिंग विभाग को भवनों की वार्षिक

मरम्मत एवं रखरखाव की निधि के प्रबन्धन की समीक्षा तथा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

(पैराग्राफ 2)

पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलाप

पथ प्रकाश प्रभाग के वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक पाँच वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई । सड़कों के पथ प्रकाश खम्बों की रंगाई का कार्य बिना किसी उचित नीति/मानकों के पूरा किया गया । ऊर्जा प्रभार, प्रभाग के व्यय का प्रमुख अवयव बिना किसी वैज्ञानिक तथा तर्क-संगत/उचित आधार पर भुगतान किए गए क्योंकि फिटिंग की संख्या तथा बिलों की राशि के मध्य कोई समन्वय नहीं था । अनुबन्ध प्रबन्धन कुशल नहीं था क्योंकि अनेक कार्यों का विभाजन करना, कुछ चुने हुए ठेकेदारों को कार्य सौंपना, प्रदत्त शक्तियों/अधिकारों इत्यादि के उल्लंघन के कई उदाहरण थे । विद्युत इंजीनियरिंग विभाग को इन प्रमुख कार्यों पर ध्यान देने तथा पथ प्रकाश प्रभाग की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है ।

(पैराग्राफ 3)

सम्पदा विभाग के कार्यकलाप

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सम्पदा विभाग मासिक लाईसेंस शुल्क आधार पर निजी पार्टियों/सरकारी एजेंसियों को वाणिज्यिक इकाइयॉ का आवंटन करता है । विभाग के वर्ष 2000-2006 के कार्यों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि वाणिज्यिक इकाइयों के आवंटियों तथा पूर्व आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली हेतु विभाग की ओर से प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित थीं, जिसके परिणामस्वरूप, मार्च, 2006 तक 590.94 करोड़ रुपये की राशि बकाया के रूप में संचित हो गई । कुछ वाणिज्यिक इकाइयों का असामान्य विलम्ब से आवंटन के परिणामस्वरूप, 1.21 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई । सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बावजूद सम्पदा विभाग के न्यायालय में मामला भेजने के लिए शीघ्र कार्रवाई भी नहीं की गई । सम्पदा अधिकारी द्वारा इन कार्यों की समीक्षा एवं अपने सम्पूर्ण कार्यों में सुधार लाना अपेक्षित है ।

(पैराग्राफ 4)

अनधिकृत निर्माण के लिए दुरुपयोग प्रभार एवं क्षति की वसूली नही

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन कर वास्तुविद विभाग ने बाराखम्बा रोड पर 6.08 एकड़ की होटल की भूमि पर दो वाणिज्यिक टावरों के अनाधिकृत निर्माण की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय के साथ अनावश्यक विवाद हो गया तथा विवाद का निपटान न होने के कारण फरवरी, 2002 तक वित्तीय देयता बढ़कर 155.10 करोड़ रुपये हो गई ।

(पैराग्राफ 5.1)

भूमि के अधिग्रहण पर अनुत्पादक निवेश

सिविल/विद्युत विभाग द्वारा अप्रैल, 2000 से अप्रैल, 2006 के मध्य 30.85 लाख रुपये की लागत पर अधिग्रहित भूमि के तीन भू-खण्डों का वास्तविक कब्जा लेने में असफल होने के परिणामस्वरूप, निधि अवरूद्ध हुई । इसके अतिरिक्त विभाग भूमि एवं विकास कार्यालय को किए गए 5.61 लाख रुपये के अधिक भुगतान को वापिस प्राप्त करने में भी असफल रहे ।

(पैराग्राफ 6.1)

घटिया मानक के सामान का क्रय एवं प्रयोग

अधिशासी अभियंता, भण्डार प्रभाग (सिविल) ने जॉच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना फरवरी, 2006 में बिटुमन इमलशन के 146 ड्रम (29.2 एम.टी.) जारी किये । तत्पश्चात् प्रतिकूल जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उस समय तक 76 ड्रम (15.2 एम.टी.) पहले ही प्रयोग किए जा चुके थे जिसके परिणामस्वरूप, फर्म से इस सामान की 2.10 लाख रुपये की लागत वसूल नहीं हो सकी ।

(पैराग्राफ 6.2)

विद्युत एवं जल प्रभारों के बकाया की वसूली न होना

वाणिज्य विभाग, दोषी उपभोक्ताओं से विद्युत तथा जल प्रभारों के बकाया की वसूली करने हेतु पर्याप्त कार्यवाही करने में असफल रहा । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक 103.79 करोड़ रुपये की राशि बकाया के रूप में जमा हो गई ।

(पैराग्राफ 7.1)

छूट प्राप्त न करने के कारण परिहार्य अधिक्य व्यय

मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लि. के विद्युत बिल का अग्रिम भुगतान न करने के कारण विभाग दो प्रतिशत छूट प्राप्त करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 तक की अवधि में 14.91 करोड़ रुपये का परिहार्य आधिक्य व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 7.2)

जमा कार्य की शेष लागत की वसूली न होना

विद्युत विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग से पूर्व जमा कराये बिना 14.33 लाख रुपये अधिक खर्च किए । यह राशि अप्रैल, 2007 तक वसूल नहीं की गई थी ।

(पैराग्राफ 8.1)

प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर आयॅल का निपटान न करना

प्रयो
ग
किए गए ट्रांसफार्मर ऑयल के निपटान न होने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विद्युत सब-स्टेशनों में 50140 लीटर उपयोग किया गया ऑयल इक्ट्ठा हो गया । इससे न केवल परिषद् उस राजस्व से वंचित हुई जो इस ऑयल की बिक्री द्वारा प्राप्त हो सकती थी, अपितु यह एक ज्वलंनशील मद होने से अग्नि के जोखिम को भी आमंत्रण दिया गया ।

(पैराग्राफ 8.2)

खराब ट्रांसफार्मरों के जीर्णोद्वार एवं मरम्मत पर किये गये व्यर्थ व्यय का व्यथ होना

20 मास बीत जाने के बावजूद भी विभाग चार ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करवा पाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2007 तक ये ट्रांसफार्मर बिना मरम्मत किए पड़े रहे तथा 2.35 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 8.3)

कर्मचारी क्वाटरों के आवंटन में विलम्ब

पालिका आवासीय विभाग ने कर्मचारी क्वाटरों के आवंटन में विलम्ब किया जिसके परिणामस्वरूप, न केवल परिषद् को 1.46 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई, अपितु विलम्ब आवंटन अवधि के दौरान कर्मचारियों को गृह-किराया-भत्ता के भुगतान के रूप में 16.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भी हुआ ।

(पैराग्राफ 9.1)

परिषद् क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों से बकाया किराये की वसूली न होना

मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा रिपोर्ट में इंगित करने के बावजूद विभाग कर्मचारी क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों से किराया/क्षति-प्रभारों के बकाया की वसूली करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2007 तक जाँच किए गए 281 मामलों में 65.29 लाख रुपये की किराये की बकाया राशि की वसूली नहीं की गई ।

(पैराग्राफ 9.1)

अनधिकृत रूप से क्वार्टरों को रखने वाले सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवार से के लिए किराये के बकायों की वसूली न होना

स्वीकार्य अवधि बीत जाने के बावजूद विभाग सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवार से पालिका आवासों को खाली कराने में असफल रहा । विभाग जॉच किए गए 29 मामलों में 28.89 लाख रुपये के किराया/क्षति-प्रभार की वसूली कर पाने में भी मार्च, 2006 तक असफल रहा ।

(पैराग्राफ 9.3)

वर्दी मदों की वास्तविक मॉग का अनुचित निर्धारण

सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्दी मदों की मॉग का सही निर्धारण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2006 तक 8.56 लाख रुपये की राशि की अधिक वर्दियों का क्रय करने के कारण निधि अनावश्ये रूप से अवरूद्ध रही ।

(पैराग्राफ 10.1)

कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर अनुत्पादक व्यय

विभाग ने खुली निविदा आमंत्रण संबंधी सामान्य वित्तीय नियमों में समाहित प्रावधानों का अनुपालन किए बगैर अप्रैल, 2001 में दो करोड़ रुपये की लागत पर ई-गवर्नेस कार्यक्रम को लागू करने हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों के लिए 19 एप्लीकेशन्स साफ्टवेयर माड्यूल्स के विकास हेतु मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड को कार्य सौंपा । विभाग ने दस लाख रुपये की स्वीकार्य राशि के बदले 80 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया । पुनः विभाग 18 मास की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करा पाने में असफल रहा । फर्म को सितम्बर, 2004 तक समय अवधि में वृद्धि प्रदान किये जाने के बावजूद फर्म मात्र दो पूर्ण एवं छः आंशिक साफ्टवेयर माड्यूल्स की सुपुर्दगी कर सकी तथा तत्पश्चात् नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने भविष्य में कार्य अवधि में और वृद्धि न प्रदान करने का निर्णय लिया । विभाग ने अधिकतर विभागों में ई-गवर्नेस कार्यक्रम को लागू करने हेतु वर्ष 2001-02

से 2004-05 तक की अवधि के दौरान 3.61 करोड़ रुपये की लागत के कम्प्यूटरों तथा नैटवर्किंग उपकरणों का भी क्रय किया । सी.एम.सी. द्वारा साफ्टवेयर माड्यूल्स की सुपुर्दगी में असफल रहने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में ई-गर्वेनस कार्यक्रम लागू नही हो सका/लागू होने में विलम्ब हुआ तथा उपकरणों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका ।

पैराग्राफ 11.1)

विन्डो एक्सपी प्रोफेशनल साफ्टवेयर के क्रय पर व्यर्थ व्यय

विभाग ने जुलाई, 2003 में प्रोन्नत साफ्टवेयर क्रय करने से पूर्व उपलब्ध कम्प्यूटरों की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 7.55 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ ।

(पैराग्राफ 11.2)

ओरेकल साफ्टवेयर के क्रय पर अनुत्पादक व्यय

विभाग नवयुग विद्यालयों सहित परिषद् विद्यालयों के लिए समय पर ओरेकल साफ्टवेयर उपलब्ध कराने में असफल रहा । इनको क्रय करने में लगभग दो वर्ष (अप्रैल, 2004 से मार्च, 2006) का विलम्ब हुआ । पुनः विभाग मार्च, 2006 में साफ्टवेयर क्रय करने से पूर्व वर्तमान कम्प्यूटरों की उपयुक्तता के बारे में अध्ययन/सर्वेक्षण करा पाने में भी असफल रहा । परिणामस्वरूप, विभाग ने 5.83 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय किया ।

(पैराग्राफ 11.3)

सम्पत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

गृहकर विभाग ने दोषी पार्टियों से सम्पत्ति कर की वसूली हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाये । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक 5405 पार्टियों से 323.09 करोड़ रुपये के सम्पत्ति कर तथा जुर्माना राशि के बकायों की वसूली नहीं की जा सकी ।

(पैराग्राफ 12.1)

केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना

विभाग केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रहा । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक 958 सम्पत्तियों से सेवा-प्रभारों की 42.37 करोड़ रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई ।

(पैराग्राफ 12.2)

संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली न होना

दोषी संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 को सम्पत्ति कर के बकायों की 11.61 करोड़ रुपये की भारी राशि का संचयन हो गया ।

(पैराग्राफ 12.3)

करयोग्य मूल्य का गलत निर्धारण करने के कारण राजस्व की हानि

सम्पत्ति के करयोग्य मूल्य का निर्धारण करते समय, विभाग ने गलती से 147.5 वर्ग फुट के रूप में क्षेत्र लिया जबकि वास्तविक क्षेत्र 1475 वर्ग फुट था । परिणामस्वरूप, वर्ष 1994-95 से 2005-06 के दौरान 10.45 लाख रुपये की राशि के सम्पत्ति कर की कम वसूली हुई ।

(पैराग्राफ 12.4)

खाद संयंत्र का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन

ओखला स्थित खाद संयंत्र दक्षता से कार्य नहीं कर रहा था । वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) संयंत्र क्षमता की उपयोगिता 17 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य रही । प्रक्रियागत कूड़े का 50 प्रतिशत के उत्पादन मानक के विरूद्ध वास्तविक तैयार खाद की मात्रा 20 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के मध्य थी । प्रबन्धन उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादित 13289 मी.टन खाद में से केवल 4024 मी.टन ही बेच सका । परिणामस्वरूप, 3.61 करोड़ रुपये मूल्य की 9265 मी. टन खाद बिना बेचे पड़ी हुई थी । भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में खाद की बड़ी मात्रा खुले में पड़ी थी जिसके खराब एवं चोरी हो जाने की आशंका थी ।

(पैराग्राफ 13.1)

कूड़ा हटाने के लिये छोटे निजी ट्रकों को किराये पर लेने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय

अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 के दौरान बिना किसी औचित्य के पाँच टाटा 407 ट्रकों को किराये पर लिया गया था । परिणामस्वरूप, 5.39 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया ।

(पैराग्राफ 13.2)

लक्ष्मीबाई नगर स्टेडियम का उपयोग न होना

विभाग ने लक्ष्मीबाई नगर स्टेडियम के खेल के मैदान का पूरी तरह से रखरखाव नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-06 के दौरान स्टेडियम का उपयोग न होने से खिलाड़ी खेल सुविधाओं तथा संरचना के लाभ से वंचित रहे । इसके अतिरिक्त, स्टेडियम में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर उक्त अवधि के दौरान 9.40 लाख रुपये का भी व्यय हुआ जो कि 0.26 लाख रुपये प्रति मास की दर से चालू था ।

(पैराग्राफ 14.1)

वित्त
एवं
लेखा

अध्याय I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति से संबंधित है जो वर्ष 2005-06 के लिये परिषद् के लेखों में दी गई सूचना के विश्लेषण पर आधारित है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है ।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 58 के अनुसार तैयार किये जाते हैं। लेखे तैयार करने की प्रक्रिया पंजाब पालिका अधिनियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार है। तदानुसार प्रपत्र जी-4 में तैयार किये गये लेखे बजट/संशोधित अनुमानों के अनुरूप राजस्व और व्यय के विवरण शीर्षानुसार दर्शाते हैं। वर्तमान प्रक्रिया में लेखे में परिसम्पतियों और देयता का विवरण प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष की परिसम्पतियों एवं देयता की स्थिति को दर्शाता विवरण वार्षिक लेखे के साथ ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि ऑडिट ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में भी ऐसे विवरणों की आवश्यकता के संबंध में इंगित किया है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है। सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान 16.64 करोड़ रुपये का आधिक्य था जिससे 31 मार्च 2006 को समापन शेष 82.35 करोड़ रुपये हो गया ।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्रोत में परिषद् के राजस्व की प्राप्ति सम्मिलित है। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूंजी व्यय पर होता है। वर्ष 2004-05 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ 1077.91 करोड़ रुपये से घटकर 2005-06 में 1049.71 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार 2.62 प्रतिशत की कमी हुई ।

वर्ष 2004-05 में 899.20 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय बढ़कर वर्ष 2005-06 में 928.89 करोड़ रुपये हो गया । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2004-05 में 27.10 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 34.86 करोड़ रुपये हो गया ।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार "नई दिल्ली नगरपालिका निधि" के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा या परिषद् के नाम पर किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि नई दिल्ली नगरपालिका निधि का हिस्सा मानी जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् की ओर से व्यय इस निधि में से किये जाते है। वर्ष 2005-06 के लिए इस निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ एवं व्यय निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.1 : नई दिल्ली नगरपालिका निधि

(रुपये करोड़ में)

	2005-06	**2004-05**
1 अप्रैल को अथशेष (ओपनिंग बैलेंस)	65.71	76.64
जमा वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2066.11	2086.37
योग	**2131.82**	**2163.01**
कम वर्ष के दौरान व्यय	2049.47	2097.30
वर्ष के दौरान आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(+)16.64	(-)10.93
31 मार्च को समापन शेष	**82.35**	**65.71**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005-06 में 16.64 करोड़ रुपये का आधिक्य था । वर्ष 2005-06 की समाप्ति तक जी-4 विवरण पर आधारित समापन शेष 82.35 करोड़ रुपये था ।

2066.11 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में 1050.80 करोड़ रुपये की कुल साधारण प्राप्तियाँ (बजट प्रावधान), 103.08 करोड़ रुपये की जमा निधि, 907.39 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि/सामान्य निधि निवेश तथा 4.84 करोड़ रुपये की निलम्बित (संस्पेस) एवं प्रेषित धनराशि सम्मिलित थी । निवेश पर ब्याज के रूप में 155.80 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ हुई ।

2049.47 करोड़ रुपये के व्यय में 970.91 करोड़ रुपये का कुल साधारण व्यय, 96.03 करोड़ रुपये की जमा निधि, 991.34 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि और (-) 8.81 करोड़ रुपये की निलम्बित स्टाक एवं अग्रिम राशि सम्मिलित थी ।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के अतिरिक्त मुख्यत: कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित है । पिछले पांच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों का रूझान निम्न प्रकार था :

तालिका 1.2 : राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी(-)
2005-06	**1049.71**	**(-) 02.62**
2004-05	1077.91	(+) 25.05
2003-04	861.97	(-) 02.28
2002-03	882.11	(+) 14.65
2001-02	769.42	(+) 02.97

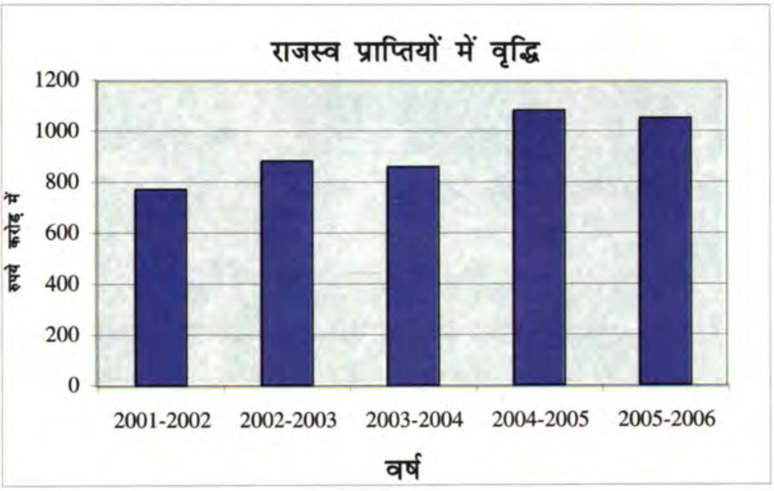

वर्ष 2005-06 में पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2.62 प्रतिशत की कमी गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में कमी विशेषकर निवेश पर ब्याज तथा उर्जा की बिक्री के कारण थी ।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक

राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक कर एवं गैर-कर राजस्व तथा सहायता अनुदान हैं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विवरण निम्न प्रकार था :

तालिका 1.3 : राजस्व प्राप्ति के संघटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
कर राजस्व	173.07 (16.49)	172.27 (15.98)	142.31 (16.51)	144.71 (16.40)	120.70 (15.69)
गैर-कर राजस्व	842.59 (80.27)	860.85 (79.86)	690.49 (80.11)	713.51 (80.90)	625.18 (81.25)
दिल्ली /केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	34.05 (3.24)	44.79 (4.16)	29.17 (3.38)	23.81 (2.70)	23.54 (3.06)
कुल	**1049.71 (100.00)**	**1077.91 (100.00)**	**861.97 (100.00)**	**882.11 (100.00)**	**769.42 (100.00)**

*कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

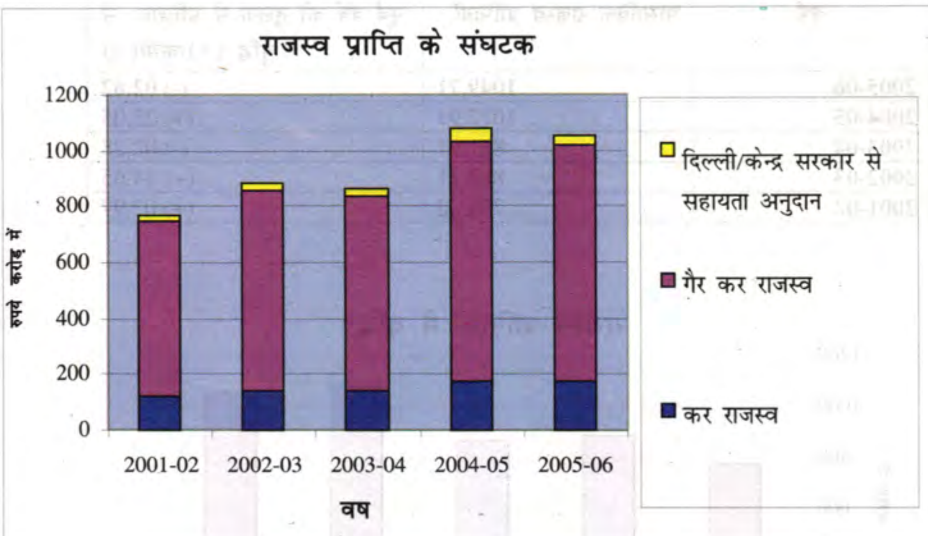

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक बना रहा । लेकिन, कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के अनुसार गैर-कर राजस्व वर्ष 2001-02 में 81.25 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2005-06 में 80.27 प्रतिशत रह गया । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि कुल राजस्व का बहुत ही छोटा हिस्सा है, वर्ष 2001-02 में 3.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 3.24 प्रतिशत हो गया। जबकि इसी अवधि के दौरान कर राजस्व का हिस्सा 15.69 प्रतिशत से बढ़कर 16.49 प्रतिशत हो गया ।

1.6 कर राजस्व

1.6.1. कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के कर राजस्व में गृहकर, सम्पत्ति के हस्तातंरण पर शुल्क, विज्ञापन कर आदि सम्मिलित हैं । वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.4 : कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में))

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता में कर राजस्व
2005-06	**173.07**	**0.46**	**16.48**
2004-05	172.27	21.05	15.98
2003-04	142.31	(-)1.66	16.51
2002-03	144.71	19.89	16.40
2001-02	120.70	20.75	15.69

पिछले पाँच वर्षों में कर राजस्व में वर्ष 2003-04 को छोड़कर लगातार वृद्धि का रूझान रहा है। वर्ष 2005-06 में कर राजस्व की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि करों के निर्धारित हिस्सों में वृद्धि के कारण थी । कर राजस्व के अधीन प्राप्तियाँ वर्ष 2001-02 में 120.70 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 173.07 करोड़ रुपये हो गई । पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व में वृद्धि की दर (-) 1.66 प्रतिशत तथा 21.05 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही है। वर्ष 2004-05 में 21.05 प्रतिशत की उच्च दर की अप्रत्याशित वृद्धि मुख्यत: गृह कर की दरों में वृद्धि के कारण हुई थी ।

1.6.2. कर राजस्व के संघटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों की वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.5 : कर राजस्व के सघंटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
गृह कर	147.10 (84.99)	147.60 (85.68)	127.89 (89.87)	132.81 (91.78)	110.26 (91.35)
सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क	13.15 (7.60)	13.28 (7.70)	7.94 (5.58)	5.58 (3.85)	6.10 (5.05)
विज्ञापन/ प्रदर्शन कर	0.14 (0.08)	0.10 (0.06)	0.09 (0.06)	0.04 (0.03)	0.06 (0.05)
करों का निर्धारित हिस्सा	12.68 (7.33)	11.29 (6.55)	6.39 (4.49)	6.28 (4.34)	4.28 (3.55)
कुल	**173.07 (100.00)**	**172.27 (100.00)**	**142.31 (100.00)**	**144.71 (100.00)**	**120.70 (100.00)**

* कोष्ठकों में दिये गये आकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

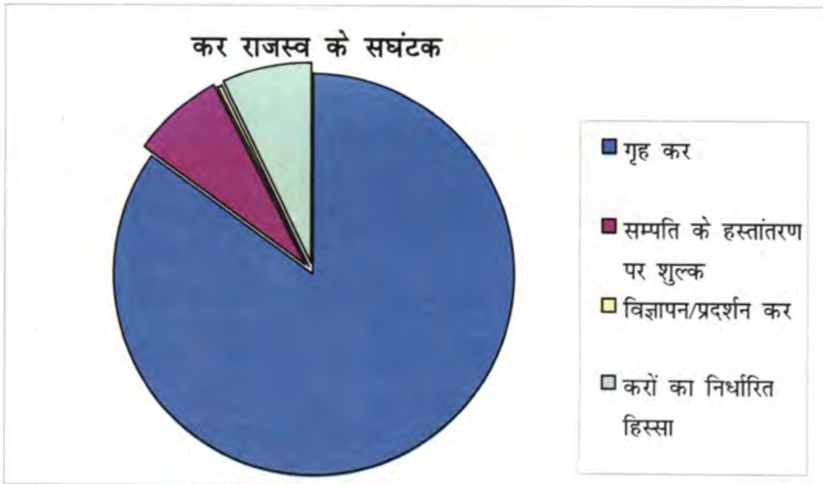

कर राजस्व का प्रमुख अंशदाता गृह कर बना रहा। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान इस का हिस्सा कुल कर राजस्व का 84.99 प्रतिशत तथा 91.78 प्रतिशत के मध्य रहा । सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2001-02 में 6.10 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 13.15 करोड़ रुपये हो गई । करों के निर्धारित हिस्सों की प्राप्तियों में वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्णत: तथा सम्बन्धित, दोनो ही तौर पर वृद्धि हुई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.6 : गैर-कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर- कर राजस्व	पूर्व वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	**842.59**	**(-)02.12**	**80.27**
2004-05	860.85	(+)24.67	79.86
2003-04	690.49	(-)03.24	80.11
2002-03	713.59	(+)14.14	80.90
2001-02	625.18	(-)00.55	81.25

वर्ष 2005-06 में परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 80.27 प्रतिशत गैर-कर राजस्व रहा । वर्ष 2001-02 में इसका हिस्सा 81.25 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2005-06 में 80.27 प्रतिशत रह गया। पिछले पांच वर्षों में गैर-कर राजस्व की दर (-) 0.55 प्रतिशत एवं 24.67 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है । वर्ष 2005-06 में (-) 2.12 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2004-05

में 24.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह कमी निवेश पर ब्याज तथा ऊर्जा की बिक्री में हुई कमी के कारण थी ।

1.7.2 गैर-कर राजस्व का संयोजन

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/जल की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, निवेशों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियॉं सम्मिलित हैं । गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों की वृद्धि प्रतिमान का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.7 : गैर-कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

घटक	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
ऊर्जा की बिक्री	515.17 (61.14)	533.09 (62.03)	532.50 (77.12)	531.85 (74.53)	480.96 (76.93)
जल की बिक्री	23.50 (2.79)	14.32 (1.66)	15.00 (2.17)	0.001	2.02 (0.32)
किराया/लाइसेंस शुल्क एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों से प्राप्तियाँ	124.58 (14.79)	110.76 (12.87)	97.77 (14.16)	115.55 (16.19)	100.92 (16.14)
शुल्क जुर्माना और विविध प्राप्तियॉं	23.61 (2.80)	23.04 (2.68)	17.94 (2.60)	33.899 (4.75)	16.74 (2.68)
निवेश पर ब्याज	155.73 (18.48)	178.74 (20.76)	27.28 (3.95)	32.29 (4.53)	24.54 (3.93)
योग	**842.59 (100.00)**	**860.85 (100.00)**	**690.49 (100.00)**	**713.59 (100.00)**	**625.18 (100.00)**

*कोष्ठको में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते है ।

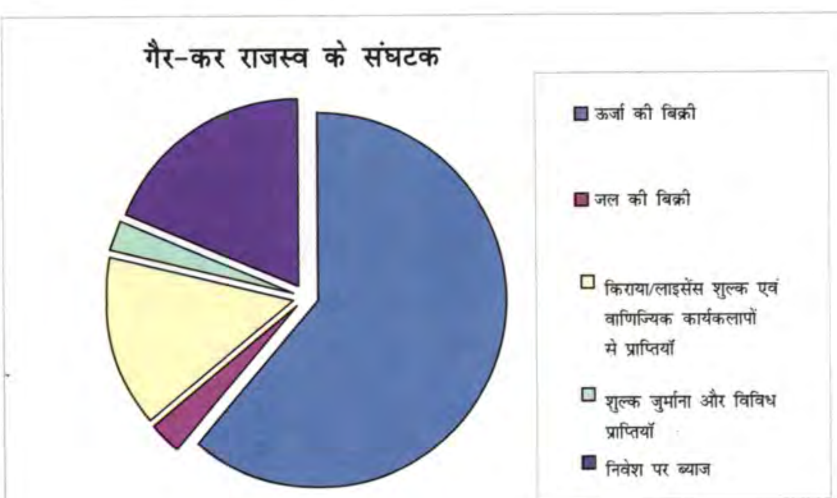

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत ऊर्जा की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क व अन्य वाणिज्यिक कार्यकलापों से हुई प्राप्तियॉं थी। पिछले पांच वर्षो के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में उर्जा की बिक्री की प्राप्तियों में 61.14 प्रतिशत एवं 77.12 प्रतिशत के मध्य घट-बढ़ रही ।

1.8 सहायता अनुदान

परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋणों के रूप में सहायता प्राप्त करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता का रूझान निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सहायता	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	**34.05**	**4.04**
2004-05	44.79	4.16
2003-04	29.17	3.38
2002-03	23.81	2.70
2001-02	23.54*	3.01

*इसमें 0.37 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है ।

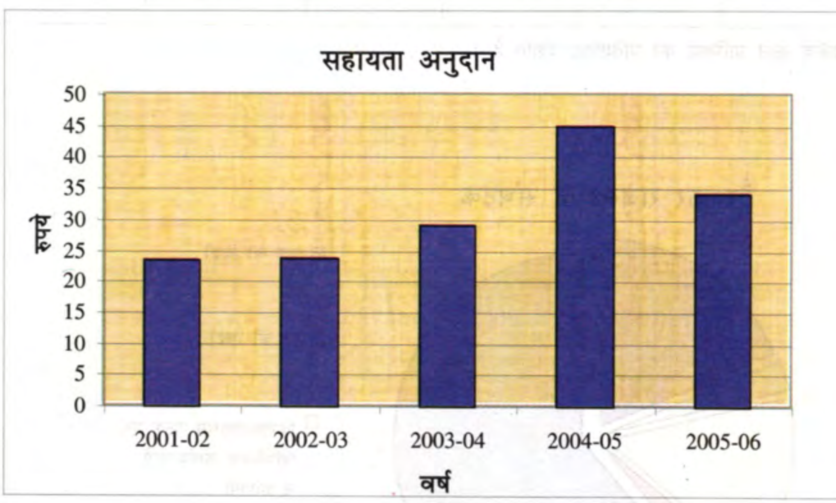

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुदान वर्ष 2001-02 में 23.54 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 34.05 करोड़ रुपये हो गया था। कुल प्राप्तियों के अनुपात में यह वर्ष 2001-02 में 3.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4.04 प्रतिशत हो गया । परिषद् ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया ।

1.8.1 पिछले वर्ष की सहायता अनुदान का समायोजन न करना

वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में कुछ योजनाओं की अनुदान सहायता राशि बिना व्यय किये शेष पड़ी थी । सामान्यत: आगामी राशि के भुगतान से पूर्व पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि को खाते में जोड़ना आवश्यक होता है । आडिट जॉंच से पता चला है कि पॉंच योजनाओं पर व्यय नहीं की गई शेष राशि का समंजन किये बिना 2005-06 के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया विवरण निम्न प्रकार से हैं :

तालिका 1.9: अनुदान सहायता का समायोजना न करना

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना	01.4.05 को व्यय न की गई शेष राशि	2005-06 के दौरान स्वीकृत अनुदान सहायता राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	31.03.2005 तक बिना व्यय की शेष राशि 2005-06 में गैर समंजित
1.	नाला ढ़कना व बाढ़ निरोध (योजना)	42.67	125.00	125.00	42.67
2.	मध्यान्ह भोजन योजना (गैर योजना)	31.28	12.00	12.00	31.28
3.	मध्यान्ह भोजन योजना (योजना)	33.06	100.00	75.00	33.06

1.8.2 सहायता अनुदान का उपयोग नहीं करना

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पॉंच योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ परन्तु पर्याप्त राशि का उपयोग नहीं हुआ । विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.10: सहायता अनुदान का अनुपयोग

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2005-06 के दौरान प्राप्त राशि	उपयोग की गई राशि	1.4.06 को व्यय नहीं की गई शेष राशि
1.	बाढ रोधी तथा नाले को ढकना (योजना)	125.00	66.88	58.12
2.	मध्यान्ह भोजन (गैर योजना)	12.00	-	12.00
3.	मलेरिया रोधी	20.00	19.36	0.64
4.	स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य	5.00	4.68	0.32
5.	विधायक निधि	365.00	219.97	145.03

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के पृथक लेखों का रखरखाव किया जाना अपेक्षित है । तथापि, निर्दिष्ट रिकार्ड़ों का रखरखाव नहीं पाया गया था । इसकी अनुपस्थिति में, आडिट सहायता अनुदान के वास्तविक उपयोग का सत्यापन नहीं कर सका ।

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

वर्ष 2005-06 के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने विद्युत प्रभारों (49.08 प्रतिशत), गृह कर (14.01 प्रतिशत) और किराया/लाइसेंस शुल्क (12.47 प्रतिशत) के द्वारा राजस्व अर्जित किया । वर्ष 2005-06 के दौरान बकाये के रूप में वाणिज्य विभाग ने 9.20 करोड़ रुपये तथा प्रवर्तन विभाग ने 26 लाख रुपये की वसूली की । सम्पदा विभाग के सम्बन्ध में, वर्ष 2005-06 के दौरान वसूले गये बकायों की राशि उपलब्ध नहीं थी । गृह कर के अतिरिक्त वर्तमान देय और लेखों में बकायों के वर्षानुसार विघटन को भी इंगित नहीं किया गया था। इस संबंध में आडिट रिपोर्ट में पूर्व में भी इंगित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय अभी उठाये जाने हैं ।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय का रूझान

इस रिपोर्ट में कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी व्यय, दिल्ली सरकार से प्राप्त ऋण/बाह्य सहायता की अदायगी और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने सहित सभी व्यय सम्मिलित किये गये हैं। परिषद् ने वर्ष 2005-06 में कुल 970.91 करोड़ रुपये व्यय किये । वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान व्यय का रूझान निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.11 : व्यय का रूझान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजी व्यय		दिल्ली सरकार/ बाह्य सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों की अदायगी	न.दि.न.प. कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		न.दि.न.पा. परिषद् के कार्य	जमा कार्य			
2005-06	**928.89**	**34.86**	**6.24**	**0.33**	**0.59**	**970.91**
2004-05	899.20	27.10	5.74	33.83	0.62	966.49
2003-04	738.10	48.99	6.11	7.34	0.94	801.48
2002-03	723.16	33.01	8.03	10.46	1.04	775.70
2001-02	679.15	38.68	12.16	12.25	1.43	743.67

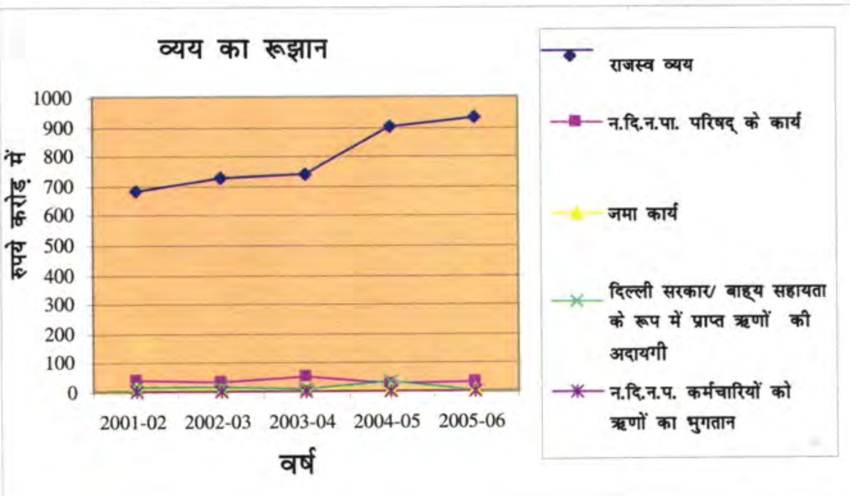

1. वर्ष 2001-02 में 743.67 करोड़ रुपये का कुल व्यय बढ़कर वर्ष 2005-06 में 970.91 करोड़ रुपये हो गया । वर्ष 2005-06 के दौरान व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत बढ़ गया।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2001-02 में 38.68 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 34.86 करोड़ रुपये हो गया । जबकि पिछले वर्ष की तुलना में यह 28.63 प्रतिशत अधिक था । पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 3.30 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई ।

3. वर्ष 2005-06 के दौरान, सड़कों (3.80 प्रतिशत), जलापूर्ति (3.66 प्रतिशत) तथा प्रशासनिक सेवाओं (18.48 प्रतिशत) के व्यय में कमी हुई जबकि विधायक निर्वाचन क्षेत्र निधि (31.11 प्रतिशत) और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (4.93 प्रतिशत) पर हुए व्यय में वर्ष 2004-05 में हुए व्यय की तुलना में वृद्धि हुई। तथापि विभिन्न शीर्षों में पूर्व वर्ष की तुलना में व्यय में हुई कमी/बढ़ोतरी के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

1.10.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार किया गया व्यय

तालिका 1.12 पिछले पांच वर्षों में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर हुये व्यय को दर्शाती है:

तालिका 1.12 : क्षेत्रवार व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
1	सामान्य सेवायें	187.68 (19.53)	231.58 (23.96)	145.52 (18.16)	174.65 (22.52)	133.32 (17.93)
2	सामाजिक एवं विकास सेवायें	154.80 (15.95)	148.69 (15.38)	136.24 (17.00)	121.65 (15.68)	124.21 (16.70)
3	आर्थिक सेवायें	628.10 (64.69)	552.39 (57.16)	512.38 (63.93)	468.94 (60.45)	473.89 (63.72)
4	ऋणों की अदायगी/बिना खर्च हुए शेष धन की वापसी	00.33 (0.03)	33.83 (3.50)	7.34 (0.92)	10.46 (1.35)	12.25 (1.65)
	कुल	**970.91 (100.00)**	**966.49 (100.00)**	**801.48 (100.00)**	**775.70 (100.00)**	**743.67 (100.00)**

* कोष्ठको में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय के संबंध में प्रतिशतता इंगित करते हैं ।

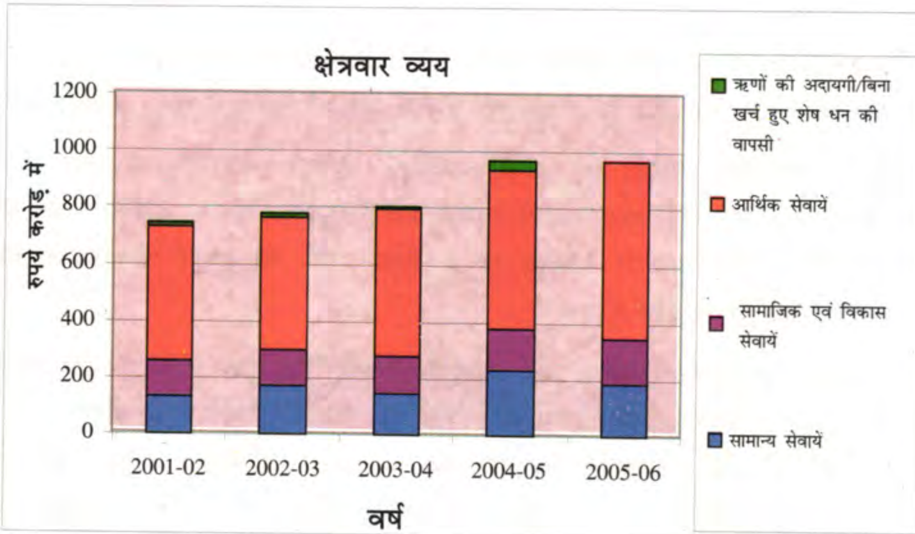

सामान्य सेवाओं के घटक वर्ष 2001-02 से वर्ष 2005-06 के दौरान घट-बढ़ का रुझान दर्शाते हैं । सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर व्यय वर्ष 2001-02 में 16.70 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 15.95 प्रतिशत हो गया । इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2001-02 में 63.72 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 64.69 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, पूर्व वर्ष

2004-05 के दौरान खर्च हुए व्यय की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर (4.11 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं पर (13.71 प्रतिशत) वृद्धि एवं सामान्य सेवाओं पर (18.96 प्रतिशत) तथा ऋण अदायगी/बाह्य सहायता (99.02 प्रतिशत) पर व्यय में कमी हुई ।

1.11 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा पिछले पांच वर्षों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों को प्रदान की गई सहायता अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.13 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
1.	नवयुग विद्यालय समिति	**824.54**	800.00	716.95	635.55	518.41
2.	रघुमल आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय	**30.32**	25.18	14.29	24.20	28.96
3.	निर्मल प्राथमिक विद्यालय	**16.60**	26.00	12.73	12.34	29.48
4.	रघुमल कन्या प्राथमिक विद्यालय	**13.90**	14.85	25.13	15.43	19.18
5.	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	**8.49**	13.00	5.71	15.98	12.74
6.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/गैर सरकारी संस्थान	**2.40**	3.80	7.45	11.40	9.10
7.	समाज कल्याण समिति	**00.32**	1.58	0.88	22.52	10.87
8.	पालिका सेवा अधिकारी संस्थान	-	-	-	10.70	-
	कुल	**896.57**	**884.41**	**783.14**	**748.12**	**628.74**

नवयुग विद्यालय समिति को जारी किए जाने वाले सहायता अनुदान में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2005-06 में सहायता अनुदान की राशि 884.41 लाख रुपये से बढ़कर 896.57 लाख रुपये हो गई। समाज कल्याण समिति को सहायता अनुदान की दर्शायी गई राशि का समाज कल्याण समिति को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान करने के बजाए लेखा शीर्ष डी.4.7.2 समाज कल्याण समिति के अंतर्गत बजट अनुदान के विरूद्ध सीधे व्यय के रूप में दर्शाया गया, जो कि अनियमित था। अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान के रूप में समाज कल्याण समिति के लेखों का अलग से रखरखाव करना अपेक्षित था ।

यद्यपि, लेखा विभाग ने आश्वस्त किया था कि समाज कल्याण समिति को वित्तीय सहायता आडिट की स्थाई समिति के निदेशों के अनुपालन में वर्ष 2005-06 से सहायता अनुदान के रूप में बुक की जाएगी परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किया गया ।

जी.एफ.आर. के नियम 212 के अन्तर्गत, विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12 मास के भीतर संबंधित संस्थान का उपयोग करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था । चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व वर्षो के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी अनुदान के संबंध में विभाग ने उपयोग करने का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया ।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत विशेष निधि सृजित करने का प्रावधान है। परिषद् ऐसी कई निधियों का रखरखाव कर रही है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.14 : आधिक्य एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

निधि का नाम	1-4-05 को अथशेष	2005-06 में वृद्धि	कुल	2005-06 के दौरान व्यय	31-3-2006 को शेष राशि
ह्रास आरक्षित निधि विद्युत	268.59	30.00	298.59	0.76	297.83
ह्रास आरक्षित निधि जल	186.36	25.00	211.36	0.32	211.04
ह्रास आरक्षित निधि भवन	264.63	30.00	294.63	-	294.63
ह्रास आरक्षित निधि पेंशन एवं उपदान	843.66	368.50	1212.16	48.41 172.00	991.75
समाज कल्याण निधि	0.53	0.37	0.90	0.27	0.63
करूणामूलक निधि	0.20	0.02	0.22	0.01	0.21
सामान्य आरक्षित निधि	59.97	408.50	468.47	769.00	(-)300.53
सामान्य निधि (भवन /मार्किट निधि)	5.00	44.00	49.00	00.01	48.99
सामान्य भविष्य निधि (घाटा)	6.00	1.00	7.00	00.55	6.45
कुल	**1634.94**	**907.39**	**2542.33**	**991.33**	**1551.00**

आडिट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियॉं की गई :

1. नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 54 के अनुसार विशेष निधि की संरचना एवं उससे किया जाने वाला व्यय विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जायेगा, परन्तु ऐसे कोई विनियम आडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये ।

2. उपरोक्त विवरण के अनुसार 31 मार्च 2006 को समापन शेष 1551.00 करोड़ रुपये था जबकि विभाग द्वारा बजट पुस्तिका के विवरण संख्या-II में 2421.80 करोड़ रुपये दिखाये गये। इस प्रकार 870.80 करोड़ रुपये का अंतर था । इसके कारण आडिट को स्पष्ट नहीं किये गये ।

3. इसी प्रकार 31 मार्च 2005 को समापन शेष 1634.94 करोड़ रुपये और बजट-पुस्तिका 2007-08 के विवरण संख्या- II में दर्शाये गये 2107.80 करोड़ रुपये में 472.86 करोड़ रुपये के अन्तर और 31 मार्च 2004 को समापन शेष 1758.37 करोड़ रुपये एवं बजट पुस्तिका 2006-07 के विवरण संख्या- II में दर्शाये गये 1723.20 करोड़ रुपये में 35.17 करोड़ रुपये का अन्तर तथा 31 मार्च 2003 को समापन शेष 1490.85 रुपये में तथा 1.4.2003 को 1554.69 रुपये का अथशेष 63.84 करोड़ रुपये के अंतर को 'ह्रास आरक्षित निधि के विवरण' वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 में क्रमशः स्पष्ट नहीं किया गया था ।

4. वर्ष 2005-06 के दौरान पेंशन एवं उपादान सहित आरक्षण तथा आधिक्य निधि में 907.39 करोड़ रुपये की राशि को जोड़ा गया था । वर्ष के दौरान निधियों में योगदान का आधार रिकार्ड में नहीं था । इसके साथ ही योगदान की राशि में ब्याज को भी शामिल किया गया था ।

5. वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 हेतु 'ह्रास एवं अन्य आरक्षित निधि' के वास्तविक योग, तथा इन वर्षों के लिए बजट पुस्तिका 2006-07 तथा 2007-08 क्रमशः में दिये गये वास्तविकों में भी निम्न विवरणानुसार अंतर था :

तालिका 1.15 : ह्रास एवं आरक्षण निधि

(रुपये करोड़ में)

बजट पुस्तिका	वर्ष के लिए वास्तविक	साधन एवं उपाय अनुमानों के विवरण-II के अनुसार आंकड़े	ह्रास एवं अन्य निधियों की स्थिति विवरण- II ए-2 के अनुसार आंकड़े	अंतर
2007-08	2005-06	2421.80	1796.53	625.27
2006-07	2004-05	2117.80	1566.47	551.33

उपरोक्त दिखाये गये दो विवरणों में 625.27 करोड़ रुपये एवं 551.33 करोड़ रुपये के अंतर के कारण को भी स्पष्ट नहीं किया गया था।

1.13 व्यय को किसी खाते में न लेना

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान 67.74 करोड़ रुपये विविध अग्रिमों के रूप में प्राप्त किया गया जिसमें से 63.52 करोड़ रुपये के अग्रिमों का समायोजन लेखों के अंतिम शीर्षो में कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर 4.22 करोड़ रुपये असमंजित रह गये। आडिट पर स्थायी समिति द्वारा बनाई अनुशंसाओं के कारण तथा तत्पशचात् विभाग द्वारा अनुपालन करने से अग्रिमों के समंजन में सुधार हुआ था । वर्षानुसार अग्रिमों की प्राप्ति एवं समंजन का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.16 : विविध अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	जारी किये गये अग्रिमों की राशि	समंजित अग्रिमों की राशि	शेष असमंजित राशि
2005-06	**3.44**	**17.60**	**(-)14.16**
2004-05	15.21	10.40	4.81
2003-04	24.90	24.92	(-)0.02
2002-03	32.67	17.44	15.23
2001-02	4.28	5.92	(-)1.64
Total	**80.50**	**76.28**	**4.22**

1.14 वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ

आडिट द्वारा लेखों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान लेखा पद्धति में कुछ विसंगतियाँ/कमियाँ थी । इन्हें पहले भी वार्षिक आडिट रिपोर्ट तथा स्थानीय आडिट रिपोर्ट में दिखाया गया था । किन्तु विभाग ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये । विसंगतियों/कमियों पर निम्न प्रकार से टिप्पणियाँ थी :

1. व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत होना चाहिए। किन्तु बहुत से मामलों में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से अधिक हो गया था । संबंधित लेखा- शीर्ष में व्यय को नियंत्रित रखने का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया । तद्नुसार, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान थी ।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ऊर्जा और जल की बिक्री, वाणिज्यिक दुकानों/ईकाइयों को किराये पर देना और खाद तैयार करना व बेचना जैसे वाणिज्यिक कार्यकलापों का संचालन करती है परन्तु इन वाणिज्यिक कार्यकलापों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे और इस प्रकार इन कार्यकलापों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

3. वार्षिक लेखों की वर्तमान पद्धति में वर्ष के प्रारम्भ में करों, शुल्क एवं अन्य राजस्व और वसूल योग्य लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान इनकी वसूली की राशि प्रतिबिम्बित नहीं होती । इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वास्तविक बकाया राशि की वर्ष-बार जानकारी नहीं थी ।

4. प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखों में विभिन्न निलम्बित शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक व्यय दिखाया गया था, जिसे बाद में संमजित नहीं किया था । वार्षिक लेखों में सस्पेंस लेखों के वर्षानुसार अथशेष, समापन शेष और निलम्बित (सस्पेंस) लेखों का निपटान नहीं दिखाया गया और इस प्रकार निलम्बन शीर्षों के अधीन दिखाए गए अत्यधिक व्यय एवं इसके समंजन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वार्षिक लेखे विभिन्न ऋणों, जमा तथा प्रेषित शीर्षों के अथशेष एवं समापन शेष नहीं दर्शाते और इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं करते ।

6. बैंक लेखे में जमा करवाये गये चैकों, जिनकी राशि खाते में वित्तीय वर्ष में जमा नहीं हुई, का विवरण वार्षिक लेखे के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसी प्रकार वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा जारी चैकों, जो बैंकों में भुगतान के लिये जमा नहीं करवाये गये, का विवरण भी वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया।

7. 'रोकड़ पुस्तिका' और 'बैंक खाते' के अथशेष एवं समापन शेष तथा इनमें विसंगति, यदि कोई थी तो उसकी अपेक्षित स्पष्टीकरण टिप्पणी सहित प्रस्तुत नहीं दर्शाये गये थे ।

8. सामान्य निधि से अग्रिमों को उदारता से बार-बार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और यह सामान्यत: काफी समय तक असंमजित रहे । अथशेष एवं समापन शेष तथा वर्ष में किये गये समंजन को दर्शाता विवरण वर्षानुसार स्थिति स्पष्ट नहीं करता ।

9. विभाग ने उपकर अधिनियम 1996, के अन्तर्गत उपकर प्रभार वसूल किए, जो कि निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में 30 दिन के भीतर जमा करने/प्रेषित करने अपेक्षित थे । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की । परिणामस्वरूप, प्राप्तियाँ उस सीमा तक अधिक दिखाई गई ।

10. लेखा नियमों के अनुसार माइनस एन्ट्री को अन्तिम लेखे में नहीं दर्शाया जाता । यह पाया गया कि निम्न 6 लेखा शीर्षों में, विभाग ने जी-4 विवरण में माइन्स एन्ट्रियाँ दर्शायी थी :

तालिका 1.17 : माइनस एन्ट्री

(रुपये में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	राशि
1.	डी. 1.6.4	अन्य प्रभार	(-)1120
2.	डी.1.9.1	वेतन एवं भत्ते	(-)1690
3.	डी.2.14.2	भविष्य निधि में अंशदान	(-) 100
4.	डी.2.15. 8	चैस्ट क्लिनिक की स्थापना तक सशक्तिकरण (गैर-योजना)	(-)7323
5.	जी.1.1.4	कास्टिंग यार्ड्स का परिचालन तथा रखरखाव	(-)816531
6.	जी.2.6	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में पुराने पथ प्रकाश खम्भे तथा फिटिंग्स को बदलना (गैर-योजना)	(-) 20380

1.15 बजट प्रायोजना का विश्लेषण

बजट में तीन प्रकार के आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं: (क) पूर्व वर्ष के लिए वास्तविक (ख) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान । इस भाग में बजट प्रायोजना के संदर्भ में परिषद् के विभिन्न वित्तीय घटकों में भिन्नताओं पर विचार-विमर्श किया गया है ।

1.15.1 राजस्व के अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

पिछले पांच वर्षो के दौरान राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान का विवरण निम्न प्रकार था:

तालिका 1.18 : अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	बजट अनुमान पर वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (+)/कमी (-)	बजट अनुमान पर अधिक (+)/ कमी (-) प्रतिशतता
2005-06	**1035.50**	**1030.83**	**1049.71**	**(+) 14.21**	**(+) 1.37**
2004-05	997.54	1060.86	1077.91	(+) 80.37	(+) 08.06
2003-04	885.13	884.99	861.97	(-) 23.16	(-) 02.62
2002-03	860.78	879.77	882.11	(+) 21.33	(+) 02.48
2001-02	829.66	786.42	769.42	(-) 60.24	(-) 07.26

वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 14.21 करोड़ रुपये अधिक थी। परंतु वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान के संदर्भ में 18.88 करोड़ रुपये की अधिक थी। प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य अंशदान गृह कर, सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क, अन्य शुल्क एवं जुर्माने, जलापूर्ति, अन्य नगरपालिका कार्य तथा जमा कार्यों से था।

वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों का शीर्षानुसार विस्तृत तुलना करने से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) लेखे के निम्न चार लेखा शीर्षो के अन्तर्गत 72.80 लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियाँ शून्य रही :

तालिका 1.19 : शून्य प्राप्तियाँ

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06		संशोधित अनुमान 2005-06		वास्तविक 2005-06
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
1	एच. XIII	सड़कों,बाढ-रोधी,जलापूर्ति और सीवरेज कार्यो आदि पर विभागीय प्रभार	9.80	-	1.80	-	शून्य
2	एच.-XX	अग्निरोधी प्रभार	5.00	-	1.00	-	शून्य
3	जे-1 (I).(ए)	न.दि.न.पा. परिषद् क्षेत्र में धोबी घाटों पर विद्युत तथा जल उपभोग हेतु सहायता अनुदान	-	-	10.00	-	शून्य
4	जे..2 (I) जी.	शहरी विकास	60.00	-	60.00	-	शून्य
		कुल	**74.80**	-	**72.80**	-	शून्य

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में तैयार किये जाते थे, अत: संशोधित अनुमान के विरुद्ध शून्य प्राप्तियाँ त्रुटिपूर्ण बजट इंगित करती थी ।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के शीर्षानुसार अन्तर के कारण आडिट को उपलब्ध नहीं कराए गये ।

(ख) निम्नलिखित 12 लेखा शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में कमी 52.20 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच रही। इस के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे :

तालिका 1.20 : प्राप्तियों में कमी

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक 2005-06	कमी	भिन्नता की प्रतिशतता
1	ए.VI(बी)	कुत्ता टोकन शुल्क	5.00	5.00	4.5	0.5	91
2	ए.VIII(2)	प्लम्बिंग लाईसैंस	3.00	2.00	0.7	1.3	65
3	ए.VIII(10)	सीवर योजन शुल्क	35.00	100.00	10.38	89.62	89.62
4	ए.VIII(12)	पशुबाड़ा शुल्क	15.00	15.00	7.17	7.83	52.20
5	ए.VIII(14)	शव वाहन प्रभार	3.00	3.00	1.1	1.9	63.33
6	बी.(ii)	अग्रिमों पर ब्याज	15.00	20.50	7.03	13.47	65.71
7	डी.I.(बी)	वरिष्ठ उच्चतर/प्राथमिक विद्यालय बस शुल्क	3.00	3.00	1.22	1.78	59.33
8	डी.VIII	खाद्य संयंत्र से प्राप्तियाँ	40.00	40.00	13.98	26.02	65.05
9	इ.(ii)	मीटर किराया (विद्युत)	120.00	120.00	54.27	65.73	54.78
10	एफ.(ii)	मीटर किराया (जलापूर्ति)	13.00	13.00	2.43	10.57	81.31
11	एच.(i)	दुकानों तथा स्टालों सहित पूर्ण की गई परियोजनाओं से लाइसैंस शुल्क/किराया	8600.00	10600.00	4631.70	5968.30	56.30
12	जे.3.सी	विधायक, मिन्टो रोड हेतु सहायता अनुदान-योजना (पूँजी)	55.00	55.00	15.00	40.00	72.73

शीर्ष ए- VIII (2)-प्लम्बिंग लाईसेंस, ए-VIII(10) सीवर योजन शुल्क तथा ए- VIII(14) शव वाहन प्रभार के अंतर्गत प्राप्ति, संशोधित अनुमान के संदर्भ में वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी ।

(ग) निम्नलिखित 12 लेखा-शीर्षों में प्राप्तियाँ निम्न विवरणानुसार संशोधित अनुमानों से 59.9 प्रतिशत से 10911.11 प्रतिशत तक अधिक थी :

तालिका-1.21 : प्राप्तियों की अधिक वसूली

(रुपये लाख में)

क्र.स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक 2005-06	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
1	ए.1(बी)	लोक निर्माण विभाग भवन बकाया के अलावा	100.00	200.00	319.81	119.81	59.91
2	ए.III	विज्ञापन कर	7.00	5.00	14.19	9.19	183.80
3	ए.VIII(16)	निरीक्षण शुल्क	3.51	0.72	79.28	78.56	10911.11
4	ए.VIII(17)	सीवर बन्द होना तथा सीवर निरीक्षण शुल्क	0.50	0.50	46.08	45.58	9116.00
5	सी.(i)	विविध प्राप्तियाँ (सामान्य)	29.20	50.00	103.52	55.32	110.64
6	डी. V	तरणताल	6.00	3.01	5.97	2.96	98.34
7	इ. V	भण्डार प्रभारों की वसूली	22.00	9.00	23.90	14.90	165.56
8	इ-VI	अन्य प्राप्तियाँ (छुट-पुट मदें)	78.10	39.40	80.11	40.71	103.32
9	एफ.(i)	जल की बिक्री	2000.00	1450.00	2350.00	900.00	62.07
10	एच.VII	पार्कों/खेल के मैदानों का आरक्षण	11.00	11.00	24.25	13.25	120.46
11	एच.XIII(ए)	सिविल अभियंत्रण विभाग के जमा कार्यों पर विभागीय प्रभार	33.18	34.00	90.72	56.72	166.82
12	के. II	सिविल अभियंत्रण विभाग (पूँजी)	45.00	10.00	163.77	153.77	153.77

वर्ष 2004-05 के दौरान भी शीर्षों ए I.(बी) के.लो.नि.वि. भवन बकाया के अलावा ए-III – विज्ञापन कर, सी-(i)- विविध आय (सामान्य), डी-(v) –तरणताल, ई-(vi)-अन्य प्राप्तियाँ (खुदरा मदें) एच–(II)-पार्कों/खेल के मैदान का आरक्षण, (पूंजी) के अंतर्गत संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियाँ 50 प्रतिशत से अधिक थी । बजट अनुमानों से विचलन अप्रत्याशित एवं सांयोगिक बाह्य घटनाओं या प्रणाली संबंधी कमी के कारण हो सकता था । चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष की लगभग समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं इसलिये उपरोक्त तालिका में उल्लेखित ऐसे अत्यधिक विचलन पर विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है ।

1.15.2 कर राजस्व के अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पाँच वर्षों में कर राजस्व के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.22 : अनुमान की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक कर राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी (+)/कमी (-)	बजट अनुमान से वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2005-06	**148.60**	**157.73**	**173.07**	**(+) 24.47**	**(+) 16.47**
2004-05	132.02	156.36	172.27	(+) 40.25	(+) 30.49
2003-04	126.34	134.33	142.31	(+) 15.97	(+) 12.64
2002-03	106.20	112.44	144.71	(+) 38.51	(+) 36.26
2001-02	94.87	84.09	120.70	(+) 25.83	(+) 27.23

वर्ष 2005-06 के दौरान कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से 16.47 प्रतिशत अधिक होने का मुख्य कारण बजट अनुमान से गृहकर का 15.83 प्रतिशत और सम्पत्ति हस्तांतरण शुल्क का 46 प्रतिशत तथा विज्ञापन/प्रदर्शन कर का 75 प्रतिशत अधिक वसूली होना था ।

1.15.3 गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पांच वर्षों में बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.23 : गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर-कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक (+)/कम (-) प्राप्त गैर- कर राजस्व	बजट अनुमान में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2005-06	**827.24**	**845.57**	**842.59**	**(+) 15.35**	(+) **1.86**
2004-05	833.41	857.21	860.85	(+) 27.44	(+) 03.29
2003-04	728.16	719.76	690.49	(-) 37.67	(-) 05.17
2002-03	724.28	736.74	713.59	(-) 10.69	(-) 01.48
2001-02	700.37	675.26	625.18	(-) 75.19	(-) 10.74

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 15.35 करोड़ रुपये अधिक था ।

1.15.4 संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय

पिछले पांच वर्षों में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से निरंतर कम रहा और बजट अनुमान से भी कम रहा ।

तालिका 1.24 : संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय

(रुपये करोड़ में)

	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय			आधिक्य (+)/बचत (-)		
वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2005-06	17.40	1017.48	1034.88	13.31	1015.58	1028.89	10.37	960.54	970.91	(-)2.94 *22.09	(-) 55.04 *5.42	(-)57.98 *5.64
2004-05	18.90	977.20	996.10	17.19	1043.96	1061.15	11.64	954.85	966.49	(-)5.55 *32.29	(-) 89.11 *8.54	(-)94.66 *8.92
2003-04	16.84	867.42	884.26	20.14	863.64	883.78	15.80	785.68	801.48	(-)4.34 *21.55	(-) 77.96 *9.03	(-) 82.03 *9.31
2002-03	16.90	844.00	860.90	16.80	858.23	875.03	9.80	765.90	775.70	(-)7.00 41.67	(-) 92.33 *10.76	(-)99.33 *11.35
2001-02	20.82	807.90	828.72	16.14	824.50	840.64	19.61	724.06	743.67	(-)3.47 *21.50	(-) 100.44 *12.18	(-)96.97 *11.54

* प्रतिशत आधिक्य/बचत इंगित करता है।

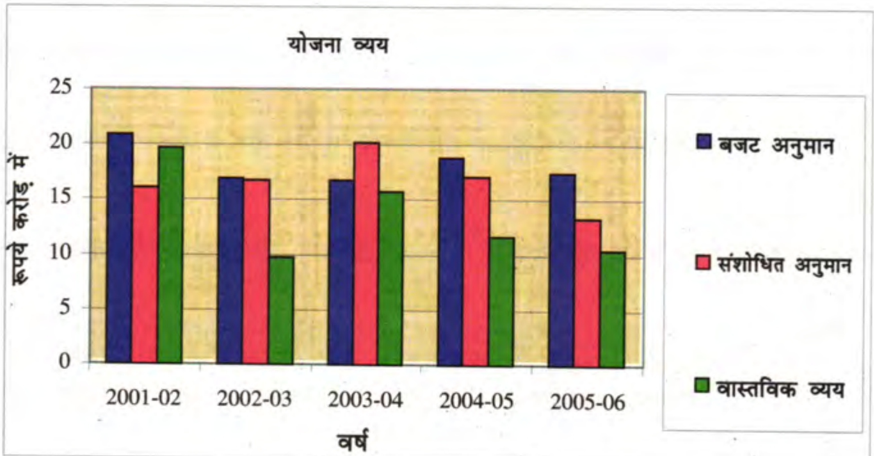

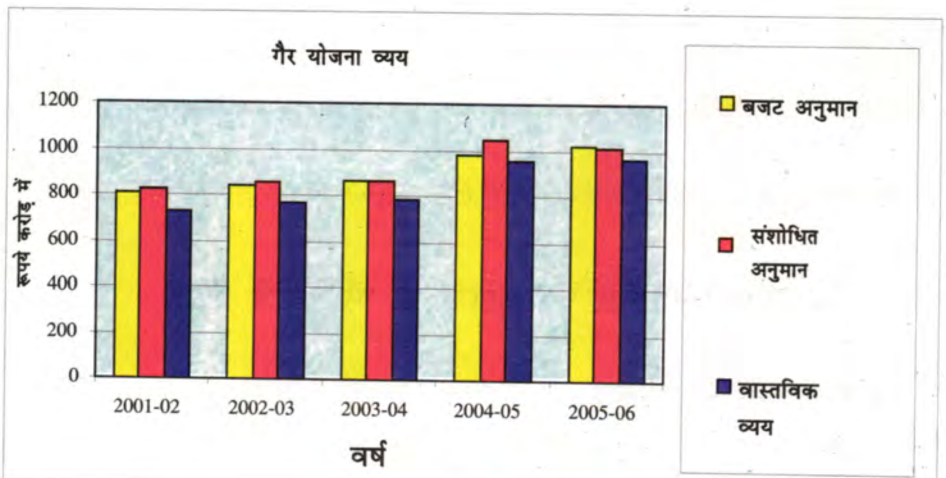

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि परिषद् व्यय का अधिक अनुमान लगा रही थी ।

1.15.5 संशोधित अनुमान की तुलना में बचत

वास्तविक व्यय वर्ष 2005-06 में संशोधित अनुमान से लगातार कम रहा तथा निम्नलिखित लेखा शीर्षों में वृहद् बचत हुई थीं :

तालिका 1.25 : संशोधित अनुमान के विरूद्ध किया गया कम व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06	बचत
1.	सी	प्रशासनिक विभाग	192.37	186.15	6.22
2.	डी.1	शिक्षा	51.40	48.20	3.20
3.	डी.2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	100.00	80.64	19.36
4.	डी.4.4	बगीचों, पार्कों तथा फव्वारों	22.81	17.92	4.89
5.	डी.4.12	हरिजन आवासीय बस्ती	2.68	1.22	1.46
6.	ई	विद्युत आपूर्ति	403.00	401.73	1.27
7.	एफ	जलापूर्ति	68.66	59.28	9.38
8.	जी	सड़कें	20.66	18.33	2.33
9.	एच.1	अन्य नगरपालिका कार्य (सिविल अभियंत्रण विभाग)	126.58	122.92	3.66
10.	एच.4	विधायक निर्वाचन निधि	3.82	2.30	1.52
11.	-	अन्य	36.91	32.22	4.69
		योग	**1028.89**	**970.91**	**57.98**

वर्ष 2005-06 के दौरान कुल बचत 57.98 करोड़ रुपये थी तथा उपरोक्त लेखा शीर्षों में वास्तविक बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी । बचत के कारण रिकार्ड पर नहीं थे ।

1.15.6 वेतन एवं भत्ते के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया

निम्नलिखित दस मामलों में वेतन एवं भत्तों के लिए संशोधित अनुमान बनाया गया था किन्तु वर्ष 2005-06 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया । दो शीर्षों के अन्तर्गत, वेतन एवं भत्तों के विरूद्ध अधिक व्यय किया गया था ।

तालिका 1.26 : वेतन एवं भत्तों के विरूद्ध शून्य व्यय

(राशि रुपये में)

क्र.स.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सी.16.1	इंजीनियर प्रमुख	5,00,000	शून्य	1 (वर्ग ए) इंजीनियर प्रमुख
2.	डी.1.4.9(ii) ए	सांस्कृतिक शिक्षा	8,08,000	शून्य	5(वर्ग-बी) बैंड मास्टर
3.	डी.1.7.7	कार्य अनुभव कार्यक्रम तथा अभिरुचि केन्द्र	1,19,000	शून्य	1 लाइब्रेरियन 1 सफाई कर्मचारी
4.	डी.1.8.1	सार्वजनिक रीडिंग कक्ष	1,53,000	शून्य	1 लाइब्रेरी प्रभारी 10 समाज शिक्षा अध्यापक
5.	डी.1.19.1	समाज कल्याण कार्यकर्ता	15,81,000	(-)1690	11 छात्र कल्याण कार्यकर्ता
6.	डी.2.2.12	ब्लड बैंक की स्थापना	20,12,000	शून्य	1 फोटोलोजिस्ट 4 प्रयोगशाला तकनीकी 1 नर्स 1 कनिष्ठ सहायक 1 अटैण्डट 1 सफाई कर्मचारी
7.	डी.2.11.1	सांख्यिकीय संग्रहण	17,16,000	शून्य	1 वरिष्ठ अन्वेषक 2 सांख्यिकीय सहायक 1 कनिष्ठ आशुलिपिक 4 सांख्यिकीय सहायक 1 कनिष्ठ सहायक 1 दफ्तरी
8.	डी.2.20.1	आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण	11,86,000	(-)10	3 कुत्ता एवं लोमड़ी मारने वाले 6 कुत्ता पकड़ने वाले
9.	डी.4.3.1	शव वाहन सेवायें	13,24,000	शून्य	4 भारी वाहन ड्राइवर एवं फिटर 4 हल्के वाहन ड्राइवर
10.	डी.4.5.1	पशुवाड़ा	61,03,000	शून्य	1 नगर पालिका पर्यवेक्षक 5 भारी वाहन ड्राइवर एवं फिटर 2 नगर पालिका सहायक पर्यवेक्षक 3 मुहरार 3 नायब मुहरार 27 चौकीदार 3 सफाई कर्मचारी

इसके लिए कारण रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं थे ।

1.15.7 योजना

कुल व्यय की तुलना में योजना व्यय का प्रतिशत बहुत कम रहा । वर्ष 2005-06 के दौरान योजना शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में कुल 40.40 प्रतिशत यानि 7.03 करोड़ रुपये की बचत हुई ।

संशोधित अनुमान के साथ वास्तविक व्यय की तुलना से यह प्रकट हुआ कि :

(क) लेखों के निम्नलिखित तीन शीर्षो के अन्तर्गत 9.00 लाख रूपये में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया :

तालिका 1.27 : शून्य व्यय वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक 2005-06
1.	डी. 1.2.2	कैनवस जूतों की आपूर्ति	5.00	शून्य
2.	डी. 1.3.8	प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार	2.00	शून्य
3.	डी. 1.4.5(IV)	स्टेशनरी की नि:शुल्क आपूर्ति	2.00	शून्य

(ख) निम्नलिखित छः लेखा शीर्षो के अन्तर्गत, संशोधित अनुमानों के संदर्भ में बचत 39.5 प्रतिशत से 99.02 प्रतिशत के बीच रही :

तालिका 1.28 : अत्याधिक बचत के लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06	बचत	प्रतिशतता के अनुसार कमी
1.	डी. 1.4.5(iii)	नि:शुल्क वर्दी	25.00	3.88	21.12	84.48
2.	डी.1.4.5(ix)	नि:शुल्क ऊन/ऊनी स्वेटर	8.00	2.58	5.42	67.76
3.	डी.1.7.7.7 ए	कार्य अनुभव कार्यक्रम तथा अभिरूचि केन्द्र	1.00	0.20	0.80	80.00
4.	डी.1.10.9(i)	मध्यकालीन भोजन	100.00	49.22	50.78	58.78
5.	डी.1.19.4	छात्रवृति तथा अन्य प्रोत्साहन	4.00	2.42	1.58	39.5
6.	डी.2.17.11.(ए)	बाढ़रोधी कार्य	125.00	1.22	123.78	99.02

(ग) निम्नलिखित तीन लेखा शीर्षो के अन्तर्गत, संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय 42.42 प्रतिशत तथा 140 प्रतिशत के बीच अत्याधिक रहा :

तालिका 1.29 : अधिक व्यय के लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06	संशोधित अनुमान के संदर्भ सहित वृद्धि	प्रतिशतता के अनुसार आधिक्य
1.	डी.1.7.6(iii)	विज्ञान एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुधार	5.00	2.00	4.00	2.00	100.00
2.	डी.1.26	शैक्षणिक व्यवसायिक निर्देशन	6.00	2.00	4.80	2.80	140.00
3.	डी.2.16.12	सफाई एवं कूडा हटाने की योजना का मशीनीकरण	50.00	45.00	64.09	19.09	42.42

संशोधित अनुमान से अत्याधिक अंतर का कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिक्य व्यय नियमित किया जाना अपेक्षित था।

1.15.7. क गैर-योजना

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से 55.04 करोड़ रुपये अर्थात 5.42 प्रतिशत कम था। इसके साथ ही संशोधित अनुमान के संदर्भ में वास्तविक व्यय के शीर्षानुसार तुलनात्मक विवरण से ज्ञात हुआ कि :

(क) 146 लेखा शीर्षों के अंतर्गत 8.62 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से कुछ भी व्यय नहीं हुआ । एक लाख रुपये से अधिक संशोधित अनुमानों वाले 85 मामलों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित 17 लेखाशीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान किया गया जबकि इनके विरुद्ध बजट अनुमान शून्य था। तथापि इन शीर्षों के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया ।

तालिका 1.30 : संशोधित अनुमान के विरूद्ध शून्य व्यय वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय
1.	डी. 1.4.5(iii)	निःशुल्क वर्दी (गैर-योजना)	-	25.00	-
2.	डी. 1.4.5(iv)	निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति (गैर-योजना)	-	3.50	-
3.	डी .1.4.5(ix)	ऊन/ऊनी वस्त्रें की आपूर्ति (गैर-योजना)	-	9.00	-
4.	डी. 1.7.6(iii)	विज्ञान तथा सेवारत कार्यक्रम का सुधार (गैर-योजना)	-	3.00	-
5.	डी. 1.19.4	छात्रवृति एवं अन्य प्रोत्साहन (गैर-योजना)	-	2.00	-
6.	डी.. 2.7.11	अवकाश यात्रा रियायत	-	1.00	-
7.	डी..2.12.4. ए	उपकरण	-	3.50	-
8.	डी..2.12.5	आहार	-	2.00	-
9.	डी.. 2.15.6	अन्य प्रभार	-	1.00	-
10.	डी.. 4.4.13	खाद्य संयंत्र (गैर-योजना)	-	1.00	-
11.	डी.. 4.6.6.9	अवकाश यात्रा रियायत	-	1.00	-
12.	डी.. 4.9.1. ए	सार्वजनिक शौचालयों तथा मूत्रालयों की वार्षिक मरम्मत	-	7.00	-
13.	ई. 2.2	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम हेतु व्यय	-	20.00	-
14.	ई. 2.4	परामर्श शुल्क/विधिक शुल्क/व्यवसायिक प्रभारों हेतु भुगतान	-	5.00	-
15.	जी. 1.1.2	विशेष मरम्मत एवं रखरखाव	-	16.00	-
16.	जी. 1.1.5	माइल्ड स्टील चेनस तथा चैनल गार्डो का सुधार	-	4.00	-
17.	एच. 1.21	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	-	1.00	-

(ग) 123 लेखा शीर्षो के अन्तर्गत बचत बजट अनुमानों के 50 प्रतिशत से 99.78 प्रतिशत के बीच रही । विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

(घ) अनुलग्नक- III में वर्णित 11 लेखा शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षो के दौरान संशोधित अनुमान के मुकाबले लगातार 50 प्रतिशत से अधिक की बचत पायी गई । 11 शीर्षो में से निम्न पॉच लेखा शीर्षो में पिछले तीन वर्षो के दौरान संशोधित अनुमानों का स्तर एक लाख रुपये से अधिक था किन्तु चिर बचत संशोधित अनुमान से 50 प्रतिशत अधिक थी :

तालिका 1.31: गत तीन वर्षो के दौरान एक लाख रुपये से अधिक तथा संशोधित अनुमान के 50 प्रतिशत से अधिक बचत वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	सी.12.7 अन्य प्रभार	2003-04	32.00	32.00	10.26	21.74	67.94
		2004-05	33.00	30.00	12.15	17.85	59.50
		2005-06	35.00	20.00	7.55	12.45	62.25
2	डी.1.4.7 मूल कार्य (पूंजी)	2003-04	223.00	157.00	30.42	126.58	80.62
		2004-05	137.00	56.70	23.55	33.15	58.47
		2005-06	102.00	54.00	-	54.00	100.00

3	डी.4.4.4 बी. सिविल	2003-04 2004-05 2005-06	30.00 30.00 80.00	75.00 30.00 66.50	17.05 9.42 19.89	57.95 20.58 46.61	77.27 68.06 70.09
4	एच.1.13 भण्डारों का परिचालन तथा रखरखाव	2003-04 2004-05 2005-06	4.00 4.50 20.00	5.00 5.50 10.00	0.11 2.04 0.20	4.89 3.46 9.80	97.80 62.91 98.00
5.	डी.1.5.4 अन्य प्रभार	2003-04 2004-05 2005-06	4.50 4.50 2.50	3.30 1.90 2.50	1.10 0.32 1.07	2.20 1.58 1.43	66.67 83.15 57.20

(ङ) 86 लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय बजट प्रावधान से अधिक हुआ । आधिक्य व्यय संशोधित अनुमान से 0.18 प्रतिशत से 14985 प्रतिशत के मध्य रहा । एक लाख से अधिक व्यय वाले 45 लेखा शीर्षों का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है । आधिक्य व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित कराया जाना अपेक्षित था ।

(च) 56 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय बिना किसी संशोधित बजट प्रावधान के किया गया था । एक लाख रुपये से अधिक वास्तविक व्यय वाले आठ लेखा शीर्षो का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 1.32: संशोधित अनुमान में किसी बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005.06	संशोधित अनुमान 2005.06	वास्तविक 2005.06
1.	सी. 2.10	दैनिक भत्ता/मंहगाई भत्ता	-	-	1.76
2.	सी 3.3	प्रतिनियुक्तों के संबंध में पेंशन का अंशदान	17.00	-	13.42
3.	डी.2.2.12.8	अवकाश यात्रा रियायत	-	-	1.54
4.	डी 2.4.4.ए	उपकरण	-	-	2.46
5.	एफ.6(1)	बूस्टर पम्पों का रखरखाव (विद्युत)	-	-	3.61
6	एफ.15	मानदेय/समयोपरिभत्ता	-	-	5.20
7.	एच.1.19	मानदेय/समयोपरिभत्ता	-	-	6.34
8.	जे.2	बाहय सहायता	-	-	33.10

संशोधित अनुमानों से अत्यधिक अंतर के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । आधिक्य व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाना अपेक्षित था ।

1.16 व्यय की अत्याधिकता

1.16.1 अत्याधिक कार्य मार्च में सम्पन्न

आडिट के पिछले तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में दिये गये व्यय के विवरण और अन्य रिकार्ड की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कुछ विभागों की यह कार्य प्रणाली है कि वे पूरे वित्तीय वर्ष में अनुपातिक आधार पर व्यय किये जाने की अपेक्षा अधिकतर व्यय मार्च के मास में करते हैं । जिन विभागों ने मार्च के महीनों में पिछले तीन वर्षों में अत्याधिक व्यय किया था उनका विवरण निम्नप्रकार है :

तालिका-1.33 : मार्च में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2003-04			2004-05			2005-06		
	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
जल आपूर्ति	35.21	12.87	36.55	33.63	4.96	14.73	34.74	9.19	26.45
सड़कें	21.90	4.94	22.55	15.57	2.41	15,45	14.67	2.98	20.31
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	5.89	0.90	15.23	5.42	0.74	13.66	6.12	0.67	10.95

1.16.2 पिछली तिमाही में अत्याधिक व्यय

तिमाही आधार पर व्यय की पद्धति की भी छानबीन की गई । यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित विभाग वर्ष की अंतिम तिमाही में भी अत्याधिक व्यय कर रहे थे । इन्हीं विभागों द्वारा खर्च किए गए तिमाही व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका-1.34 : वर्ष के अंतिम त्रैमासिक में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2003-04			2004-05			2005-06		
	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता
जल आपूर्ति	35.21	18.72	53.18	33.63	1.069	31.77	34.74	19.24	55.38
सड़कें	21.90	7.52	34.32	15.58	4.74	30.00	14.67	5.95	40.56
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	5.89	2.27	38.59	5.42	1.22	22.48	6.12	1.58	25.82
प्रशासनिक विभाग	-	-	-	-	-	-	53.85	13.80	25.63

1.17 आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.17.1 स्थानीय आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के प्रत्येक विभाग, कार्यालय और सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान का आडिट मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है । आडिट के दौरान की गई आडिट टिप्पणियों और आडिट के दौरान उत्तर न दिये गये/निपटान न कराई गई टिप्पणियों को स्थानीय आडिट रिपोर्टों के माध्यम से विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को भेज दिया जाता है । विभागाध्यक्षों/कार्यालय-प्रमुखों को स्थानीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर देना होता है । 31 मार्च, 2006 तक अनुपालन न करने के कारण 699 स्थानीय आडिट रिर्पोटों में 3069 पैरा लम्बित थे ।

31 मार्च 2006 को विभाग-अनुसार लम्बित/बकाया आडिट पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.35 : विभाग अनुसार बकाया पैरों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31, मार्च 2006 तक बकाया पैरों की संख्या
1.	लेखा	171
2.	वास्तुविद्	69
3.	सिविल इंजीनियरिंग	658
4.	वाणिज्यिक	44
5.	शिक्षा	371
6.	विद्युत इंजीनियरिंग	576
7.	प्रवर्तन	48
8.	सम्पदा	93
9.	अग्नि रखरखाव	52
10	सामान्य प्रशासन	94
11.	जन स्वास्थ्य	134
12.	चिकित्सा सेवाएँ	125
13.	उद्यान	70
14.	गृह कर	81
15.	सूचना प्रोद्योगिकी	20
16.	विधि	8
17.	कार्मिक	181
18.	जन सम्पर्क	43
19.	सुरक्षा	46
20.	कल्याण	185
	कुल	**3069**

अनुपालन में सुधार लाने के लिए परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 3 मार्च 2005 के अन्तर्गत स्थानीय आडिट रिपोर्ट के पैरों के शीघ्र निपटान के लिए एक पद्धति लागू की गई है । इसके अन्तर्गत बकाया पैरों के निपटान के लिए आडिट, वित्त और सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति गठित की गई है ।

1.17.2 वार्षिक आडिट रिपोर्ट

परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 10 फरवरी 1999 के अनुसार वार्षिक आडिट रिपोर्ट में दिये गये पैरों का उत्तर (की गई कार्यवाही नोट) विभागाध्यक्षों को वार्षिक आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छः सप्ताह के भीतर समन्वय विभाग के माध्यम से भेजने अपेक्षित थे । इन उत्तरों को पुनः जांच एवं पैरों के निपटान की सिफारिश करने हेतु मुख्य लेखा परीक्षक को भेजना अपेक्षित था ।

वार्षिक आडिट रिपोर्ट में उल्लेखित पैरों के उत्तर की स्थिति संतोषजनक नहीं थी । तद्नुसार, परिषद् ने प्रस्ताव दिनांक 3 मार्च 2005 द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत ऑडिट पर स्थायी समिति के गठन की अनुमति प्रदान की, जो मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक आडिट रिपोर्ट पर विचार कर उस पर परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । वर्ष 2005-06 के दौरान तीन बैठकें हुई जिसमें स्थायी समिति ने लेखा परीक्षा सम्बन्धी 60 पैरों का निपटान किया और सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश दिये ।

फलस्वरूप, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वार्षिक आडिट रिपोर्टों में सम्मिलित पैरों एवं समीक्षा के बकाया उत्तर की दिनांक 31 मार्च 2007 को स्थिति निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.36 : वार्षिक आडिट रिपोर्ट में मुद्रित पैराग्राफ तथा बकाया

31 मार्च को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	रिपोर्ट में मुद्रित पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्या
1997	124	56
1999	98	82
2000	45	25
2001	42	22
2002	38	15
2003	36	18
2004	36	21
2005	37	25
कुल	**456**	**264**

अनुभाग ‘क’

समीक्षा

सिविल
इंजीनियरिंग
विभाग

भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव

अध्याय-II : सिविल इंजीनियरिंग विभाग

भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव

आडिट ने वर्ष 2003-06 की अवधि के लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किये गये कार्य की समीक्षा की । आडिट द्वारा किये गये तीन वर्षों के लेखा परीक्षा में से दो वर्षों में वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के वार्षिक अनुमानों को तैयार करने एवं निर्णय लेने में अत्याधिक विलम्ब पाया गया । तीनों भवन रखरखाव प्रभागों द्वारा वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव नियमों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि काफी संख्या में मूल प्रकृति के कार्य भवनों के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव भवनों के लेखाशीर्ष के अंतर्गत निष्पादित किये गये । जॉचे किये गये मामलों में से काफी मामलों में भवनों के रखरखाव के लिए समय-सारणी का भी पालन नहीं किया गया । सेवा केन्द्रों की कार्यशैली में भी त्रुटि पाई गई क्योंकि कार्यभार एवं नियुक्त कर्मचारियों के मध्य कोई तालमेल नहीं था । सेवा केन्द्रों में शिकायत रजिस्टर जैसे अनिवार्य रिकार्डो का रखरखाव भी उचित रूप से नहीं किया गया था । सिविल इंजीनियरिंग विभाग को इन क्षेत्रों में ध्यान देने तथा भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

प्रमुखताएं

- तीनों भवन रखरखाव प्रभागों द्वारा वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के दौरान वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव किये जाने वाले भवनों (सिविल) के वार्षिक अनुमानों को तैयार करने एवं निर्णय लेने में अत्याधिक विलम्ब हुआ । स्वीकृत अनुमान से अधिक व्यय किया गया ।

- भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि वर्ष 2003-06 की तीन वर्षों की अवधि में वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के जॉच किये कार्यों में 48 प्रतिशत मूल प्रकृति के कार्य, भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव
- लेखाशीर्ष के अन्तर्गत निष्पादित किये गये ।

  जॉचे गये 44 प्रतिशत मामलों में भवनों के रखरखाव हेतु सफेदी/डिस्टैम्पर करने के लिए समय-सूची का पालन नहीं किया गया ।

- भवनों के सामान्य रखरखाव एवं शिकायत निवारण कार्यप्रणाली को भी अत्यन्त दक्ष नहीं पाया गया ।

- वर्ष 2003-06 के दौरान तीनों प्रभागों के सेवा केन्द्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति द्वारा शिकायतों के निवारण की संख्या औसतन 0.11 से 0.20 के मध्य रही । अत: सेवा केन्द्रों में अधिक संख्या में कर्मचारी नियुक्त किये गये प्रतीत हुए । केन्द्रों में रिकार्ड का रखरखाव भी संतोषजनक नहीं था ।

2.1. परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पास आवासीय परिसरों, कार्यालय परिसरों, व्यवसायिक परिसरों, स्कूल भवनों, औषधालयों आदि के काफी संख्या में भवन हैं । इन भवनों के रखरखाव हेतु सिविल इंजीनियरिंग विभाग उत्तरदायी है । भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय लेखा शीर्ष एच.1.4: भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव से प्रभारित होता है । इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत उप-शीर्ष 'वार्षिक मरम्मत' भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव से संबद्ध है । इसमें भवनों के उचित रखरखाव के कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

2.2. भवन रखरखाव - इसका तात्पर्य

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली-2000 के अनुसार भवन रखरखाव कार्य भवन के प्रत्येक भाग में प्रत्येक सुविधा, उद्यानीय क्रियाकलापों सहित इनकी सेवाओं को वर्तमान स्वीकार्य मानक तक बनाये रखने, पुनरूद्धार या सुधार और सुविधा की उपयोगिता एवं मूल्य को संरक्षित रखने के लिए किये जाते हैं ।

रखरखाव के मुख्य उद्देश्य हैं:

i) मशीनरी, भवनों तथा सेवाओं का बेहतर परिचालन स्थिति में संरक्षण,

ii) इसको मूल मानकों के अनुरूप पुनरूद्धार करना तथा

iii) भवन इंजीनियरिंग में हो रहे विकास के अनुरूप सुविधाओं में सुधार

रखरखाव से अधिवासी अथवा जन-साधारण की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए तथा वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन होना चाहिए । रखरखाव की आवश्यकता उपयोग की तीव्रता एवं किस उद्देश्य हेतु भवन का डिजाइन किया गया था एवं उपयोग किया जा रहा है, पर निर्भर करती है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली, 2000 के पैरा 1.2 के अनुसार मरम्मत कार्य निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं :

- दिन-प्रतिदिन की मरम्मत/सेवा सुविधाएँ
- वार्षिक मरम्मत
- विशेष मरम्मत

2.2.1 दिन-प्रतिदिन की मरम्मत/सेवा सुविधाएँ

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली 2000 के अध्याय-3 के पैरा 3.1 के अनुसार, सभी भवनों में रखरखाव के अन्तर्गत किये जाने वाले मरम्मत कार्य सेवा केन्द्र में प्राप्त शिकायतों के आधार पर किये जाते हैं । इन कार्यों में जल निकासी पाइपों में अवरोध को दूर करना, जल आपूर्ति को पुनः चालू करना, चिनाई के कार्य आदि सम्मिलित हैं । इस सुविधा का उद्देश्य भवनों में सेवाओं का संतोषजनक रूप से सतत् परिचालन सुनिश्चित करना है ।

2.2.2 वार्षिक मरम्मत

ये मरम्मत कार्य आवधिक रूप से भवनों की सौन्दर्यात्मकता तथा सेवाओं के साथ-साथ उनकी उपयोगी अवधि के संरक्षण हेतु किये जाते हैं, उदाहरणार्थ-सफेदी, डिस्टैम्परिंग, पेन्टिग करना, नालियों, टंकियों आदि की सफाई । वार्षिक मरम्मत की विभिन्न मदों की अवधि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली 2000 के अनुलग्नक-23 में नियत है ।

2.2.3 विशेष मरम्मत

ये मरम्मत कार्य भवनों के वर्तमान भागों तथा सेवाओं के प्रतिस्थापन हेतु किये जाते हैं, जो समय के अन्तराल में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । ढॉचे के गिरने, तथा अनावश्यक टूट-फूट से बचाने के साथ-साथ यथासंभव मूल स्वरूप में लाने के लिए पुनरूद्धार करना आवश्यक हो जाता है । विशेष मरम्मत के अन्तर्गत आने वाले सामान्य कार्यों के वर्गीकरण का विवरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली के अध्याय-4 में उल्लेखित है ।

2.3. संगठनात्मक ढ़ॉचा एवं प्रभागों का क्षेत्राधिकार

2.3.1 संगठनात्मक संरचना

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के भवन रखरखाव प्रभाग (भ.र.-I, भ.र.-II एवं भवन रखरखाव-III)नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के स्वामित्व वाले भवनों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी हैं । इंजीनियर-प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्णरूपेण प्रभारी है । मुख्य अभियंता (सिविल), एक अधीक्षक अभियन्ता तथा प्रत्येक प्रभाग के प्रभारी तीन अधिशासी अभियन्ता उनका सहयोग करते हैं । अधिशासी अभियन्ताओं का सहयोग सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, क्षेत्रों एवं 27 सेवा केन्द्रों से संबंधित विशिष्ट कार्यों सहित करते हैं । संगठनात्मक तालिका निम्न प्रकार से है:

संगठनात्मक तालिका

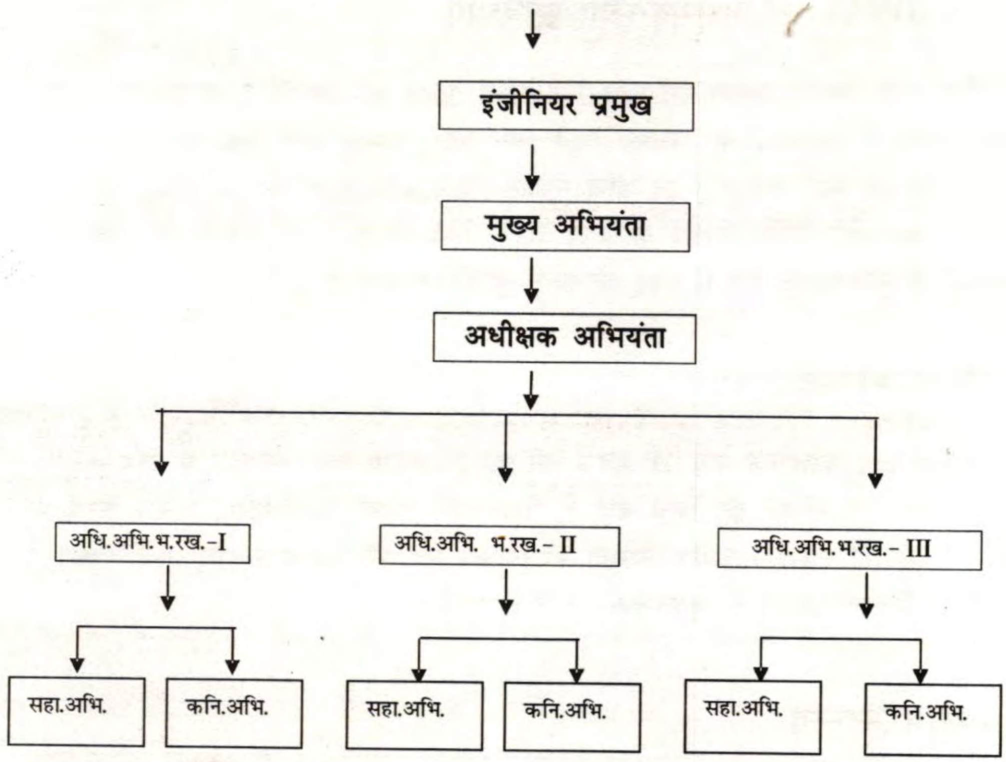

2.3.2 प्रभागों का क्षेत्राधिकार

तीन भवन रखरखाव प्रभाग (भवन रखरखाव-I, II एवं III) आवासीय परिसरों, विद्यालयों, विद्युत-सब-स्टेशनों, व्यवसायिक परिसरों सहित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सभी भवनों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है । इन भवनों का श्रेणी-अनुसार विवरण निम्नप्रकार से है :

तालिका 1

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	बारात घर	11
2.	सामुदायिक केन्द्र	13
3.	व्यवसायिक इकाईयॉं	47
4.	औषधालय एवं चिकित्सालय	19
5.	विद्युत सब-स्टेशन	81
6.	आवासीय परिसर	93
7.	कार्यालय परिसर	12
8.	विद्यालय	59
9.	सेवा केन्द्र	22
10.	अन्य	45
	योग	402

2.4. आडिट का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव से प्रभारित सिविल कार्यों की समीक्षा, भवन रखरखाव प्रभागों, सेवा केन्द्रों एवं मुख्य अभियंता के कार्यालय के रिकार्ड से की गई ।

2.5. आडिट का उद्देश्य

आडिट का उद्देश्य आकलन करना था कि क्या:

(i) आबंटित निधि का मितव्ययता एवं दक्षता की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए इच्छित उद्देश्य हेतु पूर्णतया उपयोग किया गया था ?

(ii) प्रतिमान के अनुसार विभिन्न कार्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन किया गया था ?

(iii) प्रभावी अनुवीक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी ?

2.6. आडिट की कार्यपद्धति

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के स्वामित्व वाले सभी भवनों के रखरखाव हेतु भवन रखरखाव प्रभाग उत्तरदायी है । तद्नुसार इन तीन प्रभागों एवं 26 सेवा केन्द्रों (वर्तमान में इनकी संख्या 27 है) के रिकार्डो की जॉच की गई । आडिट ने वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 तक इन प्रभागों द्वारा किये गये 25 प्रतिशत अनुबंधों की जॉच की । आडिट कार्य पद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) कार्य निष्पादन प्रभागों के रिकार्ड की प्रत्यक्ष जॉच

(ii) सेवा केन्द्रों के प्रमुख रिकार्डो की जॉच

(iii) पूर्व नियत प्रश्नावली के द्वारा ग्राहक सम्बन्धित सर्वेक्षण

2.7. वित्तीय परिव्यय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् भवनों के रखरखाव पर भवन रखरखाव प्रभागों (सिविल) द्वारा व्यय की गई राशि लेखा शीर्ष एच.1.4 "भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव" से व्यय की जाती है । इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत उप-शीर्ष नीचे दिये गये हैं:

(i) वार्षिक मरम्मत

(ii) विशेष मरम्मत

(iii) छुट-पुट कार्य

(iv) व्यवासायिक परियोजनाओं की मरम्मत

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में लेखा शीर्ष एच.1.4 के अंतर्गत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय बजट पुस्तिका के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया था :

तालिका 2

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिव्यय(+)
2003-04	435	370	579.42	+209.42 (56.6%)
2004-05	390	495	363.04	-131.96 (26.65%)
2005-06	685	550	346.36	-203.64 (37.03%)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के मध्य कोई तालमेल नहीं था । वर्ष 2003-04 में व्यय संशोधित अनुमान से 56.6 प्रतिशत अधिक था, वहीं अनुवर्ती वर्षों में बचत 26.65 प्रतिशत से 33.01 प्रतिशत के बीच थी । दिलचस्प बात यह है कि, वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में व्यय, बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान के संबंध में वर्ष 2003-04 में व्यय की गई राशि से काफी कम था । चूंकि संशोधित अनुमान नियतन लगभग वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाता है, अत: संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय में अधिक अन्तर यह संकेत करता है कि बजट का नियतन वास्तविक नहीं था ।

बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय का विवरण उप-शीर्ष अनुसार निम्नप्रकार हैं:

तालिका 3

(रुपये लाख में)

लेखा शीर्ष	2003-04			2004-05			2005-06		
एच.1.4 भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
(i) वार्षिक मरम्मत	350	350	579.42	350	465	363.04	570	452	329.57
(ii) विशेष मरम्मत	60	10	-	30	20	-	40	30	1.43
(iii) छुटपुट कार्य	-	-	-	-	-	-	50	48	15.36
(iv) व्यवसायिक परियोजनाओं की मरम्मत	25	10	-	10	10	-	25	20	शून्य
योग	435	370	579.42	390	495	363.04	685	550	346.36

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह इंगित होता है कि ''विशेष मरम्मत'' एवं ''वाणिज्यिक परियोजनाओं की मरम्मत'' के लिए प्रति वर्ष प्रावधान किया गया था परन्तु वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में इन उपशीर्षों से कुछ भी व्यय नहीं किया गया । वर्ष 2005-06 में भी ''वाणिज्यिक परियोजनाओं की मरम्मत'' के शीर्ष से कुछ व्यय नहीं किया गया । इन शीर्षों से व्यय न किये जाने से प्रभागों ने अलग उप-शीर्ष के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया ।

परिषद् द्वारा बजट अनुमोदित करने के पश्चात् प्रभाग को आवंटित कर दिया जाता है और प्रभागों से यह आशा की जाती है कि व्यय को आवंटन तक सीमित रखा जाये । लेखा शीर्ष एच-1. 4 ''वार्षिक मरम्मत'' के अंतर्गत 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में आवंटित बजट और प्रभागों द्वारा किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4

(रुपये लाख में)

वर्ष	भवन रखरखाव-I		भवन रखरखाव- II		भवन रखरखाव- III		योग	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2003-04	70.00	126.78	175	189	91.24	80.63	**336.24**	**396.41**
2004-05	79.95	98.00	140	143	82.27	81.49	**302.22**	**322.49**
2005-06	82.70	106.38	151	152	76.79	81.31	**310.49**	**339.69**

यह पाया गया कि प्रभागों द्वारा सूचित किया गया वास्तविक व्यय बजट पुस्तिका, (तालिका-2) में दर्शाये गये वास्तविक व्यय से भिन्न था । वास्तव में, प्रभागों द्वारा सूचित सभी वर्षो का व्यय बजट बुक में दर्शाए गए व्यय से बहुत कम है । प्रभाग से इसके कारण पूछे गए थे परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.8. अनुमानों को तैयार करना

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रखरखाव नियम 2000 के 1.4.1 पैरा के अनुसार भवनों के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव और सेवाओं के अनुमान वर्ष के प्रारंभ में ही तैयार कर लिया जाना चाहिए । प्रभागीय कार्यालय के स्तर पर भवनों की वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के अनुमान तैयार करने के पश्चात् अनुमान को अधीक्षक अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है जिसे निर्धारित नियमों के अन्तर्गत रखरखाव के अनुमानों को स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । दिनांक 28.11.2003 से भवनों की वार्षिक मरम्मत व रख-रखाव का अधिकार अभियंता प्रमुख को दे दिया गया है । मूल कार्यों के लिए अनुमान प्रत्येक कार्य के आधार पर किया जाता है । ऐसे सभी अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति के लिए इंजीनियरिंग विभाग के योजना विभाग एवं वित्त विभाग के माध्यम से भेजे जाने चाहिए ।

2.8.1. वार्षिक अनुमान तैयार करने में विलम्ब

भवन रखरखाव प्रभागो द्वारा भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पिछले तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के लिए तैयार किये गये वार्षिक अनुमानों का विवरण जोकि प्रस्ताव प्रस्तुत में लिये गये समय और इस पर स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुमान एवं वास्तविक व्यय दर्शाता है, निम्नप्रकार था :

तालिका 5

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लिये गये समय का विवरण/अनुमोदित राशि	2003-04			2004-05			2005-06		
		भवन रख0-I	भवन रख0-II	भवन रख0-III	भवन रख0-I	भवन रख0-II	भवन रख0-III	भवन रख0-I	भवन रख0-II	भवन रख0-III
1.	प्रभाग द्वारा प्रस्ताव करने की तिथि	14.5.03	13.5.03	2.5.03	18.8.04	24.7.04	9.9.04	21.3.05	24.3.05	19.3.05
2.	प्रस्तावित राशि	104.00	140.00	84.55	80.39	143.44	94.42	82.35	151.72	82.27
3.	ए.एस.(डब्ल्यू) द्वारा आपत्तियों सहित वापसी की तिथि	11.9.03	20.5.03	27.5.03	9.9.04	10.8.04	18.10.04	23.3.05	25.4.05	20.4.05
4.	अधि.अभि.(पी)/ए.एस.(डब्ल्यू) द्वारा अनुशंसित राशि	126.00	169.00	91.24	79.95	140.40	82.27	82.20	150.88	76.79
5.	अभियंता प्रमुख द्वारा अनुशंसित तिथि	5.4.04	-	23.3.04	4.11.04	4.11.04	3.11.04	24.5.05	20.5.05	26.5.05
6.	अन्ततः अनुमोदित राशि	126.00	169.00	91.24	79.95	140.40	82.27	82.20	150.88	76.79
7.	किया गया व्यय	126.78	189.00	80.63	98.00	143.00	81.49	106.38	152.00	81.31
8.	आधिक्य या कम व्यय	(+)00.78	(+)20.00	(-)10.61	(+)18.00	(+)2.60	(-)0.78	(+)24.18	(+)1.12	(+)4.52

इस संबंध में निम्न त्रुटियाँ पाई गई:

(i) वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव के अनुमान को निश्चित कर लिया जाना चाहिए था जबकि वार्षिक मरम्मत के लिए अनुमान को प्रस्तुत करने तथा अंतिम रूप प्रदान करने में अत्याधिक विलम्ब हुआ । वर्ष 2003-04 के लिए अनुमान मार्च 2004 और अप्रैल 2004 में स्वीकृत हुआ अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् । इसी प्रकार वर्ष 2004-05 के लिए प्रस्ताव जुलाई/सितंम्बर 2004 में प्रस्तुत किया गया और तीनों प्रभागों के अनुमानों की स्वीकृति लगभग सात महीने के विलम्ब से नवम्बर 2004 में हुई ।

अनुमानों को तैयार करने की पद्धति वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव के नियमों का जुलाई, 2004 में अनुमोदन के पश्चात्, कुछ सीमा तक सुव्यवस्थित हुई।

(ii) प्रभाग द्वारा प्रस्तावित राशि और अन्ततः स्वीकृत की गयी राशि में कोई सामंजस्य नहीं था । दिलचस्प बात यह थी कि उपरोक्त तीनों प्रभागों के लिए वर्ष 2003-04 के लिए अनुमान की राशि, प्रभाग द्वारा प्रस्तावित राशि स्वीकृत से बहुत अधिक थी । भवन रखरखाव-I और भवन रखरखाव-II के लिए 126 लाख रुपये एवं 169 लाख रुपये क्रमशः स्वीकृत किये गये जबकि उनकी प्रस्तावित राशि क्रमशः 104 लाख रुपये तथा 140 लाख रुपये थी । प्रभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से अधिक अनुमान की मंजूरी के कारण रिकार्ड में कहीं भी उपलब्ध नहीं थे ।

(iii) अनुमान तैयार करने के आधार भी स्पष्ट नहीं थे । सभी प्रभागों में वर्षों से वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए स्वीकृत राशि में अत्याधिक अन्तर था । जबकि भवन रखरखाव-I प्रभाग के 2003-04 के लिए 126 लाख रुपये मंजूर किए गए जो कि वर्ष 2004-05 में कम होकर केवल 79.95 लाख रुपये हो गये जो कि लगभग 37 प्रतिशत कम था । वर्ष 2005-06 के लिए अनुमान 82.20 लाख रुपये मंजूर हुआ था जो नाममात्र 3 प्रतिशत अधिक था । इसी प्रकार भवन रखरखाव-II प्रभाग का वर्ष 2003-04 में अनुमान 169 लाख रुपये से कम होकर वर्ष 2004-05 में 140.40 लाख रुपये हो गया और पुनः 2005-06 में यह 150.58 लाख रुपये तक बढ गया । भवन रखरखाव-III प्रभाग का इन तीनों वर्षों में अनुमान कमी का रूझान दर्शाता था क्योंकि इन तीन वर्षों में अनुमान की राशि 2003-04 में 91.24 लाख रुपये से घटकर 2004-05 में 82.27 लाख रुपये और 2005-06 में 76.79 लाख रुपये हो गई ।

(iv) प्रभाग स्वीकृत अनुमान के अंतर्गत अपने खर्चे को सीमित करने में असफल रहे । भवन रख.-I प्रभाग ने वर्ष 2004-05 में 18 लाख रुपये और वर्ष 2005-06 में 24.18 लाख रुपये अधिक खर्च किए । भवन रखरखाव-II प्रभाग ने वर्ष 2003-04, 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान क्रमशः 20 लाख, 2.60 लाख और 1.12 लाख रुपये अधिक खर्च किए । भवन रखरखाव-III प्रभाग ने भी वर्ष 2005-06 के दौरान 4.52 लाख रुपये अधिक खर्च किए ।

2.8.2 नियमों का उल्लंघन

2.8.2.1 भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष के अंतर्गत निष्पादित मूल प्रकृति के कार्य

प्रभागों द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के लिए निष्पादित अनुबंध एवं कार्य आदेशों की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि प्रभागों ने वर्तमान नियमों का उल्लघंन करते हुए मूल प्रकृति के कार्य को भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया। मुख्यतः निम्न कार्यों को 'वार्षिक मरम्मत' शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारित किया गया जबकि कार्य मूल प्रकृति के थे:

(i) फाईबर शीटों को लगाने का प्रावधान

(ii) जल पम्पों का संस्थापन, चारदीवारी पर एमएस रेलिंग, सैरामिक/ग्लैज्ड/विट्रीफाइड, टाईलें, पालिका पार्किंग में एल्यूमिनियम के विभाजक, प्रतिबिम्बित साईन बोर्ड, पोर्टा केबिन, सैनीटरी फिटिंग, जल संचयन टैंक, जल स्तर नियंत्रक, बॉस की जाफरी आदि;

(iii) अतिरिक्त शौचालयों, शौचालय खण्ड, भण्डार कक्ष, पैदल पथ का निर्माण;

(iv) क्षतिग्रस्त डब्ल्यूसी बाथ शटर रेलिंग शटर के साथ क्षतिग्रस्त दरवाजे, क्षतिग्रस्त फर्श का प्रतिस्थापन;

(v) दीमक रोधी उपचार;

(vi) धोबीघाटों का सुधार कार्य;

(vii) भूमिगत जलाशय (टैंक) के लिए वर्तमान पाईप लाईन को बदलना;

(viii) पालीशीट की छत की खरीद करना;

(ix) शौचालयों का उन्नयन ।

आडिट ने 210 अनुबंधों एवं 138 कार्य आदेशों की जॉच की । जॉच किये गये मामलों का प्रभागानुसार विवरण, मूल प्रकृति के कार्यो की संख्या और कुल खर्चो का विवरण जो भवनों के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष के अन्तर्गत किया गया, नीचे दिया गया है :

तालिका 6

प्रभाग का नाम	अनुबन्ध 2003-06		
	लेखा परीक्षा हेतु चयनित मामलों की संख्या	मूल प्रकृति के कार्य वाले मामलों की संख्या	राशि (रुपये लाख में)
भवन रख0-I	62	42	36.00
भवन रख0- II	92	25	22.25
भवन रख0- III	56	30	24.72
योग	**210**	**97**	**82.97**
प्रतिशत		**46%**	

तालिका 7

प्रभाग का नाम	कार्य आदेश 2003-06		
	लेखा परीक्षा हेतु चयनित मामलों की संख्या	मूल प्रकृति के कार्य वाले मामलों की संख्या	राशि (रुपये लाख में)
भवन रख0- I	48	21	8.64
भवन रख0- II	46	25	7.40
भवन रख0- III	44	25	6.24
योग	**138**	**71**	**22.28**
प्रतिशत		**51 %**	

जैसाकि, उपरोक्त तालिका से यह अवलोकन किया जा सकता है कि जॉच किये गये 348 मामलों में से 1.05 करोड़ रुपये की राशि के 168 कार्य मूल प्रकृति के थे । इस प्रकार जॉचे गये 46 प्रतिशत अनुबंधों में और 51 प्रतिशत कार्य आदेशों में मूल प्रकृति के कार्यो का व्यय अनुलग्नक- V में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार लेखा शीर्ष एच. 1.4 वार्षिक मरम्मत के अंतर्गत दर्ज किया गया । यहां उल्लेखित किया जाता है कि यह शर्तो के आशय के संबंध में व्यय के

गलत वर्गीकरण का मामला नहीं था बल्कि "वार्षिक मरम्मत" शीर्ष में खर्चों को व्यय करके प्रभाग ने वित्त विभाग एवं प्लानिंग प्रभाग के सूक्ष्म परीक्षण को भी नजर अन्दाज किया है ।

मूल कार्यों पर होने वाले खर्चे को भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव से प्रभारित करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था जबकि ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अलग से बजट प्रावधान था ।

2.8.3 कार्य निष्पादन में अनियमितताएँ

2.8.3.1 प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य का विचलन

क्रमांक वित्त/2003/डी.एफ-11/496 दिनांक 28.11.2003 द्वारा प्रचारित प्रदान की गयी वित्तीय शक्तियों के अनुसार अधीशासी अभियंताओं को अतिरिक्त एवं आधिक्य मदों की स्वीकृति हेतु 20,000 रुपये की राशि या अनुबंध लागत के 20 प्रतिशत तक जो भी कम हो के लिए अधिकृत किया गया है बशर्ते अनुमान 10 प्रतिशत से अधिक सीमा का अतिक्रमण न करे ।

रिकार्ड की जॉच से पता चला कि कुछ मामलो में प्रभागों ने अतिरिक्त एवं आधिक्य मदों पर स्वीकृत व्यय के अधिकारों से अधिक राशि व्यय की । प्रभागानुसार मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

तालिका 8

(रुपये में)

प्रभाग	मामलों की संख्या	आधिक्य व्यय
भवन रख0-I	2	77,373
भवन रख0-II	15	1,82,014
भवन रख0-III	10	1,06,416
योग	27	3,65,803

इन मामलों का विवरण अनुलग्नक-VI में दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन यदि कोई था तो आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्डों में नहीं पाया गया ।

2.8.4 भवनों के रखरखाव हेतु समय-सारणी का अनुसरण न करना

परिपत्र संख्या ई.ओ.(सी)/171/डी दिनांक 11.03.96 द्वारा भवनों के रखरखाव हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार आवास-खण्डों, स्कूल भवनों, बारात घरों एवं सामूदायिक भवनों की सफेदी एवं रंगाई वार्षिक/छमाही तथा सीमेंट पुताई (बाह्य) दो वर्ष में एक बार की जानी थी ।

आडिट ने तीनों प्रभागों के अंतर्गत बारात घरों, सामुदायिक केन्द्रों, व्यवसायिक खण्डों, औषधालयों, चिकित्सालयों, आवासीय परिसर तथा विद्यालयों से संबंधित रिकार्ड की जॉच की । आडिट की जॉच से पता चला कि सफेदी/डिस्टेम्पर हेतु समय-सारणी का अनुसरण नहीं किया गया । इन श्रेणियों के अंतर्गत तथा वर्ष 2003-06 के दौरान तीनों प्रभागों द्वारा सफेदी/डिस्टेम्पर किये गये भवनों की संख्या तथा विवरण निम्नप्रकार था : –

तालिका 9

क्र.सं.	भवन के प्रकार	योग	की गई कार्यवाही
1.	बारातघर	11	09
2.	सामुदायिक केन्द्र	13	09
3.	वाणिज्यिक भवन	47	13
4.	औषधालय/अस्पताल	19	08
5.	आवासीय-खण्ड	93	53
6.	विद्यालय	59	44
	योग	**242**	**136**

यह देखा जा सकता है कि इन श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 44 प्रतिशत भवनों में सफेदी/ डिस्टेम्पर के लिए दिये गये मानकों का अनुसरण नहीं किया गया था । काफी संख्या में भवनों के संबंध में नियमों के अनुपालन न किये जाने का कारण रिकार्ड में नहीं था ।

2.8.5 सामान्य रखरखाव और शिकायत निवारण प्रणाली/प्रक्रिया

विभिन्न प्रभागों द्वारा भवनों के सामान्य रखरखाव के मानकों और शिकायत निवारण प्रक्रिया की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के क्रम में लेखा-परीक्षा विभाग ने पूर्व डिजाइन प्रश्नावली का प्रयोग करते हुए ग्राहक सर्वेक्षण किया । इसे विभिन्न विद्यालयों, चिकित्सालयों और औषधालयों में परिचारित किया गया । 53 इकाईयों से संबंधित लेखा-परीक्षा की टिप्पणियॉं निम्नप्रकार से है :

(i) भवनों की वार्षिक सफेदी की आवश्यकताओं के विरूद्ध विभिन्न इकाईयों में नीचे दिये गये विवरणानुसार गत दो से पॉच वर्षों के दौरान सफेदी नहीं की गई –

तालिका 10

क्र.सं.	इकाईयों का नाम	पिछली सफेदी कब की गई
1.	न.पा. बाल माध्यमिक विद्यालय, मंदिर मार्ग	जनवरी, 2004
2.	आयुर्वेदिक औषधालय, सरोजनी नगर	मार्च, 2002
3.	एलोपैथिक औषधालय, नेताजी नगर	मई, 2004
4.	होम्योपैथिक औषधालय, सरोजनी नगर	मई, 2002
5.	प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र, सरोजनी नगर	2001
6.	लोदी रोड, एलोपैथिक औषधालय, पालिका कुंज,	सितम्बर,2003

उपरोक्त के अतिरिक्त यद्यपि न.प.प्राईमरी विद्यालय नं.-2, किदवई नगर में सफेदी का कार्य मई, 2006 में पूर्ण हुआ था परन्तु कार्य के संतोषजनक न होने की रिपोर्ट की गई थी । न.पा. प्राइमरी विद्यालय न.-4 सरोजनी नगर में सफेदी फरवरी, 2006 में प्रारंभ हुई थी लेकिन यह अगस्त, 2006 अर्थात विद्यालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि तक पूरी नहीं हुई थी।

(ii) निम्नलिखित विद्यालयों/औषधालयों में प्रत्येक दो वर्षों में खिड़की और दरवाजों को रंगने के नियमों को क्रियान्वित नहीं किया गया :

तालिका 11

क्र.सं.	इकाईयों का नाम	पिछली रंगाई कब की गई
1.	न.पा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाल्मीकि बस्ती	नहीं की गई
2.	न.पा. आदर्श प्राथमिक विद्यालय-2, किदवई नगर	संतोषजनक नहीं
3.	न.पा. बाल व.विद्यालय, बाल्मीकि बस्ती	नहीं की गई
4.	आयुर्वेदिक औषधालय, सरोजनी नगर	फरवरी, 2002
5.	कल्याण केन्द्र, सरोजनी नगर	2001
6.	लोदी रोड, एलोपैथिक औषधालय, पालिका कुंज,	सितम्बर,2003

(iii) सर्वेक्षण किये गये भवनों में से 42 प्रतिशत भवनों की दीवारों/छतों पर सीलन दृष्टिगोचर हुई । कुछ विद्यालय भवनों में सीलन की समस्या काफी अधिक थी और मरम्मत की तत्काल आवश्यकता थी ।

(iv) भवनों के समुचित रखरखाव के लिए भवनों की छतों और सायबानों की भी नियमित रूप से सफाई की आवश्यकता थी । जबकि विभिन्न विद्यालयों और औषधालयों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केवल 50 प्रतिशत भवनों में ही नियमित सफाई की जाती थी ।

(v) क.अ./सहा.अभि./कार्यकारी अभियंताओं और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निरंतर दौरे इस पद्धति में दक्षता को दिखाते है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली के पैरा 6.2.1 में दिए गये निर्देशों के अनुसार सभी भवनों का क.अ./सहायक अभियंताओं द्वारा मार्च, अप्रैल में निरीक्षण किया जाना चाहिए । सामान्यत: क. अभियन्ता को अपने अधीन प्रत्येक भवन का प्रत्येक छ: मास में एक बार निरीक्षण करना चाहिए, सहायक अभियंता को साल में एक बार और अधिशासी अभियंता को सभी भवनों का गंभीर त्रुटि की सूचना मिलने पर उसका निरीक्षण करना चाहिए । परन्तु विभिन्न इकाईयों से प्राप्त सूचनाएँ यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भवनों का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया । जबकि 26 प्रतिशत मामलों में सहायक अभियंता द्वारा प्रतिमास दौरा किया गया, 47 प्रतिशत मामलों में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा कभी दौरा नहीं किया गया । इसी तरह यद्यपि, 28 प्रतिशत मामलों में

क. अभियंता द्वारा अपनी इकाईयों का दौरा किया पाया गया, अन्य 28 प्रतिशत मामलों में उन्होंने इकाईयों का दौरा कभी नहीं किया या केवल बुलाने पर ही दौरा किया ।

(vi) इस प्रश्न का जिन 24 इकाईयों ने जवाब दिया, उनमें से 14 मामलों में शिकायतों का उसी दिन निवारण किया गया । 10 मामलों में एक से 10 दिन का समय लगा ।

(vii) भवनों, दरवाजों, खिड़कियों, लाईट स्विचबोर्ड आदि के रखरखाव व मरम्मत का कार्य संतोषजनक नहीं था क्योंकि इनमें से कई मदों की मरम्मत एक से तीन वर्ष गुजर जाने पर भी नहीं की गई थी । विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 12

मदों का विवरण	जितनी अवधि तक शिकायतें लम्बित थी					
	एक मास तक	2-6 मास तक	7-12 मास तक	1-3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	योग
दरवाजे	9	15	10	43	3	80
खिड़कियाँ	7	97	77	180	1	362
पंखे	4	18	1	-	-	23
लाईटें	32	124	-	127	-	283
शौचालय	-	-	-	9	-	9
गेट	-	-	-	-	1	1
योग	**52**	**254**	**88**	**359**	**5**	758
प्रतिशत	**6.9 %**	**34 %**	**11.6 %**	**47.3 %**	**0.63 %**	

जैसाकि, उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि दरवाजों, खिड़कियों, लाईट, पंखे आदि की कुल प्राप्त 758 शिकायतों में से तीन वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत भी पाँच मदों की मरम्मत नहीं की गयी, 359 मदों की शिकायतें (अर्थात् 47.3 प्रतिशत) एक से तीन वर्ष तक दूर नहीं की गई, 88 मदों की मरम्मत 7-12 मास में नहीं की गई, 254 मद्दे (अर्थात् 34 प्रतिशत) दो से छः मास तक बिना मरम्मत पड़ी हुई थी और केवल 6.9 प्रतिशत एक मास तक लम्बित रही थी । होम्योपैथी औषधालय, सरोजनी नगर के गेट का एक ऐसा मामला भी था, जो कि पिछले आठ वर्षों से बेकार पड़ा हुआ था ।

उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रभागों द्वारा भवनों के सामान्य रखरखाव व शिकायतों के निवारण का कार्य असंतोषजनक था और उनके निर्धारित नियमों के अनुसार सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

2.8.6 रिकार्डो का रखरखाव न करना

2.8.6.1 भवनों के इतिहासवृत्त का अनुचित रखरखाव

भवन रखरखाव प्रभाग की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भवनों के मरम्मत की आवधिकता का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब प्रत्येक भवन का उपयुक्त रिकार्ड अधतन रखा जाये ।

प्रभागों के रिकाडों की जॉच के दौरान यह पाया गया कि अधिकतर भवनों के इतिहासवृत का रखरखाव उपयुक्त रूप से नहीं किया गया था । किसी विशेष कार्य का अनुमान बनाते समय और प्रस्ताव रखते समय पूर्व अवसर पर यह विशेष कार्य कब किया गया था, विभाग द्वारा वर्णित नहीं किया गया था । विभाग द्वारा बिना वांछित सूचना के केवल भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के अंतर्गत कार्य करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किय गये । रजिस्टर में बिना पूर्ण सूचना के यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वार्षिक मरम्मत की आवधिकता का अनुसरण किया गया था या नहीं ?

2.8.7 सेवा-केन्द्रों का कार्य संचालन

2.8.7.1 सेवा केन्द्रों में अधिक्य श्रमिकों की तैनाती

तीन भवन रखरखाव प्रभागों के अधीन 26 सेवा-केन्द्र थे । भवनों के सामान्य रखरखाव हेतु सेवा केन्द्र उत्तरदायी हैं । तद्नुसार, सेवा-केन्दों में अकुशल/अर्ध-कुशल व कुशल श्रमिक होते है। तीनों प्रभागों में अस्थाई/स्थाई मस्टर रोल कर्मचारियों के अतिरिक्त कुशल/अकुशल कर्मचारियों की संख्या निम्नप्रकार थी :

तालिका 13

क्र.स.	कर्मचारियों की श्रेणी	भवन रख0-I	भवन रख0-II	भवन रख0-III	योग
1.	अकुशल कर्मचारी	261	255	209	725
2.	अर्ध कुशल/कुशल कर्मचारी	92	107	69	268
	योग	**353**	**362**	**278**	**993**

विभिन्न सेवा केन्द्रों द्वारा शिकायतों पर की गई कार्यवाही का लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा विश्लेषण किया गया । वर्ष 2003-06 के अवधि में कर्मचारियों द्वारा दूर की गई शिकायतों का विवरण निम्नप्रकार था :

तालिका 14

प्रभाग	वर्ष	वर्ष में प्राप्त कुल शिकायतें	300 वर्ष-दिवसों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन दूर की गयी शिकायतें
भवन रख0-I	2003-04	11294	0.11
	2004-05	12379	0.12
	2005-06	12189	0.12
	योग	**35862**	**0.11**
भवन रख0-II	2003-04	21334	0.19
	2004-05	21854	0.20
	2005-06	21215	0.19
	योग	**64403**	**0.19**
भवन रख0-III	2003-04	11806	0.14
	2004-05	11250	0.13
	2005-06	12218	0.15
	योग	**35274**	**0.14**

उपरोक्त तालिका 13 और 14 में प्रस्तुत स्थिति से यह स्पष्ट था कि पिछले तीन वर्षों के आडिट के दौरान तीनों प्रभागों के कर्मचारियों द्वारा प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 0.11 से 0.20 शिकायतों पर कार्यवाही की गई । इसका अर्थ यह है कि नौ कर्मचारियों ने प्रतिदिन एक शिकायत का निवारण किया या एक कर्मचारी ने नौ दिन में एक शिकायत का निवारण किया ।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों पर हुये परिहार्य व्यय को कम करने के लिए वास्तविक कार्यभार के संदर्भ में प्रत्येक सेवा केन्द्र के कर्मचारियों की संख्या उपयोगी एवं तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है ।

2.8.7.2 सेवा केन्द्रों में शिकायत रजिस्टरों का अनुचित रखरखाव

प्रभागों के सेवा-केन्द्रों के आडिट के दौरान यह पाया गया कि शिकायत रजिस्टरों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था । शिकायतों की प्राप्ति का समय, निवारण का समय, परिचर के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक की टिप्पणी वाले कालम अधिकतर सभी सेवा केन्द्रों में खाली छोड़े गये थे । इसके अतिरिक्त शिकायत की प्रकृति सहित मरम्मत कार्य का विवरण रजिस्टर से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट नहीं था, कि इस मुख्य सूचना के बिना सामग्री जारी करने के कार्य पर नियंत्रण कैसे किया गया था ।

तीनों प्रभागों के रिकार्ड की पुनः जॉच करने से पता चला कि एम ए एस लेखे में विशेष तिथियों को सीमेंट व अन्य सामग्री जारी हुई दर्शायी गयी थी, जबकि उन तिथियों को शिकायत रजिस्टर में उस विशेष भवन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी जैसाकि अनुलग्नक-VII में विवरण दिया गया है ।

यह देखा गया कि वर्ष 2003-06 के दौरान तीनों प्रभागों द्वारा 173 अवसरों पर बिना किसी शिकायत के सामग्री जारी की गई । जारी की गई सामग्री में सीमेंट के 130 बैग, 129 मीटर जी.आई. पाईप, 27 कि.ग्रा. डिस्टेम्पर पाउडर, 50 किलो समोसम, 364 लीटर पेन्ट और अन्य विभिन्न सामग्री सम्मिलित थी ।

विभाग को उन कारणों/परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके अन्तर्गत बिना किसी शिकायत के सामग्री जारी की गई थी ।

निष्कर्ष

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए भवनों के रखरखाव व वार्षिक मरम्मत कार्यों की समीक्षा करने पर पता चला कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव लेखा शीर्ष के अंतर्गत मूल प्रकृति के कार्य किये गये थे । अनेक मामलों में सफेदी/बाह्य रंग-रोगन करने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया था और निष्पादित कार्यो की आवधिकता को भी रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया था । सेवा-कन्द्रों में तैनात कर्मचारियों का कम उपयोग किया गया था । शिकायत रजिस्टर जैसे आवश्यक रिकार्ड का प्रभागों/सेवा केन्द्रों द्वारा उपयुक्त रखरखाव नहीं किया गया था । इस प्रकार सिविल इंजीनियरिंग विभाग को भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव निधि के प्रबन्धन की समीक्षा करने की आवश्यकता है और निर्धारित नियमों का अनुसरण सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण करने की भी जरूरत है ।

विद्युत विभाग

पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलाप

अध्याय-III : विद्युत विभाग

पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलाप

वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की गई । पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई हेतु प्रभाग में कोई नीति/मानक तैयार/बनाये नहीं हुये थे । ऊर्जा प्रभार, जो कि प्रभाग के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, के बिलों का भुगतान उपयुक्त सत्यापन किये बिना किया गया तथा बिलों की राशि व फिटिंगो की संख्या के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं था । अनुबन्ध प्रबन्धन में भी दक्षता की कमी थी क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यो का विभाजन, सौंपे गये अनुबन्धो/कार्यों/आपूर्ति आदेशों में कुछ ठेकेदारों का पूर्व वर्चस्व, वार्षिक उच्चत्तम सीमा से अधिक व्यय आदि उदाहरण पाये गये थे । विद्युत अभियांत्रिक विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में ध्यान देने तथा पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलापों को सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है ।

प्रमुखतायें

- ऊर्जा प्रभार, जो प्रभाग के व्यय का अभिन्न अवयव है, के बिलों की राशि का भुगतान उपयुक्त जॉच तथा संस्थापित फिटिंग्स के साथ बिना किसी तालमेल के किया जा रहा था ।

- वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की पॉच वर्षो की अवधि के दौरान सौंपे गये कुल 469 अनुबन्धों/कार्य/आपूर्ति आदेशों में से 106 मामलों (23 प्रतिशत) में 87.60 लाख रुपये की राशि के कार्यों का विभाजन पाया गया था ।

- 266 मामलों में (समीक्षा अवधि के दौराने सौंपे गये अनुबन्धों/कार्य/आपूर्ति आदेशों कुल 469 का 57 प्रतिशत), प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कुछ चयन किये गये ठेकेदारों को कार्य सौंपा गया था ।

- पथ प्रकाश प्रभाग में पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई के संबंध में कोई उपयुक्त नीति/मानक नहीं पाये गये ।

3.1. परिचय

पथ प्रकाश नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का एक अनिवार्य कार्यकलाप है । पथ प्रकाश प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में पथ प्रकाश की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है । इसकी स्थापना वर्ष 1979 में सड़क रखरखाव प्रभाग के रूप में हुई थी । तत्पश्चात् वर्ष 2003

में इसका पुनर्नामकरण पथ प्रकाश प्रभाग के रूप में हुआ । इंजीनियर-इन-चीफ (अभियंता-प्रमुख) पथ प्रकाश प्रभाग का सम्पूर्ण प्रभारी है । इस का सहयोग मुख्य अभियंता एवं अधीक्षक अभियंता करते हैं । अधिशासी अभियंता प्रभाग का प्रमुख है । इसका सहयोग पथ प्रकाश प्रभाग के चार उप-प्रभागों में चार सहायक अभियंता करते हैं ।

3.2. प्रभाग का क्षेत्राधिकार

पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यक्षेत्र को आठ जोन में विभाजित किया गया है । प्रभाग में विभिन्न जोन में पथ प्रकाश का वितरण निम्नप्रकार से है:

तालिका 1

क्र.सं.	जोन	खम्भों की संख्या	फिटिंग्स की संख्या
1	I	1920	2070
2	II	2175	2455
3	III	1826	1919
4	IV	2788	3078
5	V	1621	1919
6	VII	1798	2403
7	IX	2916	3254
8	X	2851	2997
	योग	**17895**	**20095**

3.3. आडिट का कार्यक्षेत्र

पथ प्रकाश प्रभाग की समीक्षा वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए प्रथ प्रकाश प्रभाग एवं आठ सेवा केन्द्रों के रिकार्ड के संदर्भ में की गई ।

3.4. आडिट का उद्देश्य

आडिट का उद्देश्य मूल्यांकन करना था कि:

i) क्या प्रभाग ने मरम्मत एवं रखरखाव आदि के विभिन्न कार्य दक्षता से निष्पादित किये;

ii) क्या विभिन्न मरम्मत एवं रखरखाव कार्यकलापों के संबंध में नियमों/नीति का अनुपालन किया गया;

iii) क्या शिकायतों के निवारण की प्रभावी पद्धति बनी हुई थी ?

3.5. आडिट कार्यपद्धति

पथ प्रकाश प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सम्पूर्ण पथ प्रकाश की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है । तद्नुसार आडिट ने प्रभाग द्वारा पॉच वर्षो 2001-02 से 2005-06 में किये गये अनुबन्धों/कार्य आदेशों में से 25 प्रतिशत की जॉच की । आडिट कार्य विधि में निम्न सम्मिलित थे :

i) कार्य-निष्पादित प्रभाग के रिकार्ड की सीधी जॉच

ii) सेवा केन्द्रों के प्राथमिक रिकार्ड की जॉच

3.6. अभिस्वीकृति

अधिशासित अधिकारियों ने सूचना एवं दस्तावेज प्रदान किये और आडिट करने में सुविधा प्रदान की ।

3.7. वित्तीय परिव्यय

प्रभाग द्वारा संचालित मुख्य लेखा शीर्ष जी. 2.4. (मरम्मत एवं रखरखाव) है । लेखा शीर्ष जी. 2.4 के अन्तर्गत पिछले पॉच वर्षो का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण निम्नप्रकार से है:

तालिका 2

(रुपये लाख में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट पुस्तिका के अनुसार वास्तविक व्यय	प्रभाग के अनुसार वास्तविक व्यय	प्रभाग के अनुसार वास्तविक व्यय की संशोधित अनुमान के साथ तुलना में बचत (-)/आधिक्य(+) का प्रतिशत
2001-02	450.08	450.50	390.45	390.45	(-)13.33
2002-03	500.60	500.60	465.90	474.76	(-)5.17
2003-04	500.60	500.50	577.89	474.43	(-)5.21
2004-05	550.50	550.50	473.63	507.41	(-)7.83
2005-06	575.00	550.00	503.88	503.88	(-) 8.39
योग	**2576.78**	**2552.10**	**2411.75**	**2350.93**	**(-)7.89**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संशोधित अनुमान के संदर्भ में लेखा शीर्ष जी. 2.4 के अंतर्गत 5.17 प्रतिशत से 13.33 प्रतिशत की बचत हुई । परन्तु प्रभाग द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के लिए सूचित वास्तविक व्यय एवं बजट-पुस्तिका में उल्लेखित वास्तविक व्यय में अंतर था । एक करोड़ रुपये का अधिकतम अंतर वर्ष 2003-04 में था । अंतर के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

3.8. कर्मचारी स्थिति

पिछले पॉच वर्षो के दौरान अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल श्रेणियों के कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 3

वर्ष	स्वीकृत संख्या			कार्यरत कर्मचारी				
	अकुशल	कुशल/ अर्ध-कुशल	कुल	अकुशल	कुशल/ अर्ध-कुशल	कुल	कुल रिक्तता	नियमित/ अस्थाई मस्टर रोल, दैनिक वेतन
2001-02	127	84	211	101	73	174	37	88
2002-03	127	84	211	102	77	179	32	88
2003-04	127	84	211	101	77	178	33	88
2004-05	127	85	212	101	76	177	35	88
2005-06	127	85	212	100	77	177	35	100

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रभाग ने पिछले पॉच वर्षो में 32 से 37 रिक्त पदों के स्थान पर 88 से 100 तक नियमित मस्टर रोल/अस्थायी मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किये थे ।

3.9. लेखा परीक्षा टिप्पणियां

पथ प्रकाश प्रभाग द्वारा पॉच वर्ष की समीक्षा अवधि में किये गये व्यय पर आडिट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्न वित्त वृक्ष में दर्शायी गई है :

वित्त वृक्ष

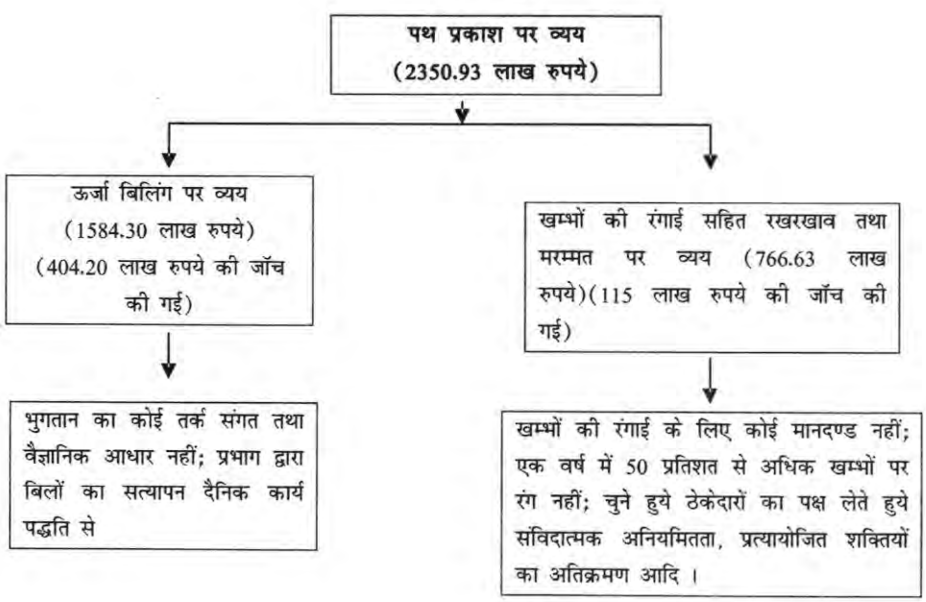

3.9.1 ऊर्जा प्रभार

पथ प्रकाश प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वाणिज्यिक विभाग को पथ प्रकाश के लिए उर्जा प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है । इस संदर्भ में व्यय लेखा शीर्ष जी. 2.4 (मरम्मत एवं रखरखाव) में से किया जाता है ।

प्रभाग से सुनिश्चित किये गये अनुसार वर्ष 2001-02 से 2005-06 में पथ प्रकाश के लिए निम्नलिखित उर्जा प्रभारों का भुगतान किया गया:

तालिका 4

(रूपये लाख में)

वर्ष	भुगतान किये गये ऊर्जा प्रभार	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा प्रभारों पर व्यय
2001-02	288.16	73.80
2002-03	328.29	70.46
2003-04	304.63	52.71
2004-05	335.66	70.87
2005-06	327.53	65.00

वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक पथ प्रकाश प्रभाग द्वारा भुगतान किये ऊर्जा बिलों की जॉच से ज्ञात हुआ कि प्रभाग ने इन बिलों के भुगतान के लिए सत्यापन किसी रिकार्ड से राशि की जॉच किये बिना दैनिक कार्य के रूप में किया । प्रभाग द्वारा उचित रिकार्ड का भी रखरखाव नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्या मीटर संस्थापित किये गये थे, क्या मीटर सही ढंग से चल रहे थे या नहीं, संस्थापित मीटरों के स्वीकृत विद्युत भार (लोड) का विवरण आदि । ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि बिल में मांग की गई राशि समान दरों या मीटरों से रिकार्ड की गई रीडिंग पर आधारित थी । संबद्ध रिकार्ड के बिना प्रभाग द्वारा बिलों के किये गये सत्यापन की वास्तविकता की जॉच आडिट में नहीं की जा सकी ।

76 स्विचिंग स्टेशनों में से 10 के रिकार्ड की जॉच से निम्नलिखित त्रुटियॉ पाई गई :

i) पॉच स्विचिंग स्टेशनों के मासिक बिलों के मामले में तीन वर्षो में प्रत्येक मास की राशि समान थी, इससे स्पष्ट होता है कि बिल मीटर की रीडिंग पर आधारित नहीं थे । विवरण निम्नप्रकार से है :

तालिका 5

क्र. सं.	स्विचिंग स्टेशन का स्थान/मीटर संख्या	मास	बिलों की राशि	खम्भो/फिटिंग्स की संख्या
1.	बाबर रोड/के-99147	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	प्रतिमास 1930 रुपये	234 /272
2.	सरोजनी नगर ब्लॉक-1/के-42900	अप्रैल 2005 से मार्च 2006	प्रतिमास 56770 रुपये	404/404
3.	किदवई नगर(पश्चिम)/के-45033	अप्रैल 2001 से मार्च 2003	प्रतिमास 72 रुपये	63/63
4.	33 के.वी. नेताजी पार्क, रोज गार्डन/के. -909706	अप्रैल 2001 से मार्च 2006	प्रतिमास 157570 रुपये	144/144
5.	किदवई नगर (पूर्व)/के-31948	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	प्रतिमास 60550 रुपये	488/488

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि खम्भों पर संस्थापित फिटिंग्स एवं प्रभाग द्वारा भुगतान किये गये उर्जा प्रभारों में कोई पारस्परिक संबंध नहीं था । उदाहरण के लिए बाबर रोड स्विचिंग स्टेशन के अधीन खम्भों पर संस्थापित 272 फिटिंग्स के लिए 1930 रुपये प्रतिमास उर्जा प्रभार का भुगतान किया गया जबकि नेहरू पार्क रोज-गार्डन के अधीन खम्भों पर संस्थापित केवल 144 फिटिंग्स के लिए 157570 रुपये प्रतिमास तक का भुगतान उर्जा प्रभारों के रूप में किया गया । इसी प्रकार किदवई नगर पूर्व एवं किदवई नगर पश्चिम के स्विचिंग स्टेशनों पर फिटिंग्स की संख्या और उर्जा बिलों की राशि में भी अंतर देखा जा सकता है ।

ii) अन्य जॉच किये गये पॉच मामलों में मासिक/वार्षिक बिलों की राशि में मास-प्रतिमास में बहुत अधिक अन्तर था जबकि ऐसे अन्तर के लिए कोई आधार नहीं बताया गया । विवरण निम्नप्रकार है:

तालिका 6

क्र.सं.	स्विचिंग स्टेशन का स्थान/मीटर संख्या	मास	बिलों की राशि	खम्भों/फिटिंग्स की संख्या
1.	अंसारी नगर पश्चिम/के-100024	दिसम्बर 2001 से जून 2005	प्रतिमास शून्य से 94494 प्रतिमास तक	73/73
2.	कर्बला अलिगंज/के-24223	अप्रैल 2002 से मार्च 2006	प्रतिमास 11352 से 290921 प्रतिमास तक	108/108
3.	शाहजहॉ रोड/के-86604	अप्रैल 2001 से मार्च 2004	प्रतिमास 26 से 305494 प्रतिमास तक	317/317
4.	लोदी रोड/के-86852-ए	अप्रैल 2002 से मार्च 2005	प्रतिमास 12 से 123380 प्रतिमास तक	240/240
5.	जोर बाग/के-100020	अप्रैल 2004 से मार्च 2005	प्रतिमास 70 से 234581 प्रतिमास तक	220/220

उपरोक्त विवरणों से यह देखा जा सकता है कि कर्बला अलीगंज के अधीन स्विचिंग स्टेशनों के खम्भों पर संस्थापित 108 फिटिंग्स का उर्जा प्रभार 11352 रुपये प्रतिमास से 290921 रुपये प्रतिमास के मध्य था जबकि जोर बाग स्विचिंग स्टेशन के अधीन खम्भों पर संस्थापित 220 फिटिंग्स का उर्जा प्रभार 70 रुपये से 234581 रुपये प्रतिमास के मध्य था । इससे पुन: यह ज्ञात होता है कि संस्थापित फिटिंग्स एवं भुगतान किये गये उर्जा प्रभारों के मध्य कोई तालमेल नहीं था । इसके साथ ही प्रभाग द्वारा मासिक उर्जा के बिलों में अत्याधिक अंतर का विश्लेषण भी नहीं किया गया था ।

विभाग से अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में प्रभावी कदम उठाकर अधिक बिलिंग को रोकने के लिए खराब मीटरों को ठीक करें । बिलों में दिखाई गई राशि के उपयुक्त सत्यापन के लिए एक कार्य पद्धति बनाने की भी आवश्यकता है ।

3.9.2 पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई के संबंध में कोई नीति न होना

प्रभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न जोन के पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई करना है । पिछले पॉच वर्षों में रंग किये गये खम्भों का जोन-अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 7

	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
जोन का नाम	कुल खम्भे	रंगे गये खम्भे	कुल खम्भे	*रंगे गये खम्भे	कुल खम्भे	*रंगे गये खम्भे	कुल खम्भे	रंगे गये खम्भे	कुल खम्भे	रंगे गये खम्भे
I	2016	104	2016		2016		1980	2213	1920	227
II	2175	972	2175		2175		2175	895	2175	664
III	1825	305	1825		1825		1825	47	1825	680
IV	2776	541	2776		2776		2776	2289	2788	590
V	1621	0	1621		1621		1621	1106	1621	1618
VII	1892	139	1892		1892		1892	1570	1798	0
IX	2916	1119	2916		2916		2916	601	2916	1486
X	2855	1486	2855		2855		2855	0	2851	1762
योग	**18076**	**4666**	**18076**	**6792**	**18076**	**3649**	**18040**	**8721**	**17895**	**7027**
वर्ष के दौरान रंगे गये खम्भों की प्रतिशतता		**25.8**		**37.5**		**20.1**		**48.31**		**39.27**

* जोन अनुसार ऑकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

रिकार्ड की जॉच से ज्ञात हुआ कि पथ प्रकाश प्रभाग में पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई के लिए कोई नीति नियम तैयार/बनाये नहीं हुए थे जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रत्येक

वर्ष रंगे गये खम्भों की संख्या में अत्याधिक अन्तर था । वर्ष 2003-04 में 20 प्रतिशत खम्भों पर रंगाई की गई जबकि वर्ष 2004-05 में 48 प्रतिशत खम्भों पर रंगाई की गई । पथ प्रकाश प्रभाग की एक ही वर्ष में, विभिन्न जोनों के सम्बन्ध में पथ प्रकाश खम्भों एवं फिटिंग्स में पेंट करने की कोई समान नीति नहीं थी, वर्ष 2001-02 में जोन-V में किसी खम्भे पर रंग नहीं किया परंतु जोन-X में कुल खम्भों के 52 प्रतिशत खम्भों पर रंग किया गया । इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में जोन-X में किसी खम्भे पर रंग नहीं किया गया जब कि जोन-I में 115 प्रतिशत खम्भों पर रंगाई की गई । पुनः वर्ष 2005-06 में जोन -VII में किसी खम्भे पर रंग नहीं किया गया और जोन-V में 100 प्रतिशत खम्भों पर रंगाई की गई ।

अत्याधिक अंतर के लिए रिकार्ड में कोई कारण उपलब्ध नहीं थे । प्रभाग कृपया इस संबंध में नीति/नियम तैयार करें ।

3.9.3 अनुबंध प्रबंधन

3.9.3.1 कार्यो का विभाजन

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के पैरा 15.4.1 के अनुसार निविदायें आमंत्रित करने के उद्देश्य के लिए कार्यो का विभाजन सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के पैरा 16 में किये गये प्रावधानों के अनुसार जहॉ तक संभव हो निविदाओं को समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर खुली एवं सार्वजनिक रुप से आमंत्रित करवाया जाये और अनुमानित दो लाख रुपये से अधिक के कार्य के निविदा आमंत्रण विज्ञापन समाचार-पत्रों में वर्गीकृत श्रेणी में प्रकाशित कराये जाये ।

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के कार्यों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि अधिकतर मामलों में एक ही किस्म के कार्य को थोड़े-थोड़े अन्तराल में अलग-अलग सौंपा गया और कुछ मामलों में एक ही दिन में बिना निविदायें आमत्रित किये एवं उच्च प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य सौंपे गये । आडिट अवधि में 3.73 करोड़ रुपये की राशि के कुल 181 इकरारों में से 71.07 लाख रुपये की राशि के 43 मामलों में कार्य का विभाजन पाया गया । यह कुल इकरारों की धन राशि का 19 प्रतिशत तथा इकरार आधार पर सौंपे गये कार्यों में से सौंपे गये कुल कार्य का 24 प्रतिशत था । कार्य विभाजन के ऐसे 20 मामलों को दर्शाती सूची उदाहरणस्वरूप अनुलग्नक-VIII में दी गई है।

अनुलग्नक- VIII में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है कि खम्भों की रंगाई/मरम्मत के विभिन्न कार्यो को विभाजित किया गया तथा लगभग एक ही दिन सौंपा भी गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ मामलों में एक ही ठेकेदार को सौंपे गये । चूंकि निविदा की उचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया, इस लिए प्रभाग को तुलनात्मक दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा ।

इसी प्रकार उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति एवं नियमित निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए एक ही किस्म के कार्य/सामान की आपूर्ति के लिए थोड़े-थोड़े अन्तराल पर आपूर्ति आदेश/कार्य आदेश टुकड़ों में जारी किये गये । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से पृष्ठांकन सं.वित्त/2003/डी.पी. - II/496/डी दि. 20.11.03 के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनुबंध खुली निविदायें आमंत्रित करने के पश्चात् ही सौंपे जाये । निविदाये आमंत्रित किये बिना कार्य सौंपना/आपूर्ति आदेश देना नियमित नहीं होना चाहिए और केवल तभी होना चाहिए जब उक्त नियम से छूट देने के बहुत ही विशिष्ट कारण हों । प्रभाग द्वारा कुछेक ठेकेदारों से थोड़े-थोड़े अन्तराल में दरें प्राप्त कर अनेक कार्य/आपूर्ति आदेश जारी किये गये । वर्ष 2001-02 से वर्ष 2005-06 की अवधि में 74.37 लाख रूपये की राशि के 288 कार्य/आपूर्ति मामलों में से 16.53 लाख रुपये की राशि के 63 मामलों में कार्य विभाजन पाया गया । आडिट अवधि में यह कुल राशि और कार्य आपूर्ति आदेश के 22 प्रतिशत मामले बनते हैं । ऐसे 33 मामलों को दर्शाती सूची उदाहरणस्वरूप अनुलग्नक- IX के रूप में संलग्न है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि दर-आधार पर कार्य सौंपने से विभाग प्रतिभूति जमा/निष्पादन गारन्टी जिसके आधार पर रखरखाव अवधि में कार्य निष्पादन एवं आपूर्ति में त्रुटि होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकती है, के लाभ प्राप्त करने से वंचित रहा ।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि भविष्य में संवैधानिक औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा ।

3.9.3.2 वार्षिक सीमा से अधिक व्यय

प्रदत वित्तीय शक्तियों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को निविदायें आमंत्रित किये बिना कार्य सौपने की शक्तियाँ निम्नप्रकार है :

तालिका 8

		2004-05 तक		2005-06	
क्र.स.	पद	प्रत्येक कार्य/आपूर्ति आदेश की राशि	वार्षिक सीमा	प्रत्येक कार्य/आपूर्ति आदेश की राशि	वार्षिक सीमा
1.	अधिशासी अभियंता	15000 रुपये	4.00 लाख रुपये	25000 रुपये	6.00 लाख रुपये
2.	अधीक्षक अभियंता	25000 रुपये	5.00 लाख रुपये	50000 रुपये	10.00 लाख रुपये
3.	मुख्य अभियंता	50000 रुपये	10.00 लाख रुपये	100000 रुपये	20.00 लाख रुपये

इकरार निष्पादित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को निम्नप्रकार से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं-

तालिका 9

क्र.सं.	पद	2004-05 तक	2005-06
1.	अधिशासी अभियंता	2.00 लाख रुपये तक	5.00 लाख रुपये तक
2.	अधीक्षक अभियंता	4.00 लाख रुपये तक	10.00 लाख रुपये तक
3.	मुख्य अभियंता	10.00 लाख रुपये तक	25.00 लाख रुपये तक

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के वर्षानुसार कार्य/आपूर्ति आदेशों की जॉच करने से ज्ञात होता है कि अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता ने विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वार्षिक सीमा से अधिक व्यय निम्न विवरणानुसार किया :-

तालिका 10

क्र. सं.	वर्ष	सक्षम प्राधिकारी	कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश जारी करने की कुल राशि (रूपये में)	आधिक्य राशि (रूपये में)
1.	**2002-03**	अधिशासी अभियंता	522537	122537
2.	**2003-04**	अधिशासी अभियंता	517599	117599
3.	**2004-05**	मुख्य अभियंता	1292000	292000

आडिट को दिखाये गये रिकार्ड में वार्षिक सीमा से अधिक के कार्य/आपूर्ति आदेश जारी करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

3.9.3.3 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

इकरारों/आपूर्ति आदेशों/कार्य आदेशों की जॉच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक पॉच वर्ष की अवधि में कुल 469 मामलों में से 266 मामलों में कार्य आठ चुने हुए ठेकेदारों को सौंपे गये । एक वर्ष में ऐसे मामलों की प्रतिशतता 41 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य थी । प्रत्येक वर्ष ठेकेदार मैसर्स आरसी ट्रेडिंग कम्पनी ने कुल सौंपे गये कार्यो में से 16 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के मध्य आदेश प्राप्त किये । ऐसे मामलों का वर्ष अनुसार विवरण निम्नप्रकार से दिया गया है :-

तालिका 11

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल कार्य आदेशों/आपूर्ति आदेशों/इकरारों की कुल संख्या	ठेकेदार का नाम	जारी किये गये इकरारों/ आपूर्ति /कार्य आदेशों की संख्या	चुने हुए ठेकेदारों को जारी किये गये इकरारों /आपूर्ति/कार्य आदेशों का प्रतिशत	प्रथम ठेकेदार को कुल प्रतिशत
2001-02	61	मैसर्स आरसी ट्रे0 का0	10		
		मैसर्स गोयल इलै0 वर्क्स	03		
		मैसर्स ट्विंकल इन0	06		
		मैसर्स फेयरडील इलै0	04		
		मैसर्स गोयल इन्टर0	02		
		योग	**25**	**41**	**16**
2002-03	83	मैसर्स आरसी ट्रे0 का0	19		
		मैसर्स गोयल इलै0 वर्क्स	01		
		मैसर्स फेयरडील इलै0	09		
		मैसर्स बंसल ट्रेडर्स	08		
		मैसर्स गोयल इन.	11		
		योग	**48**	**58**	**23**
2003-04	116	मैसर्स आरसी ट्रे0 का0	30		
		मैसर्स गोयल इलै0 वर्क्स	05		
		मैसर्स कमल इलै0	13		
		मैसर्स कपीला इंजी0	22		
		मैसर्स गोयल इन्टर0	05		
		योग	**75**	**65**	**26**
2004-05	99	मैसर्स आरसी ट्रे0 का0	21		
		मैसर्स गोयल इलै0 वर्क्स	09		
		मैसर्स कमल इलै0	08		
		मैसर्स कपीला इंजी0	07		
		योग	**45**	**45**	**21**
2005-06	110	मैसर्स आरसी ट्रे0 का0	32		
		मैसर्स गोयल इलै0 वर्क्स	09		
		मैसर्स कमल इलै0	20		
		मैसर्स गोयल इन्टर0	12		
		योग	**73**	**66**	**29**

कुछेक ठेकेदारों का आधिपत्य कार्य सौपने की प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ।

3.9.3.4 अन्य अनियमितताएं

वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की अवधि के रिकार्ड की जॉंच करने से अनुमान तैयार करने एवं कार्य सौपने के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

क) अनुमान तैयार करना

i) अनुबन्ध आधार पर सौंपे गये कुल 181 मामलों में जॉंच किये गये 48 मामलों में सभी के अनुमान पाये गये । परन्तु, अधिकतर मामलों में अनुमान मार्किट दरों पर आधारित पाये गये । जिन मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् दर अनुसूची उपलब्ध नहीं थी उन मामलों में दिल्ली दर अनुसूची का हवाला नहीं दिया गया । मार्किट दरों के लिए भी कोई समर्थित दस्तावेज रिकार्ड में नहीं पाया गया । कार्य/आपूर्ति आदेश के कुल 288 मामलों में से 72 की जॉंच की गई परंतु किसी मे भी कोई अनुमान नहीं पाया गया ।

ii) अनुबन्ध/कार्य/आपूर्ति आदेश के कुल 120 मामलों में से 58 की जॉंच की गई और दरों की कोई न्यायसंगतता/विश्लेषण रिकार्ड में नहीं थी, यद्यपि न्यूनतम निविदादाता को कार्य सौपने पर विचार करते हुए वह उल्लेखित था कि दरें उचित एवं न्यायसंगत थी ।

ख) विविध

निविदा आमंत्रण सूचना के नियमों एवं शर्तो (21-क एवं 21 ख) के अनुसार निविदा की बिक्री से पूर्व ठेकेदार को बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है । फाईलों की जांच करने से ज्ञात हुआ कि अनुबन्ध/कार्य/आपूर्ति आदेश के 120 मामलों में से 75 मामलों में फर्मों ने इसे प्रस्तुत नहीं किया । इसके बावजूद उन्हें निविदा प्रपत्र बेचे गये और कार्य सौपने के लिए फर्मो पर विचार किया गया । इसके अतिरिक्त जो फर्में बिक्री कर/वैट विभाग में पंजीकृत नहीं थी उन पर भी विचार किया गया और दरें उद्धृत करने के लिए कहा गया । इस प्रकार प्रभाग द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के नियमों एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया ।

3.10. सामग्री प्रबन्धन

3.10.1 खुले बाजार से क्रय

पथ प्रकाश प्रभाग को विभिन्न प्रकार के बिजली के सामान जैसे बल्ब, होल्डर चौक, ट्यूब, तार, फिटिंग्स आदि की आवश्यकता अपने कार्यकलाप को सुचारू रूप से करने के लिए होती है । सामान्यतय: प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उपेक्षित सामान का वार्षिक अनुमान वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने

से पूर्व तैयार कर लिया जाए ताकि इसका क्रय कर लिया जाये और संबंधित भण्डार प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाये ।

पथ प्रकाश प्रभाग की वार्षिक अनुमान की फाईलों की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि अनुमान की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पश्चात् और वर्ष 2005-06 में तो जुलाई में शुरू की गई । ये अनुमान वर्ष 2001-02 से 2005-06 में सिवाय 2003-04 के, विलम्ब से अगस्त-दिसम्बर में अन्ततः अनुमोदित किये गये । अनुमान तैयार करने तथा उनके अनुमोदन की प्रक्रिया विलम्ब से प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप भण्डार प्रभाग द्वारा प्रभाग की सामान एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकी । परिणामस्वरूप, पथ प्रकाश प्रभाग द्वारा अधिकतर मामलों में खुले बाजार से क्रय किया गया ।

इसके अतिरिक्त पथ प्रकाश प्रभाग की वर्ष 2001-02 से 2005-06 की कार्य फाईलों की जाँच करने से ज्ञात हुआ कि जाँच किये गये 42 मामलों में केवल यह इंगित किया गया था कि अपेक्षित मदें भण्डार में उपलब्ध नहीं थी । संबद्ध कार्य फाईलों की टिप्पणियों में खुले बाजार से अपेक्षित सामान क्रय करने के प्रस्ताव पर, संबद्ध भण्डार प्रभाग से अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना स्वीकृति प्राप्त की गई ।

इस संबंध में प्रभाग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने और सामान आदि को क्रय करने की प्रक्रिया व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

3.11. पथ प्रकाश खम्भे एवं फिटिंग्स की चोरी के कारण 2.55 लाख रुपये की हानि

वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की अवधि में चोरी के मामलों की फाइलों/रजिस्टर की जाँच करने से ज्ञात हुआ कि पथ प्रकाश प्रभाग के विभिन्न जोनों मे अलग-अलग खम्भों से फिटिंग्स, बल्बों आदि की कुछ मदें चोरी हुई । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को पिछले पाँच वर्षों में फिटिंग्स आदि की चोरी के कारण 2.55 लाख रुपये की हानि हुई जैसा कि चोरी के मामले की फाइलों/रजिस्टर से देखा गया । प्रभाग द्वारा सामान/फिटिंग्स आदि की चोरी को रोकने के लिए की गई कार्यवाही फाईल में अभिलेखित नहीं थी ।

आडिट को दिखाये गये चोरी के मामलों के रजिस्टर/फाइलों की जाँच करने से पुनः पाया गया कि :

i) किसी मामले में कोई विभागीय जाँच नहीं की गई ।

ii) चोरी के किसी भी मामले में सम्बन्धित एस.एच.ओ. से जॉच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि संबंधित एस.एच.ओ. को चोरी के मामलों की वस्तु-स्थिति जानने के लिए कोई अनुस्मारक नहीं भेजा गया ।

iii) पथ प्रकाश प्रभाग द्वारा बनाये गये चोरी के मामलों के रजिस्टर में चोरी के कुछ मामलों को अभिलेखित नहीं किया गया यद्यपि इनकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशनों में को की गई थी, इस तथ्य को इंगित करने पर प्रभाग ने छोड़े गये मामलों को भी रजिस्टर में अभिलेखित कर दिया ।

चोरी के सभी मामलों को रजिस्टर में अभिलेखित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी मामलों में की गई कार्यवाही की उचित मानिटिरिंग की गई ।

3.12. शिकायत केन्द्रों/स्थानीय कार्यालयों द्वारा रिकार्ड का अनुपयुक्त रखरखाव

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विभिन्न क्षेत्रों में पथ प्रकाश प्रभाग के आठ शिकायत केन्द्र/स्थलीय कार्यालय हैं । ये जनता से प्राप्त शिकायतों और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधिकारियों द्वारा सूचित की गई त्रुटियों/खराबियों का निवारण करते हैं । शिकायत केन्द्र/स्थलीय कार्यालय केबल की त्रुटियों को ढूंढ कर तथा पथ प्रकाश खम्भों की त्रुटियों का निवारण करते है ।

शिकायत केन्द्रों/स्थलीय कार्यालयों के रिकार्ड की जॉच करने से पाया गया कि शिकायता रजिस्टरों का रखरखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा था । यद्यपि विभिन्न शिकायत केन्द्रों/स्थलीय कार्यालयों में बनाये गये शिकायत रजिस्टरों में शिकायत का स्थल और त्रुटि की प्रकृति उल्लेखित की गई थी परन्तु शिकायत प्राप्ति का समय तथा शिकायत निवारण की तिथि एवं समय, शिकायत निवारणकर्ता के हस्ताक्षर, कनिष्ठ अभियन्ता की टिप्पणी दर्शाते कॉलम नहीं बनाये गये थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिकायत के लिए कितना सामान अपेक्षित था/लगाया गया तथा जारी किये गये सामान की प्रकृति/किस्म का कोई विवरण शिकायत रजिस्टर में उल्लेखित नहीं था ।

शिकायत केन्द्रों/स्थलीय कार्यालयों में उपयुक्त शिकायत रजिस्टर बनाये जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का न्यूनतम सम्भव समय में निवारण किया गया ।

निष्कर्ष

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिए पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलापों की समीक्षा करने पर से गंभीर त्रुटियॉ पाई गई । पथ प्रकाश खम्भों की रंगाई के संबंध में उचित नीति/नियम नहीं थे । अनुबन्ध प्रबंधन कुशल नहीं था क्योंकि यहॉ पर कार्य विभाजन प्रदत शक्तियों के उल्लघंन, निविदा में अनियमितताओं, सीमित अनुबन्धकर्ताओं को कार्य सौंपने आदि के काफी संख्या में मामले थे । उर्जा प्रभार जो कि पथ प्रकाश प्रभाग के व्यय का एक महत्वपूर्ण अवयव है, का भुगतान बिना किसी उचित सत्यापन के किया गया और फिटिंग्स की संख्या एवं बिल की राशि के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं था । विद्युत अभियंत्रण विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में ध्यान देने और पथ प्रकाश प्रभाग के कार्यकलाप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

सम्पदा विभाग

सम्पदा विभाग के कार्यकलाप

सम्पदा विभाग

सम्पदा विभाग के कार्यकलाप

अध्याय-IV : सम्पदा विभाग

सम्पदा विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा

आडिट ने वर्ष 2000-2006 की अवधि हेतु सम्पदा विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा निर्धारण निष्पादन करने, माँग करने, राजस्व के संग्रहण इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए की। सम्पदा विभाग की प्रमुख शाखाओं, प्रशासनिक अनुभाग तथा लेखा अनुभाग के कार्यकलापों में त्रुटियाँ पाई गई । विभाग ने व्यावसायिक इकाइयों के आवंटियों तथा पूर्व-आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली करने की समुचित कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2006 को 590.94 करोड़ रुपये की राशि बकाया के रुप में इक्ट्ठी हो गई । व्यावसायिक खण्डों के आवंटन में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरुप इकाइयों के खाली रहने से 2.41 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई । माँग तथा संग्रहण रजिस्टर, क्षतिप्रभार रजिस्टर इत्यादि का उचित रखरखाव नहीं किया गया था ।

प्रमुखतायें

- व्यावसायिक इकाइयों तथा होटलों के आवंटियों की ओर 31 मार्च 2006 को 518.85 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । 21 मामलों में प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया थी ।

- 31 मार्च 2006 को व्यावसायिक इकाइयों के पूर्व आवंटियों की ओर बकाया राशि इक्ट्ठी होकर 72.09 करोड़ रुपये हो गई थी ।

- अस्वीकृत चैकों के कारण 31 मार्च 2006 को 1.04 करोड़ रुपये का लाईसेंस शुल्क वसूल करना शेष रहा ।

- छः मास से पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये दुकानों/इकाइयों के रिक्त रहने के परिणामस्वरुप 31 मार्च 2006 तक 2.41 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से नौ मास से छः वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी विभाग, सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने में असफल रहा ।

4.1 परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सम्पदा-I विभाग वाणिज्यिक इकाइयों का आवंटन लाईसेंस प्राप्त मार्किटों, व्यावसायिक परिसरों तथा कार्यालय भवनों में निजी पार्टियों/सरकारी एजेन्सियों को मासिक लाईसेंस शुल्क के आधार पर करता है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का यह वैवकीय

कार्य परिषद् के लिए राजस्व अर्जित करने में सहायता करता है । वर्तमान में, विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में 38 मार्किटों में 3272 दुकानें/इकाइयाँ हैं ।

4.2 क) सम्पदा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

सम्पदा विभाग का प्रमुख निदेशक (सम्पदा) होता है । उनकी सहायता लेखा विभाग के प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा विभाग के प्रशासन अनुभाग के प्रभारी उप-निदेशक/सहायक निदेशक करते हैं । संगठनात्मक ढाँचा नीचे प्रस्तुत है :

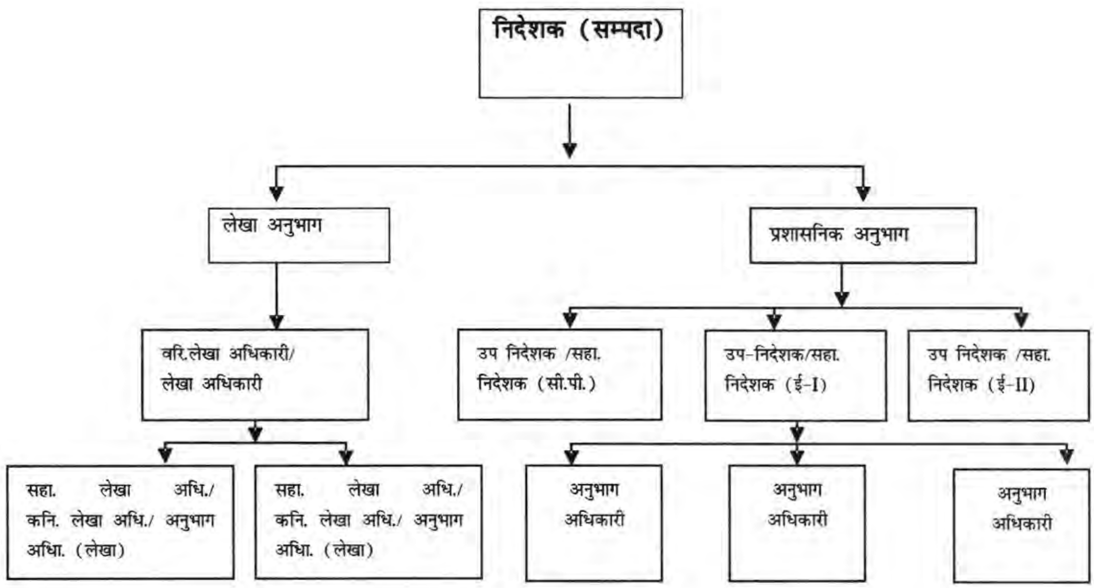

i) लेखा अनुभाग

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी लेखा अनुभाग का प्रभारी है । सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा) की सहायता से वह मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों तथा अन्य सम्बद्ध रजिस्टरों के रखरखाव व व्यावसायिक इकाइयों के लाईसेंसधारियों से मासिक मांग तैयार करता है तथा उनको भेजे गये मामलों की जॉच करता है ।

ii) प्रशासनिक अनुभाग

अनुभाग का प्रमुख उप-निदेशक/सहायक निदेशक व्यावसायिक इकाइयों का पुनर्वास अथवा खुली निविदा दोनों के आधार पर आवंटन करने, व्यवसाय परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान करने, इकाइयों के लाईसेंस का नवीकरण, आवंटन का हस्तांतरण, व्यावसायिक इकाइयों का आवधिक निरीक्षण तथा उनसे की गई वसूली की मॉनीटरिंग करने के लिए उत्तरदायी है । अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) तथा अन्य कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं ।

सम्पदा विभाग के प्रमुख कार्यकलापों जैसे व्यावसायिक इकाइयों के आवंटन का फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है :

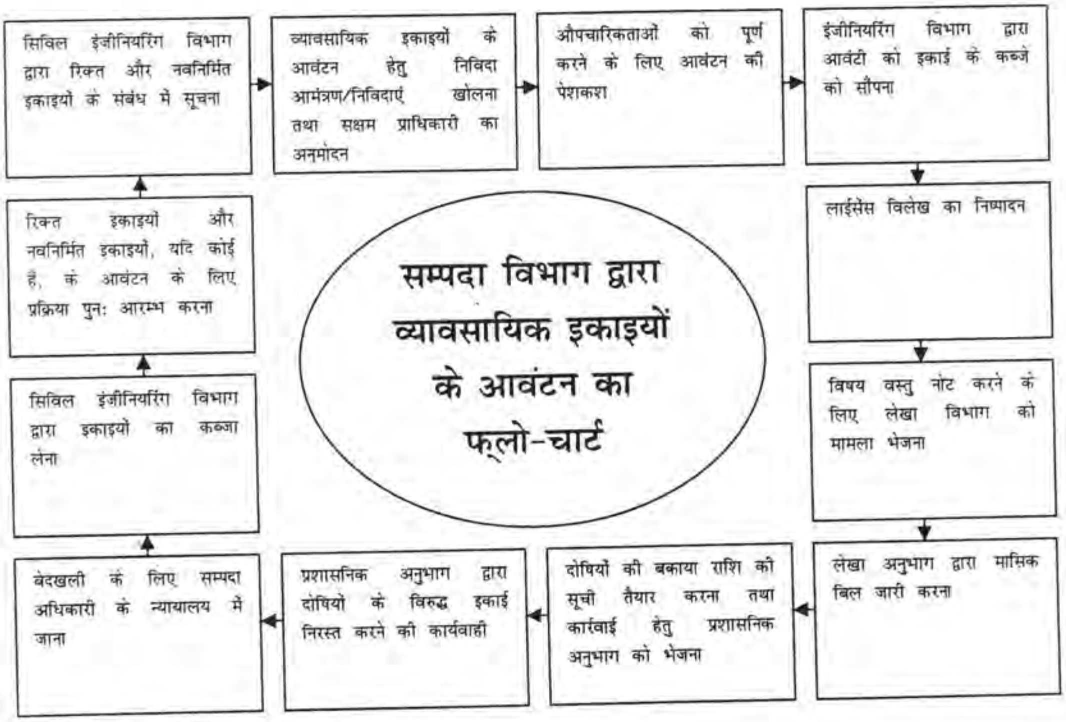

4.3. आडिट का कार्य-क्षेत्र

सम्पदा विभाग के अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि हेतु सम्पदा विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की गई ।

4.4 आडिट का उद्देश्य

आडिट का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या विभाग, सम्पदा प्रबन्धन के अपने कार्यों का निर्वहन दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी रूप से करता रहा है ? इसे, पुनः परिभाषित किया गया निम्न सुनिश्चित करने के लिए :

क) लाईसेंस शुल्क का बकाया

ख) इकाइयों के आवंटन में विलम्बय

ग) वैधानिक प्रावधानों तथा परिषद् प्रस्तावों का अनुपालन ।

4.5 आडिट की कार्यपद्धति

सम्पदा विभाग का कार्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के स्वामित्व वाली व्यावसायिक सम्पत्तियों/इकाइयों का आवंटन निजी पार्टियों/सरकारी संस्थाओं को लाईसेंस शुल्क के आधार पर करना है । इसके पास कुल 38 मार्किट हैं जिसमें 3272 दुकानें/ इकाइयॉ हैं । आडिट ने इनमें से दस प्रतिशत मामलों की जॉच की । आडिट की कार्यपद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

क) विभाग के लेखा अनुभाग के अभिलेखों की प्रत्यक्ष जॉच ;

ख) विभाग के प्रशासन अनुभाग के अभिलेखों की प्रत्यक्ष जॉच ।

4.6 अभिस्वीकृति

कार्यकारी अधिकारियों ने सूचना तथा दस्तावेज उपलब्ध कराये और लेखा परीक्षा (आडिट) करने को सुविधाजनक बनाया ।

4.7 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

विभाग, दुकानों के लाईसेंस शुल्क (एच-I तथा-II) कियोस्कों के लाईसेंस शुल्क (एच-VIII), अन्य प्राप्तियॉ (एच-XV) तथा अग्निशमन प्रभार (एच- XX) के रुप में राजस्व की वसूली करता है। ये प्राप्तियॉ परिषद् के गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का एक महत्त्वपूर्ण अंश हैं । पिछले छः वर्षों में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों का रूझान निम्न प्रकार था :

तालिका 1

(रुपये लाख में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
दुकानों का लाईसेंस शुल्क	7584	7942	9402	7889	8419	10727
क्योस्कों का लाईसेंस शुल्क	89	61	74	64	48	92
अन्य प्राप्तियॉ	39	21	70	17	04	11
योग	**7712**	**8024**	**9546**	**7970**	**8471**	**10830**

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से इंगित हुआ कि छः वर्षों की अवधि में विभाग की प्राप्तियों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्राप्तियों के संबंध में कोई विशिष्ट रूझान नहीं था । वर्ष 2002-03 तक प्राप्तियों में सतत् रुप से बढ़ता रूझान दृष्टिगत था तथा बाद में वसूली में गिरावट देखी गई जिसमें वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में अंशतः सुधार हुआ था । सामान्यतः प्राप्तियों में उल्लेखनीय गिरावट तथा विशेषकर वर्ष 2003-04 में दुकानों के लाईसेंस शुल्क में कमी का कारण न तो विभाग द्वारा विश्लेषित किया गया और न ही रिकार्ड में उपलब्ध था ।

4.8 व्यावसायिक इकाइयों के रिक्तता की स्थिति

सम्पदा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 31 मार्च, 2006 तक 35 दुकानें तथा आठ कार्यालय इकाइयाँ छः मास से पाँच वर्ष से अधिक तक की अवधि के लिए रिक्त रही थीं । विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 2

क्र.सं.	अवधि	इकाइयों की सं.
1	6 मास तक खाली रही इकाइयाँ	शून्य
2	6 मास तक खाली रही इकाइयाँ	03
3	6 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम तक खाली रही इकाइयाँ	14
4	1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम तक खाली रही इकाइयाँ	08
5	2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम तक खाली रही इकाइयाँ	05
6	3 वर्ष से अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम तक खाली रही इकाइयाँ	07
7	4 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम तक खाली रही इकाइयाँ	06
8	5 वर्ष से अधिक के लिए खाली रही इकाइयाँ	शून्य
	योग	**43**

4.9 आडिट की टिप्पणियाँ

4.9.1 लाईसेंस शुल्क का बकाया

4.9.1.1 व्यावसायिक इकाइयों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धाारा 363 में प्रावधाान है कि परिषद् को देय कोई राशि, जैसे कोई प्रभार, लागत, व्यय, शुल्क दरें अथवा किराया अथवा अन्य उस व्यक्ति से जिसके पास इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की राशि का बकाया है, तो ऐसी राशि कर की बकाया राशि की तरह वसूलनीय है । परंतु जिस तिथि से राशि बकाया है उसके तीन वर्ष की समाप्ति के उपरांत कोई वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ न की जाये ।

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 33 में इंगित किया गया था कि विभाग ने दोषी पार्टियों से लाईसेंस शुल्क, क्षति प्रभार इत्यादि के वृह्द बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की । परिणामस्वरुप 31 मार्च, 2001 तक 819 लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क, क्षति प्रभार एवं उस पर ब्याज के रुप में 376.63 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

माँग एवं संग्रहण रजिस्टर तथा क्षतिप्रभार रजिस्टरों की पुनः समीक्षा से ज्ञात हुआ कि इसमें सुधाार होने के बजाय, शेष बकाया राशि की स्थिति खराब हुई तथा लाईसेंस शुल्क, क्षति प्रभार तथा ब्याज की बकाया राशि मार्च 2001 में 376.63 करोड़ रुपये (819 पार्टियाँ) से बढ़कर 31 मार्च 2006 तक 518.85 करोड़ रुपये (639 पार्टियाँ) हो गयी । इस प्रकार दोषी पार्टियों की संख्या में

लगभग 22 प्रतिशत की कमी के बावजूद, छः वर्षों की अवधि के दौरान बकाया राशि में 37.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ब्याज प्रभार 269.75 करोड़ रुपये तथा लाईसेंस शुल्क एवं क्षतिप्रभारों की बकाया राशि 249.10 करोड़ रुपये सहित कुल बकाया राशि 518.85 करोड़ रुपये का विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 3

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरा	लाईसेंस शुल्क	ब्याज	कुल
1.	मॉग एवं संग्रहण रजिस्टर	1.92	0.73	2.65
2.	क्षतिप्रभार रजिस्टर	124.73	132.12	256.85
3.	होटल	122.45	136.90	259.35
	योग	**249.10**	**269.75**	**518.85**

बकाया राशि के विस्तृत विश्लेषण से पुनः ज्ञात हुआ कि 525 मामलों में बकाया लाईसेंस शुल्क की राशि मात्र 5 लाख रुपये तक थी । 35 मामलों में, वैयक्तिक पार्टियों से बकाया राशि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के मध्य, 45 मामलों में बकाया राशि 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के मध्य, 13 मामलों में यह 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के मध्य तथा 21 मामलों में, वैयक्तिक लाईसेंसधारियों से एक करोड़ रुपये से अधिक तथा 209.25 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी । जैसाकि निम्नलिखित तालिका में इंगित किया गया है :

तालिका 4

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बकाया राशि की सीमा	मामलों की संख्या	कुल बकाया
1.	5 लाख रुपये तक	525	3.26
2.	5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक	35	2.34
3.	10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक	28	4.19
4.	25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक	17	5.25
5.	50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक	13	7.11
6.	एक करोड़ रुपये से	21	496.70
	योग	**639**	**518.85**

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक तीन वर्ष की अवधि में बकाया राशि 169.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 287.82 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई । यह बढ़ोतरी मुख्य रूप में वर्ष 2000 से लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि एवं लाईसेंसधारियों द्वारा बढ़ी हुई दरों पर भुगतान न करने के कारण थी ।

मॉग एवं संग्रहण रजिस्टरों तथा क्षतिप्रभार/व्यय रजिस्टरों में, लाईसेंसधारियों की ओर बकाया की तिथि, बकाया का वर्ष-वार पृथक-पृथक विवरण तथा विभाग द्वारा इसकी वसूली हेतु की गई कार्रवाई, को इंगित नहीं किया गया । इस सूचना के अभाव में, आडिट द्वारा बकाया की सत्यता (जॉच) सत्यापित नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त यह भी सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या कोई दावा कालातीत हो चुका था । कुछ मामलों में, विभाग के दावे विवादग्रस्त थे परंतु पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद भी विवादों का निपटारा नहीं किया गया ।

इस प्रकार, विभाग द्वारा दोषी लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली हेतु पर्याप्त कार्रवाई किए जाने की असमर्थता के परिणामस्वरुप 31 मार्च 2006 तक लाईसेंस शुल्क, क्षति-प्रभार तथा ब्याज सहित बकाया राशि 518.85 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक इकट्ठी हो गई ।

अनुशंसाएँ

वसूली प्रक्रिया को सशक्त किये जाने की आवश्यकता है । बकाया की वसूली की कार्यवाही का उचित स्तर पर नियमित निरीक्षण करने की आवश्यकता है । विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि मॉग एवं वसूली रजिस्टर के सभी कालम पूर्ण रूप से भरे गए हैं, वर्ष-वार बकाया इंगित किया गया है तथा इसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रविष्टियॉ सत्यापित हैं ।

4.9.1.2. व्यावसायिक इकाइयों के पूर्व-आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना

व्यावसायिक इकाईयों के पूर्व आवंटियों की ओर बकाया की स्थिति की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि आडिट में बार-बार उल्लेख करने के बावजूद, पूर्व आवंटियों की ओर बकाया में लगातार वृद्धि जारी रही । यह बकाया राशि 31 मार्च 2002 को 321 पार्टियों की ओर, 40.16 करोड़ रुपये बकाया से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 387 पार्टियों की ओर 72.09 करोड़ रुपये बकाया हो गई अर्थात् चार वर्षों की अवधि में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 72.09 करोड़ रुपये की बकाया राशि में 22.19 करोड़ रुपये का लाईसेंस शुल्क एवं 49.90 करोड़ रुपये का ब्याज प्रभार सम्मिलित है । पिछले छः वर्षों के दौरान बकाया का वर्षवार विवरण निम्न-प्रकार से है :

तालिका 5

(रुपये करोड़ में)

अवधि	बकाया
2000-01	40.29
2001-02	40.16
2002-03	52.74
2003-04	56.31
2004-05	63.06
2005-06	72.09

पुनः यह अवलोकित किया गया कि इन पूर्व आवंटियों का पूर्ण विवरण जैसे कि परिसरों के रिक्त होने की तिथि, जिस तिथि से बकाया देय था तथा कुल कितनी बकाया राशि थी आदि मांग और संग्रहण रजिस्टरों में रिकार्ड नहीं किए गए थे । उपयुक्त रिकार्ड के अभाव में ऐसे पूर्व आवंटियों की वास्तविक बकाया राशि तथा उनकी वर्षानुसार स्थिति को लेखा परीक्षा विभाग में सत्यापित नहीं किया जा सका । भुगतान न होने के कारण तथा उनके बकाया की वसूली हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही भी आडिट को प्रस्तुत किये गए रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी ।

बकाया राशि के विस्तृत विश्लेषण से पुनः यह ज्ञात हुआ कि 130 मामलों में पूर्व आवंटियों की ओर लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि पॉच लाख रुपये तक थी, 249 मामलों में पूर्व आवंटियों की ओर बकाया राशि की सीमा पॉच लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के मध्य थी तथा आठ मामलों में बकाया राशि एक करोड़ रुपये से 7.83 करोड़ रुपये के मधय थी, जैसाकि नीचे इंगित किया गया है :

तालिका 6

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बकाया राशि की सीमा	इकाइयों की संख्या	राशि
1.	5 लाख रुपये तक	130	2.63
2.	5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये	67	5.09
3.	10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये	132	20.29
4.	25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये	39	13.11
5.	50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये	11	7.20
6.	एक करोड़ रुपये तथा अधिक	8	23.77
	योग	**387**	**72.09**

यह देखा गया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 101,102 तथा 363 के अन्तर्गत बकायों की जबरन वसूली करने के लिए अधिकार होने के बावजूद, विभाग ने दोषी पार्टियों से शेष बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की । परिणामस्वरूप, पुराने शेष बकाया की वसूली की प्रगति असंतोषजनक थी ।

4.9.1.3 अस्वीकृत चैकों के कारण 104.42 लाख रुपये की राशि के लाईसेंस शुल्क की वसूली न होना

परक्राम्य सलेख अधिनियम 1881 की धारा 138 में प्रावधान है कि जब बैंक द्वारा किसी चैक को अस्वीकार किया जाता है, तो बैंक से सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पार्टी को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर राशि जमा करवाने के लिये एक लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता तो दोषी पार्टी को एक वर्ष तक का कारावास अथवा चैक की राशि के दुगनी राशि तक के जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा ।

ऑडिट में इंगित करने के बावजूद, विभाग पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहा । परिणामस्वरुप बैंकों द्वारा अस्वीकृत हो रहे चैकों की समस्या बनी रही ।

अस्वीकृत चैकों के रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान 22.45 लाख रुपये के लाईसेंस शुल्क की राशि के भुगतान के 101 चैक अस्वीकृत हुए थे । 31 मार्च 2006 को वर्ष 1996-97 से 2005-06 के दौरान, 564 अस्वीकृत चैकों की 104.42 लाख रुपये की राशि बकाया थी, किन्तु आडिट में इन आंकड़ों की सत्यता की जॉच नहीं किया जा सकी थी क्योंकि रजिस्टर का उचित रखरखाव नहीं किया गया था तथा पूरी प्रविष्टियॉ नहीं की गई थीं ।

अस्वीकृत चैकों, इनमें सम्मिलित राशि तथा अब तक की बकाया राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका 7

(रुपये लाख में)

वर्ष	31 मार्च 2005 को अस्वीकृत चैकों की संख्या	वर्ष 2005-06 के दौरान समाशोधित हुए चैकों की संख्या	31 मार्च 2006 को बकाया चैकों की संख्या	राशि
1996-97	24	-	24	6.25
1997-98	8	-	8	0.31
1998-99	12	-	12	3.07
1999-00	10	-	10	2.61
2000-01	22	-	22	7.39
2001-02	25	-	25	9.23
2002-03	61	-	61	10.01
2003-04	78	04	74	6.23
2004-05	285	58	227	36.87
2005-06	-	-	101	22.45
योग	**525**	**62**	**564**	**104.42**

अस्वीकृत चैकों की वसूल नहीं की गई राशि 110.71 लाख रुपये (31 मार्च 2005) से घटकर 104.42 लाख रुपये (31 मार्च 2006) हो गई । जबकि अस्वीकृत चैकों की संख्या 525 (31 मार्च 2005 को) से बढ़कर 564 (31 मार्च 2006) हो गई । पुन: यह पाया गया है कि लगभग नौ वर्षों की अवधि के बाद भी संबंधित पार्टियों से वर्ष 1996-97 के दौरान 24 अस्वीकृत चैकों की 6.25 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं की गई । इसे दृष्टिगत रखते हुए दोषी पार्टियों के विरुद्ध कानून में प्रदत्त प्रतिरोधक उपाय किये जाने अपेक्षित हैं, ताकि चैकों के अस्वीकृत होने पर नियंत्रण हो ।

4.9.2 लेखा तथा प्रशासन अनुभाग के मध्य समन्वय का अभाव

रिकार्ड की जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखा विभाग प्रत्येक लाईसेंस प्राप्त इकाई के लिए मासिक मांग बिलों (लाईसेंस शुल्क) को जारी कर रहा था तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कोष विभाग में लाईसेंस शुल्क प्राप्त करने के चालानों की काउन्टर फाईल/प्रति से मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तथा क्षतिप्रभार रजिस्टर में लाईसेंस शुल्क की प्रविष्टि/रिकार्ड कर रहा था ।

इसके साथ ही यह भी देखा गया कि प्रशासन विभाग निम्नलिखित अवसरों के समय लेखा विभाग से इकाई के लाईसेंस शुल्क तथा बकायों की स्थिति की जॉच कर रहा था:

क) लाईसेंस का नवीकरण

ख) कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अन्य आधार पर हस्तांतरण के लिए मामला प्रस्तुत करना

ग) निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना

यद्यपि लेखा विभाग ने उल्लेखित किया कि प्रशासन अनुभाग के उप-निदेशक/सहायक निदेशक को मासिक आधाार पर बकाया की सूची भेजी गई थी किन्तु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इकाइयों की फाइलों/रिकार्डों में रखी हुई नहीं पाई गई । परिणामस्वरुप, बकाया देय की वसूली के लिए प्रशासन अनुभाग द्वारा नियमित रूप से कारण बताओ नोटिस नहीं भेजे गए और बकाया लगातार जमा होते गये ।

4.9.3 निविदा तथा आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएँ

व्यावसायिक इकाइयों के आवंटन से संबंधित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की नीति के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में दुकानों/कार्यालयों के आवंटन के लिए वेबसाइट/समाचार पत्रें में विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2004-05 की अवधि के लिए निविदा फाइलें आडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी । वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 की निविदा फाइलों की जॉच से निम्नलिखित त्रुटियॉ दृष्टिगत हुई:

4.9.3.1 निविदा फाइलों तथा दुकानों/इकाइयों की पुनः निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब

निविदा फाइलों की जॉच से ज्ञात हुआ कि सम्पदा विभाग द्वारा निविदाओं के आमंत्रण के संबंध में कोई समरूप नीति अपनाई नहीं गई अर्थात दुकानों की स्पष्ट रिक्तता के बावजूद नियमित अंतराल पर निविदा फाइलों पर कार्यवाही नहीं की गई । इसके अतिरिक्त निविदा फार्मों के समय पर उपलब्ध न होने तथा जून, 2003 में निविदा फाइलों के खो जाने के कारण भी निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई ।

यह भी पाया गया कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनेक दुकानों/इकाइयों के लिए पुनः निविदायें आमंत्रित करने के लिए अनुशंसा की गई थी :

तालिका 8

वर्ष	निविदा खोलने की तिथि	निविदा में दी इकाइयों की संख्या	आवंटित/किये गये विचार-विमर्श की इकाइयों की संख्या	पुनः निविदा के लिए अनुशंसित की गई इकाइयों की संख्या
1.	14.02.03	39	15	24
2.	01.03.04	49	30	19
3.	26.10.05	42	-	निविदा पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया
4.	31.03.06	'43	8	35

'इसके अतिरिक्त एक इकाई का आवंटन किया गया किन्तु आवंटी को कब्जा नहीं दिया गया ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विभाग ने क्रमशः एक वर्ष के अंतराल के बाद मार्च, 2004 में तथा एक से डेढ वर्ष के अन्तराल के बाद अक्टूबर 2005 में निविदायें आमंत्रित की जिसके परिणामस्वरुप विभाग को रिक्त इकाइयों के आवंटन न होने के कारण राजस्व की वृहद् हानि हुई ।

इसके साथ ही विलम्बित निविदा प्रक्रिया के बावजूद, बड़ी संख्या में दुकानों/इकाइयों की पुन: निविदा हेतु अनुशंसा की गई । 31 मार्च 2006 को आठ इकाइयों का आवंटन किया गया था, 35 यूनिट बिना आवंटन रही तथा इनके लिए पुन: निविदा के लिए अनुशंसा की गई ।

अक्टूबर, 2005 में आमंत्रित की गई 42 दुकानों की निविदाओं की स्थिति का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि 20 दुकानों के लिए संतोषजनक उत्तर/कोई उत्तर न मिलने के कारण दो से 11 बार निविदायें आमंत्रित की गई ।

वित्त विभाग ने अपनी टिप्पणी दिनॉक 12 दिसम्बर, 2003 के द्वारा अनुशंसा की :

i) आरक्षित मूल्य नियत करें

ii) संबंधित विभाग के अधिकारियों की उप-समिति के गठन द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों के क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों के आवंटन के नियमन के लिए एक समरुप नीति बनाये ।

विभाग ने निविदा उद्देश्य के लिए अभी तक कोई आरक्षित मूल्य नियत नहीं किया था । इसके साथ ही रिकार्डों से यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्या दुकानों की दक्षता एवं समय पर आवंटन के लिए समुचित/समरुप नीति बनाने के लिए ऐसी कोई उप-समिति गठित की गई थी ।

4.9.3.2 इकाइयों के रिक्त रहने के कारण 2.41 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि

विभाग द्वारा दी गई सूचना/रिकार्ड की जॉच से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2006 को निम्न विवरणानुसार 35 दुकानें खाली पड़ी हुई थीं :-

तालिका 9

रिक्तता की अवधि	दुकानों की संख्या
0-18 मास	07
18-36 मास	18
36 मास तथा अधिक	10

इसके परिणामस्वरुप 31 मार्च, 2006 तक 1.17 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पालिका भवन में आठ कार्यालय इकाइयों के लिए मार्च 2004 में निविदायें आमंत्रित की गई थीं किन्तु उच्चतम बोलीदाता होते हुए भी मैसर्स इरकान को इस तर्क पर आवंटन नहीं किया गया था कि उक्त कम्पनी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के साथ मुकदमेंबाजी में सम्मिलित थी तथा उनके विरुद्ध बहुत बड़ी राशि भी बकाया थी । ये इकाइयॉ 41 मास से 60 मास

के बीच की अवधि के लिए रिक्त रहीं । कार्यालय इकाइयों के आवंटन करने में असफल रहने के कारण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को दिनॉक 31 मार्च 2006 तक 1.23 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

इस प्रकार समय पर दुकानों तथा कार्यालय इकाइयों के आवंटन न होने के कारण, परिषद् को 2.41 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

4.9.4 मार्च 2005 तक दुकानों का माना गया नवीकरण

लाईसेंसों के नवीकरण के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मामलों में नवीकरण हुआ माना जाये जिनमें :-

i) क्षति अथवा लाईसेंस शुल्क का कुछ बकाया नहीं है ;

ii) कोई हस्तांतरण सम्मिलित नहीं है ;

iii) कोई न्यायिक मामला लम्बित नहीं है । यह नवीकरण लाईसेंसधारियों को एक पत्र के रूप में होना चाहिए कि लाईसेंस का 31 मार्च 2005 तक नवीकरण किया गया है, क्योंकि लाईसेंसधारियों ने 31 मार्च 2005 तक परिसरों पर पहले से कब्जा किया हुआ था तथा उन्होंने लाईसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया था । 31 मार्च 2005 तक लाईसेंस के नवीकरण को रोका नहीं जाना चाहिए । परिषद् की समय-समय पर नीति के अनुसार तथा लाईसेंस शुल्क के भुगतान तथा वर्तमान नियमों एवं शर्तों पर 1 अप्रैल 2005 से 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण के लिए एक औपचारिक विलेख का निष्पादन किया जाए । नवीकरण विलेख में विशेष रूप से वर्णित किया जाए कि यदि कोई अतिक्रमण अथवा अनाधिकृत निर्माण किया गया है तो विभाग को अतिक्रमण हटवाने का अधिकार होगा तथा 31 मार्च 2005 के बाद लाईसेंस तभी चालू रहेगा जब अतिक्रमण हटाया जायेगा ।

सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करते समय, विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया था कि इन मामलों में लाईसेंस शुल्क अथवा क्षति का कोई बकाया नहीं है तथा 31 मार्च 2005 के बाद लाईसेंस केवल अतिक्रमण को हटाने के बाद ही जारी हो सकेगा ।

छ: मार्किटों में 114 मामलों की जॉंच करने से निम्नलिखित त्रुटियॉं पाई गईं :

i) नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से अगले दस वर्ष की अवधि के लिए एक औपचारिक विलेख निष्पादित किया जाना था । रिकार्ड में ऐसा कोई विलेख नहीं पाया गया ।

ii) नीति के अनुसार लाईसेंस 31 मार्च 2005 के उपरांत तभी जारी रहेगा जब कोई उल्लंघन न किया गया हो । रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि विभाग द्वारा निरीक्षण यह पुष्टि करने के लिए किया गया कि कथित मामलों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था ।

iii) नीति के अनुसार, केवल उन्हीं मामलों को नवीकरण किये जाने पर विचार किया जायेगा जिनमें दिनांक 31 मार्च 2005 तक क्षति-प्रभार या लाईसेंस शुल्क की कोई राशि बकाया नहीं थी । परंतु मॉग एवं संग्रहण/क्षतिप्रभार रजिस्टर के अनुसार कुछ इकाइयों की ओर दिनॉक 31 मार्च 2005 को बकाया राशि देय होने पर भी नीति के विरुद्ध नवीकरण होने पर विचार किया गया था । ऐसे कुछ मामलों की सूची नीचे दी गयी है :

तालिका 10

क्र.सं.	मार्किट का नाम	दुकान/स्टाल नं.	कब्जाधारी का नाम	दिनॉक 31 मार्च 2005 को बकाया राशि (रुपये में)
1.	पालिका बाजार	दुकान नं0 45	श्रीमती दीप्तिनाथ	5806.00
2.	पालिका बाजार	दुकान नं0 69	श्रीमती लीला	47154.00
3.	पालिका बाजार	दुकान नं0 78	श्री सुरेन्द्र टण्डन	23260.00
4.	पालिका बाजार	दुकान नं0 254	मो0अब्दुल सलीम	6337.00
5.	पालिका बाजार	स्टाल नं0-एस-2	श्री हरी	4930.00
6.	बसरूरकर मार्किट	दुकान न0-9	श्री उमेश भाटिया, श्री दिनेश भाटिया	14118.00
7.	बसरूरकर मार्किट	दुकान न0-20	श्रीमती राधिका देवी	701.00
8.	बसरूरकर मार्किट	दुकान न0-36	मैसर्स सचिव, मोती बाग उपभोक्ता को-आपरेटिव स्टोर्स लि0	643.00
9.	बसरूरकर मार्किट	दुकान न0-39	श्री ओमप्रकाश	1632.00
10.	गोल मार्किट	दुकान न0-25	श्री आर0डी0शर्मा	1158.00
11.	गोल मार्किट	दुकान न0-35	श्री आर.के.बंसल	617.00

4.9.5 पालिका प्रस्ताव के अनुसार छूट/अधिभार की अनुमति नहीं

पालिका प्रस्ताव दिनांक 30 सितम्बर 2004 में यह व्यवस्था थी कि सरकारी इकाइयों और निविदा द्वारा दी गयी इकाइयों को दो प्रतिशत की छूट और पुनर्वासित इकाइयों को पॉच प्रतिशत की छूट मासिक लाईसेंस शुल्क अग्रिम या निर्धारित तिथि तक भुगतान करने पर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि या उससे पूर्व तक जो इकाइयॉ (अर्थात् निविदा द्वारा दी गयी इकाइयॉ, पुनर्वासित इकाइयॉ एवं सरकारी इकाइयॉ) लाईसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करती उन से पॉच प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल किया जायेगा ।

छः बड़ी मार्किटों का मार्च 2005 का रिकार्ड जॉच करने पर ज्ञात हुआ कि अनेक मामलों में दो प्रतिशत से पॉच प्रतिशत की स्वीकार्य छूट की निर्धारित सीमा से अधिक छूट प्रदान की गई । चूँकि सम्पत्ति की श्रेणी को स्पष्ट रुप से इंगित नहीं किया गया था, इसलिए छूट की वास्तविक राशि का आकलन नहीं किया जा सका ।

जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि 858 मामलों में से 383 (44.64 प्रतिशत) में सरकारी इकाइयों व निविदा वाली इकाइयों में दो प्रतिशत की छूट तथा पुनर्वास इकाइयों के मामले में पॉच प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी जबकि मासिक लाईसेंस की राशि देय तिथि के उपरांत प्राप्त हुई थी । विभाग को दिनॉक 30 सितम्बर 2004 के प्रस्ताव के अनुसार ऐसी इकाइयों को छूट देने के बजाय पॉच प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल किया जाना चाहिए था । समय पर प्राप्त न होने वाली लाईसेंस शुल्क की 56.28 लाख रुपये की राशि पर अधिभार न वसूलने के परिणामस्वरुप लाईसेंसधारियों को बेवजह लाभ हुआ तथा परिषद् को केवल छः मास की अवधि में (अक्टूबर, 2004 से मार्च, 2005 तक) 2.81 लाख रुपये की राशि के राजस्व की हानि हुई ।

4.9.6 सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में मामले को प्रक्रिया में न लाना

इकाइयों की फाइलों की जॉच करने पर ज्ञात हुआ कि सक्षम प्राधिकारी ने अनेक मामलों में दुकानों के लाईसेंस को रद्द करने के अथवा सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 5 एवं 7 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बकाया की वसूली एवं पट्टा विलेख की अनेक शर्तों जैसे देय राशि का भुगतान न करना, गैर-अनुमोदित व्यवसाय करने, लाईसेंस के अनियमितकरण, परिसर बन्द रखने आदि का उल्लंघन करने के लिए बेदखली की कार्यवाही करने के लिए मामले प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । आदेश जारी होने के नौ मास से छः वर्ष बीतने के बावजूद सम्पदा विभाग ने मामलों को सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में भेजने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । जॉच के दौरान जानकारी में आये मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 11

क्र. सं.	दुकान नं. एवं मार्किट	आदेश की प्रकृति	आदेश जारी करने की तिथि	कारण/ उल्लंघन	टिप्पणी
1.	एम-5, पालिका भवन	सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 5 और 7 के अन्तर्गत वसूली और बेदखली हेतु मामला संपदा अधिकारी को भेजना	18.10.1999	बकाया राशि का भुगतान न करना व दुकान बंद रहना	सम्पदा अधिकारी को मामला नहीं भेजा गया, फलस्वरूप आवंटी ने 6.53 लाख रुपये की वृहद् राशि (दिनॉक 30 जून 2005 तक) का भुगतान किये बिना दुकान छोड़ दी
2.	एम-19 पालिका भवन	सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 5 और 7 के अन्तर्गत वसूली और बेदखली हेतु मामला संपदा अधिकारी को भेजना	29.1.2001	एक व्यक्ति के साथ एक प्रा.लि.कम्पनी की सहभागिता करने के कारण	मामला संपदा अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया
3.	एम-29 पालिका भवन	सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली एवं वसूली हेतु 10.10.02 से पूर्व याचिका तैयार कर दायर करना	30.9.2000	बकाया राशि का भुगतान प्राप्त न होने के कारण	मामला संपदा अधिकारी को न भेजने के परिणामस्वरुप दिनांक 3 जून 2005 तक बकाया राशि बढ़कर 2.45 लाख रुपये हो गई
4.	5- पालिका बाजार	मामला संपदा अधिकारी को भेजना	22.2.2005	व्यवसाय उल्लंघन के कारण	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया
5.	एम-37 पालिका भवन	मामला संपदा अधिकारी को भेजना	13.6.2005	अनाधिकृत अधिवास व बकाया का भुगतान न करना	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया
6.	91-पालिका बाजार	दुकान के आवंटन को रद्द करना	27.1.2005	व्यवसाय उल्लंघन के कारण	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया
7.	18-पालिका बाजार	दुकान के आवंटन को रद्द करना	2.2.2005	व्यवसाय उल्लंघन के कारण	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया
8.	9-पालिका बाजार	दुकान के आवंटन को रद्द करना	21.2.2005	व्यवसाय उल्लंघन के कारण	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया
9.	14-पालिका बाजार	दुकान के आवंटन को रद्द करना	22.2.2005	व्यवसाय उल्लंघन के कारण	मामला संपदा अधिकारी को नहीं भेजा गया

आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण रिकार्ड में उल्लेखित नहीं थे ।

4.9.7 दुकानों/स्टालों आदि का पुनर्वास

पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी 2004 के आदेश द्वारा बिरला मंदिर पार्किंग की 22 दुकानों/स्टालों (10 दुकान और 12 स्टाल) को तोड़ने के बदले उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग पर नवनिर्मित 26 दुकानों/स्टालों (13 दुकानों व 13 स्टालों) से संबंधित रिकार्ड की जांच करने पर पता चला कि लाईसेंस विलेखों के निष्पादन एवं दुकान/स्टालों को कब्जा सौंपने में विलम्ब हुआ, अन्य

अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई, लम्बित बकाया का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और हस्तांतरण मामलों को प्रक्रियागत नहीं किया गया, जैसाकि निम्न तालिका में उल्लेखित नहीं किया गया है:-

तालिका 12

क्र.सं.	दुकान सं.	अनियमितता की प्रकृति
1.	दुकान सं. 13 बिरला मंदिर पर्किंग के बदले दुकान सं. 1, उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	श्री संजीव शर्मा के नाम से नियमित की गई । कब्जा 16 फरवरी 2006 को दिया गया परन्तु 31 अक्टूबर 2006 तक लाईसेंस विलेख निष्पादित नहीं किया गया
2.	दुकान सं. 14, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग पर दुकान नं. 2	श्री राजेन्द्र सिंह राणा के नाम पर 5 दिसम्बर 2005 को नियमित परंतु दिनॉक 31 अक्टूबर 2006 तक कब्जा नहीं दिया गया
3.	दुकान सं.-15, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 3 उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	20जनवरी 1995 को श्री संजीव के नाम से नियमित । कब्जा पत्र दिनॉक 03 मार्च 2006 को जारी, परंतु रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं था कि कब्जा सौंपा गया या नहीं
4.	दुकान नं. 16 बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं.-4 उद्यान मार्ग मंदिर मार्ग	दिनॉक 16 मार्च 2005 को कब्जा श्री प्रदीप शर्मा को सौंपा परंतु लाईसेंस विलेख निष्पादित नहीं किया गया
5.	दुकान सं. 17, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 5 उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	दिनांक 23 दिसम्बर 2005 को श्री ठाकुर मान सिंह को कब्जा सौपा गया लेकिन औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई थी
6.	दुकान सं. 18, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 6, उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	श्री घनश्याम दास के नाम पर नियमित की गई। रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं है, कि क्या कब्जा दिया गया था या नहीं
7.	दुकान सं. 19, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 7 उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	मूल रूप से श्री सुधीर सिंह रावत को 11 दिसम्बर 1991 को आवंटित की गई थी, 13 जनवरी 2004 (ध्वस्त करने का दिन) तक 5.64 लाख रुपये बकाया थे। दिनांक 31 अक्टूबर 2006 तक बकाया की वसूली नहीं की गई थी
8.	दुकान सं. 20, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 8, उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	दिनांक 11 दिसम्बर 1991 को मूल रूप से श्री अश्विनी कुमार को आवंटित की गई थी। सहभागिता और विघटन विलेख क्रमशः 1 अगस्त 1998 और 6 अक्टूबर 1998 को निष्पादित परंतु हस्तांतरण मामला लम्बित था
9.	दुकान सं. 21, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 9, उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	मूल रूप से श्री आई.आर. हेमिल्टन को आवंटित की गई । सहभागिता और विघटन विलेख का निष्पादन क्रमशः दिनॉक 05 अगस्त 2003 और 20 नवम्बर 2003 को हुआ । हस्तान्तरण मामला लम्बित था
10.	दुकान सं. 22, बिरला मंदिर पार्किंग के बदले दुकान सं. 10, उद्यान मार्ग, मंदिर मार्ग	दिनॉक 21 दिसम्बर 2005 को मूल रूप से श्री दीपक बेदी को आवंटित की गई । दिनांक 13 अक्टूबर 2006 तक 66883 रुपये की राशि बकाया थी । किन्तु लाईसेंस विलेख निष्पादित नहीं किया गया

विभाग को विलम्ब टालने हेतु सुधारात्मक कदम उठाने और दुकानों/स्टालों के आवंटन में विलम्ब से की गई कार्यवाही के कारण भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।

4.9.8 लाईसेंस विलेख के नियमों व शर्तों का उल्लंघन

लाईसेंस विलेख के अनुसार दुकानों पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार लाईसेंस प्रदाता को है तथा इसके कर्मचारियों को परिसरों के वास्तविक उपयोग के निरीक्षण तथा लाईसेंस नवीनीकरण, निर्धारित तिथि तक लाईसेंस-शुल्क का भुगतान, व्यापार चलाने, उप किरायेदारी, दुकानों का हस्तांतरण, परिसरों में परिवर्तन/परिवर्धन, उपेक्षा के कारण दुकान को नुक्सान, स्थल का अधिक्रमण, लाइसेंस विलेख के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जमा प्रतिभूति की जब्ती, विद्युत खपत, अग्नि बचाव एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा सम्पदा अधिकारी द्वारा प्रतिपादित मामलों संबंधी लाइसेंस को नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में उपयुक्त समय पर निरीक्षण हेतु अधिकृत होंगे ।

4.9.8.1 लाईसेंस विलेख की नियम व शर्तों का अनुपालन न करना

इकाइयों (दुकानों) की फाईलों की जांच से लाईसेंस विलेख के नियमों व शर्तों का उल्लंघनों का पता चला जैसाकि अनुलग्नक 'X' में वर्णित है । ऐसे मामलों का विवरण अनियमितताओं की संक्षिप्त टिप्पणी के साथ निम्न प्रकार से है :

तालिका 13

क्र.सं.	अनियमितता की प्रकृति	परिसर
1.	अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं	दुकान सं. 115, 117, 123, 126 पालिका बाजार
2.	लाईसेंस का नवीकरण नहीं	दुकान सं. एम-13, एम-43 पालिका भवन और 25, 42, 49, 127- पालिका बाजार
3.	लाइसेंस विलेख नवीकरण हेतु अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी नहीं	दुकान सं. 9 पालिका पार्किंग और 23, 133, 22 पालिका बाजार
4.	सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली एवं वसूली का मामला प्रेषित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का कार्यान्वयन न करना	दुकान सं. एम-5 पालिका भवन और स्टाल नं. 3 पालिका बाजार
5.	दुकान के बाहर परिषद् स्थल पर अतिक्रमण	दुकान सं. 50 पालिका बाजार
6.	आवंटी द्वारा फर्जी दस्तोवज प्रस्तुत करना	दुकान सं. 122 पालिका बाजार 6-सी एस सी सरोजिनी नगर तथा स्टाल नं.-11 पालिका बाजार
7.	50596 रुपये की जमा प्रतिभूति राशि को बट्टे खाते में न डालना , क्योंकि उक्त का पता नहीं लगाया जा सकता था	दुकान नं. जी-14 पालिका भवन
8.	दुकानों का संयोजन व बकाया राशि का संचयन	दुकान नं. एम-51, 52 पालिका भवन
9.	हस्तांतरण मामले लम्बित	दुकान नं. 1, 2, 3, 6, एक्स वाई ब्लॉक, सरोजिनी नगर दुकान नं. एम-5 -भगत सिंह मार्किट दुकान नं. 4 हनुमान मंदिर दुकान नं. 22-गोल मार्किट दुकान नं. 24-पालिका बाजार
10.	यूनिट फाइल को प्रक्रियारत न करना	दुकान नं. जी-3 पालिका भवन, स्टाल-2, सी एस सी, हेली लेन
11.	आवंटियों द्वारा उल्लंघन किया गया	दुकान नं. 58-शहीद भगत सिंह प्लेस दुकान नं.-5 शहीद भगत सिंह प्लेस स्टाल-127, कनाट सर्कस, स्टाल नं.-1 सी एस सी, काका नगर, दुकान नं. 94, शहीद भगत सिंह प्लेस दुकान नं. 25 शहीद भगत सिंह प्लेस

लाईसेंस विलेख के नियम व शर्तों के अनुसार किसी शर्त के उल्लंघन पर लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा । यद्यपि लाईसेंस विलेख में लाईसेंस के नवीकरण के संबंध में प्रावधान है कि लाईसेंस के रद्द/निरस्त होने पर प्रतिभूति जमा की जब्ती के साथ लाईसेंसधारी को बेदखल कर दिया जाये । विभाग लाईसेंसधारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहा, जैसाकि पैराग्राफ में उल्लेखित है । ऑडिट को त्रुटियों के कारण स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।

4.9.8.2 शो- विन्डो का दुरूपयोग

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् और आवंटी के मध्य लाईसेंस विलेख की धारा 5 के अनुसार शो विण्डो का उपयोग केवल प्रचार के लिए होना चाहिए और उसका उपयोग किसी भी स्थिति में भण्डार या बुकिंग काउण्टर और/या किसी प्रकार के सामान या वस्तु की बिक्री के लिए उपयोग न किया जाये । निर्देशानुसार आवंटी गलियारे में काउण्टर रखकर पालिका भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा जिससे नागरिकों के सुचारू आवागमन में बाधा आये ।

रिकार्ड/फाईलों को देखने से पता चला कि जॉंच-अधीन मामलों में शो-विन्डो का उपयोग वस्तुओं जैसे बैग, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएँ, सजावटी वस्तु आदि की बिक्री के लिए पिछले 24 वर्षों से हो रहा था । पालिका प्रस्तावों व लाईसेंस विलेख का उल्लंघन करने वाले ऐसे मामले भी थे जो नवीकरण न कराने, अहस्तांतरण, गैर-बेदखली और बकाया जमा न करने से संबंधित थे, कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है :-

तालिका 14

क्र. सं.	शो-विन्डो नं. व पता	आवंटन तिथि	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तिथि	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि	रद्द करने की तिथि	टिप्पणी
1.	03 पालिका बाजार	18.4.80	23.7.80 6.5.82 13.5.82 22.7.82	26.7.80 31.5.82	6.1.83	i) लाईसेंसधारी को बेदखल नहीं किया गया था ii) 11 अप्रैल 1985 से नवीकरण होना लम्बित था iii) दिनांक 25 मई 2005 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार 1.20 लाख रुपये बकाया था
2.	09 पालिका बाजार	17.8.99	-	24.10.79	17.11.79	हस्तांतरण मामला लम्बित
3.	21 पालिका बाजार	22.7.80	25.4.81 22.6.89	27.7.81 31.5.82	10.9.82	i) 8 दिसम्बर 1987 को बेदखली के आदेश जारी हुये पर बेदखली नहीं हुई ii) 22 जून 1989 तक सामान की बिक्री होती रही
4.	25 पालिका बाजार	19.11.81	30.5.83	17.5.82 1.6.83	14.7.82	i) दिनांक 9 सितम्बर 1983 को बेदखली के आदेश जारी,

						परंतु बेदखली नहीं हुई ii) 30 सितम्बर 2001 तक 4.40 लाख रुपये की बकाया राशि लम्बित थी
5.	22, पालिका बाजार	5.12.80	–	–	10.9.82	i) हस्तांतरण मामला लम्बित ii) वीडियो कापी राइट चोरी में लिप्त
6.	20, पालिका बाजार	5.10.93	–	–	–	i) सामान बेचता था ii) लाईसेंस का नवीकरण नहीं
7.	29, पालिका बाजार	24.7.95	–	2.7.02	–	i) 23 जुलाई 2000 को अवधि समाप्त ii) विभाग द्वारा सामान बिक्री पर कार्यवाही नहीं
8.	07, पालिका बाजार	12.4.80	–	–	2.2.84	i) शो-विन्डो पर सामान बेचता था ii) दिनांक 31 अक्टूबर 2006 तक बेदखली नहीं हुई
9.	28, पालिका बाजार	10.8.79	19.11.04	–	–	शो-विन्डो के शीशे टूटे थे

विभाग लाईसेंस विलेख के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने में असफल रहा ।

4.9.8.3 टेलीफोन बूथ का दुरुपयोग

टेलीफोन बूथों से संबंधित रिकार्ड की जाँच से पता चला कि विभाग द्वारा वर्ष 1996, 1998 और 2002 के दौरान निरीक्षण पर पाया कि टेलीफोन बूथों का उपयोग आवंटियों द्वारा बैगों, सीडी/विसीडी आदि की बिक्री के लिए किया जा रहा था । नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । पुनः यह भी पता चला कि निम्न सभी मामलों में (क्रमांक 1 को छोड़ कर) लाईसेंस की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी :

तालिका 15

क्र.सं.	टेलीफोन बूथ	आवंटन	टेलीफोन बूथ का दुरुपयोग
1.	दुकान नं.-35 पालिका बाजार के समीप टेलीफोन बूथ	श्री विजय कुमार को 07 नवम्बर 1991 को आवंटित	वर्ष 1998 से बूथ का बैगों की बिक्री के लिये उपयोग हो रहा था
2.	दुकान नं. 23 एवं 24 पालिका बाजार के मध्य टेलीफोन बूथ	दिनांक 24 सितम्बर 1991 को श्री हर भगवान को आवंटित	बैगों की बिक्री के लिए बूथ का उपयोग हो रहा था
3.	दुकान नं. एम-4 और एम-5 पालिका बाजार के मध्य टेलीफोन बूथ	16 अक्टूबर 1991 को मो. इश्हार को आवंटित	1995 में निरीक्षण के अनुसार सामान की बिक्री के लिए उपयोग किया जा रहा था और 2002 से सीडी और वीसीडी की बिक्री के लिए उपयोग किया जा रहा था
4.	दुकान नं. एम-15 और एम-16 पालिका बाजार के मध्य टेलीफोन बूथ	16 अक्टूबर 1991 को श्री अब्दुल वालिद को आवंटित	1996 में निरीक्षण के अनुसार बैगों की बिक्री की जा रही थी तथा वर्ष 2002 से सीडी व वीसीडी की बिक्री की जा रही थी
5.	दुकान नं. एम-12 और एम-12 ए पालिका बाजार के मध्य टेलीफोन बूथ	दिनांक 24 सितम्बर 1991 से श्री बलवीर सिंह को आवंटित	1996 के निरीक्षण के अनुसार बिक्री के उद्देश्य से रखे बैगों को रखने के लए उपयोग किया जा रहा था

4.9.9 विविध बिन्दु

4.9.9.1 लाईसेंस शुल्क लागू करने के निर्णय में विलम्ब

गोदाम संख्या 1 नेताजी नगर 3966 रुपये प्रतिमास के लाईसेंस शुल्क पर पाँच वर्ष के लिए श्री मोहम्मद शारिक को आवंटित किया गया था । संपदा विभाग ने दिनांक 10 मार्च 1995 के अनुक्रम में 21 मार्च 1995 को आवंटी को अधिशासी अभियंता (पश्चिम) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से कब्जा लेने के लिए पत्र भेजा था और यह भी सूचित किया कि लाईसेंस शुल्क 17 मार्च 1995 से लगेगी । उसने चार मास की लाईसेंस शुल्क के बराबर प्रतिभूति राशि 15864/-रुपये जमा किये ।

मोहम्मद शारिक ने गोदाम के कब्जे के लिए संबंधित प्राधिकारी से सम्पर्क किया परंतु गोदाम का कब्जा नहीं सौंपा गया क्योंकि उसमें पूर्व-आवंटी का जब्त सामान था । सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पूर्व आवंटी को उसका सामान 30 मई 1995 को सौंप दिया गया । 6 जून 1995 को मोहम्मद शारिक को तुरंत कब्जा लेने के लिए पत्र भेजा गया । आवंटी ने 9 जून 1995 को पत्र प्राप्त किया परंतु उसने गोदाम का कब्जा विलम्ब से लेने का कारण बताये बिना 26 जुलाई 1996 को गोदाम का कब्जा लिया । पुन: विभाग द्वारा मार्च 1998 तक यह निर्णय नहीं लिया जा सका किस तिथि से लाईसेंस शुल्क की वसूली हेतु मांग की जाये । विभाग ने 3 जून 1998 को निर्णय लिया कि 17 मार्च 1995 से 8 जून 1995 तक की अवधि के शुल्क की छूट दी जाये क्योंकि गोदाम 6 जून 1995 को आवंटी को आवंटित हुआ । विभाग ने लाईसेंस शुल्क लागू करने की तिथि का निर्णय करने में तीन वर्ष का समय लगा दिया ।

विभाग द्वारा 1 मार्च 2000 को 2.11 लाख रुपये की राशि की माँग तैयार की गई । गोदाम की फाईल के अनुसार आवंटी को कोई मांग नोटिस नहीं भेजा गया था । 31 मार्च 2006 को संचित बकाया बढ़कर 7.77 लाख रुपये हो गया ।

28 फरवरी 2000 को परिसर का निरीक्षण किया गया था और परिसर में ताला लगा पाया गया । लेकिन 2 मार्च 2000 को निरीक्षण के दौरान परिसर खुला और परित्यक्त पाया गया । निदेशक (सम्पदा) की दिनॉक 9 जून 2000 की स्वीकृति से 28 जुलाई 2000 को गोदाम का कब्जा परित्यक्त हालत में लिया गया । गोदाम की फाईल के अनुसार दिनांक 14 सितम्बर 2000 के उपरांत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । गोदाम अक्टूबर 2006 तक बिना आवंटन के रहा ।

विभाग द्वारा समय पर माँग न करने और बकाया वसूल न करने के कारण फाईल में उपलब्ध नहीं थे ।

4.9.9.2 रजिस्टर/रिकार्ड का अनुचित रखरखाव

लेखा अनुभाग द्वारा रखरखाव किये जा रहे मांग और प्राप्ति रजिस्टर, क्षति-प्रभार रजिस्टर की जांच करने पर पता चला कि रजिस्टरों के अधिकतर कालम जैसे - लाईसेंस शुल्क की दरें, क्षति दर, रद्द करने की तिथि, अवधि समाप्ति तिथि, रद्द करने वाला अधिकारी, परिसर खाली करने की तिथि, खाली छोड़े हुए थे । रजिस्टरों को संपदा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं जॉंचा गया था । रजिस्टर में की गई कटिंग भी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी । इस प्रकार आगे दिखागे गये शेष और प्रविष्टियों की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

पुनः पूर्व आवंटियों के विवरण का रखरखाव भी उचित नहीं था । कुछ मामलों में इसका रिकार्ड मॉंग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया था और कुछ मामलों में क्षतिप्रभार रजिस्टर में रखा गया । पूर्व आवंटियों की इन प्रविष्टियों को संपदा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया था ।

ऑडिट ने यह भी अवलोकन किया कि वित्तीय वर्ष के अंत में मांग व प्राप्ति तथा क्षतिप्रभार रजिस्टर में मासिक का सारांश नहीं दर्शाया गया था । किसी प्रकार के अंतर से बचने के लिए विभाग की सभी प्रविष्टियों को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

दुकान नं. एम-45, पालिका भवन की तीन फाईले खुलना इस बात का प्रमाण है कि रिकार्ड का लापरवाही से रखरखाव होता था । मूल रूप से यह दुकान दिनांक 4 जुलाई 1984 को श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को आवंटित की गई थी और 4 दिसम्बर 1989 को खाली कराई गई थी । दूसरी फाईल में दुकान, 2 जुलाई 1991 को श्रीमती सी.आर. शर्मा को आवंटित हुई । तीसरी फाईल में यह दुकान श्रीमती प्रतिभा भारद्वाज को 27 जुलाई 2004 से आवंटित की गई । यह पता नहीं चला कि एक दुकान की तीन फाईलें क्यों बनाई गई थी ।

निष्कर्ष

सम्पदा विभाग के वर्ष 2000 से 2006 तक की अवधि के कार्यकलापों की समीक्षा करने पर अनेक त्रुटियों का पता चला । विभाग की बकायों की वसूली की पद्धति प्रभावी नहीं थी क्योंकि वाणिज्यिक इकाईयों के आवंटी एवं भूतपूर्व आवंटियों की ओर 31 मार्च 2006 तक बकाया राशि 590.94 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । इसी प्रकार लाईसेंस शुल्क के अस्वीकृत चैकों की 104.42 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई । निविदाओं, खाली इकाईयों की निविदा, पुनः निविदा प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब के कारण 2.41 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई । सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बावजूद वसूली व बेदखली के लिए मामले संपदा अधिकारी को अदालत में

नहीं भेजे गये । लाईसेंस विलेख के उल्लंघन, टेलीफोन बूथ, शो-विण्डो आदि के दुरुपयोग के मामलों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी प्रतीक्षित थी । मॉग व संग्रहण रजिस्टर, क्षतिप्रभार रजिस्टर जैसे अनिवार्य रिकार्डों का उचित रखरखाव नहीं किया गया । विभाग को इन क्षेत्रों की समीक्षा व उनके पूर्ण संचालन में सुधार करने की आवश्यकता है ।

अनुभाग – 'ख'

कार्य विवरण आडिट पैराग्राफ

वास्तुविद्

एवं

पर्यावरण विभाग

अध्याय–V : वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग

5.1 अनधिकृत निर्माण के लिए दुरूपयोग प्रभार एवं क्षति की वसूली नहीं

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाराखम्बा रोड पर न.दि.न.पा. परिषद् को होटल के निर्माण के लिए आवंटित 6.0485 एकड़ भूमि के आवंटन नियमों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहना और कथित भूमि पर वाणिज्यिक बहुमंज़िले भवनों के निर्माण के परिणामस्वरूप, मंत्रालय के साथ अनावश्यक विवाद हुआ तथा फरवरी, 2002 तक 155.10 करोड़ रुपये की वित्तीय देयता बन गई, जोकि निपटान न होने के कारण बढ़ती जा रही थी ।

भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व में कार्य व आवास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था) द्वारा मार्च, 1977 में न.दि.न.पा.परिषद् को होटल निर्माण के लिए बाराखम्बा रोड पर 6.0485 एकड़ का भू-खण्ड आवंटित किया गया था । परंतु मार्च 1978 में आवंटन रद्द कर दिया गया । तदुपरांत, फरवरी 1981 में आवंटन बहाल किया गया ।

न.दि.न.पा.परिषद् ने कथित भू-खण्ड, मैसर्स दिल्ली आटोमोबाईल को मार्च 1981 में 1.45 करोड़ रुपये वार्षिक लाईसेंस शुल्क पर पंचतारा होटल निर्माण करने व चलाने के लिए आवंटित किया । मैसर्स दिल्ली आटोमोबाईल ने होटल के निर्माण एवं उसको चलाने के लिए मैसर्स भारत होटल्स लि. के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई । अत: इस नयी कम्पनी के साथ अप्रैल 1982 में एक अलग करारानामा निष्पादित किया गया ।

मंत्रालय ने केवल होटल निर्माण के लिए भू-खण्ड आवंटित किया था । न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा पार्टी के साथ निश्चित किये गये करारनामें में भी यह प्रावधान था कि पार्टी खुले भोजन कक्ष, (डाइनिंग हाल), प्रीतिभोज कक्ष (बैनक्वेट हाल), सभागार, बिक्री केन्द्र (शापिंग आरकेड), तरण-ताल, बार एवं अन्य सुविधाओं सहित 500 मेहमान कक्षों (गेस्ट रूमस) वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटल का निर्माण करेगी ।

इकरार की शर्तों का उल्लंघन कर मै. भारत होटल ने दो भिन्न-भिन्न बहुमंजिले वाणिज्यिक भवनों (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर) का निर्माण किया और वाणिज्यिक स्थल को विभिन्न पार्टियों को पट्टे पर दे दिया । इसके अतिरिक्त पार्टी ने अनधिकृत निर्माण भी किया था ।

सितम्बर 2000 में मंत्रालय द्वारा निम्न के लिए 99.01 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया:

1.	किश्त के ब्याज की शेष राशि	6.78 करोड़ रुपये
2.	भू-किराये की शेष राशि	6.75 करोड़ रुपये
3.	भूमि-किराये पर ब्याज	6.03 करोड़ रुपये
4.	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व वर्ल्ड ट्रेड टावर के संबंध में दुरूपयोग प्रभार	79.19 करोड़ रुपये
5.	अनधिकृत निर्माण के लिए क्षति	0.26 करोड़ रुपये
	कुल	**99.01 करोड़ रुपये**

मंत्रालय ने पुनः निर्देश दिया कि अतिक्रमण को हटाने का एक आश्वासन दें अथवा 14 जुलाई, 2000 के पश्चात् मंत्रालय द्वारा निर्धारित इस प्रकार की राशि का भुगतान कर इन्हें नियमित करायें । मंत्रालय ने यह भी उल्लेखित किया यदि भुगतान 45 दिन में न किया गया तो कुल देय पर 10 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा ।

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से ज्ञात हुआ कि वास्तुविद व पर्यावरण विभाग ने पुष्टि की थी कि होटल ने कुछ अनधिकृत निर्माण किया हुआ था यद्यपि विभाग द्वारा कुछ अनधिकृत निर्माण हटाया गया था और शेष को नहीं हटाया जा सका क्योंकि मामला न्यायालय में लम्बित था । विभाग ने पुनः स्पष्ट किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर को उन्होंने वाणिज्यिक स्थल के रूप में अनुमोदित किया हुआ था ।

मामले का अभी निपटान नहीं हुआ । मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 11 फरवरी 2002 के द्वारा पुनः सूचित किया कि होटल परिसर के निर्माण /आवंटन के नियमों व शर्तों के उल्लंघन को 14 जुलाई 2002 तक अस्थायी रूप से नियमित किया जा सकेगा बशर्ते निम्न विवरणानुसार 155.10 करोड़ रुपये की राशि 45 दिनों के भीतर और जमा करा दी जाये :

1.	किश्त के ब्याज की शेष राशि	6.78 करोड़ रुपये
2.	भू-किराया/भूमि किराया के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	5.88 करोड़ रुपये
3.	16.4.1993 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व वर्ल्ड ट्रेड टावर के संबंध में दुरूपयोग प्रभार	141.55 करोड़ रुपये
4.	अनधिकृत निर्माण के लिए क्षति-प्रभार	0.89 करोड़ रुपये
	कुल	**155.10 करोड़ रुपये**

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से यह ज्ञात नहीं हुआ कि मंत्रालय के साथ मामला निपटाया गया था या होटल से दुरूपयोग व क्षति की वसूली के लिए कहा गया क्योंकि इन प्रभारों के भुगतान के लिए वास्तविक रूप से वे जिम्मेवार थे । इसके साथ ही आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से मामले पर हुई आगामी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

मै. भारत होटल्स को केवल होटल बनाने व चलाने के लिए भूमि का आवंटन किया गया था। दिल्ली भवन उप-नियमों के अनुसार होटल संबंधित कार्यों के लिए एफ.ए.आर. को पॉच प्रतिशत

वाणिज्यिक स्थल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है परन्तु निर्माण पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र के अनुसार कुल घिरे क्षेत्र का 34.85 प्रतिशत वाणिज्यिक क्षेत्र था । आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से घिरे हुए क्षेत्र का वाणिज्यिक प्रयोग करने की अनुमति देने के कारणों का पता नहीं चला, इसके अतिरिक्त दोनों टावर होटल परिचालन से बिलकुल नहीं जुड़े हुए थे । इसलिये इकरार की शर्तों के अनुसार इन टावरों का निर्माण स्वीकार्य नहीं था ।

इन दोनों वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए अनियमित अनुमति प्रदान करने से और विभाग द्वारा के होटल परिसर में अनधिकृत निर्माण को रोकने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, मंत्रालय के साथ अनावश्यक विवाद हुआ तथा 155.10 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी बनी ।

विभाग मंत्रालय के साथ अनेक मामलों को निपटाने में भी असफल रहा । फलस्वरूप, उनका दावा सितम्बर 2000 में 99.01 करोड रुपये से बढ़कर फरवरी 2002 में 155.10 करोड़ रुपये हो गया । जब तक मामले को निपटा नहीं दिया जाता इस मामले में देयता लगातार बढ़ती जायेगी ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था और जून, 2007 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

सिविल
इंजीनियरिंग
विभाग

अध्याय-V : वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग

5.1 अनधिकृत निर्माण के लिए दुरूपयोग प्रभार एवं क्षति की वसूली नहीं

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाराखम्बा रोड पर न.दि.न.पा. परिषद् को होटल के निर्माण के लिए आवंटित 6.0485 एकड़ भूमि के आवंटन नियमों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहना और कथित भूमि पर वाणिज्यिक बहुमंज़िले भवनों के निर्माण के परिणामस्वरूप, मंत्रालय के साथ अनावश्यक विवाद हुआ तथा फरवरी, 2002 तक 155.10 करोड़ रुपये की वित्तीय देयता बन गई, जोकि निपटान न होने के कारण बढ़ती जा रही थी ।

भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व में कार्य व आवास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था) द्वारा मार्च, 1977 में न.दि.न.पा.परिषद् को होटल निर्माण के लिए बाराखम्बा रोड पर 6.0485 एकड़ का भू-खण्ड आवंटित किया गया था । परंतु मार्च 1978 में आवंटन रद्द कर दिया गया । तदुपरांत, फरवरी 1981 में आवंटन बहाल किया गया ।

न.दि.न.पा.परिषद् ने कथित भू-खण्ड, मैसर्स दिल्ली आटोमोबाईल को मार्च 1981 में 1.45 करोड़ रुपये वार्षिक लाईसेंस शुल्क पर पंचतारा होटल निर्माण करने व चलाने के लिए आवंटित किया । मैसर्स दिल्ली आटोमोबाईल ने होटल के निर्माण एवं उसको चलाने के लिए मैसर्स भारत होटल्स लि. के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई । अत: इस नयी कम्पनी के साथ अप्रैल 1982 में एक अलग करारानामा निष्पादित किया गया ।

मंत्रालय ने केवल होटल निर्माण के लिए भू-खण्ड आवंटित किया था । न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा पार्टी के साथ निश्चित किये गये करारनामें में भी यह प्रावधान था कि पार्टी खुले भोजन कक्ष, (डाइनिंग हाल), प्रीतिभोज कक्ष (बैनक्वेट हाल), सभागार, बिक्री केन्द्र (शापिंग आरकेड), तरण-ताल, बार एवं अन्य सुविधाओं सहित 500 मेहमान कक्षों (गेस्ट रूमस) वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटल का निर्माण करेगी ।

इकरार की शर्तों का उल्लंघन कर मै. भारत होटल ने दो भिन्न-भिन्न बहुमंजिले वाणिज्यिक भवनों (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर) का निर्माण किया और वाणिज्यिक स्थल को विभिन्न पार्टियों को पट्टे पर दे दिया । इसके अतिरिक्त पार्टी ने अनधिकृत निर्माण भी किया था ।

सितम्बर 2000 में मंत्रालय द्वारा निम्न के लिए 99.01 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया:

1.	किश्त के ब्याज की शेष राशि	6.78 करोड़ रुपये
2.	भू-किराये की शेष राशि	6.75 करोड़ रुपये
3.	भूमि-किराये पर ब्याज	6.03 करोड़ रुपये
4.	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व वर्ल्ड ट्रेड टावर के संबंध में दुरूपयोग प्रभार	79.19 करोड़ रुपये
5.	अनधिकृत निर्माण के लिए क्षति	0.26 करोड़ रुपये
	कुल	**99.01 करोड़ रुपये**

मंत्रालय ने पुन: निर्देश दिया कि अतिक्रमण को हटाने का एक आश्वासन दें अथवा 14 जुलाई, 2000 के पश्चात् मंत्रालय द्वारा निर्धारित इस प्रकार की राशि का भुगतान कर इन्हें नियमित करायें । मंत्रालय ने यह भी उल्लेखित किया यदि भुगतान 45 दिन में न किया गया तो कुल देय पर 10 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा ।

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से ज्ञात हुआ कि वास्तुविद व पर्यावरण विभाग ने पुष्टि की थी कि होटल ने कुछ अनधिकृत निर्माण किया हुआ था यद्यपि विभाग द्वारा कुछ अनधिकृत निर्माण हटाया गया था और शेष को नहीं हटाया जा सका क्योंकि मामला न्यायालय में लम्बित था । विभाग ने पुन: स्पष्ट किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर को उन्होंने वाणिज्यिक स्थल के रूप में अनुमोदित किया हुआ था ।

मामले का अभी निपटान नहीं हुआ । मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 11 फरवरी 2002 के द्वारा पुन: सूचित किया कि होटल परिसर के निर्माण /आवंटन के नियमों व शर्तों के उल्लंघन को 14 जुलाई 2002 तक अस्थायी रूप से नियमित किया जा सकेगा बशर्ते निम्न विवरणानुसार 155.10 करोड़ रुपये की राशि 45 दिनों के भीतर और जमा करा दी जाये :

1.	किश्त के ब्याज की शेष राशि	6.78 करोड़ रुपये
2.	भू-किराया/भूमि किराया के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	5.88 करोड़ रुपये
3.	16.4.1993 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व वर्ल्ड ट्रेड टावर के संबंध में दुरूपयोग प्रभार	141.55 करोड़ रुपये
4.	अनधिकृत निर्माण के लिए क्षति-प्रभार	0.89 करोड़ रुपये
	कुल	**155.10 करोड़ रुपये**

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से यह ज्ञात नहीं हुआ कि मंत्रालय के साथ मामला निपटाया गया था या होटल से दुरूपयोग व क्षति की वसूली के लिए कहा गया क्योंकि इन प्रभारों के भुगतान के लिए वास्तविक रूप से वे जिम्मेवार थे । इसके साथ ही आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से मामले पर हुई आगामी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

मै. भारत होटल्स को केवल होटल बनाने व चलाने के लिए भूमि का आवंटन किया गया था। दिल्ली भवन उप-नियमों के अनुसार होटल संबंधित कार्यों के लिए एफ.ए.आर. को पाँच प्रतिशत

वाणिज्यिक स्थल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है परन्तु निर्माण पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र के अनुसार कुल घिरे क्षेत्र का 34.85 प्रतिशत वाणिज्यिक क्षेत्र था । आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से घिरे हुए क्षेत्र का वाणिज्यिक प्रयोग करने की अनुमति देने के कारणों का पता नहीं चला, इसके अतिरिक्त दोनों टावर होटल परिचालन से बिलकुल नहीं जुड़े हुए थे । इसलिये इकरार की शर्तों के अनुसार इन टावरों का निर्माण स्वीकार्य नहीं था ।

इन दोनों वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए अनियमित अनुमति प्रदान करने से और विभाग द्वारा के होटल परिसर में अनधिकृत निर्माण को रोकने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, मंत्रालय के साथ अनावश्यक विवाद हुआ तथा 155.10 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी बनी ।

विभाग मंत्रालय के साथ अनेक मामलों को निपटाने में भी असफल रहा । फलस्वरूप, उनका दावा सितम्बर 2000 में 99.01 करोड रुपये से बढ़कर फरवरी 2002 में 155.10 करोड़ रुपये हो गया । जब तक मामले को निपटा नहीं दिया जाता इस मामले में देयता लगातार बढ़ती जायेगी ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था और जून, 2007 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

सं. 601051 के सामान को 17 अप्रैल, 2006 को रद्द कर दिया और फर्म को कहा गया कि रद्द किया गया सामान उठा ले और रद्द किये गये सामान के बदले ताजे सामान/नये बैच का सामान दे । ऑडिट ने यह भी पाया कि उक्त बैच के बिटूमन इमलशन के 146 ड्रमों (29.2 मी.टन) में से 70 ड्रम (14 मी.टन) का नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न प्रभागों द्वारा पहले ही प्रयोग किया जा चुका था और फर्म द्वारा केवल 76 ड्रम (15.2 मी.टन) बदले गये ।

इस प्रकार यद्यपि बैच नं. 601051 की प्रथम किश्त 15 जनवरी, 2006 को प्राप्त हुई थी । भंडार प्रभाग ने 6 फरवरी, 2006 अर्थात प्रथम किश्त की प्राप्ति की तिथि से 22 दिन बाद सामान को जॉच के लिए भेजा था । इसके अतिरिक्त प्रभाग ने जॉच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना सामान जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप घटिया मानक के बिटूमन इमलशन के प्रयोग से निष्पादित कार्य के स्तर के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न होता है तथा परिणामस्वरूप, 2.10 लाख रुपये की लागत का बिटूमन इमलशन बदला नहीं गया ।

मामला मार्च, 2007 विभाग को में भेजा गया था, इसके उत्तर में अधिशासी अभियन्ता (भंडार) ने सूचित किया कि फील्ड इंजीनियरों के दवाब को दृष्टिगत् रखते हुए जॉच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना 1 फरवरी, 2006 को प्राप्त स्वीकृति से सामान जारी करना प्रारम्भ किया गया । उत्तर वाजिब नहीं था क्योंकि उक्त अनुमति 13 जनवरी, 2006 को दी गई थी कि बिना जॉच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना केवल पेंट का सामान जारी किया जाए न कि बिटूमन इमलशन के लिए, जिसकी आपूर्ति 15 जनवरी, 2006 से प्रारम्भ की गई थी । अधिशासी अभियन्ता भंडार ने सूचित किया है कि घटिया मानक के सामान की लागत वसूल करने की कार्यवाही की जा रही थी ।

वाणिज्य विभाग

अध्याय VII : वाणिज्य विभाग

7.1 विद्युत तथा जल प्रभारों के बकायों की वसूली न होना

विभाग ने दोषी उपभोक्ताओं से विद्युत तथा जल के प्रभारों के बकायों की वसूली हेतु पर्याप्त कार्रवाई नहीं की । परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2006 को 103.79 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 195 के अनुसार परिषद् का यह दायित्व है कि नई दिल्ली के अपने क्षेत्र में प्रभावी, समन्वित तथा मितव्ययी विद्युत आपूर्ति विकसित कर रखरखाव करे तथा इस उद्देश्य हेतु उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने एवं उपभोक्ताओं में वितरण हेतु समय-समय पर अपेक्षित उपाय करे । पुन: उक्त अधिनियम की धारा 200 में यह प्रावधान है कि सम्य-समय पर लागू नियम के प्रावधानों की शर्त पर परिषद् द्वारा समय-समय पर विद्युत आपूर्ति के लिए नियत दरें लगायेगी । विद्युत बिलों में दिये गये निर्देशों में यह भी उल्लेखित है कि बिल का भुगतान न होने पर, बिना किसी सूचना के विद्युत आपूर्ति काट दी जाएगी तथा इसे ही अपेक्षित नोटिस माना जाएगा ।

मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों की जॉच से यह ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2006 को विद्युत एवं जल प्रभार की 103.79 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । इस राशि में जल प्रभार भी सम्मिलित थे, जून 2005 तक जल प्रभार विद्युत बिल में सम्मिलित किये जाते थे । तत्पश्चात् जल प्रभार के बिल अलग से भेजे गये । पिछले छ: वर्षों के बकायों की स्थिति की समीक्षा से यह पता चला कि वर्षों से स्थिति बिगड़ चुकी थी । विद्युत तथा जल प्रभारों (जून 2005 तक विद्युत के बिलों में सम्मिलित किया गया था) का बकाया मार्च 2001 में 49.41 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2006 में 103.12 करोड़ रुपये हो गया जो निम्न विवरणानुसार लगभग 109 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है :

अवधि	मार्च के दौरान कुल मांग (रुपये करोड़ में)	कुल मॉग में बकाया के घटक (रुपये करोड़ में)	कुल मांग में बकाया की प्रतिशत	बकाया में बढ़ोत्तरी प्रतिशतता
मार्च, 2001	71.40	49.41	69.20	-
मार्च, 2002	113.87	70.70	62.08	(+) 43.10
मार्च, 2003	116.33	70.99	61.02	(+) 0.41
मार्च, 2004	146.02	99.01	67.80	(+) 39.47
मार्च, 2005	135.76	90.18	66.43	(-) 8.92
मार्च, 2006	144.88	103.12 #	71.18	(+) 14.35

जल प्रभार के बकाया सम्मिलित नहीं

उपरोक्त आंकडों ने वर्ष 2005 के दौरान बकाया की स्थिति में कुछ सुधार इंगित किया क्योंकि 31 मार्च 2004 को बकाया 99.01 करोड़ रुपये से कम होकर 31 मार्च 2005 को 90.18 करोड़ रुपये हो गई । परंतु स्थिति पुनः खराब हो गई तथा बकाया की राशि 31 मार्च 2006 को बढ़कर 103.12 करोड़ रुपये हो गई जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मार्च 2001 से बकाया में कुल वृद्धि लगभग 109 प्रतिशत हुई । तिथियाँ जब से बकाया था तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने के कारण ऑडिट द्वारा अनुस्मारक देने के बावजूद सूचित नहीं किए गए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जुलाई 2005 से मार्च 2006 तक की अवधि हेतु जल प्रभारों के बकाया राशि 67 लाख रुपये जिसके लिए बिल अलग से भेजे गए, भी उपभोक्ताओं की ओर बकाया थी । यह तथ्य कि विभाग जल प्रभारों की वर्तमान देय राशि तक वसूल करने में असमर्थ था जो कि विभाग की वसूली कार्य प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को दर्शाता था ।

बकायों की सम्पूर्ण स्थिति ने स्पष्टतः यह इंगित किया कि दोषी उपभोक्ताओं से विद्युत एवं जल प्रभार के बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई । परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2006 तक 103.79 करोड़ रुपये के विद्युत एवं जल प्रभारों के बकायों की वसूली नहीं की जा सकी ।

मामला अप्रैल 2007 में विभाग को भेजा गया ।

विभाग ने तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि बकाया मुख्यतः दो वर्गों, थोक वर्ग एवं निजी वर्ग की ओर था । थोक वर्ग का बकाया मुख्यतः सरकारी भवनों की ओर था जहाँ विवाद जल प्रभारों के कारण था क्योंकि उनके मीटर दबे हुए थे और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा उनके बिल अस्थाई आधार पर भेजे जा रहे थे जिसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आपत्ति की गई । निजी वर्ग के मामलों में बकाया मुख्यतः न्यायालय में लम्बित मामलों के कारण बताया गया । यह भी बताया गया कि बकायों में वृद्धि, 1.5 प्रतिशत प्रति मास की दर से अधिभार लगाये जाने के कारण से थी तथा बकायों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे ।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि निरन्तर अस्थाई बिल भेजे जाने की बजाय नए जल मीटर संस्थापित किये जाने चाहिए थे । पुनः विभाग को बकायों के संग्रहण को रोकने के लिये उचित स्तर तक मामले का समाधान ढूंढ़ना चाहिए था ।

7.2 छूट प्राप्त न करने के कारण परिहार्य आधिक्य व्यय

विभाग, छूट की धारा के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के बिजली के बिलों का अग्रिम भुगतान न करने के कारण, मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लि. से प्रति माह दो प्रतिशत छूट प्राप्त करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरुप, वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि में 14.91 करोड़ रुपये का परिहार्य आधिक्य व्यय हुआ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 11 (डी)(i) के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, परिषद् क्षेत्र में नागरिकों को बिजली की आपूर्ति एवं वितरण करती हैं । परिषद् के अनिवार्य कार्यकलापों के अनुक्रम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का वाणिज्यिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सार्वजनिक उपक्रम, मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लि. (डी.टी.एल.) से विद्युत का क्रय करता है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित 66/33/11 के.वे.ए. सब-स्टेशनों द्वारा बिजली प्राप्त की जाती है । बिजली की आपूर्ति को विभिन्न प्वाइंटस पर संस्थापित मीटरों द्वारा मापा जाता है तथा उसका भुगतान थोक आपूर्ति प्रभार के प्रावधानों के अन्तर्गत, दिल्ली ट्रांसको लि. से प्राप्त मासिक बिलों के आधार पर किया जाता है ।

वाणिज्यिक विभाग के रिकार्ड की ऑडिट जाँच से ज्ञात हुआ कि फरवरी 2003 में दिल्ली ट्रांसको लि. ने डी.टी.एल. तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के बीच होने वाले थोक आपूर्ति अनुबन्ध प्रारुप में बिजली के बिलों के अग्रिम भुगतान पर छूट से संबंधित एक धारा को सम्मिलित करने की पेशकश की थी, उक्त प्रारूप अनुबन्ध की धारा 5.7 में सूचित किया गया था कि :

''यदि लाईसेंसधारी थोक आपूर्ति प्रभार का भुगतान जमा पत्र अथवा अन्य माध्यम से निर्धारित तिथि से पूर्व करता है, तब दिल्ली ट्रांसको लि. लाईसेंसधारी को थोक आपूर्ति प्रभार के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान करेगी'' ।

वाणिज्यिक विभाग ने ढ़ाई वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी छूट की धारा पर विचार नहीं किया तथा प्रारूप अनुबन्ध बिना हस्ताक्षर के रहा । 2 नवम्बर 2005 को वाणिज्यिक विभाग ने विस्तृत नियम एवं शर्तें मांगी जिसमें बिजली के बिलों का देय तिथि से पूर्व भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट प्रतिमास प्रदान की जायेगी । दिल्ली ट्रांसको लि. ने 23 नवम्बर 2005 को स्पष्ट किया कि छूट की धारा सम्मिलित करने के साथ-साथ थोक आपूर्ति अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को पिछले तीन महीनों के लिए क्रय की गई ऊर्जा की लागत के मासिक साधारण औसत का कम से कम 140 प्रतिशत (अथवा अन्य कोई राशि जो दिल्ली ट्रांसको लि. द्वारा सहमत हो) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से अपनी लागत तथा व्यय पर दिल्ली ट्रांसको लि. के पक्ष में एक

बिना शर्त का निरस्त न होने वाला अहस्तांतरणीय जमा पत्र (एल.सी.) रखना होगा । अग्रिम के समरूप राशि के भुगतान की तिथि से छूट प्रोद्भूत होनी थी । अग्रिम भुगतान की गई राशि का समंजन मासिक बिल के विरुद्ध अन्तिम बिल में किया जाना था ।

वाणिज्यिक विभाग ने 12 दिसम्बर 2005 को निदेशक (लेखा) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को अग्रिम भुगतान के बदले दो प्रतिशत छूट के लिए, दिल्ली ट्रांसको लि. की पेशकश जॉच के लिए भेजी कि क्या यह पेशकश परिषद् के लिए मितव्ययी थी । निदेशक (लेखा) ने अवलोकन किया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एक समृद्धिशाली निकाय होने के कारण सावधिक जमा के रूप में सूचीबद्ध बैंकों के साथ आधिक्य निधि निवेश कर रही थी तथा प्रतिवर्ष सात प्रतिशत का ब्याज प्राप्त कर रही थी । यह भी अवलोकित किया गया कि यदि परिषद् प्रति मास दो प्रतिशत की छूट की पेशकश स्वीकार करती है (अथवा 24 प्रतिशत प्रति वर्ष) तो परिषद् के बिजली के बिल को प्रतिमाह 35 करोड़ रुपये मानते हुए 17 प्रतिशत वार्षिक विभेदक दर (24 प्रतिशत छूट-सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज) पर 5.95 करोड़ रुपये वार्षिक अर्थात् 49.6 लाख रुपये प्रति मास का लाभ प्राप्त होगा । यद्यपि, छूट प्राप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया गया कि जमा-पत्र को खोलने के बजाय चैकों द्वारा अग्रिम भुगतान स्वीकार करने हेतु दिल्ली ट्रांसको लि. के साथ परिषद् को बातचीत करनी चाहिये ताकि जमा-पत्र के व्यय की भी बचत हो जाये । वित्त विभाग ने भी निदेशक (लेखा) के विचारों का समर्थन किया ।

ऑडिट ने पाया कि छूट की धारा को सम्मिलित किये बिना वाणिज्यिक विभाग ने 2 नवम्बर 2005 को दिल्ली ट्रांसको लि. को थोक आपूर्ति अनुबन्ध का अन्तिम प्रारूप भेज दिया । विभाग ने दिल्ली ट्रांसको लि. से स्पष्टीकरण प्राप्त होने का इंतजार भी नहीं किया । पुनः वाणिज्यिक विभाग ने लेखा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत भी छूट प्राप्त करने हेतु दिल्ली ट्रांसको लि. के साथ वार्ता नहीं की । परिणामस्वरूप, यदि परिषद् द्वारा अपेक्षित मासिक बिल का 140 प्रतिशत हेतु जमा-पत्र खोला भी गया होता तो भी ऑडिट ने न्यूनतम आधिक्य परिहार्य व्यय 41.42 लाख रुपये प्रति माह [35 करोड़ रुपये का दो प्रतिशत = 70 लाख रुपये घटा (-) 28.58 लाख रुपये {अर्थात सात प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज अर्थात् 49 करोड़ रुपये का 0.5833 प्रतिशत प्रति माह (35 करोड़ रुपये का 140 प्रतिशत =49 करोड़ रुपये)}] आकलन किया । वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि हेतु इस तरह का व्यय कुल 14.91 करोड़ रुपये आकलित किया गया,

मामला, अप्रैल 2007 में विभाग को भेजा गया, इसका उत्तर जून 2007 तक प्रतीक्षारत था ।

विद्युत विभाग

अध्याय- VIII : विद्युत विभाग

8.1 जमा कार्यों की शेष लागत की वसूली न होना

कार्य से पूर्व में जमा राशि प्राप्त किये बिना विभाग ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से 14.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया । इस राशि की जून, 2007 तक की वसूली नहीं हुई थी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य पद्धति के पैरा 3.5.1 के प्रावधानों के अनुसार जब कभी जमा कार्य किया जाता है तो संबंधित विभाग के कार्य पर किये जाने किसी व्यय से पूर्व कार्य की लागत प्राप्त कर ली जाती है । नियम में यह भी प्रावधान है कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित विभाग द्वारा जमा की गई राशि से अधिक व्यय न हो ।

अधिशासी अभियंता (विद्युत), निर्माण-II प्रभाग द्वारा किये गये जमा कार्यों की जाँच से ज्ञात हुआ कि अधिशासी अभियन्ता, प्रभाग-14, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न.दि.न.पा.परिषद् के 11 के.वी. (योजना प्रभाग) से रिंग रोड 'बी' एवेन्यू, सरोजिनी नगर चौराहे के साथ फलाईओवर के संबंध में विद्युतीय सेवाओं के प्रतिस्थापन के लिए अनुमान प्राप्त होने पर 2 अप्रैल 2002 को 9.03 लाख रुपये जमा करवाये । कार्य अधिशासी अभियंता (विद्युत) निर्माण- II प्रभाग द्वारा किया जाना था । अगस्त, 2002 में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण के साथ कार्य स्थल पर बैठक के बाद कार्य की गुंजाइश को बढाया गया और लोक निर्माण विभाग को जनवरी, 2003 में 39.19 लाख रुपये का संशोधित अनुमान इस अनुरोध के साथ भेजा गया कि 30.16 लाख रुपये (39.19 लाख रुपये (-) 9.03 लाख रुपये पहले से जमा) की शेष राशि जमा करवायें ।

अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) निर्माण प्रभाग- II ने लोक निर्माण विभाग से 30.16 लाख रुपये जमा करवाये बिना दिसम्बर, 2004 में 23.26 लाख रुपये की कुल लागत पर कार्य पूर्ण किया । इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 14.33 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की वसूली अप्रैल-2007 तक भी नहीं हुई थी । पुनः, विभाग द्वारा तैयार किया गया अनुमान भी विश्वसनीय नहीं था क्योंकि मूल अनुमान 9.03 लाख रुपये था जिसे संशोधित कर 39.19 लाख रुपये किया गया थ जबकि वास्तविक व्यय केवल 23.26 लाख रुपये हुआ ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (मई-2007) में कहा कि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा अधिक व्यय की गई राशि को जमा करवाने के लिये कई बार अनुरोध किया गया था परन्तु आज तक कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । यह प्रस्तावित किया

गया कि लोक निर्माण विभाग का अन्य योजनाओं से संबंधित व्यय न की गई राशि से इस अधिक व्यय का समंजन कर लिया जाये । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यपद्धति के पैरा 3.5.6 में उल्लेखित है कि किसी एक जमा कार्य के लिये प्राप्त राशि को अन्य जमा कार्यों के लिए किसी भी हालत में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता । किन्तु वास्तविकता यह है कि जून-2007 तक 14.33 लाख रुपये वसूलनीय थे ।

8.2 प्रयोग किये हुए ट्रांसफार्मर ऑयल का निपटान न करना

विभाग द्वारा प्रयोग किये हुए ट्रांसफार्मर ऑयल का आवधिक रूप से निपटान न करने के कारण विभिन्न विद्युत सब-स्टेशनों पर प्रयोग किया हुआ 50140 लीटर आयल इक्ट्ठा हो गया था । ऑयल के निपटान न करने से परिषद् न केवल राजस्व से वंचित रही जो कि इस ऑयल की बिक्री से प्राप्त हो सकता था बल्कि यह ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग लगने के जोखिम को भी आमंत्रित किया गया ।

अधिशासी अभियंता 33 के.वी. (रखरखाव) प्रभाग परिषद् क्षेत्र में 33/66 के.वी. प्रणाली के सम्पूर्ण नेटवर्क की खराबी को ठीक करने और निवारक रखरखाव सहित इनके परिचालन एवं रखरखाव के लिये उत्तरदायी है । प्रभाग अपने तीन उप-प्रभागों के माध्यम से विभिन्न विद्युत सब-स्टेशनों में संस्थापित ट्रांसफार्मरों का रखरखाव करता है । इन ट्रांसफार्मरों का आयल आवधिक रूप से बदला जाता था/ प्रयोग किये गये आयल को ड्रमों में जमा किया जाता था/इस अनुपयोगी आयल को नीलामी द्वारा बेचा जाना चाहिए था । इस ऑयल का मार्किट मूल्य 14/- रुपये प्रति लीटर (अनुमानत:) बताया गया था ।

प्रभाग के रिकार्ड की जॉंच (जनवरी-2007) से ज्ञात हुआ कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न विद्युत सब-स्टशनों पर प्रयोग किया हुआ 50140 लीटर (250 ड्रम अनुमानत:) ट्रांसफार्मर आयल पड़ा हुआ था । प्रभाग ने प्रयोग किये हुए ऑयल को आवधिक रूप से निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये ।

प्रत्येक सब-स्टेशन पर पड़े प्रयोग किये हुये ट्रांसफार्मर ऑयल का सब-स्टेशन अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	आयल की मात्रा (लीटर में)
1.	इ.एस.एस. विद्युत भवन	9899
2.	इ.एस.एस. निर्माण भवन	10813
3.	इ.एस.एस. बापूधाम	6169
4.	इ.एस.एस. स्कूल लेन	11286
5.	इ.एस.एस. तिलक मार्ग	6270
6.	इ.एस.एस. कनाट प्लेस	2673
7.	इ.एस.एस. हनुमान रोड	3030
	योग	**50140**

सब-स्टेशनों में इतनी बड़ी मात्र में उपयोग किया हुआ ट्रांसफार्मर ऑयल जो कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, का भण्डारण अग्नि के जोखिम के साथ-साथ इसके रिसाव और चोरी को भी आमंत्रित करता है । इसके अतिरिक्त 50140 लीटर ऑयल के निपटान न होने से परिषद् को लगभग सात लाख रुपये, जो इस आयल की बिक्री से प्राप्त हो सकते थे, से वंचित किया । आयल का निपटान न करने के कारण रिकार्ड में नहीं पाये गये ।

मामला अप्रैल-2007 में विभाग को भेजा गया और उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था।

8.3 खराब ट्रांसफार्मरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का व्यर्थ होना

विभाग 20 महीनों बाद भी चार ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराने में असफल रहा । परिणामस्वरूप, इन ट्रांसफार्मरों का अप्रैल-2007 तक बिना मरम्मत के रहने से 2.35 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ रहा ।

अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) रखरखाव-दक्षिण ने 8 अगस्त, 2002 को 11 खराब ट्रांसफार्मरों (1000 के.वी.ए. के छः तथा 500 के.वी.ए. के पाँच) की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिये निविदायें आमंत्रित की थी । मैसर्स सूर्या इलैक्ट्रोनिक्स, केशव नगर, कानपुर की 7.38 लाख रुपये की वार्ता पेशकश को 7 फरवरी, 2003 में स्वीकार किया था । ये सभी 11 ट्रांसफार्मर फर्म से मरम्मत होने के पश्चात् 27 अप्रैल, 2004 को प्राप्त हुए थे और फर्म से 10 प्रतिशत कार्य-निष्पादन बैंक गारन्टी प्राप्त करने के बाद फर्म को अनुबन्ध की राशि का भुगतान किया गया । अनुबन्ध के अधीन गारन्टी अवधि, ट्रांसफार्मर प्रारम्भ करने की तिथि से 12 मास या मरम्मत किये हुए ट्रांसफार्मरों की सुपुर्दगी की तिथि से 18 मास जो भी पहले हो, थी ।

रिकार्ड की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित चार ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के दौरान खराब हो गये थे जैसाकि निम्न तालिका में वर्णित है :

क्र.सं.	ट्रांसफार्मर का विवरण	मरम्मत के पश्चात् संस्थापन एवं प्रारंभ करने की तिथि	मरम्मत के पश्चात् किस तिथि से खराब पड़ा था
1.	1000 के.वी.ए. (जीईसी मेक क्र.सं. बी-26062)	29.4.2005	17.5.2005
2.	500 के.वी.ए. (ईस्ट इंडिया कं. क्र.सं. 448/2)	7.6.2005	7.6.2005 (उसी दिन)
3.	500 के.वी.ए. (क्र.सं. 500/5)	3.5.2005	3.6.2005
4.	500 के.वी.ए. (क्र.सं. 560/9)	5.6.2004	2.5.2005

उपरोक्त दर्शायी स्थिति इंगित करती है कि क्रम सं. 1 से 3 के ट्रांसफार्मर संस्थापन के एक मास के भीतर और क्रम सं. 4 का ट्रांसफार्मर 11 मास के पश्चात् खराब हो गया ।

अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रत्येक ट्रांसफार्मर मरम्मत के पश्चात् परिषद् के प्रतिनिधि या इस कार्य के लिये परिषद् द्वारा नामित किसी अन्य एजेन्सी की उपस्थिति में सभी दैनिक परीक्षणों के लिये परीक्षण किया जाना अपेक्षित था । इसके साथ ही संतोषजनक मरम्मत एवं परीक्षण सुनिश्चित करने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना था । विभाग ने इन चार ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर 2.35 लाख रुपये के व्यय सहित ठेकदार को जुलाई 2004 में अंतिम भुगतान कर दिया परन्तु रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं था जिससे ज्ञात हो कि भुगतान करने से पूर्व ये परीक्षण किये गये थे ।

आडिट ने यह भी अवलोकन किया कि विभाग बीस मास बीत जाने के बावजूद भी फर्म से चार खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराने में असफल रहा । परिणामस्वरूप, मार्च, 2007 तक चार ट्रांसफार्मर बिना मरम्मत के पड़े हुए थे जिसके लिए 2.35 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ ।

मामला मार्च-2007 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल-2007) में कहा कि फर्म को अंतिम नोटिस देने के पश्चात् फर्म ने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करनी प्रारम्भ कर दी थी । दो ट्रांसफार्मर जिनकी मरम्मत की गई थी परीक्षण के दौरान ठीक नहीं पाये गये और फर्म पुन: इनकी मरम्मत कर रही थी । वास्तविकता यह है कि विभाग ने मामला फर्म के साथ सख्ती से नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप, चार ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर किया गया 2.35 लाख रुपये का व्यय 20 माह से अधिक समय तक निष्फल रहा । इसके अतिरिक्त दो ट्रांसफार्मरों की अभी भी मरम्मत होनी थी ।

सम्पदा विभाग
(पालिका आवास)

अध्याय-IX: सम्पदा विभाग (पालिका आवास)

9.1 कर्मचारी क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब

कर्मचारी क्वार्टरों के विलम्ब से आवंटन के परिणामस्वरूप परिषद् को न केवल 1.46 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई अपितु विलम्बित आवंटन की अवधि के लिए कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के भुगतान में 16.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 12(एन) में प्रावधान है कि परिषद् अपने विवेकीय कार्यों के रूप में परिषद् के अधिकारियों और अन्य परिषद् कर्मचारियों के लिए भवनों या आवासीय खण्डों का क्रय और रखरखाव करेगी । कार्य-प्रबन्धन व्यवस्था 2006 के नियतन के अनुसार परिषद् आवासीय विभाग परिषद् अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मचारी क्वार्टरों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है ।

परिषद् आवासीय विभाग के रिकार्ड का आडिट (नवम्बर, 2006) करने पर ज्ञात हुआ कि 5 से 27 महीनों तक निम्नलिखित विवरणानुसार अनेक क्वार्टर खाली पड़े रहे :-

क्वार्टर का प्रकार	क्वार्टरों की संख्या	खाली रहने की अवधि
I	11	5 से 18 महीने
II	15	6 से 27 महीने
III	21	6 से 16 महीने
IV	11	6 से 19 महीने
V	10	6 से 16 महीने

पुनः जाँच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी थी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्वार्टरों के खाली होने पर तत्काल आवंटन उन कर्मचारियों को कर दिया जाये जो आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे । क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब के लिए कोई कारण आडिट को प्रस्तुत किये गये रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

इन क्वार्टरों के समय पर आवंटन में देरी के परिणामस्वरूप परिषद् को न केवल 1.46 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई अपितु परिषद् को विलम्बित आवंटन की अवधि के लिए गृह किराया भत्ते का भुगतान के रूप में 16.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भी करना पड़ा जिसे प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान तथा मंहगाई वेतन के 30 प्रतिशत के आधार पर आँका गया जैसाकि अनुलग्नक- XI में वर्णित है ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया ।

विभाग ने अपने उत्तर (मई, 2007) में कहा कि क्वार्टर के खाली होने पर 15 दिन से एक मास या अधिक समय के पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त होती थी और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के पास क्वार्टर के आवंटन के अनुमोदन हेतु मामला भेजा जाता था जिसमें एक मास या इससे अधिक समय लगता था । यह भी सूचित किया गया कि क्वार्टरों के खाली होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आवंटन एक या दो क्वार्टरों के लिये नहीं बल्कि थोक में किया गया था ।

विलम्ब के लिये कारण विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि परिषद् को राजस्व की हानि से बचाने के लिए क्वार्टरों के आवंटन में द्रुतगामी पद्धति अपनाने के लिए विभाग के पास पर्याप्त गुंजाइश थी ।

9.2 परिषद् क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों से बकाया किराये की वसूली न होना

मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित करने के बावजूद विभाग कर्मचारी-क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों की ओर किराया/क्षति प्रभारों के बकायों की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही करने में असफल रहा । जाँचे गये 281 मामलों में मार्च, 2006 तक 65.29 लाख रुपये की राशि बकाया थी ।

मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 8.1 में उल्लेख किया गया था जिसमें परिषद् क्वार्टरों के पूर्व-आवंटियों की ओर बकाया किराये की राशि की स्थिति को दर्शाया गया था ।

पुन: इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि परिषद् का आवासीय विभाग द्वारा कर्मचारी क्वार्टरों के पूर्व आवंटियों की ओर किराये/क्षति प्रभार की बकाया राशि की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की गई गई । आडिट ने यह भी पाया कि परिषद् का आवासीय विभाग किराये की वसूलियों के लिए उचित रिकार्ड का रखरखाव भी नहीं कर रहा था । परिणामस्वरूप, कर्मचारी क्वार्टरों के प्रत्येक पूर्व आवंटी की ओर किराये की कुल राशि किस अवधि से बकाया थी, रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था । लेकिन जॉंचे गये रिकार्ड दर्शाते थे कि परिषद् क्वार्टरों के 281 पूर्व-आवंटियों की ओर मार्च, 2006 तक 65,29,064/-रुपये के किराया/क्षति-प्रभार बकाया थे । पुन: विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पूर्व आवंटी की ओर 34/-रुपये से 4,91,399/-रुपये तक के मध्य की राशि बकाया थी । बकाया राशि का पुन: विस्तृत विश्लेषण दर्शाता था कि 244 मामलों में कर्मचारियों की ओर 50,000 रुपये तक की राशि बकाया थी, 18 मामलों में बकाया 50,001 रुपये से एक लाख रुपये के बीच था और 19 मामलों में प्रत्येक कर्मचारी की ओर बकाया राशि एक लाख

रुपये से अधिक तथा 4,91,399/-रुपये तक थी । बकायों का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका में प्रस्तुत है:

क्र. सं.	बकाया की सीमा	कर्मचारियों की संख्या	कुल बकाया (राशि रुपये में)
1.	25000/-रुपये तक	228	12,75,568
2.	25000/-रुपये से अधिक और 50,000/-रुपये तक	16	5,92,190
3.	50,000/-रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	18	13,33,501
4.	एक लाख रुपये से अधिक	19	33,27,805
	योग	281	65,29,064

विभाग ने नियमित रूप से बकाया किराये की स्थिति की मानिटरिंग नहीं कर रहा था । बकायों की नियमित देखरेख के बजाय क्वार्टरों के खाली होने के उपरांत ही आवंटी से वसूली के लिए सम्बद्ध स्थापना विभाग को विभाग अंतिम माँग-पत्र जारी करता था । परिणामस्वरूप, किराये के बकायों की बड़ी राशि वैयक्तिक रूप से उनकी ओर एकत्रित हो गई ।

लेखा परीक्षा ने पाया कि पूर्व-आवंटियों में अधिकतर न.दि.न.पा.परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और विभाग केन्द्रीय नागर सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 57 और 72 के अन्तर्गत, जो न.दि.न.पा.परिषद् पर भी लागू है, बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा था । नियम 57 के अनुसार, सम्बन्धित स्थापना विभाग को कर्मचारी क्वार्टर के आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व परिषद् के आवासीय विभाग को सूचित करना अपेक्षित था ताकि आवंटी की सेवानिवृत्ति से पूर्ववर्ती आठ माह की अवधि के लिए 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' जारी कर सके । सूचना की प्राप्ति पर परिषद् के आवासीय विभाग को अपने अभिलेखों का जॉचना अपेक्षित था और यदि कोई लाईसेंस शुल्क वसूल किया जाना था तो आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व सम्बन्धित स्थापना विभाग को सूचित करना था । सम्बन्धित स्थापना विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि आगामी आठ महीनों का लाईसेंस शुल्क, जो कि आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक का है, एवं परिषद् के आवासीय विभाग द्वारा सूचित किया गया अतिरिक्त लाईसेंस शुल्क की वसूली आवंटी के वेतन एवं भत्तों से प्रत्येक मास वसूल किया जा रहा था । सेवानिवृत्ति के बाद स्वीकृत अवधि से अधिक आवासित रहने के लिए के लाईसेंस शुल्क की वसूली करना परिषद् के आवासीय विभाग की जिम्मेदारी थी जो पूर्व-कर्मचारी/पैंशनधारक की सहमति लिये बिना उसके मंहगाई राहत से सम्बद्ध लेखाधिकारी के माध्यम से वसूल कर सकता था ।

इस प्रकार, वांछित नियमों की अनदेखी के साथ और परिषद् क्वार्टरों के आवंटियों से वसूली के संबंध में पूर्व वार्षिक आडिट रिपोर्ट में इंगित करने के बावजूद किराये की वसूली की मानीटरिंग अपर्याप्त थी । परिणामस्वरूप, किराये के बकायों की 65.29 लाख रुपये की बड़ी राशि एकत्रित हो गई ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

9.3 अनधिकृत रूप से क्वार्टरों को रखने वाले सेवानिवृत्त/मृत्तक कर्मचारियों के परिवार से किराये के बकायों की वसूली न होना

विभाग, सेवानिवृत्त/मृत्तक कर्मचारियों के परिवार से स्वीकार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी परिषद् क्वार्टर खाली कराने में असफल रहा । विभाग मार्च, 2006 तक, जॉंचे गये 29 मामलों में 28.89 लाख रुपये की किराया/क्षतिपूर्ति राशि को भी वसूल करने में असफल रहा ।

नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति और कर्मचारी के निधन के मामले में मृतक कर्मचारी का परिवार, उनको आवंटित परिषद् आवास को नीचे दी गई दरों के अनुसार को लाईसेंस शुल्क के भुगतान पर कुछ अवधि के लिए रख सकता है :

(अ) सेवानिवृत्ति के मामले में	
(i) सामान्य	(i) दो मास के लिए सामान्य लाईसेंस शुल्क पर तथा अगल (ii) दो मास के लिए सामान्य लाईसेंस शुल्क से दुगने पर
(ii) चिकित्सा/शिक्षा आधार पर	उक्त अवधि के पश्चात् दो मास के लिए सामान्य से चार गुने लाईसेंस शुल्क पर क्वार्टर रख सकता है । इसके बाद दो मास के लिए सामान्य लाईसेंस शुल्क से छः गुना लाईसेंस शुल्क पर क्वार्टर रख सकता है ।
ख. मृत्यु के मामले में	
(i) 12 मास	सामान्य लाईसेंस शुल्क पर
(ii) अगले 12 मास तक बशर्ते कि मृत कर्मचारी या उसके किसी आश्रित का नियुक्ति के स्थान पर कोई घर न हो ।	सामान्य लाईसेंस शुल्क पर

उपरोक्त सीमा के बाद परिषद् आवास को रखना अनधिकृत अधिग्रहण समझा जाता है और ऐसे मामलों में निर्धारित दरों पर क्षति प्रभार लगाये जाते हैं ।

परिषद् के आवासीय विभाग के अभिलेखों की आडिट जॉंच से ज्ञात हुआ कि काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के परिवारों ने परिषद् आवासों को खाली नहीं किया, यद्यपि स्वीकार्य आवासीय अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी और तदानुसार उन पर क्षति-प्रभार लगाये गये । ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की ओर बकाया राशि को सुनिश्चितत नहीं किया जा सका, क्योंकि मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किये गये थे । लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि लाईसेंस शुल्क का संग्रहण वर्ष 1996 से कम्प्यूटर बिलिंग विभाग द्वारा किया जा रहा था । लेकिन आडिट ने पाया कि विभाग द्वारा किराया/क्षति-प्रभार के वसूली की मानीटरिंग के लिए कोई पद्धति विकसित नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, रिकार्ड में बकाया राशि का विवरण उपलब्ध नहीं था । आवंटन फाइलों की टेस्ट जॉंच से ज्ञात हुआ कि सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवारों के

29 मामलों में 28.89 लाख रुपये वसूलनीय थे (अनुलग्नक-XII) । 14 मामलों में क्वार्टरों को खाली कराने के संबंध में स्थिति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी । स्पष्टत: विभाग द्वारा देय राशि का निर्धारण तथा संबंधित स्थापना विभाग को उसकी वसूली की सूचना विलम्ब से देने के कारण थी । परिणामत: स्थापना विभाग द्वारा उनके सेवानिवृत्त लाभों में से अपर्याप्त राशि रोकी गई । अवैध अधिभोगी से बकायों की वसूली न होने और क्वार्टरों को खाली न कराने के कारणों का आडिट को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिये गये ।

मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 8.2 में 21.43 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूली के सम्बन्ध में स्थिति को भी उल्लेखित किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं किया गया ।

मामला मई, 2007 में विभाग को भेजा गया था, उनका उत्तर जून 2007 तक प्रतीक्षित था ।

सामान्य प्रशासनिक विभाग

अध्याय X : सामान्य प्रशासनिक विभाग

10.1 वर्दी मदों की वास्तविक मॉग का अनुचित निर्धारण

विभाग वर्दी मदों की वास्तविक मांग का निर्धारण करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप मार्च 2006 तक अधिक वर्दियों का क्रय करने से 8.56 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रही ।

परिषद् का सामान्य विभाग परिषद् के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए वर्दियॉ क्रय करने तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है । किन्तु यह पया गया कि विभाग द्वारा वर्दी की विभिन्न मदों की मॉग का निर्धारण नहीं किया जिसके कारण, परिषद् निधि परिहार्य रूप से अवरूद्ध रही ।

सामान्य विभाग के रिकार्ड की जॉच के दौरान यह पाया गया कि मई 2004 में वर्ष 2004-05 के लिए 11000 कर्मचारियों (9400 पुरूष एवं 1600 महिला कर्मचारी) के लिए गर्मी की वर्दी तथा 2750 कर्मचारियों (2400 पुरूष एवं 350 महिला) के लिए सर्दी की वर्दी क्रय करने के लिए एक अनुमान तैयार किया गया । परंतु वर्ष 2004-05 के दौरान 11000 और 2750 कर्मचारियों जो क्रमशः गर्मी और सर्दी की वर्दी के हकदार थे, की सूची तथा निर्धारण का आधार आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया । सहायक दस्तावेजों के अभाव में आडिट द्वारा किसी अनुमान की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

तथापि कम्पयूटर विलिंग अनुभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में विभिन्न 'ग' और 'घ' श्रेणियों के धुलाई भत्ता लेने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :

मार्च 2004	9583
मार्च 2005	9491
मार्च 2006	9332

उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004-05 के लिए कर्मचारियों के लिए वर्दी के क्रय के लिए विभाग द्वारा तैयार किया गया अनुमान अधिक था ।

उपरोक्त अनुमान के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए वर्दी की मदें खरीदने के लिए नवम्बर 2004 में तीन-कवर पद्धति के अन्तर्गत निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी । 24 निविदा दस्तावेज बेचे गये और 22 से पेशकशें प्राप्त हुई । 24 नवम्बर 2004 को तकनीकी बोलियॉ खोली गयी जिनमें से केवल 12 निविदादाता पात्र पाये गये । 10 दिसम्बर 2004 को वित्तीय पेशकश को खोली गयी । मार्च, 2005 में 63.05 लाख रुपये की विभिन्न मदों की आपूर्ति के लिए तीन फर्मों को आपूर्ति आदेश में जारी किये गये । फर्मों द्वारा मार्च 2005 तक सामान की आपूर्ति की गई ।

वर्दी मदों के स्टाक रजिस्टर की जाँच से पता चला कि वर्ष 2004-05 के दौरान क्रय की गई वर्दी की कुछ मदें बड़ी मात्रा में मार्च 2006 के अंत तक भी भण्डार में पड़ी थी । इन मदों की कुल लागत निम्न तालिका में दिये गये विवरण अनुसार 8.56 लाख रुपये बनती है :

क्र.सं.	विवरण	मात्रा		दर (रुपये में)	कीमत (रुपये में)
		खरीदी गई	31.3.06 को शेष		
1.	ग्रे टेरीकोट का कपड़ा	24180मी.	3679 मी.	82	3,01678
2.	ग्रे गर्म कपड़ा	7350 मी.	381.20 मी.	172	65,566
3.	सफेद टेरीकोट का कपड़ा	260 मी.	123 मी.	82	10,086
4.	पुरूष सेन्डलें	9400 जोड़े	1639 जोड़े	139	2,27,821
5.	पुरूष जूते	2400 जोड़े	65 जोड़े	275	17,875
6.	महिला सैन्डल	1600 जोड़े	1064 जोड़े	123	1,30,872
7.	ब्लाउज सहित ग्रे साड़ी	1450 नं.	197 नं.	215	42,355
8.	ब्लाउज सहित सफेद साड़ी	150 नं.	103 नं.	215	22,145
9.	ग्रे जर्सी	2750 नं.	197 नं.	185+4%	37,903
	कुल योग				**8,56,301**

यह तथ्य कि उक्त मदें एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कर्मचारियों को जारी नहीं की गई, स्पष्ट इंगित करता है कि मदें वास्तविक माँग से अधिक क्रय की गयी । वास्तविक माँग के सही निर्धारण के बिना वर्दी मदों को क्रय करना अनुचित था जिससे 8.56 लाख रुपये की निधि अवरूद्ध रही ।

उक्त 8.56 लाख रुपये की मदों के अतिरिक्त, अन्य मदें बड़ी मात्रा में भण्डार में पड़ी थी (अनुलग्नक- XIII) । इन मदों की खरीद की वास्तविक तिथि व मूल्य रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। इनमें से कुछ मदें वर्ष 1996 से पूर्व क्रय की गई बतायी गयी और अब अनुपयोगी हो गई थी ।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्दी मदों की माँग का ठीक निर्धारण नहीं किया गया । विभाग ने वर्दी मदों के हकदार कर्मचारियों का कोई विश्वसनीय रिकार्ड नहीं बनाया हुआ था । वास्तविक आवश्यकता का सही निर्धारण किये बिना अधिक मदों की खरीद की गई । आधिक्य मदों के उपयोग न होने से न केवल निधि अवरूद्ध हुई परन्तु परिषद् को भी हानि हुई क्योंकि बड़ी मात्रा में मदें अब अनुपयोगी हो गई थी, इस संदर्भ में हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि भण्डार में पड़े आधिक्य मदों की क्रय तिथि एवं मूल्य आडिट द्वारा अनुस्मारक देने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था । उनका उत्तर मई, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अध्याय-XI : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

11.1 कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर अनुत्पादक व्यय

सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा आमंत्रित किए बिना मैसर्स सी. एम.सी. लि. को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों के लिए ई-गवर्नेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अप्रैल, 2001 में दो करोड़ रुपये की लागत पर 19 एप्लीकेशन साफ्टवेयर माड्यूल्स विकसित करने का कार्य सौंपा गया । विभाग ने 10 लाख रुपये की स्वीकार्य राशि के विरूद्ध 80 लाख रुपये अग्रिम का भी भुगतान किया । पुनः, विभाग 18 माह की नियत अवधि में कार्य पूर्ण करवाने में भी असफल रहा । फर्म ने सितम्बर, 2004 तक कार्य समय में वृद्धि प्रदान करने के बावजूद केवल दो पूर्ण और छः आंशिक साफ्टवेयर माड्यूल्स तैयार किए । तत्पश्चात् नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने निर्णय लिया कि समय में और अधिक वृद्धि न प्रदान की जाए । विभाग ने परिषद् के अधिकतर विभागों में ई-गवर्नेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान 3.61 करोड़ रुपये के कम्प्यूटर एवं नैट-वर्किंग उपकरणों का भी क्रय किया । सी. एम.सी. द्वारा साफ्टवेयर माड्यूल्स सुपुर्द करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, उपकरणों का उचित प्रयोग नहीं हुआ और परिषद् में ई-गवर्नेस के कार्यक्रम में विलम्ब हुआ/क्रियान्वयन नहीं हुआ ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने नवम्बर, 2000 में निर्णय लिया कि अपने ई-गवर्नेस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जाये । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित किया जाना आवश्यक था । इन साफ्टवेयरों को विकसित करने के लिए एक सरकारी उपक्रम, मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड (जो अब विनिवेश के पश्चात् टाटा समूह के अधीन है) को मार्च, 2001 में एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास के लिए 1.90 करोड़ रुपये तथा परामर्श सेवा के लिए 10 लाख रुपये की लागत पर सौंपा गया ।

फर्म को कार्य, बिना कोई निविदाएँ आमंत्रित किए, केवल इस आधार पर सौंपा गया कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था और साफ्टवेयर विकसित करने में विशिष्ट विशेषज्ञ थे और इन्होंने इसी प्रकार के साफ्टवेयर विजयवाड़ा नगर निगम, रेलवे, दिल्ली विद्युत बोर्ड और उत्तर प्रदेश उर्जा निगम के लिए विकसित किए थे । इस प्रकार बिना खुली निविदाओं के कार्य सौंपने से परिषद् को प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित किया गया ।

इसके अतिरिक्त विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए माड्यूल-अनुसार लागत का विश्लेषण करने की बजाए एकमुश्त अनुबन्ध भी सौंपा । विभाग ने ठेकेदार को अग्रिम भुगतान करने सम्बन्धी नियमों का भी उल्लंघन किया । सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुबन्ध के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत बशर्ते 10 लाख से अधिक न हो, का

अग्रिम भुगतान करने की तुलना में विभाग ने 80 लाख रुपये अर्थात अनुबन्ध के कुल मूल्य का 40 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान ठेकेदार को किया ।

इकरार के अन्तर्गत कार्य में निम्नलिखित मदें सम्मिलित थीं :

i) विभिन्न विभागों के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास/व्यावाहरिककरण/जॉच तथा संस्थापन

ii) पद्धति के संस्थापन के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर को स्वीकार करना ।

iii) डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सूचनाओं से युक्त सीडी रोम आधारित मल्टीमीडिया का प्रस्तुतीकरण ।

(ख) ध्वनि प्रणाली पर सूचना से युक्त एक मास्टर कैसेट

iv) पारस्परिक आदान-प्रदान प्रणाली

v) वैबसाईट पोर्टल तैयार करना ।

vi) कम्प्यूटर उपकरण के क्रय के लिए परामर्श

परियोजना में स्वास्थ्य विभाग के दो अलग-अलग माड्यूल्स (i) स्वास्थ्य कार्यक्रम और (ii) व्यवसाय लाईसेंस प्रणाली सहित 19 एप्लीकेशन साफ्टवेयर माड्यूल्स विकसित करने के साथ-साथ दोहरी पद्धति प्रशासन और प्रयोगकर्त्ता/परिचालन पद्धति तैयार करना भी सम्मिलित था जैसाकि अनुलग्नक- XIV में वर्णित है । एप्लीकेशन साफ्टवेयर माड्यूल्स का कार्य सितम्बर, 2002 तक 18 महीनों के भीतर तीन चरणों में पूर्ण किया जाना था ।

इकरार की धारा 4.4 के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के मामले में विलम्बित/निर्धारित तिथि तक दोषी फर्म से प्रतिमास के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना, जो कि अधिकतम अनुबन्ध मूल्य का पॉच प्रतिशत फर्म से वसूलनीय होगा । परियोजना के प्रभावी मूल्यांकन का निर्धारण एवं सतत् अनुवीक्षण के लिए अप्रैल, 2002 एवं दिसम्बर, 2002 में क्रमशः 'परियोजना तीव्रगामी समूह' और 'परियोजना अनुवीक्षण और समीक्षा समूह' का भी गठन किया गया ।

फर्म सितम्बर, 2002 तक परियोजना को पूर्ण करने में असफल रहा, जिसका कारण उन्होंने फर्म के कर्मियों के जल्दी-जल्दी स्थानांतरण और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्रतिरोध को बताया । अतः फर्म को समय-समय पर समयवृद्धि की छूट प्रदान की गई और चरण-I के लिए 31 मई, 2004 तक तथा पूरी परियोजना के लिए 30 सितम्बर, 2004 तक समय सीमा में अन्तिम छूट प्रदान की गई ।

आडिट ने पाया कि फर्म मार्च, 2005 तक भी परियोजना को पूर्ण करने में असफल रही । इकरार के अनुसार विकसित किये जाने वाले 19 माड्यूल्स में से फर्म ने केवल आठ माड्यूल्स ही सौंपे । तत्पश्चात् जुलाई, 2005 में इन माड्यूल्स को मैसर्स एस.टी.क्यू.सी. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ जो

कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है, परीक्षण के लिए भेजा गया जिन्होंने दिसम्बर, 2005 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी । मैसर्स एस.टी.क्यू.सी. आई.टी. सेवाओं को विभिन्न माड्यूल्स का परीक्षण करने के लिए 9.54 लाख रुपये का भुगतान किया गया । सितम्बर, 2006 में 'परियोजना द्रुतगामी समूह' ने निर्णय लिया कि मैसर्स एस.टी.क्यू.सी. सेवाओं द्वारा जाँच किए गए आठ माड्यूल्स का प्रयोग करने वाले प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष और निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा मूल्यांकन किया जाये । उनके मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि जन्म व मृत्यु तथा विधि विभाग की दो इकाईयों के साफ्टवेयर माड्यूल्स के सिवाय वास्तुविद्, प्रवर्तन, सम्पदा, स्वास्थ्य, कार्मिक और जन-शिकायत विभागों से सम्बन्धित छः साफ्टवेयर माड्यूल्स का कार्य केवल 75 से 93 प्रतिशत तक ही पूर्ण हुआ था । यह भी पाया गया कि मैसर्स सी.एम.सी. ने इकरार में परिकल्पित प्रयोगकर्ता कार्य-पद्धति, न.दि.न.पा. परिषद् के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और वैब आधारित साफ्टवेयर प्रदान नहीं किया था ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने किए गए कार्य की लागत 48.04 लाख रुपये आंकी । कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के लिए परिशोधन-क्षति के रूप में 10 लाख रुपये की प्रस्तावित कटौती करने के पश्चात् 38.04 लाख रुपये की देय राशि का आंकलन किया गया । आडिट ने पाया कि मार्च, 2007 तक आंकलित राशि का अभी तक समंजन नहीं किया गया और अप्रैल, 2001 में फर्म को भुगतान किये गये 80 लाख रुपये के अग्रिम के विरूद्ध अधिक भुगतान की गई राशि की भी अभी तक वसूली नहीं की गई ।

यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के कार्य को तीन चरणों में विभाजित किया गया था । इन चरणों को परिषद् ने ई-गवर्नेस के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कार्य/कार्यकलापों की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत् रखते हुए तैयार किया था । विभाग ने प्रथम चरण में वर्णित विभागों/कार्यक्रम के साफ्टवेयर को पहले विकसित करने के लिए सुनिश्चित नहीं किया । विभाग ने फर्म को द्वितीय चरण के लिए प्रस्तावित विभागों को पहले लेने के लिए अनुमति प्रदान की । परिणामस्वरूप, विधि, प्रवर्तन और स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा, जिसे द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाना था, को प्रथम चरण में शामिल कर लिया गया । इससे यह इंगित हुआ कि अनुबन्ध करते समय परिकल्पित प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं किया गया ।

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान सीएमसी को साफ्टवेयर आदि के विकास के लिए भुगतान किए गए 80 लाख रुपये के अतिरिक्त परिषद् ने कम्प्यूटर और इसके सहायक उपकरणों के क्रय पर 1.48 करोड़ रुपये, रूटर्स पर 16.13 लाख रुपये और नेटवर्क उपकरणों पर 1.67 करोड़ रुपये व्यय किए । फर्म की अनुशंसा पर विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 3.31 करोड़ रुपये की लागत के कम्प्यूटर एवं नेटवर्क उपकरण आदि बिना यह सुनिश्चित किए खरीदे गये कि अपेक्षित साफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित कर लिया गया है या नहीं । विभाग ने कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण क्रय करने से पूर्व प्रयोगकर्ता विभाग की माँग को सुनिश्चित नहीं किया । विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों में दिये गये निर्देशों और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दरें खुली निविदा आमंत्रित करने की बजाय सीमित निविदाओं के आधार पर कम्प्यूटरों एवं नेटवर्क के उपकरणों का क्रय किया । आडिट ने यह भी पाया कि अनुवीक्षण को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया । जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 'परियोजना द्रुतगामी समूह' का गठन, जो कि कार्य

की प्रगति का बारीकी से अनुवीक्षण करने के लिए उत्तरदायी था, कार्य सौंपने के एक वर्ष पश्चात्, अप्रैल, 2002 में किया गया ।

इस प्रकार व्यय पर उचित नियंत्रण के अभाव के कारण अग्रिम का अधिक भुगतान और परियोजना का अपर्याप्त अनुवीक्षण होने के कारण 19 माड्यूल्स के द्वारा कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम जो सभी विभागों में सितम्बर, 2002 तक क्रियान्वित हो जाना चाहिए था, 4.11 करोड़ रुपये का व्यय हो जाने के बाद भी क्रियान्वित न हो सका । इसके अतिरिक्त चार वर्षों से अधिक का विलम्ब हो जाने के बाद 19 साफ्टवेयर माड्यूल्स में से केवल दो माड्यूल्स स्वीकार्य पाये गये जिससे परिषद् ई-गर्वनेस कार्यक्रम के लाभों से वंचित रहा ।

मामला मई, 2007 में विभाग में भेजा गया था । उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

11.2 विन्डो एक्सपी प्रोफेशनल साफ्टवेयर के क्रय पर व्यर्थ व्यय

विभाग ने उपलब्ध कम्प्यूटरों की उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना जुलाई, 2003 में साफ्टवेयर के प्रोन्नत संस्करण का क्रय किया जिसके परिणामस्वरूप, 7.55 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने परामर्श सेवा के लिए अनुबन्धित फर्म, मैसर्स सी.एम.सी. लि. की अनुशंसा पर माइक्रोसाफ्ट के एक अधिकृत चैनल साझेदार, मैसर्स के.एस. सॉफ्टनेट साल्यूशन प्रा.लि., को 27 जून, 2003 को परिषद् कार्यालयों में आई.बी.एम. के विद्यमान 120 कम्प्यूटरों में विंडो 98 के स्थान पर प्रोन्नत विंडो एक्स.पी. प्रोफेशनल की आपूर्ति हेतु मीडिया एवं दस्तावेजी प्रभारों के लिए 4760 रुपये सहित 8.39 लाख रुपये की लागत का आपूर्ति आदेश दिया । फर्म के साथ 7 जुलाई, 2003 को एक इकरारनामा किया गया । फर्म ने 8 जुलाई, 2003 को मीडिया एवं दस्तावेजी किट के साथ 120 कम्प्यूटरों के लिए एम.एस. विंडो एक्स.पी. प्रोफेशनल की आपूर्ति की । फर्म को नवम्बर, 2003 में 6.29 लाख रुपये (सुपुर्दगी के विरूद्ध अनुबन्ध मूल्य का 75 प्रतिशत) और साफ्टवेयर की स्वीकृति के पश्चात् सितम्बर, 2006 में 1.26 लाख रुपये (15 प्रतिशत) का भुगतान किया । 0.84 लाख रुपये (10 प्रतिशत) की शेष राशि को विलम्ब करने के लिए और साफ्टवेयर का संस्थापन न करने के लिए जुर्माने के रूप में काट लिया गया ।

आडिट जॉच से ज्ञात हुआ कि प्रोन्नत एक्स.पी. प्रोफेशनल साफ्टवेयर संस्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि साफ्टवेयर विद्यमान हार्डवेयर के लिये उपयुक्त नहीं था । पालिका केन्द्र में संस्थापित 120 आईबीएम कम्प्यूटरों में केवल 32 एमबी रैम संस्थापित थे जबकि विंडो एक्स.पी. प्रोफेशनल के संस्थापन के लिए विशिष्टिकरण में 128 एमबी रैम सम्मिलित था ।

यह भी पाया गया था कि फर्म को नवम्बर, 2003 में सुपुर्दगी के विरूद्ध 75 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया था । स्पष्ट रूप से साफ्टवेयर को 30 आईबीएम मशीनों में ही लोड किया जा सका और उसका कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि प्रोन्नत आईबीएम कम्प्यूटरों की गति कम थी । रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं था जो इंगित करे कि इस सम्बन्ध में मामले को फर्म या सी.एम.सी. के साथ उठाया गया हो । रोचक बात यह थी कि अनुपयुक्तता के कारण शेष 90 मशीनों में साफ्टवेयर को लोड नहीं किया जा सकता था तो भी शेष 15 प्रतिशत अर्थात् 1.26 लाख रुपये का भुगतान फर्म को सितम्बर, 2006 में कर दिया गया । चूँकि अनुपयुक्तता के कारण कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर संस्थापित नहीं किया गया था इसलिए साफ्टवेयर की स्वीकृति तथा तत्पश्चात् 15 प्रतिशत भुगतान जारी करना अनियमित था ।

अत: साफ्टवेयर के प्रोन्नत संस्करण के क्रय से पूर्व उपलब्ध कम्प्यूटरों की क्षमता का उचित अध्ययन/सर्वेक्षण करने में विभाग की असफलता के कारण 7.55 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ ।

मामला मई, 2007 में विभाग को भेजा गया । उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

11.3 ओरेकल साफ्टवेयर के क्रय पर अनुत्पादक व्यय

विभाग ने नवयुग विद्यालयों सहित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विद्यालयों के लिए ओरेकल साफ्टवेयर के क्रय में लगभग दो वर्ष (अप्रैल, 2004 से मार्च 2006 तक) का विलम्ब किया । इसके अतिरिक्त विभाग मार्च, 2006 में साफ्टवेयर के क्रय से पूर्व वर्तमान कम्प्यूटरों की उपयुक्तता को निर्धारित करने में भी असफल रहा । परिणामस्वरूप, विभाग ने 5.83 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय किया ।

न.दि.न.पा.परिषद् का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विभिन्न विभागों एवं परिषद् के विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रोग्रामों के कार्यान्वयन और इसमें सहायता करने के लिद उत्तरदायी है.।

नवयुग विद्यालयों सहित .परिषद् विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है । इन विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के चार विद्यालयों में और चार नवयुग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 कक्षा तक इनफारमैटिक्स प्रैक्टिस एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है । वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के लिए इनफारमैटिक्स प्रैक्टिस के पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया और पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ओरेकल को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लागू किया ।

शिक्षा विभाग ने अपने विभिन्न न.दि.न.पा. परिषद् और नवयुग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक माँग को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिक विभाग को जून, 2004 में ओरेकल साफ्टवेयर के क्रय की व्यवस्था करने के लिए लिखा । सूचना प्रौद्योगिक विभाग ने शिक्षा विभाग से अनेक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् दिसम्बर, 2004 में क्रय की प्रक्रिया प्रारम्भ की । प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक और वर्ष लगा । विभाग जून, 2005 में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते समय अधिकृत डीलर/चैनल साझेदार की पहचान करने में असफल रहा । चैनल साझेदार की पहचान करने का कार्य जून 2005 के पश्चात् प्रारम्भ किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 30 जनवरी, 2006 को आदेश सं. अनु.अधि./31/2006 द्वारा मैसर्स स्पार्क इन्फो टैक प्रा. लि., नई दिल्ली को बिक्री कर सहित 9.02 लाख रुपये की लागत पर मीडिया किट के साथ लाईसेंस पैक सहित ओरेकल डाटाबेस मानक संस्करण साफ्टवेयर की आपूर्ति करने के लिए आदेश दिया गया । इस राशि में 1.20 लाख रुपये की लागत का अध्यापक प्रशिक्षण भी सम्मिलित था ।

विद्यालयों में 120 कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर लगाये जाने थे । फर्म के साथ 23 फरवरी, 2006 को एक इकरार किया गया और सामान की सुपुर्दगी 15 मार्च, 2006 को की गई । फर्म को जून, 2006 में 1.20 लाख रुपये प्रशिक्षण की लागत को कम करने के पश्चात् 5.83 लाख रुपये अर्थात् सुपुर्द सामान का 75 प्रतिशत का भुगतान किया गया, क्योंकि अध्यापकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रिकार्ड की ऑडिट जॉच से ज्ञात हुआ कि 120 कम्प्यूटरों में ओरेकल साफ्टवेयर के संस्थापन के आपूर्ति आदेश के विरूद्ध मई, 2006 तक केवल 36 कम्प्यूटरों में और फरवरी, 2007 तक 80 कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर संस्थापित किया गया क्योंकि विद्यालयों में उपलब्ध अन्य कम्प्यूटरों (पैनटियम-II) में ओरेकल साफ्टवेयर संस्थापित नहीं किया जा सकता था । फर्म ने ऑडिट की तिथि (फरवरी, 2007) तक भी विद्यालय प्राध्यापकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया था । प्राध्यापकों को प्रशिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों को ओरेकल प्रोग्राम शिक्षा की उपयोगिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने शिक्षा विभाग की माँग को पूरा करने के लिए साफ्टवेयर के क्रय करने में न केवल लगभग दो वर्ष (अप्रैल, 2004 से मार्च, 2006 तक) का विलम्ब किया, बल्कि विभाग फर्म को आपूर्ति आदेश देने से पूर्व वर्तमान कम्प्यूटरों की उपयुक्तता का निर्धारण करने में भी असफल रहा । परिणामस्वरूप, विभाग ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में ओरेकल सीखने में वंचित रखने के साथ-साथ 5.83 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय किया ।

मामला मई, 2007 में विभाग में भेजा गया था । उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

सम्पत्ति कर
विभाग

अध्याय XII : सम्पत्ति कर विभाग

12.1 सम्पत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

विभाग दोषी पार्टियों से सम्पत्ति कर की वसूली करने के पर्याप्त उपाय करने में असफल रहा । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक 5405 पार्टियों से सम्पत्ति कर के बकाया और जुर्माने की राशि सहित 323.09 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली नहीं की जा सकी । पुनः, 269.13 करोड़ रुपये की वसूली रिमांड तथा स्टे मामलों में सम्मिलित थी ।

नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत यदि किसी कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति मॉग के नोटिस के 30 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करता और यदि इस प्रकार के कर के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई तो उसे दोषी माना जाए और अध्यक्ष द्वारा नियत जुर्माना जोकि कर की राशि से 20 प्रतिशत अधिक नहीं होगा, लगाया जाये और इस जुर्माने को, कर की राशि के अतिरिक्त कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाये । अधिनियम की धारा 102 में यह भी प्रावधान है कि कर देने के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति यदि मॉग नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर कर का भुगतान नहीं करता है तो, इस राशि को सभी लागतों एवं जुर्माने सहित कर की राशि की वसूली दोषी की चल अथवा अचल सम्पत्ति को वारंट के द्वारा डिस्ट्रेस सेल या कुर्की द्वारा की जाये ।

फिर भी यह पाया गया कि दोषी पार्टियों से पालिका करों की वसूली करने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद विभाग ने सम्पत्ति कर की वसूली करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की । पारेणामस्वरूप, सम्पत्ति कर के बकाये अत्याधिक रहे । यद्यपि पूर्व वार्षिक आडिट रिर्पोटों में कई बार मामले को उजागर किया गया परन्तु इसमें महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ ।

विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2006 को सम्पत्ति कर एवं जुर्माने की 323.09 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकाया थी । 323.09 करोड़ रुपये की राशि में 315.34 करोड़ रुपये की कर राशि तथा 7.75 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि सम्मिलित थी। लेकिन कर के बकायों का वर्षवार विवरण आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

कर एवं जुर्माने की 323.09 करोड़ रुपये की बकाया राशि के अतिरिक्त 31 मार्च, 2006 तक सम्पत्ति कर की 269.13 करोड़ रुपये की राशि की वसूली विवादास्पद थी । 269.13 करोड़ रुपये की इस राशि में से 139.31 करोड़ रुपये की राशि रिमांड मामलों में तथा 129.82 करोड़ रुपये की राशि स्टे मामलों में सम्मिलित थी । यह भी पाया गया कि रिमांड मामलों की 31 मार्च, 2005 को 141.08 करोड़ रुपये की राशि कम हो कर 31 मार्च, 2006 को 139.31 करोड़ रुपये हो गई, जो कि 1.25 प्रतिशत का नाममात्र का सुधार था । स्टे के मामलों की राशि 89.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 129.82 करोड़ रुपये हो गई, जो कि लगभग 45 प्रतिशत की अत्याधिक वृद्धि दर्शाता है । ये मामले

किस तिथि से लम्बित थे तथा विवाद के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । परंतु यह स्पष्ट था कि विभाग 269.13 करोड़ रुपये के कर राजस्व के इन मामलों को निपटाने में असमर्थ रहा ।

कर की बकायों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि 2995 मामलों में प्रत्येक करदाता की ओर कर की एक लाख रुपये तक तथा 39 मामलों में प्रत्येक करदाता की ओर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया थी । सम्पत्ति कर और जुर्माने के बकायों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

बकाया की राशि	गृह कर		जुर्माना		कुल बकाया
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
50,000 रुपये तक	2365	0.62	902	1.03	1.64
50,000 रुपये से अधिक परन्तु एक लाख रुपये से कम	630	4.61	199	0.23	4.84
एक लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से कम	1574	38.01	579	1.37	39.38
5 लाख रुपये से अधिक परन्तु 25 लाख रुपये से कम	662	68.26	266	1.83	70.09
25 लाख रुपये से अधिक परन्तु 50 लाख रुपये से कम	85	29.45	30	0.87	30.32
50 लाख रुपये से अधिक परन्तु एक करोड़ रुपये से कम	50	34.97	19	1.11	36.08
एक करोड़ रुपये से अधिक	39	139.42	9	1.31	140.74
योग	**5405**	**315.34**	**2004**	**7.75**	**323.09**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि गृह कर के भुगतान में 5405 पार्टियां दोषी थी परंतु जुर्माना केवल 2004 (लगभग 37 प्रतिशत) मामलों में लगाया गया जिसके लिए कोई विशिष्ट कारण आडिट को स्पष्ट नहीं किये गये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति कर की बकाया वसूली वास्तव में 592.22 करोड़ रुपये थी जिसमें से 269.13 करोड़ रुपये की वसूली की राशि रिमांड एवं स्टे मामलों में सम्मिलित थी । कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर थी और यह इंगित करती थी विभाग ने अधिनियम के अनुसार कर वसूली तथा विवादों के निपटान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की ।

मामला अप्रैल 2007 विभाग को में भेजा गया परन्तु उनका उत्तर जून 2007 तक प्रतीक्षित था ।

12.2 केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना

केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सेवा-प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी उपाय करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2006 तक 958 सम्पत्तियों से 42.37 करोड़ रुपये के सेवा-प्रभारों की राशि की वसूली नहीं हुई ।

संविधान के अनुच्छेद 285 में यह प्रावधान है कि जब तक संसद कानून अथवा अन्यथा उपबन्धित न करें संघ की सम्पत्तियॉं, राज्य या राज्य में स्थित किसी प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित सभी करों से मुक्त रहेगी । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 65 में भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर की छूट होंगी ।

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 285 में इस प्रावधान के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने स्थानीय वित्त जॉंच समिति द्वारा की गई अनेक प्रतिवेदनों एवं अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त मई 1954 में निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सेवा-प्रभारों का भुगतान स्थानीय निकायों को एक अप्रैल, 1954 से किया जाये । गृह मंत्रालय ने कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगरपालिका को 75 प्रतिशत सेवा-प्रभारों का भुगतान के लिए अलग आदेश (अप्रैल, 1964) जारी किए । इन आदेशों में आंशिक संशोधन कर निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने सूचित किया (अगस्त 1975) कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत सेवा-प्रभारों का भुगतान किया जायेगा ।

परंतु यह पाया गया कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और निर्माण एवं आवास मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद विभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सम्पत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली नहीं कर सका । परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों की ओर सेवा-प्रभारों का बकाया बहुत अधिक संचित हो गया । यद्यपि मार्च, 2004 और मार्च, 2005 को समाप्त हो रहे प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक आडिट रिपोर्ट के पैरा 6.2 में इस मामले को उजागर किया गया था किन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ ।

विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2006 तक केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों की 958 सम्पत्तियों की ओर सेवा-प्रभारों की 42.37 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । 42.37 करोड़ रुपये कुल बकाया में से 41.60 करोड़ रुपये का सेवा-प्रभार उन 137 सम्पत्तियों के संबंध में बकाया थे जिनमें प्रत्येक की ओर बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक थी । प्रमुख दोषी विभागों, इनमें शामिल सम्पत्तियों की संख्या तथा उनकी ओर सेवा-प्रभारों की कुल बकाया राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	विभाग का नाम	*सम्पत्तियों की संख्या*	बकाया (रुपये करोड़ में)
1	के.लो.नि.विभाग/लो.नि.विभाग	84	19.23
2	अस्पताल	8	6.68
3	गैरिसन इंजी. तथा अन्य रक्षा संस्थापन	8	7.24
4	भारतीय खेल प्राधिकरण	1	3.65
5	रेलवे	32	2.96
6	आयकर विभाग	1	0.53
7	केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल	1	0.88
8	डाक विभाग	2	0.43
	योग	**137**	**41.60**

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से इन विभागों की ओर किस तिथि से सेवा प्रभार बकाया थे एवं भुगतान न करने के कारण सुनिश्चित नहीं किये जा सके । आडिट द्वारा अनुस्मारक देने के बावजूद भी सेवा-प्रभारों का विवरण एवं उस पर लगाये गये जुर्माने को सूचित नहीं किया गया ।

सेवा-प्रभारों की बहुत बड़ी बकाया राशि इंगित करती थी कि आडिट द्वारा आपत्ति के बावजूद, सेवा-प्रभारों की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 को 42.37 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी ।

मामला अप्रैल, 2007 विभाग को में भेजा गया परन्तु उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

12.3 संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली न होना

विभाग ने दोषी संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक सम्पत्ति कर की 11.61 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि बकाये के रूप में संचित हो गयी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि नई दिल्ली में सार्वजनिक पूजा स्थलों अथवा सोसाइटी अथवा निकाय द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य हेतु अधिवासित या प्रयोग की जा रही भूमि एवं भवनों या भूमि एवं भवनों के हिस्सों के अतिरिक्त समस्त भूमि एवं भवनों पर सम्पत्ति कर लगाया जायेगा ।

मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट के पैरा 6.3 तथा पुन: मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट के पैरा 6.3 में इंगित किया गया था

कि विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली के लिए गृह कर विभाग द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, अनेक संस्थाओं की ओर सम्पत्ति कर की बकाया राशि बहुत अधिक संचित हो गई ।

संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली की स्थिति की पुन: समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि आडिट द्वारा पूर्व में इंगित करने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ । संस्थानों की ओर सम्पत्ति कर का कुल बकाया 31 मार्च, 2005 को 48 संस्थानों की ओर 11.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2006 को 42 संस्थानों की ओर 11.61 करोड़ रुपये हो गया (अनुलग्नक-XV) । यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में दोषी संस्थाओं की संख्या में नाममात्र की कमी हुई परंतु कुछ अन्य संस्थाओं की ओर बकाया की राशि बहुत अधिक बढ़ गई ।

11.61 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से 4.17 लाख रुपये की वसूली स्टे के अधीन थी । लेकिन सम्पत्ति कर की रिमांड मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में वसूली 33.76 लाख रुपये (दो मामले) से बढ़कर 1.56 करोड़ रुपये (पाँच मामले) हो गई । प्रत्येक संस्थान की ओर 340 रुपये से 1.17 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी । बकाया राशि के विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि आठ मामलों में प्रत्येक संस्थान की ओर सम्पत्ति कर की बकाया राशि एक लाख रुपये तक थी और सात मामलों में प्रत्येक की ओर कर की बकाया राशि 50 लाख रुपये से अधिक तथा 1.17 करोड़ रुपये तक थी । संस्थानों की ओर कर की बकाया राशि का विस्तृत विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	बकायों का विवरण	संस्थानों की संख्या	बकाया (रुपये करोड़ में)
1.	1 लाख रुपये तक	8	0.02
2.	1 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक	13	0.57
3.	10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रुपये तक	6	1.03
4.	25 लाख रुपये से अधिक तथा 50 लाख रुपये तक	8	3.41
5.	50 लाख रुपये से अधिक	7	6.58
	योग	**42**	**11.61**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 42 संस्थानों की ओर 11.61 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से 15 संस्थानों की ओर 9.99 करोड़ रुपये बकाया थे ।

जिस तिथि से संस्थानों ने सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किया था तथा कुल बकायों का वर्षवार ब्यौरा रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था । यह भी पाया गया था कि सभी मामलों में दोषी संस्थानों पर नियमाधीन जुर्माना भी नहीं लगाया गया था । दोषी संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना न लगाने के कारण भी रिकार्ड में नहीं थे ।

संस्थानों की ओर सम्पत्ति कर की बहुत बड़ी बकाया राशि स्पष्ट रूप से यह इंगित करती थी. कि इन संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली के लिये विभाग द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी

जिसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2006 तक सम्पत्ति कर की 11.61 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था परन्तु उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

12.4 करयोग्य मूल्य का गलत निर्धारण करने के कारण राजस्व की हानि

विभाग द्वारा सम्पत्ति का क्षेत्रफल 147.5 वर्ग फुट मान कर करयोग्य मूल्य का निर्धारण किया गया जब कि वास्तविक क्षेत्रफल 1475 वर्ग फुट था, जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1994-95 से 2005-06 के दौरान सम्पत्ति कर की 10.45 लाख रुपये की कम वसूली हुई ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 63 के अनुसार किसी भू-खण्ड अथवा भवन का करयोग्य मूल्य उस भू-खण्ड अथवा भवन से वर्ष दर वर्ष प्राप्त होने वाले अनुमानित किराये, मरम्मत आदि के लिए 10 प्रतिशत राशि कम करने के बाद, की राशि के समान होगी ।

विभाग द्वारा 11 नवम्बर, 1994 को किये गये सर्वेक्षण के दौरान ऊपरी भूमिगत तल, कंचनजंगा भवन पर सम्पत्ति (एम.सी. संख्या-II पी/ए-203) पर ताला लगा पाया गया । सम्पत्ति के स्वामी को सम्पत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया परंतु पार्टी ने उत्तर नहीं दिया । अत: विभाग ने सम्पत्ति का निर्धारण अप्रैल, 1997 में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए तुलनात्मक मार्किट किराये के आधार पर वार्षिक मूल्य 52,144/-रुपये में 10 प्रतिशत कम पर नियत किया । 147.5 वर्ग फुट क्षेत्रफल के निर्धारण के लिए मार्किट किराया 29.46 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमास पर किया गया । पार्टी ने निर्धारण के विरूद्ध कोई आपत्ति दायर नहीं की थी । वर्ष 1996-97 के लिए भी यही करयोग्य मूल्य रखा गया ।

सम्पत्ति के नये स्वामी श्रीमती कुमकुम कंवलजीत सिंह द्वारा 16 जनवरी, 1999 को प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंध प्रतिलिपि से यह देखा जा सकता था कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल 1475 वर्ग फुट था न कि 147.5 वर्ग फुट । वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारण सूची भी यह इंगित करती थी कि संपत्ति का वास्तविक क्षेत्रफल 1475 वर्ग फुट था । इससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हुआ है कि अप्रैल, 1997 में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए 46930 रुपये करयोग्य मूल्य सही नहीं था । 1475 वर्ग फुट क्षेत्रफल के लिए सही करयोग्य मूल्य 29.46 रुपये प्रति वर्ग फुट की मार्किट दर पर 469298 रुपये (521442/-रुपये में 10 प्रतिशत कम) निकलता था । गलत क्षेत्रफल पर आधारित करयोग्य मूल्य का

गलत निर्धारण आगामी वर्षों तक भी चालू रहा जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1994-95 से 2005-06 तक 10.45 लाख रुपये के कर की कम वसूली निम्न विवरणानुसार हुई :

वर्ष	करयोग्य राशि		कर की दर	सम्पत्ति कर		कम वसूली
	नियत (रुपये में)	बकाया (रुपये में)		वसूली (रुपये में)	बकाया (रुपये में)	(रुपये में)
1994-95	46900	4,69,200	12.5%	5862	58650	52788
1995-96	46900	4,69,200	15%	7035	70380	63345
1996-97	46900	4,69,200	15%	7035	70380	63345
1997-98	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
1998-99	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
1999-00	46900	4,69,200	30%	14070	140760	126690
2000-01	46900	4,69,200	30%	14070	140760	126690
2001-02	46900	4,69,200	25%	11725	117300	105575
2002-03	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
2003-04	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
2004-05	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
2005-06	46900	4,69,200	20%	9380	93840	84460
			योग			**10,45,193**

विभाग आगामी वर्षों के लिए निर्धारण करते समय भी निर्धारण वर्ष 1994-95 में सम्पत्ति का क्षेत्रफल 1475 वर्गफुट के स्थान पर 147.5 वर्गफुट लेने की गलती को खोजने में असफल रहा ।

इस प्रकार गलत क्षेत्रफल के आधार पर करयोग्य मूल्य के गलत निर्धारण के कारण वर्ष 1994-95 से 2005-06 के दौरान 10.45 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामला नवम्बर, 2006 में विभाग को भेजा गया था । उनका उत्तर जून, 2007 तक प्रतीक्षित था ।

जन स्वास्थ्य
विभाग

अध्याय - XIII: जन स्वास्थ्य विभाग

13.1 खाद संयंत्र का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन

खाद संयंत्र, ओखला का प्रबन्धन, संयंत्र को दक्षता से चलाने में असफल रहा । वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान संयंत्र की क्षमता का उपयोग 17 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के मध्य था । प्रक्रियागत कूड़े की मात्रा के 50 प्रतिशत उत्पादन नियमों के विरूद्ध, खाद का वास्तविक उत्पादन 20 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत के मध्य हुआ । इसके अलावा, उक्त अवधि में प्रबन्धन वास्तविक उत्पादित 13289 मीट्रिक टन खाद में से केवल 4024 मीट्रिक टन खाद को बेच सका । जिसके परिणामस्वरूप, 3.61 करोड़ रुपये के मूल्य के 9265 मीट्रिक टन खाद बिना बिक्री के पड़ा रहा । इसके साथ ही स्टॉक रजिस्टर का उचित रखरखाव भी नहीं किया गया था । खाद के भण्डारण हेतु पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा में खाद खुले में पड़ी हुई थी जो खराब और बिखर सकती है ।

ओखला में खाद संयंत्र 1985 में 1.92 करोड़ रुपये की कुल लागत पर संस्थापित तथा परिचालित किया गया था । इसके दिन प्रतिदिन के परिचालनों की देखरेख न.दि.न.पा.परिषद् के स्वास्थ्य विभाग पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में प्रबन्धक, खाद संयंत्र द्वारा किया जाता है । संयंत्र का परिचालन प्रतिदिन तीन शिफ्टों में वर्ष में 300 दिनों के लिए 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन या प्रतिवर्ष 60,000 मीट्रिक टन कूड़े के निपटान की स्थापित क्षमता के साथ किया जाना था । कूड़े को प्रक्रियागत कर खाद में परिवर्तित किया जाना था । उत्पादित खाद को थोक में न.दि.न.पा.परिषद् के उद्यान विभाग को अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मार्किट में खुदरा रूप में बेचा जाना था । 1 दिसम्बर, 2002 से खाद का बिक्री मूल्य 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन से संशोधित कर लोडिंग तथा परिवहन प्रभार के अतिरिक्त 4000 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया ।

खाद संयंत्र के रिकार्ड की आडिट जॉच से ज्ञात हुआ कि संयंत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा था । वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के लिए कूड़े को प्रक्रियागत करने, उत्पादित खाद तथा इसकी बिक्री के विवरण को दर्शाती तालिका निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल क्षमता (मी.टन में)	कूड़े की ग्राह्यता (मी.टन में)	उत्पादित खाद (मी.टन में)	दर प्रति मि. टन (मी.टन में)	बेची गई मात्रा (मी.टन में)	बिना बिक्री की मात्रा (मी.टन में)	बिक्री द्वारा प्राप्त राशि (रुपये लाख में)	बिना बिक्री खाद का मूल्य (रुपये लाख में)
2002-03	60,000	14251 (24 %)	2956 (21 %)	2813	1204	1752	33.87	49.28
2003-04	60,000	17740 (30 %)	4326 (24 %)	4138	1570	3411	37.86	141.15
2004-05	60,000	10283 (17 %)	4311 (42 %)	4160	1570	2741	65.31	114.03
2005-06 (दिसम्बर 2005 तक)	45,000	8663 (19 %)	1696 (20 %)	4160	335	1361	13.94	56.62
योग			**13289**		**4024**	**9265**	**150.98**	**361.08**

तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया । वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) यह 17 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य थी । इसके अलावा, सामान्यतः उत्पादित खाद प्रक्रियागत कूड़े का 50 प्रतिशत होना चाहिए जबकि, उपरोक्त अवधि के दौरान खाद का वास्तविक उत्पादन 20 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के मध्य हुआ ।

आडिट ने यह भी पाया कि विभाग खाद की बिक्री थोक में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के उद्यान विभाग को तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के आई.एन.ए., मन्दिर मार्ग तथा सरोजिनी नगर में स्थापित अपने तीन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से थैलियों में बाहरी एजेंसियों को बेच रहा था । खाद संयंत्र के प्रबन्धन ने खाद की बिक्री को बढ़ान के लिए कोई प्रयास नहीं किए परिणामस्वरूप, वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान 13289 मीट्रिक टन उत्पादित खाद में से विभाग के केवल 1.57 करोड़ रुपये मूल्य की 4024 मीट्रिक टन खाद को बेच पाया इसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उद्यान विभाग को बेची गई खाद भी सम्मिलित थी । वास्तविक बिक्री तथा उससे प्राप्त राशि के आधार पर आडिट ने आंकलन किया कि 3.61 करोड़ रुपये मूल्य की 9265 मीट्रिक टन खाद उपरोक्त अवधि के दौरान बिना बिक्री के पड़ी रही । आडिट ने यह भी देखा कि विभाग ने स्टाक रजिस्टरों का उचित से रखरखाव नहीं किया हुआ था तथा खाद का भण्डारण भी अनुपयुक्त था क्योंकि अत्यधिक मात्रा में खाद संयंत्र के खुले स्थल में पड़ी हुई थी । परिणामस्वरूप, बिना बिक्री पड़ी खाद वास्तविक स्टाक की स्थिति को आडिट सुनिश्चित नहीं कर सका ।

इस प्रकार, संयंत्र को दक्षता से चलाने तथा मार्किट में खाद की प्रभावी बिक्री करने में प्रबन्धन की असफलता के परिणामस्वरूप वृहद स्टाक का संचयन हुआ तथा बिक्री न होने से राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, अनुपयुक्त भण्डारण व्यवस्था के कारण खाद खराब तथा बिखर रही थी ।

मामला विभाग को अप्रैल 2007 में प्रेषित कर दिया था परंतु उनका उत्तर जून 2007 तक प्रतीक्षित था ।

13.2 कूड़ा हटाने के लिए छोटे निजी ट्रकों को किराये पर लेने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय

विभाग ने बिना किसी न्यायोचितता के अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 के दौरान पॉच टाटा 407 ट्रकों को किराये पर लिया । परिणामस्वरूप, 5.39 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया ।

परिषद् का जन स्वास्थ्य विभाग परिषद् क्षेत्र से कूड़ा हटाने तथा सभी गलियों की प्रतिदिन सफाई के लिए उत्तरदायी है । विभाग के पास परिषद् क्षेत्र से कूड़ा हटाने के लिए तथा इसे सैनिटरी लैण्ड फिल स्थल पर डालने के लिए वाहनों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है । इस प्रयोजन हेतु विभाग निजी ट्रकों को भी किराये पर लेता है ।

एक अगस्त 2003 को हुई एक बैठक में सफाई विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग ने इंगित किया कि व्हीलबैरो तथा कूड़े की ट्रालियों के निरस्तीकरण एवं नीलामी के कारण, आवासियों द्वारा कूड़ा खुले में ही फेंका गया था तथा वर्तमान कूड़ा उठाने वाले ट्रक संकरे मार्ग तथा उपमार्गों में नहीं जा सकते थे । इसलिए व्हीलबैरो के क्रय करने तक या कम से कम तीन महीनों की अवधि के लिए संकरे मार्गों से कूड़े को हटाने के लिए छोटे वाहनों (टाटा 407) को किराये पर लेना प्रस्तावित किया गया ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव पर दिनांक 13 अगस्त,2003 को स्वीकृति दी गई । तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा 680 रुपये प्रतिदिन कीदर से टाटा-407 के आठ ट्रक किराये पर लेने की स्वीकृति 11 सितम्बर, 2003 को प्रदान की गई । तद्नुसार 24 सितम्बर 2003 से आठ टाटा-407 ट्रकों को तीन मास की अवधि के लिए किराये पर लिया लिया गया ।

तीन मास की समाप्ति के बाद, विभाग ने आठ ट्रकों के स्थान पर चार ट्रकों को इस आधार पर किराये पर लेना चालू रखा कि छोटे ट्रक संकरे मार्गों से कूड़ा संग्रहण करने में उपयोगी थे । नई/निविदायें आमंत्रित किए बिना उन्हीं नियमों तथा शर्तों पर उसी ठेकेदार से ट्रकों को किराये पर लिया गया था ।

इसी दौरान विभाग ने जुलाई 2004 में 3.12 लाख रुपये की लागत पर 200 व्हीलबैरो तथा मार्च 2005 में 27.60 लाख रुपये की लागत पर 1200 व्हीलबैरो का क्रय किया था ।

30.72 लाख रुपये की लागत पर 1400 व्हीलबैरो के क्रय के बावजूद भी विभाग ने बिना किसी स्पष्ट न्यायोचितता दर्शाये छोटे ट्रकों को किराये पर लेना जारी रखा । संयोगवश, विभाग ने दिनांक 24 दिसम्बर 2003 से 23 जून 2004 के दौरान चार टाटा 407 ट्रकों को किराये पर लिया । तत्पश्चात् विभाग ने अतिरिक्त ट्रकों की न्यायोचितता बताए बिना 24 जून 2004 से पॉच ट्रकों को

किराये पर लेना आरम्भ कर दिया । पॉच टाटा 407 ट्रकों को किराये पर लेना मार्च 2006 तक जारी था ।

विभाग ने प्रारम्भ में व्हीलबैरो/ट्रालियों के क्रय तक अथवा तीन मास की अवधि के लिए छोटे ट्रकों (टाटा 407) को किराये पर लेने की न्यायोचितता इस आधार पर बतायी थी कि व्हीलबैरो की नीलामी तथा निरस्तीकरण होने के बाद, संकरे मार्गों में कूड़े को उठाने में कठिनाई अनुभव की जा रही थी क्योंकि वहाँ बड़े ट्रक नहीं पहुँच सकते थे । 30.72 लाख रुपये की लागत पर 1400 व्हीलबैरो के क्रय करने के बाद भी पॉच टाटा 407 ट्रको की किराये पर लिया जाना न्यायोचित नहीं था तथा परिणामस्वरूप अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 के दौरान लगभग 5.39 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ । इस संदर्भ में मार्च 2006 तक हुए कुल परिहार्य अतिरिक्त व्यय की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि अनुस्मारक के बावजूद आडिट को अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई ।

पुनः 24 दिसम्बर 2003 से मार्च 2006 के पश्चात् इन ट्रकों को उसी ठेकेदार से बिना नई निविदा आमंत्रित किये किराये पर लेना भी अनियमित था तथा बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से भी परिषद् को वंचित किया ।

मामला अप्रैल 2007 में विभाग को भेजा गया । उनका उत्तर जून 2007 तक प्रतिक्षित था ।

कल्याण विभाग

अध्याय- XIV : कल्याण विभाग

14.1 लक्ष्मीबाई नगर स्टेडियम का उपयोग न होना

विभाग, लक्ष्मीबाई नगर स्टेडियम के खेल मैदान का समुचित रखरखाव करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-06 के दौरान स्टेडियम का उपयोग न होने से खिलाड़ी आधारभूत संरचना एवं खेलकूद सुविधाओं के लाभों से ***वंचित रहे । साथ ही इस कथित अवधि के दौरान स्टेडियम पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 9.40 लाख रुपये का अनुपयोगी व्यय भी किया गया जो कि 0.26 लाख रुपये प्रतिमास की दर पर जारी था ।***

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा-12 के अनुसार परिषद् का एक वैवेकिक कार्य क्रीड़ा एवं खेल-कूद के लिए स्टेडियमों की स्थापना और रखरखाव करना है । इस कार्य के लिए परिषद् ने न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में विभिन्न स्टेडियम बनाये हुए हैं ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का कल्याण विभाग स्टेडियमों के प्रबन्धन, इनमें खेलकूद गतिविधियों के आयोजन और खेलों के हितों में इनके प्रयोग के सुनिशचितत करने के लिए उत्तरदायी है ।

आडिट जाँच (मई-2006) से ज्ञात हुआ कि लक्ष्मीबाई नगर स्थित मिनी स्टेडियम लॉन टैनिस, बास्केट बाल, बैडमिन्टन, बॉलीबाल, कबड्डी मैदान आदि की सुविधाओं के साथ 8.26 लाख रुपये की लागत से अगस्त, 2000 में निर्मित हुआ था ।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-06 में स्टेडियम में कोई खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गई । खेलकूद के मैदानों की बुरी हालत होने के कारण स्टेडियम को प्रयोग में नहीं लाया जा सका । विभाग ने स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियों को आयोजित करने के लिए मैदानों की स्थिति को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । फलतः स्टेडियम का तीन वर्षों से अधिक समय के लिए उपयोग नहीं किया गया । इससे न केवल परिषद् का निवेश अनुत्पादक रहा अपितु खिलाड़ियों को संरचनात्मक और खेलकूद सुविधाओं के लाभों से वंचित रखा गया । मैदानों की स्थिति के सुधार के लिये की गई कार्यवाही विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी ।

आडिट ने यह भी पाया कि स्टेडियम में नियुक्त कर्मचारियों (एक खेलकूद परिचारक, एक सफाई कर्मचारी, एक चपरासी और दो सुरक्षा गार्ड) के वेतन एवं भत्ते पर भी परिषद् व्यय करती रही थी । आडिट ने इस संदर्भ में वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के लिए किये गये व्यय का आकलन इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के आधार पर 9.40 लाख रुपये किया जो

0.26 लाख रुपये (अनुमानत:) प्रतिमास की दर से जारी था । इसके अतिरिक्त परिषद् विद्युत एवं जल प्रभारों के रूप में भी व्यय करती रही थी जिसका पूर्ण विवरण आडिट के अनुरोध करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया ।

इस प्रकार विभाग द्वारा स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित करने तथा स्टेडियम का उचित रखरखाव करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप स्टेडियम के निर्माण पर 8.26 लाख रुपये का निवेश एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 9.40 लाख रुपये का व्यय बेकार तथा अनुत्पादक हुआ । इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों से खिलाड़ी भी संरचनात्मक और खेलकूद की सुविधाओं से वंचित रहे ।

मामला अप्रैल, 2007 में विभाग को भेजा गया था । जून, 2007 तक उनसे उत्तर की प्रतीक्षा थी ।

मीनाक्षी गुप्ता

(मीनाक्षी गुप्ता)
मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त, 2007

अनुलग्नक

अनुलग्नक -I

(पैरा 1.15.7.क (क))

शून्य व्यय वाले लेखा शीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		लेखा शीर्ष तथा विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06
1.	सी.1.8	स्टाफ कार का क्रय	10.00	6.00
2.	सी.1.11	यातायात भत्ता/दैनिक भत्ता	1.00	1.00
3.	सी.14.9	मोटर दुर्घटना दावों हेतु मृतक/कोर्ट को देय क्षतिपूर्ति	10.00	1.00
4.	सी.14.15	भवन रखरखाव	8.00	1.00
5.	सी.16.	इंजीनियर-इन-चीफ	5.03	5.00
6.	डी.1.1.6	जीपों को चलाना एवं रखरखाव	1.00	1.00
7.	डी.1.2.7	बसों को चलाना एवं रखरखाव	0.20	1.00
8.	डी.1.2.8(ii)	फर्नीचर एवं उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत	1.00	1.00
9.	डी.1.2.12	न.दि.न.पा.परिषद् विद्यालय हेतु खेल के मैदानों का विकास	2.00	2.00
10.	डी..1.2.17	खेलों की सामग्री का क्रय	1.00	1.00
11.	डी.1.2.ए.13	खेलों की सामग्री	1.00	1.00
12.	डी.1.3.5(i)	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	1.00	1.00
13.	डी.1.3.5(vi)	प्रयोगशाला/पुस्तकालय फर्नीचर	1.00	1.00
14.	डी.1.3.13	खेलों की सामग्री	1.00	1.00
15.	डी.1.4.5(iii)	निःशुल्क वर्दी (गैर योजना)	-	25.00
16.	ड..1.4.5(iv)	निःशुल्क स्टेशनरी की आपूर्ति(गैर योजना)	-	3.50
17.	डी.1.4.5(v)	फर्नीचर/पी.टी. उपकरण	1.00	1.00
18.	डी.1.4.5(vi)	पुस्तकालय पुस्तक	1.00	1.00
19.	ड..1.4.5(ix)	ऊन/ऊनी स्वेटरों की आपूर्ति	-	9.00
20.	डी.1.4.5(x)	खेल की सामग्री	2.00	2.00
21.	डी.1.4.5(xi)	वाद्य यन्त्र	1.00	1.00
22.	डी.1.4.7	मूल कार्य गैर योजना (पूंजी)	102.00	54.00
23.	डी.1.4.9(ii) (ए)	वेतन एवं भत्ते	10.22	8.08
24.	डी.1.7.6 -	सेमीनारों का गठन /प्रतिभा छात्रवृत्तियों	1.00	1.00
25.	डी.1.7.6(iii)	विज्ञान में सुधार एवं सेवारत कार्यक्रम (गैर योजना)	-	3.00
26.	डी.1.7.7.1	वेतन एवं भत्ते	2.96	1.19
27.	डी.1.8.1	वेतन एवं भत्ते	1.50	1.53
28.	डी.1.10.5	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	1.00	1.00
29.	डी.1.10.9(ii)	अन्य मदें	2.00	2.00
30.	डी.1.10.14	अवकाश यात्रा रियायत	2.00	2.00
31.	डी.1.19.4	अन्य प्रभार-छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ (गैर योजना)	-	2.00
32.	डी.1.20.4	अन्य प्रभार	5.00	1.00
33.	डी.1.21	बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को नकद पुरस्कार	1.50	1.50

34.	डी.1.22	कैनवस जूतों की आपूर्ति (गैर योजना)	-	6.00
35.	डी.2.2.7	मोती बाग स्थित अस्पताल का सशक्तिकरण (गैर योजना)	100.00	10.00
36.	डी.2.2.11ई	थैलीसीमिया इकाई का सशक्तिकरण (पूंजी)	10.00	1.00
37.	डी.2.2.12.1	वेतन एवं भत्ते	19.62	20.12
38.	डी.2.2.ए.13	इपीबीएएक्स/दूरभाष प्रभार	1.00	1.00
39.	डी.2.5.8	मूल कार्य (पूंजी)	3.00	1.00
40.	डी.2.5.13	अवकाश यात्रा रियायत	1.50	1.50
41.	डी.2.6.12	न.दि.न.पा.परिषद् के पॉलीक्लिनिक का सशक्तिकरण (पूंजी)	20.00	20.00
42.	डी.2.7.11	अवकाश यात्रा रियायत	-	1.00
43.	डी.2.8.7	विद्यालय में स्वास्थ सेवा का सशक्तिकरण (गैर योजना)	2.00	2.00
44.	डी.2.10.4	अन्य प्रभार	0.10	1.00
45.	डी.2.11.1	वेतन एवं भत्ते	16.70	17.16
46.	डी.2.12.4.ए	उपकरण	-	3.50
47.	डी..2.12.5	आहार	-	2.00
48.	डी.2.13.4	अन्य प्रभार	0.10	1.00
49.	डी.2.13.9	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	1.00	1.00
50.	डी..2.15.4	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.50	1.00
51.	डी.2.15.6	अन्य प्रभार	-	1.00
52.	डी.2.16.13	कूड़ेदान का रखरखाव एवं वार्षिक मरम्मत(अ)स्वास्थ्य	2.00	2.00
53.	डी.2.16.14	अनुग्रह राशि	45.14	45.05
54.	डी.2.16.17	अवकाशयात्रा रियायत	26.38	26.58
55.	डी.2.17.8	डीजल सैटों का रखरखाव एवं चलाना	1.00	10.00
56.	डी.2.18.5	पुलिस पर लागत	20.00	20.00
57.	डी.2.20.1	वेतन एवं भत्ते	11.64	11.86
58.	डी.4.1.4	रखरखाव (सिविल)	10.00	10.00
59.	डी.4.3.1	वेतन एवं भत्ते	12.89	13.24
60.	डी.4.4.7	सड़क विभाजकों पर पानी छिड़कने हेतु पानी के टैंकरों सहित वाहनों का क्रय	25.00	25.00
61.	डी.4.4.8	उपकरणों का क्रय	9.00	10.00
62.	डी.4.4.9	यन्त्र एवं उपकरणों का क्रय	10.00	10.00
63.	डी.4.4.13	खाद संयंत्र (गैर योजना)	-	1.00
64.	डी.4.5.1	वेतन एवं भत्ते	61.82	61.03
65.	डी.4.5.6	अनुग्रह राशि	1.09	1.07
66.	डी.4.6.6.9	अवकाश यात्रा रियायत	-	1.00
67.	डी.4.7.3	पालिका सेवा अधिकारी संस्थान	10.00	10.00
68.	डी.4.9.1.ए	जनशौचालयों एवं मूत्रालयों की वार्षिक मरम्मत	-	7.00
69.	डी.4.11.4	सामाजिक/आर्थिक सर्वेक्षण (गैर योजना)	22.00	2.10
70.	डी.4.13.6	अवकाश यात्रा रियायत	1.00	1.00
71.	डी.5.(III)	विद्युत	90.00	60.00
		कार्यालय आकस्मिक व्यय	1.00	1.00
72.	डी.8.4	अनुग्रह राशि	1.25	1.26

73.	डी.10(ii)	प्राकृतिक आपदा सहायता योगदान	150.00	50.00
74.	डी.2.2.	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यय	-	20.00
75.	डी.2.4	परामर्श के लिए प्रभार/विधि प्रभार/व्यावसायिक प्रभारों हेतु भुगतान	-	5.00
76.	डी.10	पिक-अप वैन का क्रय	5.00	5.00
77.	डी.1.1.2	विशेष मरम्मत एवं रखरखाव	-	16.00
78.	जी.1.1.3	संयंत्र एवं उपकरणों की मरम्मत एवं कार्यालय फर्नीचर की केनिंग	1.00	5.00
79.	जी.1.1.5	स्टील चेनों एवं चैनल गार्डो में सुधार	-	4.00
80.	एच.1.4	भवन की मरम्मत एवं रखरखाव, (4) व्यावसायिक परियोजनाओं की मरम्मत	25.00	20.00
81.	एच.1.11	स्टोर का क्रय	110.00	110.00
82.	एच.1.18	संयंत्र एवं उपकरणों का क्रय	5.00	5.00
83.	एच 1.21	यातायात भत्ता	-	1.00
84.	एच.3.4(ए)	दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान	1.00	1.00
85.	एच.6	परामर्श/मूल्यांकन अध्ययन	50.00	24.00

अनुलग्नक-II

पैरा 1.15.7.क (ग)

संशोधित अनुमानों से 50 प्रतिशत अधिक बचत वाले लेखा शीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06	बचत	प्रतिशतता
1.	ए.1.4	अन्य प्रभार	2.00	2.00	0.37	1.63	81.5
2.	ए.1.6	बोनस	0.15	0.17	0.07	0.10	58.82
3.	ए.1.7	मानदेय/समयोपरि भत्ता	20.00	5.00	0.49	4.51	90.2
4.	सी.1.9	मानदेय/समयोपारि भत्ता	4.00	4.00	1.98	2.02	50.5
5.	सी.1.10	अवकाश यात्रा रियायत	0.20	0.50	0.13	0.37	74
6.	सी.3.8(V) (ए)	डाक एवं राजस्व	2.50	2.00	0.87	1.13	56.5
7.	सी.3.8(XIII)	पालिका भवनों में अग्नि बचाव प्रबन्ध	168.00	23.00	8.15	14.85	64.57
8.	सी.3.8(XV)	बैंक प्रभार	5.00	7.00	3.38	3.62	51.71
9.	सी.4.4	अन्य प्रभार	-	40.00	17.56	22.44	56.1
10.	सी.5.7	बोनस	0.10	0.15	0.02	0.13	86.67
11.	सी.7.5(III)	स्टाफ कल्याणकारी गतिविधियां	10.00	37.50	16.52	20.98	55.95
12.	सी 8.6	बोनस	0.10	0.10	0.02	0.08	80
13.	सी.8.8	मानदेय/समयोपरि भत्ता	1.00	1.00	0.45	0.55	55
14.	सी.10.4	अन्य प्रभार	1.50	1.50	0.62	0.88	58.67
15.	सी.11	पंजाबी का प्रचार	1.50	1.00	0.35	0.65	65
16.	सी.12.7	अन्य प्रभार	35.00	20.00	7.55	12.45	62.25
17.	सी.14.13	अवकाश यात्रा रियायत	0.75	5.00	0.26	4.74	94.8
18.	सी.15.1	वेतन एवं भत्ते	72.03	73.95	17.03	56.92	78.97
19.	डी.1.1.10	मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.50	0.50	0.16	0.34	68
20.	डी.1.1.11	अवकाश रियायत भत्ता	1.00	2.00	0.60	1.40	70
21.	डी.1.1.13	विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोशालाओं की स्थापना एवं अतिरिक्त कम्प्यूटर उपलब्ध कराना	1.00	20.00	5.36	14.64	73.2
22.	डी.1.2.4	छात्रवृत्तियाँ	1.00	0.50	0.04	0.46	92
23.	डी.1.2.5	विज्ञान उपकरण	1.00	1.00	0.37	0.63	63
24.	डी.1.2.8 1)	अन्य प्रभार, पुस्तकालय पुस्तकें	2.00	1.00	0.20	0.80	80
25.	डी.1.2.16	अवकाश यात्रा रियायत	4.00	4.00	0.21	3.79	94.75
26.	डी.1.2.ए.7	पुस्तकालय	1.00	0.30	0.05	0.25	83.33
27.	डी.1.2. ए.9	विज्ञान उपकरण	1.00	1.00	0.21	0.79	79
28.	डी.1.2. ए.11	अवकाश यात्रा रियायत	3.00	3.00	1.50	1.50	50
29.	डी.1.2. ए.12	प्रयोशाला	1.00	0.50	.06	0.44	88

30.	डी.1.3.5(V)	अन्य प्रभार अन्य मदें	3.00	3.30	4.79	28.21	85.48
31.	डी.1.3.8	प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार (गैर योजना निधि)	-	8.00	0.79	7.21	90.13
32.	डी.13.12	अवकाश यात्रा रियायत	1.50	1.00	0.22	0.78	78
33.	डी.1.4.5(IX)	अन्य प्रभार, गर्म स्वेटरों की आपूर्ति	17.00	8.00	2.58	5.42	67.76
34.	डी.1.4.6	आर.एम बालिका प्राथमिक विद्यालय सं0-1, डाक्टर लेन को सहायता अनुदान	44.00	30.00	13.90	16.10	53.67
		खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय बंगला साहिब	31.00	31.00	8.49	22.51	72.61
35.	डी.1.4.7(डी)	अवकाश यात्रा रियायत	4.00	4.00	1.31	2.69	67.25
36.	डी.1.4.9.I(डी)	अनुग्रह राशि	0.10	0.10	0.05	0.05	50
	(ई)	बोनस	0.10	0.10	0.05	0.05	50
37.	डी.1.4.9(II)(डी)	बोनस	0.12	0.12	0.02	0.10	83.33
38.	डी.1.5.4(II)	अन्य मदें	2.50	2.50	1.07	1.43	57.2
39.	डी.1.5.13	अवकाश यात्रा रियायत	2.00	2.00	0.05	1.95	97.5
40.	डी.1.6.6	सामाजिक शिक्षा हेतु योजना (गैर योजना निधि)	2.00	2.00	0.39	1.61	80.5
41.	1.7.6(V)	अवकाश यात्रा रियायत	0.30	0.30	0.03	0.27	90
42.	डी.1.7.6ए (I)	वेतन एवं भत्ता	9.99	5.18	0.15	5.03	97.10
43.	ड.1.8.4	अन्य प्रभार	1.50	1.50	0.64	0.86	57.33
44.	ड.1.10.11	अनुग्रह राशि	0.42	0.42	0.15	0.27	64.29
45.	डी.1.10.13	मानदेय/समयोपारि भत्ता	0.10	0.15	0.02	0.13	86.67
46	डी.1.14.4	अन्य प्रभार	2.50	2.50	0.94	1.56	62.4
47.	डी.1.26	शैक्षिक व्यायावसिक दिशा निर्देश(गैर योजना)	-	4.00	0.39	3.61	90.25
48.	डी.2.1.7.ए	केन्द्रीय स्वास्थ्य भंडार का सशक्तिकरण	0.20	0.20	0.07	0.13	65
49.	डी.2.1.10	बोनस	0.31	0.29	0.09	0.20	68.97
50.	डी..2.2.10.ए	अस्पताल के कचरे का निपटान	15.00	10.00	0.10	9.90	99
51.	डी.2.2.11	मूल कार्य गैर योजना निधि (पूँजी)	58.00	26.00	6.31	19.69	75.73
52.	डी 2.2.11.डी	अवकाश यात्रा रियायत	-	10.00	1.84	8.16	81.6
53.	डी.2.2.14.4	बोनस	0.10	0.10	0.05	0.05	50
54.	डी.2.2.A.4	मूल कार्य गैर योजना (पूंजी)	392.00	92.00	0.74	91.26	99.20
55.	डी.2.2.ए.12	अस्पताल कार्यो का निपटान	7.00	5.00	0.32	4.68	93.6
56.	डी..2.3.13	मूल कार्य (पूंजी)	32.00	11.50	0.21	11.29	98.17
57.	डी..2.3.20	अवकाश यात्रा रियायत	6.00	5.00	0.95	4.05	81
58.	डी..2.4.13	अवकाश यात्रा रियायत	1.55	1.55	0.49	1.06	68.39
59.	डी..2.5.4	चिकित्सा	10.00	10.00	5.00	5.00	50
60.	डी..2.5.10	बोनस	0.35	1.16	0.27	0.89	76.72
61.	डी..2.6.8	अन्य प्रभार	0.70	0.70	0.44	0.26	59.10

62.	डी..2.7.7	वेतन एवं भत्ते	24.41	25.94	6.94	19.00	73.25
63.	डी..2.7.8	बोनस	0.36	0.37	0.12	0.25	67.57
64.	डी..2.8.6	वैन का चलाना एवं रखरखाव	0.50	1.00	0.13	0.87	87
65.	डी..2.11.4	अन्य प्रभार	0.15	5.00	0.24	4.76	95.2
66.	डी..2.12.13	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.50	1.00	0.42	0.58	58
67.	डी..2.13.1	वेतन एवं भत्ते	32.26	32.96	8.17	24.79	75.21
68.	डी..2.13.8	बोनस	0.20	0.20	0.05	0.15	75
69.	डी..2.14.11	अवकाश यात्रा रियायत	0.25	0.25	.07	0.18	72
70.	डी..2.15.1	वेतन एवं भत्ते	130.57	124.71	41.57	83.14	66.67
71.	डी..2.15.9	अनुग्रह राशि	0.85	0.95	0.22	0.73	76.84
72.	डी..2.15.12	अवकाश यात्रा रियायत	0.28	0.28	.01	0.27	96.43
73.	डी..2.16.13	कूड़े दान की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव (ब सिविल)	20.00	13.00	2.51	10.49	80.69
74.	डी..2.17.10	अन्य प्रभार	2.00	2.00	.01	1.99	99.5
75.	डी.2.17.11	मूल कार्य एवं सीवरेज गैर योजना (पूंजी)	236.50	54.80	0.12	54.68	99.78
76.	डी..2.17.16	अनुग्रह राशि	14.67	14.57	1.02	13.55	93
77.	डी.2.19.6	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2.00	3.00	1.40	1.60	53.33
78.	डी..2.19.13	अवकाश यात्रा रियायत	2.10	2.10	0.14	1.96	93.33
79.	डी..2.20.7	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.50	1.00	0.33	0.67	67
80.	डी..2.21.1	वेतन एवं भत्ते	15.37	13.88	6.45	7.43	53.53
81.	डी..3.1.7	अस्पताल के कचरे का निपटान	7.00	7.00	.08	6.92	98.86
82.	डी.3.1.10	बोनस	0.37	0.30	0.15	0.15	50
83.	डी..4.1.1	वेतन एवं भत्ते	78.52	57.98	26.74	31.24	53.88
84.	डी..4.1.5	अन्य प्रभार	9.00	9.00	3.86	5.14	57.11
85.	डी..4.1.9	अनुग्रह राशि	0.91	0.91	0.30	0.61	67.03
86.	डी..4.1.10	बोनस	0.19	0.19	0.05	0.14	73.68
87.	डी..4.1.12	अवकाश यात्रा रियायत	0.40	1.00	0.02	0.98	98
88.	डी..4.2.1.5	अन्य प्रभार	4.00	4.00	0.48	3.52	88
89	डी..4.2.2.7	बोनस	0.57	0.67	0.25.	0.42	62.69
90.	डी..4.4.4.बी	सिविल	80.00	66.50	19.89	46.61	70.09
91.	डी..4.4.10	मूल कार्य गैर योजना निधि (पूंजी)	77.90	151.50	55.00	96.50	63.70
92.	डी..4.4.11	अनुग्रह राशि	2.61	4.21	1.97	2.24	53.21
93.	डी..4.6.4ए	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2.00	3.00	0.35	2.65	88.33
94.	डी..4.6.7.1	वेतन एवं भत्ते	38.20	40.00	2.53	37.47	93.68
95.	डी..4.7.1	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान	8.00	5.00	2.40	2.60	52
96.	डी..4.7.2	समाज कल्याण समिति	30.00	76.00	0.32	75.68	99.58
97.	डी..4.12.1	मूल कार्य गैर योजना निधि (पूंजी)	532.25	268.06	122.11	145.95	54.45
98.	डी..4.13.3बी	बोनस	0.07	0.07	0.02	0.05	71.43
99.	डी..4.13.3ए	अनुग्रह राशि	0.10	0.10	0.05	0.05	50

100.	डी.डी.7.6	अन्य प्रभार	5.00	5.00	0.74	4.26	85.2
101.	डी..7.8	बोनस	.07	0.21	0.02	0.19	90.48
102.	डी..7.9	मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.30	0.30	0.07	0.23	76.67
103.	डी..8.1	वेतन एवं भत्ते	69.29	72.10	0.79	71.31	98.90
104.	ई.4.3	यन्त्र एवं उपकरण	31.30	22.00	3.04	18.96	86.18
105.	ई..6(I)	विद्युत 11केवी/33केवी वाहनों का क्रय	15.50	12.00	5.26	6.74	56.17
106.	ई..6(VI)	फर्नीचर विद्युत 11केवी/33केवी	8.00	8.70	3.42	5.28	60.69
107.	ई.6(VII)	सामान्य भण्डार हेतु सुरक्षा प्रबन्धों का प्रावधान	0.50	0.50	0.01	0.49	98
108.	ई..7	अनुग्रह राशि	58.55	28.86	0.87	27.99	96.99
109.	ई..10	अवकाश यात्रा रियायत	15.00	25.00	11.57	13.43	53.72
110.	ई..11	भंडार का क्रय	600.00	950.00	119.01	830.99	87.47
111.	ई.16	अवकाश यात्रा रियायत	5.00	2.92	1.02	1.90	65.07
112.	ई..1.4	भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव 1) विशेष मरम्मत 2) लघु कार्य	40.00 50.00	30.00 48.00	1.43 15.70	28.57 32.30	95.23 67.29
113.	एच.1.8ए	नालों तथा सड़कों के किनारों पर पर्यावरणीय सुधार गैर योजना (पूंजी)	15.00	25.00	0.25	24.75	99
114.	एच.1.8.डी	कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण	19.00	1.00	0.18	0.82	82
115.	एच.1.13	भंडार को चलाना एवं रखरखाव	20.00	10.00	0.20	9.80	98
116.	एच..1.13.ए	पदार्थ जॉच प्रयोगशाला को चलाना एवं रखरखाव	5.00	1.00	0.32	0.68	68
117.	एच..1.20	अवकाश यात्रा रियायत	0.12	25.00	5.19	19.81	79.24
118.	एच..3.9	अवकाश यात्रा रियायत	-	2.00	.04	1.96	98
119.	एच..4.सी	मिन्टो रोड क्षेत्र (पूंजी)	100.00	50.92	10.41	40.51	79.56
120.	आई (ए)	वाहन का क्रय	30.00	20.00	9.82	10.18	50.9
122	आई(डी)	कम्प्यूटर क्रय अग्रिम	2.00	2.00	0.02	1.98	99
123	के (I) के (II)	उद्यान (पूंजी) सिविल अभियांत्रिकी (पूंजी)	2.00 200.00	2.00 59.00	0.26 27.99	1.74 31.01	87 52.56

अनुलग्नक-III

(पैरा 1.15.7 क (च)

संशोधित अनुमानों के 50 प्रतिशत से अधिक सतत् बचतों के लेखाशीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बचतें	प्रतिशतता
1.	डी.1.25 (10+2)	शिक्षा की पद्धति	2003-04	-	1.00	-	1.00	100.00
			2004-05	1.00	0.10	-	0.10	100.00
			2005-06	-	0.10	-	0.10	100.00
2.	सी.12.7	अन्य प्रभार	2003-04	32.00	32.00	10.26	21.74	67.94
			2004-05	33.00	30.00	12.15	17.85	59.50
			2005-06	35.00	20.00	7.55	12.45	62.25
3.	डी.1.2.ए.12	प्रयोगशाला/पुस्तकालय फर्नीचर	2003-04	1.00	1.00	-	1.00	100.00
			2004-05	1.00	0.20	-	0.20	100.00
			2005-06	1.00	0.50	0.06	0.44	88.00
4.	डी.1.ए.13	खेल सामग्री	2003-04	1.00	2.00	-	2.00	100.00
			2004-05	1.00	0.20	-	0.20	100.00
			2005-06	1.00	1.00	-	1.00	100.00
5.	डी.1.4.7	मूल कार्य (पूँजी)	2003-04	223.00	157.00	30.42	126.58	80.62
			2004-05	137.00	56.70	23.55	33.15	58.47
			2005-06	102.00	54.00	-	54.00	100.00
6.	डी.2.18.4	वाहनों का रखरखाव तथा परिचालन	2003-04	1.00	1.00	-	1.00	100.00
			2004-05	1.00	1.00	-	1.00	100.00
			2005-06	2.00	2.00	-	2.00	100.00
7.	डी.4.2.1.5	अन्य प्रभार	2003-04	4.00	1.00	0.17	0.83	83.00
			2004-05	3.00	0.50	0.18	0.32	64.00
			2005-06	4.00	4.00	0.48	3.52	88.00
8.	डी.4.4.4.बी	सिविल	2003-04	30.00	75.00	17.05	57.95	77.27
			2004-05	30.00	30.00	9.42	20.58	68.06
			2005-06	80.00	66.50	19.89	46.61	70.09
9.	डी.4.4.8	उपकरण का क्रय	2003-04	15.00	10.00	-	10.00	100.00
			2004-05	9.00	0.10	-	0.10	100.00
			2005-06	9.00	10.00	-	10.00	100.00
10.	एच.1.13	भण्डारों का रखरखाव व परिचालन	2003-04	4.00	5.00	0.11	4.89	97.80
			2004-05	4.50	5.50	2.04	3.46	62.91
			2005-06	20.00	10.00	0.20	9.80	98.00
11.	डी.1.5.4	अन्य प्रभार	2003-04	4.50	3.30	1.10	2.20	66.67
			2004-05	4.50	1.90	0.32	1.58	83.15
			2005-06	2.50	2.50	1.07	1.43	57.20

अनुलग्नक -IV
(पैरा 1.15.7 क (ङ))

आधिक्य व्यय वाले लेखा शीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	आधिक्य	प्रतिशतता
1.	ए.1.1.	वेतन एवं भत्ते	134.80	140.74	150.02	9.28	6.59
2.	सी.1.5	अन्य प्रभार	8.00	10.00	14.36	4.36	43.6
3.	सी.3.8 (ii)(ए.)	टेलीफोन एक्सचेंज/पीबीएक्स विद्युत भवन	10.75	11.50	16.36	4.86	42.26
4.	सी.3.8(iii)	फार्म एवं स्टेशनरी	70.00	40.25	65.94	25.69	63.83
5.	सी.3.8(viii)	अन्य मदें सामान्य	20.00	18.00	21.01	3.01	16.72
6.	सी.7.1	वेतन एवं भत्ते	23.55	24.48	43.47	18.99	77.57
7.	सी.8.4	अन्य प्रभार	0.40	0.40	12.26	11.86	2965
8.	सी.14.6	वर्कशाप मशीनों को चलाना एवं रखरखाव	3.00	0.20	3.59	3.39	1695
9.	सी.15.5	अन्य प्रभार	50.00	2.00	3.02	1.02	51
10.	सी.1.1.4	अन्य प्रभार	60.00	95.00	96.41	1.41	1.48
11.	डी.1.2.ए.1	वेतन एवं भत्ते	601.26	573.61	666.22	92.61	16.15
12.	डी.1.4.1	वेतन एवं भत्ते	817.85	885.33	1064.16	178.83	20.20
13.	डी.1.4.6	आर.एम. आर्य बालिका प्राथमिक विद्यालय-2	36.00	18.00	30.32	12.32	68.44
14.	डी.1.4.7.बी	बोनस	11.49	12.00	13.81	1.81	15.08
15.	डी.1.4.9(I)(ए)	वेतन एवं भत्ते	11.06	3,67	8.03	4.36	118.80
16.	डी.1.4.10	प्राथमिक शिक्षा वृद्धि परियोजना गैर योजना (पूंजी)	1008.97	1078.94	1164.20	85.26	7.9
17.	डी.1.6.1	वेतन एवं भत्ते	121.91	110.98	131.67	20.69	18.64
18.	डी. 1.7.1	वेतन एवं भत्ते	5.67	6.22	22.58	16.36	2.63
19.	डी.1.11	नवयुग विद्यालय समिति को अनुदान सहायता	900.00	820.00	824.54	4.54	0.55
20.	डी.2.1.12	अवकाश यात्रा रियायत	3.35	1.55	4.96	3.41	2.20
21.	डी.2.2.1	वेतन एवं भत्ते	554.03	432.35	585.89	153.54	35.51
22.	डी.2.2.ए.1	वेतन एवं भत्ते	230.18	206.29	230.91	24.62	11.93
23.	डी.2.6.13	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.25	0.50	1.54	1.04	208
24.	डी.2.15.13(i)	वेतन एवं भत्ते	18.73	19.23	29.25	10.02	52.11
25.	डी.2.17.9	वैनों को चलाना एवं रखरखाव	3.00	3.00	4.11	1.11	37

26.	डी.2.17.17	बोनस	0.07	0.07	10.56	10.49	14985.71
27.	डी.4.1.4	रखरखाव (विद्युत)	8.00	8.60	12.70	4.10	47.67
28.	डी. 4.2.2.1	वेतन एवं भत्ते	28.00	28.05	51.74	23.69	84.46
29.	डी.4.6.1	वेतन एवं भत्ते	32.73	33.46	48.63	15.17	45.38
30.	डी.6.7.4	अन्य प्रभार (गैर योजना)	5.00	5.00	6.32	1.32	26.4
31.	डी.7.4	इन्डोर स्टेडियम का रखरखाव	25.00	40.00	58.63	18.63	46.58
32.	डी.8.3	अन्य प्रभार	50.00	50.00	68.31	18.31	36.62
33.	ई.1.1	वेतन एवं भत्ते	4261.27	2429.28	3459.72	1030.44	42.42
34.	ई.6(IV)	टेलीफोन	32.60	35.76	36.90	1.14	3.19
35.	ई.8	बोनस	2.72	2.02	45.80	43.78	2167.32
36.	एफ.5	रखरखाव कार्य	55.00	55.00	57.09	2.09	3.8
37.	जी.2.5	टावर लैडर्स का क्रय	12.00	2.50	8.36	5.86	234.4
38.	एच.1.6	वैनों की मरम्मत एवं रखरखाव	35.00	20.00	45.61	25.61	128.05
39.	एच.1.7	अन्य प्रभार	241.10	307.03	358.36	51.33	16.72
40.	एच.1.8	मूलकार्य (पूंजी)	1755.00	329.90	354.39	24.49	7.42
41.	एच.1.14	अनुग्रह राशि	26.77	8.34	11.93	3.59	43.05
42.	एच.2.4	कार्यों का रखरखाव	540	500	665.21	165.21	33.04
43.	एच.3.1	वेतन एवं भत्ते	178.76	148.68	173.48	24.80	16.68
44.	एच.3.4	अन्य प्रभार	7.00	2.50	5.98	3.48	139.2
45.	के.III	विद्युत (पूंजी)	450.00	450.00	595.93	145.93	32.43

अनुलग्नक-V
(पैरा 2.8.2.1)

वर्ष-2003-2006 की अवधि में लेखाशीर्ष भवनों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के अन्तर्गत मूल प्रकृति के किये गये कार्यों को दर्शाती सूची

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या	कार्य का नाम	कुल लागत (रुपये में)
भवन रखरखाव- I प्रभाग (अनुबन्ध)			
1.	11/2003-04	एस.पी. मुखर्जी तरणताल पर 25 अश्वशक्ति मोटर पम्पों का संस्थापन	96,485
2.	13/2003-04	एस.पी. मुखर्जी तरणताल 7.5 अश्वशक्ति मोटर पम्पों का संस्थापन	95,937
3.	36/2003-04	पालिका केन्द्र के भूमिगत तल में दीमकरोधी उपचार	62,146
4.	49/2003-04	उप प्रभाग-2 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त रोलिंग शटरों को बदलना	82,454
5.	100/2003-04	बापूधाम आवासीय खण्ड की चार-दीवारी पर एम.एस.रैलिंग लगाना	1,38,148
6.	9/2003-04	पालिका केन्द्र के प्रवेश द्वार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कमरे का निर्माण	64880
7.	14/2003-04	पालिका धाम में क्षतिग्रस्त चालू पी.वी.सी. बरसाती पानी के पाईप को बदलना	78116
8.	24/2003-04	पालिका केन्द्र औषधालय के ऊपर मैजनीन तल पर जलरोधी उपचार	124320
9.	34/2003-04	बापूधाम कम्पलैक्स में खुले स्थल तथा भीतरी सम्पर्क मार्ग का पुनर्सतहीकरण	324375
10.	38/2003-04	औरंगजेब लेन विद्यालय पर टूटे हुए दरवाजे के शटरों को बदलना	12340
11.	41/2003-04	आर.के. आश्रम मार्ग पर दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	68772
12.	68/2003-04	किचनर रोड विद्यालय में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	99285
13.	85/2003-04	वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूधाम में दीमकरोधी उपचार	99407
14.	88/2003-04	बापूधाम आवासीय परिसर में क्षतिग्रस्त दरवाजों को बदलना	84490
15.	101/2003-04	तुगलक क्रीसेन्ट होम्योपैथी डिस्पेन्सरी में क्षतिग्रस्त ए.सी. शीट को हटाकर लाल पत्थर की स्लैब लगाना	72933
16.	102/2003-04	बापूधाम में टूटी हुई खिडकियों इत्यादि को बदलना	84519
17.	126/2003-04	पालिकाधाम में क्षतिग्रस्त सैनिटरी तथा जलनिकासी प्रणाली को बदलना	55643
18.	127/2003-04	शहीद भगत सिंह प्लेस में क्षतिगस्त आर.सी.सी. छज्जे को बदलना	90306
19.	131/2003-04	पालिका निकेतन आवासीय परिसर में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	102160
20.	48/2004-05	ताल कटोरा गार्डन में जल निकाय के आस-पास के बैठने के क्षेत्रों में एम.एस. रैलिंग का प्रावधान	43683
21.	51/2004-05	स्वाति महिला हॉस्टल में शौचालय की खिडकियों में फलश दरवाजा तथा स्टील की वायर को बदलना	68547
22.	08/2004-05	जाफरी स्क्वेयर सेवा केन्द्र के अन्तर्गत मोटर पम्पों को मरम्मत/बदलना	65793
23.	17/2004-05	मंदिर मार्ग स्थित आटो वर्कशाप में एम.एस. ग्रिल्स इत्यादि पर एम.एस. कप बोर्ड शटर लगाना	52095
24.	33/2004-05	गोल मार्किट स्थित नगरपालिका बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशालाओं में दीमकरोधी उपचार	104,587
25.	47/2004-05	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न भवनों में संकेत बोर्डो को लगाने का प्रावधान	50419
26.	66/2004-05	एडवर्ड स्क्वेयर सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विद्यालयों, विभिन्न आवासीय खण्डों में संकेत बोर्ड लगाना	49739
27.	85/2004-05	धोबीघाट संख्या-1,4,5 एवं 6, में टयूबवैल के लिए चैम्बर का प्रावधान	43593

28.	89/2004-05	पालिका केन्द्र के वर्तमान ग्रेनाइट स्टोर पर देस बस्टनर लगाना	115944
29.	74/2004-05	मंदिर मार्ग सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय खण्डों एवं विद्यालयों में संकेत बोर्ड लगाना	50507
30.	65/2004-05	लाल बहादुर सदन आवासीय खण्ड में क्षतिग्रस्त डब्ल्यू.सी एवं डोर शटर बदलना	81644
31.	82/2004-05	श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताल कम्पलैक्स में ताल के पानी को गर्म करने हेतु हीट एक्सचेंजर बदलना	104321
32.	58/2004-05	शिवाजी स्टेडियम सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में संकेत बोर्ड लगाना	62596
33.	05/2004-05	अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत) के कक्षों में पॉली विनायल टायलों की फर्श, वैनेटियन ब्लाइंडस इत्यादि का प्रावधान करना	68863
34.	23/2004-05	धोबी घाट संख्या 4 एवं 6 पर क्षतिग्रस्त भट्टी एवं जल निकासी ट्यूब को बदलना	65052
35.	80/2004-05	हनुमान रोड सर्विस केन्द्र में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	95281
36.	96/2004-05	ताल कटोरा गार्डन में अतिरिक्त भूमिगत जल भण्डार टैंक का निर्माण	71800
37.	98/2004-05	नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय मंदिर मार्ग में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	99976
38.	120/2003-04	ताल कटोरा गार्डन में मीडिया सेंटर तथा चार्ज रूम में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान	91340
39.	29/2005-06	मोहन सिंह प्लेस के अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कक्ष में सैरामिक टाइलों इत्यादि का प्रावधान/लगाना	77589
40.	36/2005-06	मंदिर मार्ग सेवा केन्द्र के अन्तर्गत अवरूद्ध पडी हुई सीवर लाईनों को साफ करना	26234
41.	76/2005-06	ताल कटोरा गार्डन में जी.आई. पाईप लाइन को बदलना	153126
42.	31/2005-06	सेक्टर-11 रोहिणी विस्तार में स्टील गेट हेतु जी.आई. पाईपों का प्रावधान/बिछाना	121404
		कुल	**3600849**

भवन रखरखाव- II प्रभाग (अनुबन्ध)

1.	165/2003-04	सरोजनी नगर स्थित बी एवेन्यू विद्यालय में डिस्पले बोर्ड का प्रावधान एवं लगाना	73934
2.	193/2003-04	उप प्रभाग-2(भवन रखरखाव-2) के अन्तर्गत औषधालयों तथा विद्युत सबस्टेशन सेवा केन्द्र पर संकेत बोर्डो का प्रावधान एवं लगाना	130628
3.	51//2003-04	सरोजनी नगर पालिका ग्राम में वर्तमान गैरिज की छत पर पैरापेट दीवार की व्यवस्था	65325
4.	76/2003-04	पूर्वी किदवई नगर स्थित बारात घर में स्वचलित पम्प प्रणाली तथा जल स्तर संकेतक उपलब्ध कराना	101123
5.	30/2003-04	मोतीबाग स्थित चरक पालिका अस्पताल के ओ.पी.डी. में एम.एस. शीट कपबर्ड(आलमारियॉ) तथा कोलैप्सिबल शटर का प्रावधान करना	123244
6.	88/2003-04	अरविन्दो मार्ग विद्युत सबस्टेशन फ्लेट संख्या टी-1 पर अस्थायी कक्ष तथा शौचालय का निर्माण	135946
7.	28/2003-04	लक्ष्मीबाई नगर स्थित नगरपालिका सह शिक्षा विद्यालय में सैनेटरी फिटिंग तथा ईट कार्य को बदलना	96506
8.	103/2003-04	किदवई नगर स्थित सह शिक्षा विद्यालय में दीमकरोधी उपचार	60000
9.	53/2003-04	मोतीबाग स्थित विद्यालय में सैनेटरी फिटिंग, लकडी के दरवाजों एवं फर्श की टाइलों को बदलना	47918

10.	187/2003-04	पूर्वी किदवई नगर के सह शिक्षा विद्यालय के शौचालयों का नवीनीकरण	67238
11.	196/2003-04	पंडारा रोड में जी.आई. पाईपों को बदलना	72432
12.	215/2003-04	विभिन्न आवासीय खण्डों में संकेत बोर्डों का प्रावधान एवं लगाना	94751
13.	08/2004-05	अलीगंज आवासीय खण्ड में संकेत बोर्डों का प्रावधान एवं लगाना	134708
14.	125/2004-05	विनय मार्ग स्थित नवयुग स्कूल में दीमकरोधी उपचार का प्रावधान (विशेष कार्य)	117135
15.	57/2004-05	पूर्वी किदवई नगर के टाईप-1 फ्लेटों में सैनेटरी फिटिंग तथा शिरोपरि पी.वी.सी. टंकियों का प्रावधान	115629
16.	76/2004-05	चाणक्यपुरी डी-2/175 तथा सत्य सदन के टाइप-5 फ्लेटों में सवारी मार्ग कोटा स्टोन स्लैब का प्रावधान तथा बिछाना	134918
17.	18/2004-05	फ्लैट सं0 21/76 तथा 2/75 लोदी कालोनी से जुड़े सर्वेन्ट क्वार्टरों के शौचालय खण्डों में सुधार	107788
18.	57/2004-05	लोधी स्टेट स्थित नगरपालिका सह शिक्षा विद्यालय में सबमर्सीबल मोनो ब्लॉक पम्प सेट (5 अश्वशक्ति) की आपूर्ति एवं लगाना।	27445
19.	22/2005-06	विनय मार्ग स्थित टाईप-I क्वार्टरों की वर्तमान चारदीवारी के ऊपर एम.एस. रेलिग का प्रावधान एवं लगाना ।	118718
20.	3/2005-06	अंसारी नगर विद्यालय स्थित खुले शौचालयों एवं विविध मरम्मत कार्यों एवं एम.एस. ग्रिल का प्रावधान/लगाना।	109148
21.	36/2005-06	यशंवत प्लेस सेवा केन्द्र पर सूचना संकेत बोर्डों का प्रावधान	10108
22.	57/2005-06	मालचा मार्ग सेवा केन्द्र के अंतर्गत मोटर पम्प तथा अन्य उपकरणों को बदलना/मरम्मत	104192
23.	170/2005-06	पालिका विहार के क्वार्टर सं. 1/V में शौचालय खण्डों का नवीनीकरण	38270
24.	75/2005-06	अलीगंज स्थित बारातघर में टूटी हुई सैनेट्री फिटिंग को घिसना, पॉलिश करना, बदलना	100209
25.	51/2005-06	अलीगंज स्थित बहुमंजिला इमारत में होम्योपैथिक औषधालयों की दीवारों पर ग्लेज्ड टाइलों का प्रावधान एवं लगाना	37914
		योग	**2225227**

भवन रखरखाव- III (प्रभाग) (अनुबन्ध)

1.	105/2003-04	पालिका पार्किंग में जल निकासी प्रणाली हेतु क्षतिग्रत उर्ध्वाकार पाईपों को बदलना	111222
2.	52/2003-04	पालिका बाजार में कृत्रिम छत के सर्विस ओपनिंग में सीट कवर लगाना	111408
3.	90/2003-04	पालिका बाजार में शुद्ध जल आपूर्ति हेतु पम्प सेटों को बदलना	87372
4.	102/2003-04	पालिका बाजार विस्तार मार्किट की दुकान में दीमकरोधी उपचार करना	82180
5.	79/2003-04	पालिका पार्किंग के यूरो चैम्बर के निकट सीवर लाईन को बदलना	41632
6.	87/2003-04	उप-प्रभाग-I के अंतर्गत मोटर पम्पों एवं अन्य उपकरणों को बदलना एवं मरम्मत	134837
7.	115/2003-04	मोहन सिह प्लेस स्थित 10 अश्वशक्ति के मोनो ब्लॉक सबमर्सीबल पम्पसेटों को बदलना	80299
8.	44/2004-05	पृथ्वीराज लेन स्थित व्यायामशाला की उँचाई को बढ़ाना	54681
9.	68/2004-05	पंडारा पार्क स्थित नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय में एल्यूमिनियम की खिड़कियों/दरवाजों के शटर लगाना	136972
10.	83/2004-05	बाबर रोड पर जन्म/मृत्यु प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	48513
11.	75/2004-05	विद्युत भवन के टेलीफोन एक्सचेंज में एल्यूमिनियम के विभाजकों लगाना	123233

12.	90/2004-05	काका नगर स्थित टाईप-I एवं II फ्लेटों की क्षतिग्रस्त जी.आई. पाईप लाइन को बदलना	56676
13.	53/2005-06	पालिका पार्किंग दुपहिया वाहनों के प्रवेश द्वार पर पोरटा कैबिन का प्रावधान करना	31740
14.	11/2004-05	पालिका बाजार/पालिका पार्किंग इत्यादि में जल स्तर नियंत्रक लगाना	114780
15.	17/2004-05	पालिका पार्किंग स्थित दुकान संख्या-5 के समीप छोटे स्टोर का निर्माण	51541
16	13/2004-05	बी-2, पालिका पार्किंग पर एम.एस.चैकर्ड प्लेट्स को बदलना	66970
17	15/2004-05	यशवन्त प्लेस की दीवारों तथा सीढ़ियों पर सैरामाईक ग्लेज़्ड टाईलें लगाना	87203
18	33/2004-05	पम्प हाऊस, पालिका पार्किंग, पालिका बाजार इत्यादि पर रबड़ सेट्स लगाना	60502
19	48/2004-05	गेल्फ लिंक सदन के टाईप-II तथा IV में लोहे की ग्रिल के साथ शेफ्ट डोर लगाना	90733
20	6/2004-05	पालिका पार्किंग पर क्षतिग्रस्त आर.सी.सी. स्लैबों को बदलकर पूर्व निर्मित आरसीसी स्लैब लगाना	117031
21	34/2004-05	पालिका पार्किंग में एक्सपेंशन ज्वाईंट्स के नीचे जी.आई. शीट ट्रे को बदलना/मरम्मत	56166
22.	93/2004-05	हरिशचन्द्र माथुर लेन के फ्लैटों पर सीवर लाईन को बदलना	98868
23.	113/2004-05	पालिका बाजार तथा कस्तूरबा गाँधी मार्ग पर कृत्रिम छत के रिसाव के नीचे जी.आई. ट्रे की व्यवस्था	52124
24.	52/2004-05	पी.एस.ओ.आई. नेहरू पार्क पर दीमकरोधी उपचार	83269
25.	66/2004-05	आदित्य सदन आवासीय परिसर के फ्लैटों में दीमकरोधी उपचार	97446
26.	01/2005-06	पृथ्वीराज लेन क्वार्टरों में क्षतिग्रस्त तथा अवरूद्ध सीवर लाईन को बदलना	71923
27.	06/2005-06	काका नगर सेवा केन्द्र के अधीन शैफ्ट मैनहोल इत्यादि की गाद हटाना, सफाई करना	33574
28.	39/2005-06	उप-प्रभाग- III के अधीन विभिन्न आवासीय खण्डों पर संकेत पट्टों को लगाना	56791
29.	51/2005-06	विद्युत भवन में ए.सी. शीट तथा कृत्रिम छत बदलना	84382
30.	41/2005-06	पालिका पार्किंग पर एसडीसी कक्ष में लकड़ी के विभाजक को बदलकर एल्यूमिनियम विभाजक लगाना	148571
		योग	**2472639**

भवन रख-रखाव-I प्रभाग (कार्य आदेश)

1.	01/2003-04	शहीद भगतसिंह प्लेस स्थित पॉली क्लीनिक पर खड़े रोशनदान लगाना (पैरागन बिजनस सिस्टम)	24076
2.	03/2003-04	फ्लैट नं0 24 ग्रेटर कैलाश आर.ओर सैक्रेटरी, न.दि.न.पा.परिषद् की छत पर बाँस की जाफरी की व्यवस्था करना	23646
3.	11/2003-04	पालिका आवास, आर.के. आश्रम मार्ग में डब्ल्यू सी. बाथ के शटर/पीवीसी डोर लगाना	24913
4.	31/2003-04	मालचा मार्ग पर स्कूलों में संकेत चिन्हों की व्यवस्था	24543
5.	32/2003-04	पालिका धाम आवासीय परिसर पर पम्प हाऊस के समीप चारदीवारी में एम. एस. रेलिंग लगाना	47974
6.	24/2003-04	48-अशोका रोड पर दीमकरोधी उपचार	24596
7.	46/2003-04	पालिका निकेतन आवासीय परिसर की जल निकासी प्रणाली का सुधार	24377
8.	13/2003-04	अन्तर्राष्ट्रीय टीका केन्द्र, मंदिर मार्ग पर एल्यूमिनियम ग्रिल के ऊपर एल्यूमिनियम स्ट्रिप को लगाना	13728

9.	38/2003-04	बापू धाम स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगाना	20167
10.	6/2003-04	पॉली क्लीनिक, शहीद भगतसिंह मार्ग में रोलिंग शटर तथा सैरामिक टाइलें लगाना	14684
11.	21/2004-05	आँचल स्कूल में शौचालयों का नवीनीकरण	21004
12.	58/2004-05	मु.अभि. (सिविल) के कक्ष में वर्टीफाईड टाईलें लगाना	19265
13.	70/2004-05	पालिका केन्द्र में मु.अभि.-II के कक्ष में टाईलें लगाना	40725
14.	35/2004-05	जाफ़री स्कवेयर सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न भवनों पर सूचना प्रदर्शन बोर्ड लगाना ।	24894
15.	33/2004-05	पालिका धाम आवासीय परिसर में मोटर पम्प को बदलना/मरम्मत	14872
16.	26/2004-05	तालकटोरा गार्डन पर क्षतिग्रस्त स्लाइड वाल्व तथा सक्शन व्हीलों को बदलना	14129
17.	31/2004-05	मंदिर मार्ग, सेवा केन्द्र पर दो जेसीबी को किराये पर लेना	19000
18.	67/2005-06	36, महादेव रोड पर टूटी हुई पॉली शीट, छत को बदलना	390000
19.	47/2005-06	पालिका केन्द्र में निदेशक (स्था.), कमरा नं. 1317 में वैनेशियन ब्लाइंड्स तथा वर्टीफाईड टाइलें लगाना	43339
20.	46/2005-06	पॉली क्लीनिक शहीद भगतसिंह माग में प्रर्दशन बोर्ड लगाना	13628
21.	96/2005-06	एडवर्ड स्केवेयर सेवा केन्द्र के अन्तर्गत भूमिगत् जलाश्यों पर एम.एस. शीट कवर को लगाना	20367
		योग	**863927**

भवन रखरखाव- II प्रभाग (कार्य आदेश)

1.	24/2003-4	चरक पालिका अस्पताल मोती बाग के आपरेशन	14406
		थियेटर में क्षतिग्रस्त सर्जिकल मिक्सर को बदलना	
2.	25/2003-04	चरक पालिका अस्पताल मोती बाग के प्रवेश द्वार पर पुलिस सहायता हेतु पोर्टा केबिन की व्यवस्था	41058
3.	29/2003-04	पृथ्वीराज लेन पर रामलीला स्टेज पर ए.सी. शीट की शेड लगाना	50046
4.	40/2003-04	विद्युत सब-स्टेशन गोल्फ लिंक के ऊपर टाइप- IV के फ्लैट नं. 1 के साथ जुड़े शौचालय खण्ड का नवीनीकरण	21564
5.	20/2003-04	गेल्फ लिंक के टाइप- IV के फलैट नं. 1 पर पेरापेट दीवार को ऊँचा करना	60986
6.	89/2003-04	विद्युत सब-स्टेशन बेगम जैदी मोती बाग पर वर्तमान शौचालय खण्ड की मरम्मत एवं अतिरिक्त शौचालय खण्ड का निर्माण ।	50972
7.	69/2003-04	पृथ्वीराज लेन पर नव निर्मित व्यायामशाला के पुराने मैदान में सुधार (मै. नीलकमल)	50320
8.	74/2003-04	बारातघर, लोधी कालोनी पर ग्लेज्ड टाइलें लगाना तथा खिड़की के शीशों को बदलना	48328
9.	94/2004-05	गोल्फ लिंक सदन के टाइप- IV के एफ-1 फ्लैट में क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत	49318
10.	10/2004-05	बारात घर, लोधी कालोनी में क्षतिग्रस्त टाइलों को बदलना	20915
11.	15/2004-05	लक्ष्मीबाई नगर स्थित ऑटो वर्कशाप के कमरों पर कृत्रिम छत का बनाना	24387
12.	03/2004-05	सैन्ट्रल मार्किट, पूर्वी किदवई नगर में गेट लगाना	24855
13.	04/2004-05	शिशु कल्याण केन्द्र प्रसूति अस्पताल लोधी कालोनी पर डोर क्लोजर लगाना, फर्श की पॉलिश, डब्ल्यू.सी. तथा बाथ डोर, खुन्टी, मिक्सर इत्यादि बदलना	24805
14.	27/2004-07	इंदिरा निकेतन बालिका हास्टल, लक्ष्मीबाई नगर पर बोरवैल के लिए सबमर्सीबल पम्प सेट की आपूर्ति	14911
15.	02/2004-05	सैन्ट्रल मार्किट, पूर्वी किदवई नगर में गेट सिरामिक ग्लेज्ड टाइलें लगाना	[illegible]4917
16.	54/2004-05	सरदार पटेल मार्ग पर सामुदायिक हॉल में रसोई खण्ड का नवीकरण	32706

17.	05/2004-05	विद्युत सब-स्टेशन अलीगंज तथा नं. 2 तथा डिप्टी हाउस पर संकेत पटल को लगाना ।	24275
18.	64/2004-05	मनोरंजन हॉल, अलीगंज पर गेट लगाना	9563
19.	10/2005-06	क्वार्टर नं. 18 सरोजिनी नगर में क्षतिग्रस्त दरवाजे, शटर्स तथा कप-बोर्ड बदलना	21380
20.	28/2005-06	पी.एस.ओ.आई. पर क्षतिग्रस्त जाफ़री की मरम्मत तथा फाइबर ग्लास शीट कवर शेफ्ट का प्रावधान	22698
21.	38/2005-06	टाईप 10 सत्य सदन पर वैन्टीलेटर इत्यादि में फाइबर ग्लास शीट, सनशेड तथा ग्रिल की व्यवस्था	14781
22.	54/2005-06	पीएसओआई चाणक्य पुरी में शीशे तथा लकड़ी की बीडिंग की व्यवस्था	14629
23.	18/2005-06	टी/एस अलीगंज सामुदायिक हाल तथा मंदिर (अलीगंज) पर ईटों की विभाजक दीवार का निर्माण (शेष कार्य)	11115
24.	13/2005-06	टी/एस तथा डी/एस अलीगंज के भूमिगत जलाश्य पर 02 अतिरिक्त सब मर्सिबल पम्प का लगाना	42625
25.	39/2005-06	शहीद भगतसिंह प्लेस पर तृतीय तल पर कार्यालय यूनिट डी.4.320 का नवीकरण	24401
		योग	**739961**

भवन रखरखाव-III (कार्य आदेश)

1.	03/2003-04	पालिका पार्किंग पर क्षतिग्रस्त फर्श को बदलना, जलनिकासी की व्यवस्था तथा अन्य विविध कार्य	88291
2.	15/2003-04	पालिका बाजार पर एक्वा गार्ड हाई-फ्लो वाटर फिल्टर एवं प्योरिफायर की व्यवस्था	56640
3.	59/2003-04	पालिका पार्किंग कनॉट प्लेस नई दिल्ली पर अधि.अभि., स.अभि., प्रभागीय लेखाकार, विभागाध्यक्ष के कार्यालय में वाशबेसिन लगाना	23285
4.	89/2003-04	V-12 सत्य सदन में शौचालयों में एन्टी स्किड सैरामिक टाइलें लगाना	3738
5.	55/2003-04	विद्युत सब-स्टेशन, नेताजीनगर में सीवर लाईन का संवर्धन	14675
6.	43/2003-04	लोकनायक भवन तथा सी.एल. भवन पर स्टैनलैस स्टील के प्लेटफार्म का प्रावधान	24749
7.	101/2003-04	लोकनायक भवन के भूतल तथा भूमिगत तल में कूड़ा/भवन के मलबे को उठाना	24995
8.	41/2003-04	पालिका बाजार तथा मोहन सिंह प्लेस पर सूचना संकेत पट्टों को लगाना	13587
9.	10/2003-04	पालिका बाजार में अधीक्षक तकनी. (विद्युत) के कार्यालय में अल्यूमिनियम विभाजक की व्यवस्था	49351
10.	46/2003-04	डायरी विभाग, कनि.अभि. तथा प्रभागीय लेखाकार के कार्यालय में मेजों पर शीशे लगाना	14386
11.	18/2003-04	पालिका पार्किंग पर सीबीएम प्रभाग में प्रदर्शक बोर्ड, बोर्ड बनाने का प्रावधान तथा लगाना	14977
12.	06/2003-04	अग्निशमन की अपेक्षा के कारण मोहन सिंह प्लेस में हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स की लगाना	21842
13.	04/2004-05	पालिका बाजार के हाइड्रेन्ट तथा अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में टूटे शीशों को बदलना तथा अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में जल भंडार टैंक की व्यवस्था	14927
14.	24/2004-05	लोकनायक भवन शेफ्ट में फिटिंग तथा खोये हुए बी.सी.आई. पाइपों की व्यवस्था तथा शौचालयों में क्षतिग्रस्त खोये हुए फिटिंग्स को बदलना	24844

15.	49/2004-05	चन्द्रलोक तथा लोकनायक भवन में फोटो ल्यूमिनिसेन्ट, संकेत पट्टों को लगाना	24318
16.	58/2004-05	चन्द्रलोक भवन पर सीढ़ियॉ तथा साझे क्षेत्र में स्पिलटन्स की व्यवस्था	14204
17.	06/2004-05	पालिका बाजार, पार्किंग तथा मोहन सिंह प्लेस पर अग्नि नियंत्रण कक्ष हेतु रेट्रो प्रभावकारी संकेत बोर्डो की व्यवस्था तथा लगाना	24601
18.	07/2004-05	पालिका पार्किंग, पालिका बाजार की छत पर हाइड्रेन्ट के लिए चिनाई वाले चैम्बरों की व्यवस्था	13428
19.	31/2004-05	मोहन सिंह प्लेस के तृतीय तल पर लेखा विभाग के अधि.अभि. (भवन रख.- II) के कक्ष में वैनेशियन ब्लाइन्ड/वर्टीकल फेब्रिक लगाना	14338
20.	12/2004-05	हनुमान मंदिर में भूमिगत् पैदल पारपथ पर ग्रेनाइट पत्थर तथा सेरामाइक ग्लेज्ड टाइलें लगाना	16007
21.	19/2004-05	वाई-3 सत्य सदन पर एल्यूमिनियम विभाजक की व्यवस्था	24028
22.	22/2004-05	शहीद भगतसिंह प्लेस के कमरा नं0 304 तथा 305 में एल्यूमिनियम विभाजक तथा वैनेशियन ब्लाइन्ड का प्रावधान	23128
23.	32/2004-05	मोहन सिंह प्लेस के तृतीय तल के जल केन्द्र का स्थानांतारण तथा एक्वा गार्ड लगाना	21221
24.	39/2005-06	नगरपालिका सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, लोदी एस्टेट के प्रवेश पर एम.एस. गेट का निर्माण कर लगाना	20554
25.	01/2005-06	विद्युत सब-स्टेशन गोल्फ लिंक के टाइप- V के फ्लैटों में पर्याप्त पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था	38001
		योग	624115

अनुलग्नक-VI
(पैरा 2.8.3.1.)

निविदा लागत के संदर्भ में वास्तविक व्यय में विचलन को दर्शाती सूची

(रुपये में)

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या	कार्य का नाम	निविदा लागत	स्वीकार्य विचलन सीमा (अनुबन्ध मूल्य का 20 % अथवा 20 हजार रुपये जो भी न्यूनतम हो)	कुल स्वीकार्य राशि	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
भवन रखरखाव-I 2003-06							
1.	101/2004-05	पालिका केन्द्र की विभिन्न तलों पर कृत्रिम छत का प्रावधान	269416	20000	289416	343178	53762
2.	12/2004-05	पालिका केन्द्र के तृतीय तल पर कृत्रिम छत का प्रावधान	151000	20000	171000	194611	23611
		योग					77373

भवन रखरखाव-II 2003-06

1.	165/03-04	सरोजनी नगर, बी- एवेन्यू विद्यालय में प्रदर्शन बोर्ड का प्रावधान/ लगाना	55930	11186	67116	73934	6818
2.	59/03-04	लोधी कालोनी स्थित शिशु कल्याण केन्द्र आवासीय परिसर में सफेदी डिस्टेम्पर तथा पेंट करना	166714	20000	186714	197232	10518
3.	193/03-04	औषधालयों तथा विद्युत सब - स्टेशन सेवा केन्द्रों पर संकेत पट्ट लगाना	94619	18924	113543	130628	17085
4.	30/03-04	मोतीबाग स्थित चरक पालिका अस्पताल में एम.एस.शीट अलमारियों एवं कोलेप्सेबल शटर लगाना	97324	19465	116789	123244	6455
5.	88/03-04	अरविन्दो मार्ग विद्युत सबस्टेशन फ्लैट संख्या- I हेतु अस्थाई कक्ष तथा शौचालय का निर्माण	105256	20000	125256	135946	10690
6.	08/05-06	मोतीबाग आपरेशन थिएटर में परिवर्तन/परिवर्धन	269459	20000	289459	308344	18885
7.	08/04-05	अलीगंज आवासीय काम्पलेक्स में संकेत बोर्ड लगाना	96685	19337	116022	134708	18886
8.	101/04-05	विनय मार्ग पर लकड़ी के दरवाजों, शटरों इत्यादि को बदलना	72914	14583	87497	96387	8890

9.	57/04-05	पूर्वी किदवई नगर में सैनेटरी फिटिंग तथा पी.वी.सी. शिरोपरि टंकियों का प्रावधान	94146	18829	112975	115629	2654
10.	76/04-05	चाणक्यपुरी सत्य सदन में कोटा स्टोन स्लैब लगाना	99008	19802	118810	134918	16108
11.	96/04-05	लक्ष्मीबाई नगर के अन्तर्गत मोटरो तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत	90438	18088	108526	130445	21919
12.	18/04-05	लोधी कालोनी सर्वेट क्वार्टरों में शौचालय खण्डों में सुधार	91635	18327	109962	107788	2174
13.	08/04-05	अलीगंज आवासीय काम्पलेक्स में संकेत बोर्ड लगाना	96685	19337	116022	134708	18686
14.	17/05-06	लोधी रोड सेवा केन्द्र के अन्तर्गत आवासीय/गैर-आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव	85084	17017	102101	106172	4071
15.	75/05-06	अलीगंज स्थित बरातघर में टूटी हुई सैनेटरी फिटिंग की घिसावट,पालिश एवं बदलना	68362	13672	82034	100209	18175
योग							182014

भवन रखरखाव- III 2003-06

1.	70/2003-04	सत्य सदन में पुताई,पेंट तथा डिस्टेंम्पर	95672	19134	114806	131003	16197
2.	87/2003-04	उप-प्रभाग- II के अन्तर्गत मोटर पम्प बदलना	96640	19328	115968	134837	18869
3.	19/2003-04	पालिका बाजार तथा पालिका पार्किंग बी- II स्तर पर पम्प सैटो की मरम्मत	94450	18890	113340	129427	16087
4.	5/2004-05	पालिका पार्किंग के क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत	102000	20000	122000	120806	1194
5.	68/2004-05	पंडारा पार्क स्थित नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय में एल्यूमिनियम की खिडकियों/ दरवाजो में शटर इत्यादि लगाना	111976	20000	131976	136972	4996
6.	35/2004-05	पालिका बाजार में क्षतिग्रस्त लकड़ी के दरवाजों के स्थान पर एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाना	109822	20000	129822	135254	5432
7.	38/2004-05	पालिका बाजार में मोनोब्लाक/ सब-मर्सिबल पम्प की मरम्मत	97746	19549	117295	133173	15878
8.	29/2004-05	पालिका पार्किंग में मुख्य सहायक एवं लेखा का कक्ष में परिवर्तन/परिवर्धन	118234	20000	138234	152407	14173
9.	36/2004-05	पालिका पार्किंग बी- II स्तर पर प्लास्टर/फ्लोरिंग की मरम्मत	99106	19821	118927	122075	3148
10.	59/2004-05	पालिका बाजार में सबमर्सीबल पम्प की पूर्ण सफाई मरम्मत	78049	15610	99659	104101	10442
		योग					106416

अनुलग्नक-VII
(पैरा 2.8.7.2)

शिकायतों के बिना जारी सामान का विवरण

क्रम सं0	सेवा केन्द्र/प्रभाग का नाम	दिनों की संख्या जब बिना किसी शिकायत के जारी किया गया सामान				जारी किये गये सामान का विरण
	भवन ररखरखाव-1 प्रभाग	2004-04	2004-05	2005-06	योग	
1.	हनुमान लेन	4	3	6	13	3.5 बोरी सीमेन्ट, 2 जीआई यूनियन, 7.5 मीटर जीआई पाइप, 16.5 लि. पेंट, 2 पीटीएमटी पुश काक्स
2.	पालिका केन्द्र	4	2	5	11	14 बोरी सीमेंट, 10 डोर स्टापर्स, एक जीआई सॉकेट, पीटीएमटी पुश कॉक, 30 कि.ग्रा. डिस्टेम्पर
3.	जफ़री स्कवेयर	3	4	4	11	8.5 बोरी सीमेन्ट, 2 बिबकॉक्स, 6 रूटॉपकाक्स, 4 लिटर पेन्ट
4,	मँदिर मार्ग	4	0	3	7	21.5 बोरी सीमेन्ट, 528 टाइलें, 3 ब्रास कॉक्स
5.	शिवाजी स्टेडियम	0	7	0	7	38 लि. पेन्ट, एक लोहे की बिब कॉक, 1 बोरी सीमेन्ट
6.	एडवर्ड स्कवेयर	1	4	0	5	1 बोरी सीमेन्ट, 3 जीआई निप्पल्स, 12 मीटर जीआई पाइप, 15 मि.मी. के 7 सॉकेट
7.	रोहिणी आवासीय खण्ड	2	2	1	5	1 बोरी सीमेंट, 15 कि.ग्रा. डिस्टेम्पर, 4 ब्रास की स्टाप काक्स, 2 जीआई यूनियन, 2 सॉकेट निप्पलस
8,	तालकटोरा गार्डन	0	1	0	1	11 जीआई बिब काक्स, 10 प्लास्टिक बिब कॉक्स
	योग	**18**	**23**	**19**	**60**	

भवन रखरखाव-II प्रभाग

1.	सरोजिनी नगर	5	0	0	5	4 ब्रास स्टाप कॉक्स, 2जीआईटी, 28 लि. पेन्ट, 4 पीवीसी बिब कॉक्स, 5 ऐलबो
2.	मोती बाग	5	1	2	8	6.5 बोरी सीमेंट, 2 बिब कॉक्स, 11.75 मीटर जीआई पाइप
3.	मालचा मार्ग	1	4	1	6	17 लिटर पेन्ट, 2 दर्पण 2.9 मीटर जीआई पाइप, 3 जीआई यूनियन

4.	बापू धाम	4	1	0	5	6 बोरी सीमेंट, 12 लिटर पेन्ट, 5 बिब कॉक्स, 19 एमएस प्लग, 12 जी.आई.टी.
5,	यशवन्त प्लेस	1	2	1	4	12 लिटर पेन्ट, 2 स्टॉप काक्स, 4 पावर बोल्ट
6,	पालिका भवन	2	2	1	5	4 बोरी सीमेंट, 3 मीटर जी.आई. पाईप, 30 लि. पेन्ट, 3 पी.टी.एम.टी. कॉक्स
7.	लक्ष्मीबाई नगर	0	0	5	5	4 बोरी सीमेंट, 2 स्लाइडिंग वोल्टस
8.	लोधी रोड	2	2	1	5	3.66 मी. ग्लास पेन्स, 2.5 मी. जीआई पाइप, 35 लीटर पेन्ट, 4 पीवीसी बिब कॉक्स
9.	अलीगंज	1	3	0	4	18 बोर सीमेंट, 68 ली. पेन्ट, 20 पीवीसी बिब कॉक्स, 132 ग्लेज्ड टाइलें
	योग	**21**	**15**	**11**	**47**	

भवन रखरखाव-III प्रभाग

1.	काका नगर	6	1	2	9	2 बोर सीमेंट, 16.35 मी. जीआई पाइप, 12 कि.ग्रा. सूखा डिस्टेम्पर, 16 जीआई सॉकेट, 13 जीआई ऐलबा, 3 एल्यूमिनियम हैन्डल्स
2.	सांगली मैस	8	1	2	11	1.5 बोरे सीमेंट, 18 लीटर पेन्ट, 7 मी. एससीआई पाइप, 22 जीआई बैंड, 13 जीआईटी तथा 8 जीआई वाल्व,
3,	गोल्फ लिंक	4	3	0	7	1,75 बोरे सीमेंट, 22 जीआई निप्पलस, 5 जीआई सॉकेट, 27 जीआई ऐलबो, 9 जीआईटी
4,	विद्युत भवन	2	1	2	5	3 जीआई पाइप, 7 पीटीएमटी पुश काक्स, 50 कि.ग्रा. समोसम, 11 जीआई निप्पल, 5 जीआई ऐलबो, 12 बिब कॉक्स
5,	चन्द्रलोक लोक भवन	5	4	5	14	4 बोर सीमेन्ट, 17 एमएस हैंण्डल, 18.15 मीटर जीआई पाइप, एक शीशा, 2 लीटर पेन्ट
6.	तीस जनवरी लेन	5	0	0	5	38 बोरे सीमेन्ट, 29 जीआईटी, 3 जीआई रीड्यूसर
7,	पालिका बाजार	3	1	3	7	2,5 बोरे सीमेंट,13 जीआई निप्पल, 16 जीआई ऐलबो, 69 मी. जीआई पाइप, 84 ली, पेन्ट
8.	आदित्य सदन	3	3	2	8	6,10 मी. जीआईपाइप, 3 जीआई सॉकेट, 11 जीआई ऐलबो, 7 जीआई निप्पल, 3 जीआईटी
	योग	**36**	**16**	**14**	**66**	

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 3.9.3.1)

अनुबन्ध आधार पर कार्यों का विभाजन दर्शाती सूची

क्रम सं.	अनुबन्ध सं. तथा दिनांक	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (रुपये में)
1.	24 दि. 6.8.02	स्टील के सारणीबद्ध खंभों की पेंटिंग	मै. गोयल इन्टरप्राइजेज	190013
2.	26 दि. 7.8.02	-यही-	-यही-	175000
3.	27 दि. 7.8.02	-यही-	मै. बंसल ट्रेडर्स	194818
			योग	**559831**
4.	19 दि. 22.5.03	पथ प्रकाश खंभों पर एक एसएमसी जंक्शन बक्सों को लगाना तथा व्यवस्था करना	मै. फेयरडील इलै. कं.	186900
5.	20 दि. 22.5.03	-यही-	मै. अमन इलै.	187200
			योग	**374100**
6.	25 दि. 17.6.03	-यही-	मै. कपिला इंजीनियर्स	170281
7.	26 दि. 17.6.03	-यही-	मै. फेयरडील इलै0 कं.	152635
			योग	**322916**
8.	28 दि. 24.6.03	-यही-	मै. कपिला इंजी.	151950
9.	32 दि. 30.6.03	-यही-	-यही-	189844
			योग	**341794**
10.	3 दि. 29.4.04	स्टील के सारणीबद्ध खंभों को बदलना	मै0 आरसी ट्रेडिंग कारपोरेशन	110825
11.	4 दि. 29.4.04	-यही-	-यही-	165293
			योग	**276118**
12.	64 दि. 23.12.04	पथ प्रकाश खम्भों की सजावट	मै. गोयल इलै. वर्क्स	161885
13.	65 दि. 24.12.04	-यही-	मै. कमल इलै.	181480
			योग	**343365**
14.	67 दि. 28.12.04	-यही-	मैं. शुभम इलै. वर्क्स	194499
15.	68 दि. 31.12.04	-यही-	मै. गोयल इलै. वर्क्स	193805
			योग	**378304**
16.	34 दि. 20.12.05	-यही-	मै. आरसी ट्रेडिंग कोरपोरेशन	193664
17.	35 दि. 26.12.05	-यही-	मै. आर.जी. इंजी. एंड एसोसिएट्स	188374
18.	37 दि. 27.12.05	-यही-	मै. कमल इलै.	185279
19.	38 दि. 27.12.05	-यही-	मै. गोयल इन्टरप्राइजेज	193610
20.	39 दि. 27.12.05	-यही-	-यही-	167391
			योग	**928318**

अनुलग्नक- IX

(पैरा 3.9.3.1)

कार्य/आपूर्ति आदेश के आधार पर कार्यों के विभाजन को दर्शाती सूची

क्र. सं.	कार्य/आपूर्ति आदेश सं. एवं तिथि	कार्य का नाम	एंजेसी का नाम	राशि (रुपये में)
1.	12 दि. 9.7.01	सड़कों के पथ-प्रकाश, खम्भों पर पेंट, सफाई तथा नम्बर डालना	मै. वरदान एसोसिएट्स	20280
2.	13 दि. 9.7.01	-यही-	मै. सीमा एसोसिएट्स	44230
3.	14 दि. 10.7.01	-यही-	मै. गोयल इलै. वर्क्स	49880
			योग	**114390**
4.	16 दि. 12.7.01	पकिस्तान उच्चायोग के आसपास हेलोज़न तथा मैटैलिक लाईट का प्रावधान	मै. सरस्वती इन्टरप्राइजिज़	43840
5.	17 दि. 12.7.01	-यही-	मै. दिल्ली टैन्ट एवं फर्नीचर हाउस	38520
			योग	**82360**
6.	30 दि. 13.9.01	एचपीएसवी स्ट्रीट लाइट फिटिंगों की एक्रेलिक केबलों की आवश्यकता	मै. ट्विंकल इन्डस्ट्रीज़	75000
7.	31 दि. 13.9.01	-यही-	-यही-	22000
			योग	**97000**
8.	44 दि. 12.11.01	इग्नीटर्स की आपूर्ति	मै. ट्विंकल इण्डस्ट्रीज़	10800
9.	45 दि. 12.11.01	-यही-	-यही-	10800
			योग	**21600**
10.	46 दि. 12.11.01	लैम्प की आपूर्ति	मै. आरसी ट्रेंडिग कारपोरेशन	9800
11.	47 दि. 12.11.01	चोक की आपूर्ति	-यही-	23814
12.	48 दि. 12.11.01	लैम्प की आपूर्ति	-यही-	10729
			योग	**44343**
13.	5 दि. 9.4.02	सड़कों पर पथ प्रकाश, खम्बों पर पेंट करना	मै. बंसल ट्रेडर्स	49800
14.	6 दि. 12.4.04	-यही-	मै. गोयल इन्टरप्राइजिज़	48920
15.	8 दि. 15.4.02	-यही-	मै. सीमा एसोसिएट्स	10730
			योग	**109450**
16.	17 दि. 3.6.02	लैम्प का क्रय	मै. सुमेर इन्टरप्राइजिज	14700
17.	18 दि. 5.6.02	-यही-	मै. आरसी ट्रेडिंग कारपोरेशन	12620
			योग	**27320**
18.	52 दि. 18.12.02	पी.वी.सी. तारों की आपूर्ति	मै. आरसी ट्रेडिंग कारपोरेशन	14930
19.	53 दि. 18.12.02	फ्रोस्टिड ग्लास की आपूर्ति	-यही-	14750
			योग	**29680**

20.	74 दि. 21.3.03	सड़क संकेत चिन्हों की आपूर्ति एवं लगाना	मै. ग्लो एड.	44680
21.	76 दि. 21.3.03	-यही-	मै. बक्शी इलै. कं.	14880
			योग	**59560**
22.	75 दि. 21.3.03	सड़क पर पथप्रकाश खम्भों को हटाकर नए लगाना	मैं. कपिला इंजी.	30638
23.	78 दि. 24.3.03	-यही-	-यही-	11216
			योग	**41854**
24.	1 दि. 23.4.03	प्रीफिक्स कवर की आपूर्ति	मै.फेयर डील इलै. कं.	49812
			योग	**98112**
26.	76 दि. 17.11.03	लैम्प की आपूर्ति	मै. आरसी ट्रेडिंग कारपोरेशन	49250
27.	77 दि. 17.11.03	-यही-	-यही-	41500
			योग	**90750**
28.	85 दि. 9.3.05	पी.वी.सी. टेप्स की आपूर्ति	मै. ए.एस. इलैक्ट्रिकल्स	48585
29.	87 दि. 10.3.05	-यही-	मै. आरसी ट्रेडिंग कार्पो.	46875
			योग	**95460**
30.	87 दि. 10.1.06	-यही-	मै. कैपीटेक इंजि. प्रा. लि.	47400
31.	89 दि. 10.1.06	मैटल होलाईड चोक की आपूर्ति	मै. आरसी ट्रेडिंग कारपोरेशन	41400
			योग	**88800**
32.	93 दि. 17.1.05	सामग्री की आपूर्ति	मै. कमल इलै.	9600
33.	95 दि. 18.1.06	जी.एल.एस. लैम्प की आपूर्ति	मै. फेयरडील इलै.	49500
			योग	**59100**

अनुलग्नक-X
(पैरा 4.9.8.1)

लाईसेंस विलेख के नियम एवं शर्तों का अतिक्रमण करने वाली इकाईयों का विवरण

क्रमांक	परिसर	अनियमितता की प्रकृति	टिप्पणी
1.	दुकान सं. 115, 117, 123,126 पालिका बाजार	अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं	दुकानों के आवंटियों ने लकडी की अटारी का निर्माण किया जोकि अग्निशमन उपायों के विरूद्ध है परंतु विभाग द्वारा 31 मार्च 2006 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई
2.	दुकान सं. 2 एम-13, एम-43 पालिका भवन और 25, 42, 49, 127-पालिका बाजार	लाईसेंस का नवीकरण नहीं करना	**एम-13 :** दुकान के आवंटी ने 31 अक्टूबर, 2006 तक लाईसेंस नवीकण के लिए आवेदन नहीं किया जबकि उसे अवधि समाप्ति से 60 दिनों पूर्व आवेदन करना चाहिए था । विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । **एम-43 :** 9 अगस्त, 1999 से नवीकरण नहीं किया गया था तथा विभाग दुकान खाली कराने में असफल रहा । **25 पालिका बाजार :** 23 नवम्बर 1983 को लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गयी । 83010 रुपये की राशि बकाया हो गई । दिनांक 31 अक्टूबर 2006 तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । **4.2 पालिका बाजार :** 8 जनवरी 2001 को लाईसेंस विलेख की अवधि समाप्त हो गई । न तो पुनःनवीकरण किया गया और न विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई । अन्तिम बार फाईल 30 दिसम्बर 2003 को प्रस्तुत की गई । **49-पालिका बाजार :** नवीकरण लम्बित था । 31 अक्टूबर 2006 तक न तो आवंटी ने नवीकरण के लिए आवेदन किया और न विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई । **127 पालिका बाजार :** अवधि समाप्त- न तो आवंटी ने नवीकरण के लिए आवेदन किया ओर न विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ।
3.	दुकान सं. 9 पालिका पार्किंग और 23, 133, 22 पालिका बाजार	लाईसेंस विलेख केलिए अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई ।	**दुकान सं. 9 पालिका पार्किंग :** 31 अक्टूबर 2006 तक लाईसेंसी द्वारा नवीकरण के लिए अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई **दुकान सं. 23 पालिका बाजार :** औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण नवीकरण किया जाना लम्बित था आवंटी ने 24 अक्टूबर, 2004 के अपने पत्र द्वारा 3284 रुपये जमा कराने के बाद नवीकरण हेतु अनुरोध किया । परंतु 31 अक्टूबर 2006 तका विभाग आवंटी को वांछित औपचारिकताओं की सूचना देने में असफल रहा । **दुकान सं. 133 पालिका बाजार :** नवीकण संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के कारण लाईसेंस का नवीकरण लम्बित था । **दुकान सं. 22 पालिका बाजार :** 7 अप्रैल 1997 को लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गई । 31 अक्टूबर 2006 तक कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना लम्बित था ।
4.	एम-5 पालिका भवन और स्टाल नं. 3 पालिका बाजार	समक्ष प्राधिकारी द्वारा मामला सम्पदा अधिकारी को भेजने का आदेश लागू न होने के कारण वसूली और बेदखली नहीं हुई	**एम-5 पालिका बाजार :** 6.53 लाख रुपये का भुगतान किये बिना आवंटी ने दुकान छोड दी । बकाया वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । **स्टाल 3 पालिका बाजार :** दुकान का लाईसेंस 6 दिसम्बर 1992 को रद्द कर दिया गया था विभाग द्वारा मामला बेदखली के लिए संपदा अधिकारी के अदालत में ले जाया गया परंतु पिछले 14 वर्षो से बेदखली कराने में असफल रहा ।

5.	50- पालिका बाजार	दुकान के बाहर परिषद् स्थल पर अतिक्रमण	**50-पालिका बाजार :** 17 मई 1999 को लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गई । आवंटी/लाईसेंसी ने परिषद् की भूमि पर अतिक्रमण किया लेकिन 31 अक्टूबर 2006 तक अतिक्रमण हटाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । तथापि नियमों शर्तों का उल्लंघन होने पर भी विभाग द्वारा स्वत: नवीकरण आधार पर 31 मार्च 2005 तक लाईसेंस का नवीकरण मान लिया ।
6.	122 पालिका बाजार, 6-सीएससी सरोजनी नगर, स्टाल-11 पालिका बाजार	आवंटी द्वारा फर्जी दस्तोवज प्रस्तुत करना	**दुकान सं. 122 पालिका बाजार :** आवंटी श्री टेक चंद का 3 जनवरी 1995 को निधन हो गया परंतु विभाग द्वारा भेजे गये कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 17 दिसम्बर 1996 को श्री टेक चंद के हस्ताक्षर से मिला दिखाया गया । **दुकान सं. 6 सीएससी सराजनी नगर :** दुकान का आवंटन श्री अरविन्द टीकू एवं श्री अजय कुमार को 22 दिसम्बर 1981 को किया गया । जिसके लिए लाईसेंस विलेख बना । बाद में श्री अजय कुमार ने शिकायत की कि श्री अरविन्द टीकू ने उसके नकली हस्ताक्षरों से दस्तावेज प्रस्तुत किया । जिस पर श्री अजय कुमार को 30 अगस्त 1982 को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा गया । रिकार्ड के अनुसार वह हाजिर नहीं हुआ और शिकायत बिना स्पष्टीकरण के फाईल में लम्बित पड़ी रही। 21 दिसम्बर 1986 से दुकान का लाईसेंस रद्द कर दिया गया । पुन: आवंटी ने लाईसेंस शुल्क जमा नहीं किया और 13 अक्टूबर 2005 तक 74542 रुपये की राशि बाकी थी । **स्टाल सं. 11 पालिका बाजार :** श्री अम्बे लाल ने सांझेदारी विघटन के लिए 18 अगस्त 1988 को आवेदन प्रस्तुत किया । परंतु इस पर श्री जसवीर सिंह के हस्ताक्षर थे । 31 अक्टूबर 2006 तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
7.	जी-14 पालिका भवन	50596 रुपये की प्रतिभूति जमा राशि का पता नहीं लगना और बट्टे खाते न डालना	श्री रवीन्द्र सिंह रेखी द्वारा प्रतिभूति जमा राशि दुकान के नियमित होने के बाद नये सांझेदार के नाम/बट्टे खाते डालना अपेक्षित था । उस प्रतिभूति राशि का पता न चलने के कारण उसको बट्टे खाते नहीं डाला गया था ।
8.	एम-51, 52 पालिका भवन	दुकानों को जोड़ना व बकाया राशि का इकट्ठा होना	रिकार्ड के अनुसार मार्च 2005 तक 6.91 लाख रुपये के लाईसेंस शुल्क का भुगतान किये बिना गैर कानूनी रूप से दुकान एम-51 और 52 के लिए आवंटी सांझेदार बन गया ।
9.	1, 2, 3, 6 एक्स वाई ब्लाक सरोजनी नगर, एम-5-भगत सिंह मार्किट 4 हनुमान मंदिर 22-गोल मार्किट 24-पालिका बाजार	हस्तांतरण मामले लम्बित	**दुकान 1, 2, 6, एक्स वाई ब्लाक सरोजनी नगर :** 31 अक्टूबर 2006 तक उक्त दुकानों के के हस्तांतरण मामले पिछले दो से आठ वर्षो तक लम्बित थे । दुकान नं. 1 और 2 की तरफ क्रमश: 1859 रुपये और 4149 रुपये बकाया थे । **दुकान नं. 3, एक्स वाई ब्लाक सरोजनी नगर :** 10 अकटूबर 1991 को श्री संजय लाकरा को आवंटित हुई साझेदारी आधार पर हस्तांतरण के लए आवेदन किया परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई 8 फरवरी 2006 तक रुपये 38817 की राशि बकाया थी । **दुकान नं. एम-5, भगत सिंह मार्किट :** साझेदारी आधार पर हस्तांतरण मामला लम्बित था । मूल आवंटी की पुष्टि और सहमति सहित दस्तावेज प्रसतुत किये गये थे परंतु मई 1997 से हस्तांतरण का मामला लम्बित पड़ा हुआ था । **दुकान सं. 4 हनुमान मंदिर :** हस्तांतरण का मामला लम्बित था 31 अक्टूबर 2006 तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । **दुकान सं. 22 गोल मार्किट :** कानूनी उत्तराधिकारी आधार पर हस्तांतरण का मामला लम्बित था । लाईसेंस विलेख 7 अप्रैल 1997 को समाप्त हो

			गया । तक नवीकरण के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई । **दुकान सं. 24 पालिका बाजार :** साझेदारी व विघटन आधार पर हस्तांतरण मामला लम्बित था । 31 अक्टूबर 2006 तक हस्तांतरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
10.	जी-3 पालिका भवन स्टाल-2, सीएससी, हेली लेन	यूनिट फाईल पर कार्यवाही नहीं की गई	**दुकान सं. 8 जी-3 पालिका भवन :** निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर समय दुकान बंद रही । जनवरी 2004 को 46 296 रुपये बकाया था । बकायों के भुगतान के लिए अंतिम नोटिस 2 जनवरी 2004 को भेजा गया था परंतु 2 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2006 तक फाईल लम्बित रही । **स्टाल नं. 2 सीएससी हेली लेन :** आवंटन तिथि, 13 नवम्बर 2001 से दुकान बंद रही । प्रतिभूति जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । परंतु 31 अक्टूबर 2006 तक रिकार्ड पर कोई प्रगति नहीं पाई गई थी ।
11.	58-एस.बी.एस. प्लेस, स्टाल दुकान नं.-5 एस. बी.एस. प्लेस, स्टाल-127 कनाट सर्कस, स्टाल-1 सीएससी काका नगर, दुकान 94, एस.बी.एस. प्लेस, 25 एस.बी.एस. प्लेस,	आवंटियों द्वारा अतिक्रमण किया गया	**58-एस.बी.एस. प्लेस :** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक चेम्बर की बजाय चार चेम्बर बनाने और पैनल डॉक्टरों को किराये पर देने के लिए आवंटी को 23 फरवरी 2005, 12 अप्रैल 2005 और 21 जून 2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये । 31 अक्टूबर 2006 तक विभाग द्वारा कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई । **127 एस.बी.एस. प्लेस :** 1 अगस्त 2002 को लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गई और आवंटी ने अपना ब्यापार भी बदल दिया जिसके लिए 9 जनवरी 2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । तब से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । **स्टाल-1. सी.एस.सी. काका नगर :** आवंटी ने अपना धन्धा बदल दिया और स्वास्थ्य संबंधी लाईसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहा जिसके लिए 31 मार्च 2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । आवंटी के 19 अप्रैल 2005 के उत्तर के आधार पर स्टाल का पुन: 16 जून 2005 को निरीक्षण हुआ और पाया गया कि आवंटी मूल रूप से आवंटित व्यवसाय के बजाय अन्य व्यवसाय कर रहा था । विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2006 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । **दुकान नं. 94 श.भ.सिंह प्लेस :** मैसर्स क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो की दुकान किराये पर लेने और आर.सी.सी. की जाली और स्लैब तोड़ने पर आवंटी को 13 सितम्बर 2000, 19 अप्रैल 2005, 13 मई 2005 तथा 8 जून 2005 को नोटिस जारी किये गये । 23 मार्च 2006 तक 2.53 लाख रुपये बकाया था । 8 जून 2004 को लाईसेंस समाप्त हो गया । विभाग द्वारा 31 मार्च 2006 तक दुकान रद्द और खाली करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई । **दुकान नं. 25 श.भ.सिंह प्लेस :** आवंटी को रेस्टोरेन्ट चलाने की अनुमति दी गई थी परंतु वह स्वास्थ्य लाईसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहा । 30 सितम्बर 2005 तक 91308 रुपये पिछला बकाया था । परंतु विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2006 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । **दुकान नं. 5 श.भ.सिंह प्लेस :** दुकान किराये पर देने, व्यवसाय बदलने और औपचारिकताएँ पूरी न करने पर आवंटी को 15 फरवरी 2005 को नोटिस जारी किया गया । विभाग द्वारा आवंटी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

अनुलग्नक- XI
(पैरा 9.1)

रिक्त कर्मचारी क्वार्टरों पर परिहार्य व्यय एवं राजस्व की हानि

क्र. सं.	क्वार्टर नं.	किस तिथि से रिक्त है	कब्जे की तिथि	रिक्त अवधि (मास में)	मसिक लाइसेंस शुल्क (रुपये में)	लाइसेंस शुल्क की हानि (रुपये में)	*भुगतान किया गया गृह किराया भत्ता (रुपये में)
टाईप-I							
1	137, बापू धाम	6.2.2003	2.9.03	7	67	469	8033
2	242, बापू धाम	25.2.03	27.10.03	8	67	536	9180
3	6-सीपीएच कम्पाउंड, मोती बाग	5.3.03	8.8.03	5	67	335	5738
4	20, डबल स्टोरी, पी. आर. लाइन	14.2.03	30.10.03	8	67	536	9180
5	226, बापू धाम	25.8.03	2.5.04	8	67	536	9180
6	एफ 41, हरिजन बस्ती	7.4.03	17.12.03	8	120	960	9180
7	एस 2टी/एस अलीगंज	25.2.04	21.10.05	8	67	536	9180
8	96, बापू धाम	23.6.04	04.4.05	9	67	603	10328
9	एच 3 सी.पी.एच., मोती बाग	29.11.05	30.5.06	6	67	402	6885
10	142, बापू धाम	7.1.06	6.7.06	6	67	402	6885
11	37, डी/एस अलीगंज	14.5.05	आज तक आवंटित नहीं है (नवम्बर,2006)	18	67	1206	20655
					योग	**6521**	**104424**
टाईप-II							
1	38, सी.डब्ल्यू.सी. लोदी कालोनी	10.4.04	10.3.05	11	120	1320	15098
2	जी-2, गोल्फ लिंक सदन	8.6.04	4.3.05	9	120	1080	12353
3	सी-25, पालिका निकेतन, आर,के, आश्रम	23.6.04	25.4.05	10	153	1530	13725
4	सी-26, पालिका निकेतन, आर.के. आश्रम	9.10.04	20.4.05	6	153	918	8235
5	एच-3, पालिका निकेतन, आर.के. आश्रम	18.12.04	15.7.05	7	153	1071	9608
6	4-सी/21 पेशवा रोड	31.12.04	5.7.05	7	120	840	9608
7	18, पृथ्वीराज मार्किट	14.1.05	24.8.05	7	153	1071	9608
8	1, ईएस अरविन्दो मार्ग	17.9.05	18.4.06	7	120	840	9608
9	सी 6, आर.के. पुरम	26.9.05	17.4.06	7	120	840	9608
10	सी-41, पालिका कुंज	11.10.05	27.4.06	6	153	918	8235
11	41, सी.डब्ल्यू.सी. लोदी कालोनी	7.10.02	19.5.06	7	120	840	9608

12	सी-14, आर.के. पुरम	29.12.05	आज तक आवंटित नहीं है (नवम्बर, 2006)	11	120	1320	15098
13	बी-8, आर.के. पुरम	6.9.04	...यही....	26	120	3120	35685
14	बी-7, आर.के. पुरम	25.8.04	...यही....	27	120	3240	37058
15	9, आर.के. पुरम, पालिका निकेतन	9.12.05	...यही...	11	120	1320	15098
				योग		**20268**	**218233**
टाईप III							
1	ई 25, पालिका निकेतन	15.11.02	29.5.03	6	239	1434	14850
2	एस 3 टाईप- III, लोदी कालोनी	31.1.03	5.9.03	8	781	1445	19800
3	फ्लैट नं. 55, III, आदित्य सदन	5.5.03	27.3.04	9	245	2205	22275
4	2, साउथ मार्किट, पूर्वी किदवई नगर	27.3.04	2.9.04	6	181	1086	14850
5	एफ 2, सी.डब्ल्यू.सी. लोदी कालोनी	10.4.04	1.5.05	12	221	2652	29700
6	20-आदित्य सदन	30.4.04	14.2.05	9	181	1629	22275
7	38-नित्य सदन	30.4.04	19.3.05	9	181	1629	22275
8	डी-22, पालिका निकेतन	6.5.04	2.3.05	10	239	2390	24750
9	फलैट नं. 5, साउथ मार्किट, किदवई नगर	21.5.04	16.11.04	6	181	1086	14850
10	एफ-2, नारौजी नगर मार्किट	25.5.04	15.2.05	8	221	1768	19800
11	18-एक्स.वाई.जेड. विहार, सरोजिनी नगर	29.6.04	13.4.05	10	221	2210	24750
12	3, ई.एस.एस. तिलक लेन	2.8.04	17.5.05	9	181	1629	22275
13	एफ-40, पालिका मिलन	21.7.04	19.7.05	12	239	2368	29700
14	एफ-3, (III)ईएसएस हनुमान रोड	9.11.04	12.8.05	9	221	1989	22275
15	एफ-41, पालिका मिलन	30.11.04	13.5.05	6	239	1434	14850
16	3-ऑटो वर्कशाप	15.12.04	1.7.05	7	245	1715	17325
17	एफ-34, पालिका मिलन	22.12.04	19.4.06	16	239	3824	39600
18	बी-6, पालिका मिलन	11.8.05	8.2.06	6	239	1934	14850
19.	जे-23, पालिका निवास, लोदी कालोनी	16.12.05	21.8.06	8	245	1960	19800
20.	35-आदित्य सदन	5.1.06	19.8.06	8	181	1448	19800
21.	44/1-सी, सैक्टर-11 डी.आई.जेड. एरिया, गोल मार्किट	1.3.06	19.9.06	6	221	1326	14850
				योग		**39168**	**445500**

टाईप-IV

1.	1, सैन्ट्रल मार्किट किदवई नगर	14.8.02	8.2.03	6	245	1470	22950
2.	10, सत्य कुटुम्ब	27.9.02	17.3.03	6	263	1578	22950
3.	प्राधानाचार्य आवास, नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर	31.10.03	27.5.05	19	245	4655	72675
4.	फलैट नं. 4, काका नगर	30.10.03	26.12.04	14	306	4284	53550
5.	फलैट नं. 6, काका नगर	14.11.03	1.5.04	6	245	1470	22950
6.	जी-11, साउथ एण्ड लेन	26.6.04	16.4.05	10	306	3060	38250
7.	फलैट नं. 1, ई.सी.एस. नं. -III एच.सी. माथुर लेन	28.6.04	15.2.06	8	306	2448	30600
8.	एफ-3, वैटेनरी अस्पताल, मोती बाग	30.3.04	26.4.05	8	245	1960	30600
9.	7-सरोजिनी विहार, एक्स.वाई. ब्लाक	1.3.05	28.1.06	10	324	3240	38250
10.	28-सरोजिनी विहार	21.5.05	17.3.06	10	324	3240	38250
11.	एक्स.वाई-9, सरोजिनी विहार	31.8.05	20.4.06	8	324	2592	30600
				योग		**29997**	**401625**

टाईप-V

1.	104, बी ब्लाक, डुप्लेक्स, मोतिया खान, डीडीए कॉम्पलेक्स	21.1.04	15.12.05	11	575	6325	59400
2.	203, बी ब्लाक सिम्पलैक्स, मोतिया खान डीडीए कॉम्पलैक्स	21.1.04	29.9.04	8	575	4600	43200
3.	604-बी ब्लाक सिम्पलैक्स मोतिया खान, डीडीए कॉपलैक्स	21.1.04	29.9.04	8	575	4600	43200
4.	8, पालिका सदन	31.1.04	22.7.04	6	482	2892	32400
5.	वाई-10, सत्या सदन, चाणक्य पुरी	30.4.04	4.11.04	6	575	3450	32400
6.	1-एक्स.वाई. सरोजिनी विहार	11.12.04	9.1.06	13	464	6032	70200
7.	6-पालिका कुटीर	8.12.04	17.4.06	16	575	9200	86400
8.	7, पालिका सदन, एच.सी. माथुर लेन	7.3.05	28.11.05	8	575	4600	43200
9.	3, पालिका सदन, एच.सी. माथुर लेन	28.3.05	10.10.05	6	575	3450	32400
10.	2/5, पालिका विहार	29.9.05	20.6.06	9	575	5175	48600
				योग		**50324**	**491400**
				कुल योग		**146278**	**1661182**

* गृह किराया भत्ते का आकलन प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान तथा मंहगाई वेतन के 30 प्रतिशत के आधार पर किया गया ।

अनुलग्नक-XII
(पैरा 9.3)

क्वार्टर अनधिकृत रूप से रखने के लिए सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के परिवार की ओर किराए की वसूली के बकाये का विवरण

क्र. सं.	नाम व पता	अवधि		बकाया राशि (रुपये में)
		से	तक	
1.	डा. अभिषेक गुप्ता, 2पालिका विहार, टाईप-IV	30.06.05	30.07.05	43,366
2.	श्री एच.एस. डोगरा, पूर्व अभि. प्रमुख, 3-टाईप- V, सत्य सदन	14.10.04	14.08.06 (रिक्त)	1,45,628
3.	श्री धर्मवीर सिंह, एफ-10 (टी/एस) अलीगंज	07.01.03	29.03.05 (रिक्त)	94,565
4	श्री जोगिन्दर सिंह, एफ-17, पी.आर. लेन	29.11.04 को मृत्यु	23.06.05 (रिक्त)	55,174
5.	श्री इतवारी, डी-8, आर.के.पुरम	31.05.03	25.07.05 (रिक्त)	1,23,753
6.	श्री सी. जार्ज, सी-2, आर.के.पुरम, टाईप-II,	30.06.03	25.07.05 (रिक्त)	1,07,832
7.	श्री नन्दगोपाल अग्रवाल, एस-8, गोल्फ लिंक, टाईप- II	01.05.06	05.08.06	15,547
8.	श्री शम्शुद्दीन, क्वार्टर नं. 73, पी.आर. लेन	उपकिरायेदार 5.9.03	रद्द/खाली 31.10.05	96,748
9.	श्रीमती सोहनवती, 92-(1) हरिजन बस्ती, नई दिल्ली	31.01.2000	26.02.03 (रिक्त)	99,579
10.	श्री सत्यानन्द क्वार्टर नं. 187(1), हरिजन बस्ती, नई दिल्ली	19.07.03	18.01.2000 (रिक्त)	1,21,488
11.	श्री विष्णु, 278 बापू धाम	रिकार्ड में उपलब्ध नहीं	18.01.2000 (रिक्त)	1,84,213
12.	श्री पी.एम. अग्रवाल, 7(V), पालिका सदन	31.12.03	30.04.04	21,450
13.	श्री लहरी, 6/82, बापू धाम	रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है	31.08.95	556
14.	श्री धर्मपाल, 113-बापू धाम	29.06.83	03.12.99	282
15.	श्री जगन्नाथ, 82-हरिजन बस्ती	30.08.88	30.06.96	840
16.	श्री एन.एस. सैनी, ए-21, पालिका निवास	18.03.94	31.08.01	6,482
17.	श्री रामकुमार, 179, बापू धाम	रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है	14.08.01	11,624
18.	श्रीमती कस्तूरी, पत्नी श्री प्यारे लाल, 18-जी, हरिजन बस्ती	31.12.02	21.05.03 (रिक्त)	61,964
19.	श्री थान सिंह, पूर्व माली, डी-7, आर.के. पुरम	30.06.03	01.03.04	65,49
20.	श्री कल्याण पुत्र श्री भोमा, माली, सी-4, आर.के.पुरम	31.08.06	07.02.04	34,398

21.	स्व. श्री संत राम, एफ-8, पालिका धाम	25.05.03	30.09.05	93,367
22.	श्रीमती रामो देवी, पत्नी स्व. श्री एस.के. (सी.नं. 3)एफ-6, पालिका धाम	मृत्यु 07.02.05 सेवानिवृत 31.10.03	17.06.05	1,50,223
23.	श्री भीमसेन, पूर्व ड्राईवर, सी-9 पालिका निकेतन	01.02.2000	21.05.01 (रिक्त)	74,007
24.	श्रीमती चॉद कौर, 37(I) हरिजन बस्ती	रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है	17.05.05 (रिक्त)	3,17,393
25.	श्री सरन लाल, क्वार्टर नं. 43, आदित्य सदन	-यही-	31.05.01	1,10,397
26.	श्रीमती कश्मीरो 63, बापू धाम	01.04.89	16.08.01	1,62,564
27.	श्री टी.सी. गुप्ता 1(टाईप- III) ईसीएस, बापू धाम	30.09.03	01.09.05 (रिक्त)	2,59,068
28.	श्री मुरारी लाल लीधोरिया, 166(I) हरिजन बस्ती	31.08.95	09.09.04 (रिक्त)	3,49,119
29.	स्व. श्री बाबू लाल, 178, हरिजन बस्ती	20.07.2000	28.03.06 (रिक्त)	1,40,754
			योग	**28,88,930**

अनुलग्नक-XIII
(पैरा 10.1)

भण्डार में वर्दी की आधिक्य पड़ी मदों का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	मात्रा	क्रय की तिथि	वर्ष 2004-06 के दौरान जारी	31.03.2006 का शेष
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	टखना (एंकल) जूते	38 जोड़े	1996 से पूर्व	-	38 जोड़े
2.	नीला सर्ज कपड़ा	16.40 मीटर	1996 से पूर्व	-	16.40 मीटर
3.	नीला ड्रायल कपड़ा	225.50 मीटर	1996 से पूर्व	-	225.50 मीटर
4.	गम-बूट	1 जोड़ा	1996 से पूर्व	-	1 जोड़ा
5.	ब्लाउज के लिए सफेद टेरीकाट	567.20 मीटर	1996 से पूर्व	-	567.20 मीटर
6.	ऊन	14.50 किलो	1996-98	-	14.50 किलो
7.	पगड़ी का कपड़ा	706.50 मीटर	1996 से पूर्व	-	706.50 मीटर
8.	पुरुषों के जूते	172 जोड़े	लागू नहीं	-	172 जोड़े
9.	महिलाओं के सैंडल	145 जोड़े	लागू नहीं	-	145 जोड़े
10.	बरसाती	2 नं.	1996 से पूर्व	-	2 नं.
11.	सुपर ऊनी कपड़ा	227 मीटर	लागू नहीं	-	227 मीटर
12.	वार्ड ब्याय ड्रेस (पेंट)	8 नं.	1996 से पूर्व	-	8 नं.
13.	वार्ड ब्याय ड्रेस (कमीज़)	12 नं.	1996 से पूर्व	-	12 नं.
14.	सफेद कपड़े के जूते	13 नं.	1996 से पूर्व	-	13 नं.
15.	ग्रे-लांग कपड़ा	650 मीटर	2001-02	-	650 मीटर
16.	ग्रे-लांग कपड़ा	6916.50 मीटर	08.03.00	4842.75 मी.	2073.75 मीटर
17.	महिलाओं के जूते	610 जोड़े	2001-01 से पूर्व	200	410 जोड़े
18.	पुरुष चप्पल	100 जोड़े	1996-98	-	100 जोड़े
19.	जुराबें	23271 जोड़े	अप्रैल, 2000	17588	5683 जोड़े
20.	सफेद टेरीकाट (पेटीकोट)	682.25 मीटर	मार्च, 2000	424	258.25 मीटर

अनुलग्नक-XIV
(पैरा 11.1)

मैसर्स सी.एम.सी. लि. को सौपें गये कार्य की अन्य मदें एवं 19 एप्लीकेशन साफ्टवेयर मोड्यूल्स का विवरण

1.	सिस्टम मॉग विशिष्टिताएं/गैप विश्लेषण दस्तावेज
2.	स्वीकार्य निरीक्षण दस्तावेज
3.	आंकड़ा परिवर्तन कार्यक्रम
4.	मास्टर ऑकड़ा सृजन के लिए डाटा एन्ट्री स्क्रीन
5.	निम्न विवरणानुसार जॉच किये हुए एप्लीकेशन साफ्टवेयर
	प्रथम चरण के लिए मॉड्यूल्स
i)	जन शिकायत विभाग
ii)	सम्पत्ति कर विभाग
iii)	सम्पदा विभाग
iv)	स्वास्थ्य विभाग-जन्म एवं मृत्यु
v)	सिविल इंजीनियरिंग विभाग
vi)	कार्मिक एवं वेतन बिल सूचना प्रणाली
vii)	वास्तुविद विभाग
	द्वितीय चरण के लिए मॉड्यूल्स
i)	वाणिज्य विभाग
ii)	साम्रान्य प्रशासन विभाग
iii)	वित्तीय लेखा पद्धति
iv)	स्वास्थ्य विभाग - स्वास्थ्य कार्यक्रम और व्यवसाय लाईसेंस प्रणाली
v)	विधि विभाग
vi)	प्रवर्तन विभाग
vii)	अध्यक्ष का परिचयात्मक संदेश
	तृतीय चरण के लिए मॉड्यूल्स
i)	विद्युतीय विभाग
ii)	उद्यान विभाग
iii)	समाज कल्याण विभाग
iv)	शिक्षा विभाग
v)	परिवहन विभाग
6.	कार्य प्रणाली प्रशासन पद्धति (दो प्रतियां)
7.	प्रयोगकर्ता/परिचालन पद्धति (दो प्रतियां)

अनुलग्नक-XV
(पैरा 12.3)

दिनांक 31 मार्च, 2006 को संस्थानों के विरूद्ध 11.61 करोड़ रुपये की राशि के सम्पत्ति कर के बकाया का विवरण

क्र. सं.	परिसर	माँग 2004-05	अतिरिक्त माँग	बकाया	स्टे	प्रतिप्रेषण/ रिमांड	जुर्माना	अतिरिक्त जुर्माना	एन/एफ	कुल प्राप्त राशि	शेष
1.	श्री गुरूहरकिशन कन्या वरिष्ठ मा.विद्यालय	6940	0	75558	0	0	5739	0	50	0	88287
2.	सैन्ट्रल अकादमी स्कूल	118880	0	1306980	0	0	98076	0	50	0	1523986
3.	हारकोर्ट बटलर वरिष्ठ मा. विद्यालय	16660	0	181255	0	0	13756	0	50	0	211721
4.	क्रिस्ट राजा स्कूल, डीआईज़ेड एरिया	70040	0	761685	0	0	57783	0	55	0	886563
5.	कान्वेंट आफ जीसस एंड मेरी स्कूल, बंगला साहिब रोड	260325	0	2319679	0	527561	0	0	35	0	3107600
6.	कारमल कॉन्वेंट स्कूल, मालचा मार्ग के कम्पाउंड में आवासीय भवन	195040	0	38823	0	0	0	0	10	156231	77642
7.	खालसा बाल प्रा. विद्यालय, बंगला साहिब मार्ग	1880	0	20454	0	0	1552	0	50	0	23936
8.	आर.एम.आर्य वरिष्ठ मा.वि., राजा बाजार	44660	0	485726	0	0	36852	0	50	0	567288
9.	एक्सवाई ब्लाक सरोजिनी नगर के पास बाल कल्याण केन्द्र के सामने विद्यालय	35640	0	71280	111379	204932	7128	0	30	0	430389
10.	बिधान चन्द्र विद्यालय, मोती बाग	23920	0	77740	0	0	0	0	25	0	101685
11.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वरि. मा. विद्यालय	40160	0	431817	0	0	33144	0	40	235988	269173
12.	दिल्ली कनाडा स्कूल लोदी स्टेट	343400	0	3669758	0	0	259659	0	45	0	4272862
13.	केरला एजूकेशन सोसायटी वरि.मा.वि.	88540	0	919765	0	0	66429	0	35	300000	774769
14.	गुरू तेगबहादुर वरि.मा. विद्यालय	14020	0	152541	0	0	11578	0	50	0	178189
15.	निर्मल शिक्षा केन्द्र विद्यालय	55080	0	598995	0	0	45441	0	35	0	699551
16.	मैत्री कालेज	724050	0	6636907	0	0	401791	0	40	0	7762788
17.	जीसस एंड मेरी कालेज	208952	0	1730458	0	0	163550	0	10	208952	1894018
18.	लेडी इर्विन कालेज	335050	0	3587050	0	0	254141	0	45	0	4176286
19.	लेडी इर्विन कालेज, अतिरिक्त निर्मित फ्लैट	140	0	420	0	0	0	0	0	0	560
20.	लेडी इर्विन कालेज, अतिरिक्त हिस्सा	960	0	960	0	0	0	0	5	0	1925
21.	ए.के. गोपालन ट्रस्ट, 27-29 भाई वीर सिंह मार्ग	234525	0	1376354	0	0	0	0	5	122467	1488417

22.	आल इंडिया काउनसिल ऑफ मेयर्स, 8, भाई वीर सिंह मार्ग	94200	0	590025	0	0	42075	0	50	102000	624350
23.	भारत साधु समाज स्कूल	155560	0	1742414	0	0	132681	0	106	0	2030761
24.	सैंटर फार वूमैन डैवलपमैंट स्टडीज, 25, भाई वीर सिंह मार्ग	355350	0	4193441	0	0	348621	0	40	0	4897452
25.	डा0 मैथ्यूस मनिद सैन्टर, 26, भाई वीर सिंह मार्ग	342400	0	4052221	0	0	337474	0	40	0	4732135
26.	एकल भवन बरामदे सहित चार कमरों वाला स्कूल	140	0	420	121612	0	0	0	15	0	122187
27.	श्रीकेटी थामस, अध्यक्ष आईपीसी, 14,भाई वीर सिंह मार्ग	522270	0	3822573	0	0	72060	0	50	0	4416953
28.	विश्व मामलों की केन्द्रीय परिषद्, सप्रू हाउस	65580	0	9408214	48338	0	1881643	0	30	65580	11338225
29.	भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट भवन का एक भाग 8692 वर्ग फुट, बाजार लेन	2020050	0	2835117	0	0	0	0	46	964100	3891113
30.	इंडियन इन्टरनेशनल सैंटर, 40-लोदी स्टेट	3120630	0	534247	0	0	0	0	15	2600535	1054357
31.	जवाहर भवन ट्रस्ट, रायसीना रोड, न.दिल्ली	1279770	0	0	0	10398275	0	0	34	0	11678079
32.	मैसोनिक मंदिर, जनपथ	1376370	0	8570092	73375	0	49129	0	60	0	10069026
33.	जीएफ, एफएफ, द्वितीय तल, तृतीय तल, 5, न्याय मार्ग	241625	0	0	0	241625	0	0	5	0	483255
34.	शास्त्री इंडोकेनेडियन इंस्टीट्यूट, 5, भाई वीर सिंह मार्ग	319925	0	3807201	0	0	318138	0	40	4127166	318138
35.	वीरावाली अन्तर्राष्ट्रीय अस्पताल, चाणक्य पुरी	45500	0	0	0	0	0	110	8	34243	11375
36.	वर्ल्ड वाइड फंड, नेचर आफ इंडिया, 172-बी लोदी स्टेट	409700	0	2670360	0	0	0	0	30	750000	2330090
37.	योगदा सत्संग शाखा केन्द्र, 11,12 भाई वीर सिंह मार्ग	395950	0	0	0	4189905	0	0	63	0	4585918
38.	सरदार पटेल विद्यालय, 3 आवासीय फ्लैट, लोदी स्टेट	560	0	0	0	0	0	0	0	0	560
39.	सरदार पटेल विद्यालय, 3 आवासीय फ्लैट, लोदी स्टेट	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
40	53, लोदी स्टेट	3206850	0	9667411	0	0	0	0	20	4000000	8874281
41.	भारतीय विधि संस्थान, भगवान दास मार्ग	2313750	0	8569409	0	0	0	0	5	0	10883164
42.	इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ, 9, भगवान दास	1312620	0	3702548	62235	0	135958	0	10	0	5213371
						योग					116095765